खण्ड-397, अंक-5
गुरुवार, 14 आषाढ़, शक संवत् 1912
(5 जुलाई, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1—2
प्रश्नोत्तर ..	3—79
दंगो आपदा से प्रभावित मकदा में गये खेलकूद मन्त्री के सम्बन्ध में जानकारी ..	79—80
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	80
जनपद लखीमपुरखीरी के निधासन क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में जलभराव से किसानों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80—81
जनपद आगरा के सिकन्दरा स्थित विद्युत उपकेन्द्र ट्रान्सफार्मर जलने से विद्युत आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	81
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार हेतु अनुबन्धित बी० ए० आई० एफ० संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	81—82
ग्राम मानकमऊ जनपद सहारनपुर में चीनी मिल तथा राइस मिल से प्रदूषण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82
प्रदेश में दूषित पेयजल से भयंकर बीमारियां उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82
जनपद शाहजहांपुर में खेड़ा बम्हेड़ा तक बरेली से परिवहन निगम की बसों को चलाये जाने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना ..	83
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	83
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन [जनवरी 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 तक] (पटल पर रखा गया) ..	83
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन [1 जनवरी 1987 से 31 दिसम्बर, 1987 तक] (पटल पर रखा गया) ..	83
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1990 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ..	84
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ..	84
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ..	84
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ..	84—85

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं* ..	85–95
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 22 खाद्य तथा रसद् विभाग (स्वीकृत) ..	96–143
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) ..	143–152
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन (विधि मान्यकरण) विधेयक, 1990 (पारित) ..	152–153
प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति प्रदेश में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किये जाने तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए सम्बन्धित चयन बोर्ड के सदस्य उक्त तीन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में रखे जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	153–165
आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के तीव्र कटाव से उत्पन्न स्थिति विषयक तथा आगरा जनपद से बटेश्वर तीर्थ स्थल के दिगम्बर जैन मन्दिर से बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी विषयक नियम 51 के अन्तर्गत सूचना ..	165–166
महामना पं0 मदन मोहन मालवीय के वाराणसी स्थित निवास स्थान को उनके पौत्र द्वारा बेचने का सौदा करने की खबर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	166–169
महामना पं0 मदन मोहन मालवीय के वाराणसी स्थित निवास स्थान को उनके पौत्र द्वारा बेचने का सौदा करने की खबर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की मांग ..	169–170
लखनऊ–कानपुर रेल लाइन पर फिश प्लेटें निकाल दिये जाने से आतंक वादियों के सक्रिय होने एवं आम जनता के आतंकित होने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	170–171
जनपद बस्ती के ग्राम रैपुरा में विषाक्त भोजन से मृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा ..	171–177
राजनेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं आदि की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था किये जाने विषयक दिनांक 22 जून, 1990 के ता0 प्र0 सं0 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में चर्चा ..	177–184
नत्थियां ..	185–194

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार दिनांक 5 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अकबर अली, श्री (जालौन)
अख्तर, श्री (गाजियाबाद)
अतीक अहमद, श्री (इलाहाबाद)
अनवर मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अनिल कुमार भारद्वाज, श्री (रामपुर)
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अरविन्द कुमार, श्री (ललितपुर)
अरिदमन सिंह, श्री (आगरा)
अवधेश प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
इन्दल सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री (बुलन्दशहर)
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (फतेहपुर)
ओम प्रकाश दिवाकर, श्री (फिरोजाबाद)
काजी मो० मोहीउद्दीन, श्री (हरिद्वार)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
खुर्शीद, श्री (गाजीपुर)
गंगाभक्त सिंह, श्री (हरदोई)
गणेश दीक्षित, श्री (कानपुर)
गोवर्धन सिंह, श्री (एटा)
चन्द्रविजय सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयशंकर पाण्डेय, श्री (फैजाबाद)
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री (मथुरा)
तेजपाल, श्री (बिजनौर)
धर्मपाल, श्री (बहराइच)
नारायण दत्त तिवारी, श्री (नैनीताल)
निहाला सिंह, श्री (वाराणसी)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्यारेलाल शंखवार, श्री (कानपुर देहात)
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री (बरेली)
बरफिया लाल जुबांठा, श्री (उत्तरकाशी)
बलबीर सिंह, श्री (टिहरी गढ़वाल)
बल्देव सिंह, श्री (बिजनौर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
भोपाल सिंह, श्री (मेरठ)
मंजूर अहमद, श्री (बरेली)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
माधव, श्री (एटा)
मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां, श्री (बदायूं)
मुहम्मद सईद 'भ्रमर' (सिद्धार्थनगर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद उल्लाह, श्री (मुरादाबाद)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रवीन्द्र कुमार सिंह, श्री (गाजीपुर)
रवीन्द्र राघव उर्फ पवन, श्री (बुलन्दशहर)

राकेश कुमार पालीवाल, श्री (फिरोजाबाद)
राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री (गाजीपुर)
राजपाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राजित प्रसाद यादव, श्री (वाराणसी)
राधेश्याम भारतीय, श्री (इलाहाबाद)
रामआसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम औतार मिश्र, श्री (शाहजहांपुर)
राम बचन घुसिया, श्री (बलिया)
राम सरन सिंह, श्री (अलीगढ़)
राम सिंह सैनी, श्री (हरिद्वार)
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री (गोण्डा)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रेशमा आरिफ, श्रीमती (कानपुर)
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री (मेरठ)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विपिन बिहारी, श्री (हरदोई)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (हरिद्वार)
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री (मुरादाबाद)
शिव कुमार बेरिया, श्री (कानपुर)
शिवराज सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री (जालौन)
श्याम नारायन तिवारी, श्री (महाराजगंज)
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री (उन्नाव)
समीउल्ला, श्री (गोण्डा)
सरस्वती तिवारी, श्रीमती (अल्मोड़ा)
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री (खीरी)
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री (गाजियाबाद)
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री (अलीगढ़)
शेख मोहम्मद सुलेमान, श्री (बिजनौर)
हनुमन्त सिंह, श्री (गोण्डा)
हर नारायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
होशियार, श्री (बुलन्दशहर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 5 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में कड़ा रुख अपनाने की मांग

**1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में सर्वाधिक घाटा राज्य विद्युत परिषद् में है, जिसका प्रमुख कारण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, कमीशन-खोरी और बिजली की चोरी तथा बड़े उद्योग पतियों और विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाये की लम्बी धनराशियां हैं ? यदि हां तो बिजली की दरों में वृद्धि करने के बजाय क्या सरकार उक्त सभी मामलों में कड़े रुख अपना कर स्थिति को सुधारने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

जी हां।

भ्रष्टाचार एवं बिजली की चोरी से पूर्णतया इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु इस सम्बन्ध में जो मामले प्रकाश में आते हैं उन पर नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है।

विद्युत चोरी तथा विद्युत उपयोग में अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं एवं राजस्व वसूली अभियान में तीव्रता लाई गई है।

बड़े उद्योगपतियों सहित समस्त औद्योगिक उपभोक्ताओं पर माह मार्च 1990 के अन्त तक कुल 174.70 करोड़ रुपया (अनन्तिम) बकाया है।

सरकारी विभागों पर माह मार्च 1990 के अन्त तक विद्युत परिषद का कुल 191.93 करोड़ रुपए बकाया है जिसकी पुष्टि हेतु सम्बन्धित विभागों से प्रयास किए जा रहे हैं।

बिजली की दरों में वृद्धि, उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों में बढ़ती हुई लागत के कारण अपरिहार्य है। शासन परिषद के कार्य कलापों में सुधार लाने हेतु कृत संकल्प है और इस दिशा में अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत कदम उठाये जा रहे हैं।

परिषद के कार्य कलापों में सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसके लिए शासन सजग एवं प्रयासरत है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि समस्त औद्योगिक उपभोक्ताओं पर मार्च, 1990 के अन्त तक कुल 174.70 करोड़ रुपया बकाया है और सरकारी विभागों पर मार्च, 1990 तक 191.93 करोड़ रुपया बकाया है। मैं जानना चाहता हूं कि मार्च, 1990 से पहले प्रति माह घाटा कितना होता था और अब सरकारी प्रयासों के बाद प्रति माह घाटा कितना रह गया है ? घाटे में प्रति माह क्या कुछ कमी आई है या यह धनराशि पहले से कुछ बढ़ी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अधिकांश बकाये तो इस कारण से हैं कि मामले न्यायालय में लम्बित हैं। मार्च, 1990 के बाद हमारे प्रयासों से करीब एक करोड़ रुपये की वसूली इधर की गई है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि मार्च, 1990 से पहले घाटा प्रति माह कितना था और अब सरकारी प्रयासों के बाद यह घाटा प्रति माह कुछ कम हुआ है या बढ़ा है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि मार्च, 1990 से पहले जितनी धनराशि बकाया थी इस समय उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है ? एक प्रश्न मेरा यह भी है कि यदि इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और बिजली की चोरी पर प्रभावकारी ढंग से अंकुश लगाया जाय और बकाया धनराशि की वसूली की जाय तो घाटे में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, घाटा तो स्वाभाविक है इसलिए कि हमारी जो विद्युत लागत है उससे कम कीमत पर हम गांवों को बिजली दे रहे हैं। करीब 30 पैसे प्रति यूनिट हमारी लागत है, गाँव को हम लगभग 13 पैसे में दे रहे हैं। आप बैठें, मैं जल विद्युत की बात कर रहा हूं। तो यह घाटा स्वाभाविक है। फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि यह विद्युत दरों की वृद्धि हो वह समय पर की जाय। औद्योगिक विद्युत दरों में वृद्धि की भी गई है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वितरण और उत्पादन को वह अलग-अलग कर देंगे, विभाजन करने की व्यवस्था करेंगे विद्युत परिषद की। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि उसका अनुपालन सरकार कर रही है या नहीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उस पर विचार चल रहा है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, यह कहा गया कि गांवों में वितरण में घाटा ज्यादा है। यह बताने का कष्ट करें कि क्या रेशियो है गांव और शहर में बिजली देने का ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, पहले गांवों में बिजली दी जा रही थी 31 फीसदी और हमारी सरकार अब 37 फीसदी गांवों को बिजली दे रही है।

श्री अमर मणि—

मान्यवर, अभी जो यह कल्याणकारी सरकार बनी है, उसके पूर्व 190 रु० न्यूनतम दर थी बिजली कनेक्शन लेने की। इस सरकार ने कहा था कि इसे घटायेंगे। वह बजाय घटाने के 390 रु० हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस 390 को घटायेंगे या उसे और बढ़ा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न से कहां सम्बन्धित है । मूल प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक होना चाहिए ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

कहा गया कि इसमें भ्रष्टाचार है, मुनाफाखोरी है, कमीशनखोरी है । इसकी एक वजह यह है कि जो विभागीय सामग्री खरीदी जाती है तो उसके खरीदने का कामकाज केन्द्रित है । जिला स्तर पर, मंडलीय स्तर पर छोटी-मोटी चीजें वहां से खरीदी नहीं जाती हैं । विभागीय सामग्री के क्रय की वर्तमान प्रणाली जो है इसके केन्द्रीयकरण को समाप्त करके उसका विकेन्द्रीकरण करायेंगे ताकि जरूरत के मुताबिक छोटी-मोटी सामग्री मण्डलीय स्तर पर और जिलास्तर पर अधिकारी खरीद सकें ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न 2 पर आएगा । प्रश्न-2 आप देख लें । प्रश्न संख्या 2 इसी से सम्बन्धित है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि विद्युत चोरी को रोकने और विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को, जो इंका शासन की देन थी, रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने बड़ा विस्तृत प्रश्न कर दिया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने विस्तृत प्रश्न नहीं किया है । विद्युत चोरी और विद्युत उपभोग म अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये गए हैं, यह उत्तर में लिखा हुआ है । इसी से जुड़ा प्रश्न है । कि वह प्रभावी कदम क्या हैं, यह मैं जानना चाह रहा हूं । मैंने बिल्कुल वही प्रश्न किया है जो इसके उत्तर से सम्बन्धित है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय वर्मा जी की चिन्ता स्वाभाविक भी है और जायज भी है । मान्यवर मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं । अभी तक जो हमारी दृष्टि में दोषी लोग आए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई है । दो अधीक्षण अभियन्ता और 11 राजिशासी अभियन्ताओं को सेवानिवृत्त भी किया गया है, इस प्रकार हम इस दिशा में प्रयासरत हैं ।]

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, दो प्रश्न अनुपूरक होते हैं । एक मूल प्रश्नकर्ता का और दो और लोगों के । मीटिंग में भी यही बात तय हुई थी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी । मान्यवर, मूल प्रश्न म कहा गया है कि घाटे का मुख्य कारण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार,

कमीशनखोरी और बिजली की चोरी तथा बड़े उद्योगपतियों और विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाये की लम्बी धनराशियां है, इसके उत्तर में कहा गया है कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों सहित समस्त औद्योगिक उपभोक्ताओं पर। इसका मतलब इसमें बड़े भी है और छोटे भी जुड़े हुये हैं। जैसा कि मूल प्रश्नकर्ता ने ध्यान आकर्षित किया है, कि इसमें कितने बड़े शामिल हैं, जिनका 174.70 करोड़ रुपए का बकाया है। मैं भी यही जानना चाहती हूं कि इसमें कितने बड़े और कितने छोटे हैं, इसको स्पष्ट करवा दें?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में भी बड़े उद्योगपति ही लिखा हुआ है, कोई सूची तो दी नहीं गई है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, उत्तर में बड़े के साथ छोटे भी मिला हुआ है, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इन सभी उद्योगपतियों की लिस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ बड़े उद्योगपतियों के नाम मेरे पास हैं, जिनमें मेसर्स हिन्डाल्को, मेसर्स कनोरिया तथा मोदी उद्योग समूह है, इन पर क्रमशः 893.67 लाख, 270.21 लाख तथा 1722.11 लाख बकाया है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माह दिसम्बर, 1989 में विद्युत् लाइन लॉस कितना था तथा जून, 1990 में कितना था। इसी प्रकार तापीय विद्युत् उत्पादन माह दिसम्बर, 1989 में कितना था और जून, 1990 में कितना है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, हम समझते हैं कि मुल प्रश्न से सम्बन्धित यह प्रश्न नहीं है।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बल के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और 6-7 सवाल हो गये हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न करना चाहेगा, थोड़ा आप लोग नियमों का पालन तो करिये। प्रमोद जी आप बैठिये।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नेगी साहब ने पूछा कि चोरी हो रही है और चोरी से सम्बन्धित यह प्रश्न है कि चोरी दिसम्बर में ज्यादा हो रही थी या अब जून में ज्यादा हो रही है, यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ है, अगर मंत्री जी को जानकारी नहीं है, तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

शासन द्वारा घोषित नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति

**2—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा घोषित नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे विद्युत् की आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो इस के

क्या कारण हैं तथा निर्धारित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जी हां, परन्तु ऐसा सम्भव है कि कुछ ग्रामीण विद्युत पोषकों, विद्युत उपस्थानों आदि में आये स्थानीय दोषों के कारण एवं उन विद्युत उपस्थानों में जहां ओवरलोडिंग हो वहां पर निर्धारित 14 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी ग्रिड में आयी कम वोल्टेज की समस्या को सुधारने हेतु भी ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत कटौती करनी पड़ती है।

श्री पंचानन राय—

माननीय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जो उत्तर दिया गया है, उसमें विरोधाभाव है। प्रश्न में पूछा गया है कि 14 घंटे बिजली दी जा रही है तो उत्तर के शुरु में लिखा है "जी हां" परन्तु नीचे लिखा जा रहा है नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

परन्तु भी लगा है।

श्री पंचानन राय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अमवारो नरायनपुर का जो नया सब स्टेशन है वह तीन महीने से बन्द है, जो० एन० पुर का सब स्टेशन प्रायः बन्द रहता है, लाटघाट का एक फीडर चालू नहीं है और माल्टार का एक फीडर जला हुआ है तथा रौनापुर व मऊकुतुबपुर का सब स्टेशन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। 15 जून को मैंने नियम 301 के अन्तर्गत इसकी सूचना भी दी थी। क्या सरकार राज्य विद्युत परिषद् के किसी उच्च अधिकारी को वहां भेज कर इसकी जांच करायेगी ? आप 14 घंटे बिजली की बात करते हैं, वहां 14 दिन से बिजली नहीं आ रही है। दूसरा, यह कि मई और जून के महीने में आंधी से जो खम्भे थे तार गिर गये हैं और टूट गये हैं, उनको सरकार कब तक ठीक करा देगी ? यदि सब स्टेशन चालू कर दिये जायेंगे तो तार व खम्भे न होने के कारण वह बिजली गांवों तक नहीं पहुंच पायेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय, राय साहब ने जो बात कही है, वह सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के इन सब स्टेशनों के बारे में अलग से लिखकर दे दें।

श्री पंचानन राय--

माननीय, नियम 301 में भी लिखकर मैं इसको दे चुका हूं। क्या आप राज्य विद्युत परिषद के किसी उच्च अधिकारी को वहां भेजकर इसकी जांच करायेंगे। आज वहां 14 दिन से बिजली नहीं आ रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

माननीय श्री राय साहब आपको जो शिकायत है वह शिरोधार्य है। इसको लिखवा लिया जायेगा। दूसरा, आपने 14 घंटे बिजली की आपूर्ति की बात कही है।

डाक्टर सरजीत सिंह डंग—

माननीय, जो यह दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे बिजली दी जा रही है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में मार्च में कितने गांवों को 14 घंटे बिजली दी जा रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय, हम खुद भी सन्तुष्ट नहीं हैं। हम भी बराबर गांवों से सम्पर्क रखते हैं। 14 घंटे बिजली, सब स्टेशन हैं गांव के उनको दी जा रही है। लाइनों की खराबी के कारण और कुछ खामियों के कारण, हो सकता है प्रत्येक 14 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही हो। हमने आज ही निर्देश दिये हैं कि जहां कमियां हैं, उन्हें ठीक कर 14 घंटे बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जाय। हमारी सरकार के बनने के पहले 10 घंटे बिजली की आपूर्ति की बात थी, उसमें से भी मुश्किल से 6 घंटे बिजली मिलती थी, परन्तु हमारी सरकार ने इसे 14 घंटे किया है। पहले से सुधार हुआ है, फिर भी हम इस सुधार से स्वयं सन्तुष्ट नहीं हैं। आज भी हमने कहा है कि इसमें और प्रभावी सुधार किया जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

अब माननीय, इससे ज्यादा सन्तोषजनक उत्तर कोई और मंत्री क्या दे सकता है। जब हम खुद मानते हैं कि 14 घंटे के निर्देश हैं लेकिन पूरा लाभ गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है, हमने निर्देश दिये हैं कि यह 14 घंटे की बिजली आपूर्ति सिर्फ सब स्टेशन तक सीमित न रहे बल्कि गांव के उपभोक्ताओं तक पहुंचे। पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सहूलियतें दें उसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

माननीय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो विद्युत मंत्री के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि विद्युत आपूर्ति के लिये और लायन लासेज के लिये पूर्व विद्युत मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय उप नेता, विरोधी दल ने जो कहा है, हम सभी माननीय सदस्यों के सुझावों का आदर करेंगे।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि जो अधिकार हैं ग्रामीण क्षेत्रों का उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि माननीय सदस्यों के सुझाव का सम्मान करेंगे।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मथुरा धार्मिक नगरी है, यहां तीर्थ यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है, उसे विद्युत कटौती से मुक्त कर रहे हैं। क्या आज मथुरा जनपद विद्युत कटौती से मुक्त है या नहीं?

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मथुरा के बारे में सूचना नहीं है, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए अलग से विचार कर लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इस सरकार को बधाई देता हूं कि अपने मुंह से कह दिया कि 14 घंटे बिजली देना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 14 घंटे बिजली देने के लिये कितने मेगावाट विद्युत् की आवश्यकता प्रदेश को पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष—

मूल प्रश्न तो ऐसा था नहीं आपका।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह करना चाहते हैं, उनके लिये कितनी विद्युत् की आवश्यकता पड़ेगी ? इससे सीधा सवाल नहीं हो सकता है।

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

इस पर आप चर्चा ही करा दें।

श्री अध्यक्ष—

इसका बजट तो आ ही रहा है, इस पर चर्चा तो पूरी होगी ही।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना द्वारा गोण्डा, बस्ती और बहराइच की भूमि के ऊसर में बदलने विषयक सम्भावित समस्या के निराकरण की कार्यवाही

*1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक हजार पचास करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना से गोण्डा, बस्ती और बहराइच की बारह लाख हेक्टेयर भूमि के ऊसर में बदलने की सम्भावना की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

सिंचाई एवं पर्यावरण मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

जी हां, सरयू नहर परियोजना जिसकी लागत मार्च, 1989 के मूल्यों के आधार पर 1010 करोड़ है, के अन्तर्गत प्रस्तावित नहर प्रणाली के कारण उत्पन्न होने वाली सम्भावित समस्या के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में जलप्लावन के कुप्रभाव को भी दर्शाया गया है। जलप्लावन से भूमि ऊसर भी हो सकती है।

जलप्लावन की स्थिति से निपटने के लिये सरयू नहर परियोजना के अधीन भूजल के उपयोग हेतु नलकूप लगाने तथा सतही पानी निकालने हेतु नाले बनाने का प्रावधान किया गया है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि इस परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के ऊसर होने की सम्भावना है ? और उस ऊसर को रोकने के लिये जो बचाव के उपाय किये जा रहे हैं उससे आप कितनी भूमि ऊसर होने से बचा सकेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, चूंकि भूमि अगर होगी ही नहीं जब इसके लिये सुधार लागू कर देंगे तो कोई ऊसर भूमि वहां पर होगी ही नहीं इसके लिये एक हजार दस करोड़ रुपया इस

परियोजना में लगना था जबकि अभी तक इसमें साढ़े तीन करोड़ रु0 खर्च हुआ है और इस साल बीस करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। इसमें सुधार के लिय ऐक हजार किलोमीटर ड्रेन बनाने की बात भी प्रस्तावित है जिससे कि सतही पानी को निकाल कर बाहर कर दिया जाय और इसके अतिरिक्त 3600 नलकूप शहरी और राजकीय लगाने की बात है जिससे कि सतह थोड़ी नीचे चली जाय और पानी नीचे स्तर पर हो जाय। जो पानी ऊपर आ जायेगा उसको 9 हजार किलो मीटर लम्बी ड्रेन के द्वारा दूर कर दिया जायेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरयू कैनाल परियोजना जो तीन हजार बहत्तर करोड़ की थी वह कांग्रेस की उदासीनता के कारण एक हजार करोड़ रु0 की रह गयी। इससे 92 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊसर होने की सम्भावना है इससे कितनी जमीन की सिंचन क्षमता बढ़ेगी यह माननीय मंत्री जी बतला दें ?

श्री रेवती रमण सिंह—

इससे कितनी सिंचन क्षमता बढ़ेगी, यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री राम सेवक—

माननीय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहराइच जनपद इसमें जिक्र आया है, तो वहां पर कितनी जमीन ऐसी है जिसको इस परियोजना में ऊसर होने के चान्सेज हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय, माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ठीक से नहीं सुना मैंने बताया था कि जो हम यह योजना लागू कर रहे हैं ऊसर भूमि को सुधारने के लिये, उसमें कोई ऊसर भूमि होने की सम्भावना नहीं है, सब ऊसर समाप्त हो जायेंगे।

[गुरुवार दिनांक 5 जुलाई, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं महाविद्यालयों में चिकित्सक एवं अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या

*1—श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं महाविद्यालयों में कितने चिकित्सक एवं अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालयों में कुल कितने अतिरिक्त चिकित्सक एवं अध्यापक सम्बद्ध किये गये हैं और इस सम्बद्धता का क्या औचित्य है ?

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं महाविद्यालयों में चिकित्सकों के 265 एवं अध्यापकों के 123 पद रिक्त हैं।

लखनऊ स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालयों में 16 अतिरिक्त चिकित्साधिकारी एवं अध्यापक सम्बद्ध किये गये हैं। इनकी सम्बद्ध समाप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री बसन्त लाल गुप्ता—

माननीय, मेरा यह प्रश्न था कि जो चिकित्सक सम्बद्ध किये गये हैं, यह कितने दिनों से किये गये हैं और उनके सम्बद्ध किये जाने का औचित्य क्या है। यह लोग कितने दिनों से लखनऊ में सम्बद्ध हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

यह जो 16 लोग सम्बद्ध किये गये हैं, इनमें से 3 अध्यापक हैं और शेष 13 चिकित्सक हैं। विभिन्न स्थानों से लाकर सम्बद्ध किये गये हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिये। इसका कारण यह है कि अध्यापकों की कमी है, इसलिये सम्बद्ध किया गया है।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

माननीय, जो चिकित्सक सम्बद्ध किये गये हैं वह अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर सम्बद्ध किये गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उनको अपने मूल स्थान पर वापस करने का कष्ट करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, जिला बांदा में कितने स्थान अध्यापकों के खाली हैं, उनको कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यह स्थिति पूरे प्रदेश की है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी अगर आपके पास सूचना हो तो दे दें। माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं आया और आप सभी लोग खड़े हो गये। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना अवसर खो देंगे। आप माननीय सदस्य का उत्तर तो आने दें।

श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

माननीय, मेरा पहला सवाल यह था कि जो चिकित्सक दूसरी जगह पर सम्बद्ध किये गये हैं और अगर उनके मूल स्थान खाली हैं, तो क्या उनके मूल स्थान पर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस—

जो चिकित्सक राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ा रहे हैं उनको वहीं पर रखा जायेगा और इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं होगी।

श्री राम कुमार शुक्ल—

माननीय, पूरे प्रदेश में 265 स्थान चिकित्सकों के रिक्त हैं और 123 स्थान अध्यापकों के रिक्त हैं। मैं जानना हूं कि वह अब क्या इस कारण से रिक्त हैं, क्योंकि भर्ती पर पाबन्दी लगी है। यदि नहीं तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है ? यह मामला जन हित से जुड़ा हुआ है। इनको अधिक दिन तक खाली नहीं रखा जा सकता है।

श्री मुख्तार अनीस—

पब्लिक सर्विस कमीशन से अनुशंसा की गयी है। जब वहां से आ जायेंगे, तब किया जायेगा।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैं यह जानना चाहती हूं कि लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज से कितने चिकित्सक और अध्यापक सम्बद्ध किये गये हैं और इस सम्बद्धता का क्या औचित्य है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज से कितने लोगों को सम्बद्ध किया गया है ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि वहां पर 16 नियुक्त किये गये हैं इनमें 3 अध्यापक हैं और 13 चिकित्सा अधिकारी हैं। इन्हें पढ़ाने के लिये नियुक्त किया गया है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी नियुक्त कहीं हुई है और वे लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। तनख्वाह कहीं से आती है। क्या आपकी जानकारी में यह बात है कि ऐसे कुछ डाक्टर आयुर्वेदिक कालेज में हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, आयुर्वेदिक कालेज में डाक्टर पढ़ा रहे हैं और इनको वहां पर इसलिये नियुक्त किया गया है ताकि बच्चों का नुकसान न होने पाये। यह व्यवस्था आज से नहीं, बहुत दिनों से चली आ रही।

जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां में जमानियां रेलवे स्टेशन से देवंथा ग्राम तक का क्षेत्र बाढ़ द्वारा जलमग्न हो जाना

*2—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जमानियां तहसील, गाजीपुर के गन्धूतालिका क्षेत्र में जमानियां रेलवे स्टेशन गायघाट से लेकर देवंथा ग्राम तक कर्मनाशा नदी के बाढ़ के समय लगभग 20 कि0 मी0 का सम्पूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के बचाव के लिए कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

योजना बना कर राज्य बाढ़ नियंत्रण की तकनीकी सलाहकार समिति में दिनांक 10 जून, 1988 को प्रस्तुत की गयी थी, जो कि अस्वीकृत हो गयी।

योजना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पायी गई।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे मूल प्रश्न में आपने यह माना है कि एक तकनीकी सलाहकार समिति बनी थी और पूरे 20 किलोमीटर क्षेत्र में लोगों का जीना दूभर हो गया है। आपने यह भी मान लिया कि उस क्षेत्र का नाम गन्धूतालिका क्यों पड़ा। किन्तु मेरे मूल प्रश्न में जैसा पूछा गया है कि सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के बचाव के लिये कोई कार्यवाही की गई ? इसका उत्तर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय, माननीय सदस्य गाजीपुर, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह जी ने जो सवाल पूछा है, उस क्षेत्र में लगभग 69 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं और यह बाढ़ गाजीपुर में सन् 1956, 1976 और 1987, इन तीन वर्षों में आयी थी। सामान्यता वहां पर बाढ़ आती नहीं है जिससे यह 69 गांव प्रभावित हों। इसलिये माननीय, जब बाढ़ आती नहीं तो फिर तकनीकी दृष्टि से इस पर विचार किया गया। तकनीकी सलाहकार समिति ने अपनी आख्या थी कि वहां पर बांध बनाना सम्भव नहीं है तकनीकी दृष्टि से। इसलिये इस पर सरकार कोई कार्यवाही करने के लिये नहीं सोच रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि जो तकनीकी सलाहकार समिति प्रदेश की है उसमें भारत सरकार के भी प्रतिनिधि रहते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के भी रहते हैं। वह समिति यहां पर बैठकर क्षेत्रों की जो ऐसी जटिल समस्यायें आती हैं, उन्हें कैंसिल कर देती है। मैं जानना चाहता हूं कि उस समिति के पास जिस जिले की समस्यायें आयें, उस जिले के अधिशासी अभियन्ताओं को भी उसकी बैठक में बुलाने का प्रबन्ध करेंगे ताकि वह भी सरकार को अपनी स्वीकृति दे सके ?....

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय सदस्य राम गोविन्द जी ने जो सवाल पूछा है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि जो तकनीकी सहाहकार समिति विचार करती है, वह जिलों से जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर और गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेती है। उसमें कोई अधिशासी अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता के आने की आवश्यकता नहीं है। जो आख्या वे भेजते हैं वह समिति के सामने पहले से ही प्रस्तुत रहती है।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि तकनीकी समिति ने विचार किया और गुण व दोष के आधार पर कहा कि वहां पर बांध बनाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है तो जो तकनीकी समिति की रिपोर्ट है वह क्या है उसके क्या मुद्दे हैं और उन मुद्दों में गुण कितने विखलाई पड़े और दोष कितने विखलाई पड़े ?

दूसरा क्या उस तकनीकी समिति में विचार करते समय वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं जो बांध बनाने के लिये प्रश्न उठाते हैं उन्हें भी उस तकनीकी समिति में अपनी बात कहने का हक होगा ताकि सही ढंग से वह अपनी बात रख सकें ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय, माननीय चन्द्र शेखर सदस्य वाराणसी सम्भवत इस प्रश्न की समस्या से बहुत परिचित हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

मेरे घर का मामला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उनके घर का मामला है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैंने स्वयं कहा वह भलीभांति परिचित है अगर कहें तो उस समिति की रिपोर्ट संक्षेप में पढ़ दूं थोड़ा समय लगेगा ।

श्री अध्यक्ष--

बहुत समय लग जायेगा आप कक्ष में बुला लीजिये जिन माननीय सदस्यों को रुचि हों जा सकते है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जो आना चाहे वार्ता के लिये मैं तैयार हूं वैसे मैं बतलाना चाहता हूं ताकि सदन भी अवगत हो जाय क्योंकि हमारे कक्ष में कुछ ही सदस्य आयेंगे । तकनीकी समिति ने पूरे कारणों को गुणदोष के आधार पर देखा है उसने देखा कि कर्मनाशा नदी के किनारे और बीच में जगह नहीं बचती है जिससे उसका रख-रखाव नहीं हो पायेगा और यह तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है कि वहां बांध कायम हो सके । इसलिये तकनीकी कमेटी ने गुणावगुण का आधार दिया है जिसको सही मानकर सरकार ने यह फैसला लिया है ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह--

माननीय सिंचाई मंत्री जो हमारे नेता भी हैं केवल वह तकनीकी रिपोर्ट को आधार मान रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि जनहित को भी दृष्टि में रखें केवल तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर बांध को कैंसिल न करें । जो मैंने मूल प्रश्न पूछा है जो समिति ने रिपोर्ट दी है उसके बाद सरकार ने वहां की जनता के बचाव के लिये क्या कदम उठाये हैं, उसके लिये क्या योजना बनाई है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां बाढ़ नहीं आती है । तो क्या उनको जानकारी है कि वहां बांध का पानी आता है वर्षात में लोगों का जीना दूभर हो जाता है । तो मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि लोगों को पानी से बचाव के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, वह तो पहले ही बताया कि बचाव के लिये सरकार ने तकनीकी समिति बनाई और वहां का सर्वेक्षण कराया वहां केवल तीन बार 56, 76 और 87 में बाढ़ आई । तो जब पानी बढ़ता है तो 10, 15 दिन तक गांव जलप्लावित होते हैं उसके बाद पानी निकल जाता है । मुझे सूचना मिली है कि तकनीकी दृष्टि से बांध बनाना सम्भव नहीं है और कोई दृष्टि से माननीय बतायेंगे तो मैं दिखलवा लूंगा ।

श्री किशोरी श्याम--

माननीय मंत्री जी वहां वर्षा होकर पानी भर जाता है उसे कोई निकालता नहीं है यहां आप सदन में तकनीकी समिति में उलझा रहे हैं । तकनीकी समिति यहां रहेगी या वहां कोई जायेगा । मान्यवर, पुलवाना, बठेन, बहगांव नालों के लिये 5.46 लाख रुपये गये थे लेकिन इन नालों पर एक लाख रुपये का भी काम नहीं हुआ है, इसलिये क्या मंत्री जी वहां इन नालों पर पूरा काम कराने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

* मान्यवर, माननीय सदस्य जब कहेंगें, सदन समाप्त होने के बाद, मैं स्वयं उनके साथ चलने के लिये तैयार हूं ।

प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से औषधि नियंत्रण विभाग को पृथक् करने की मांग

*3--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या सरकार औषधि नियंत्रण विभाग को प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से अलग करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी नहीं किन्तु प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रकरण विचाराधीन है ।

सम्यक् विचारोपरान्त यथासमय निर्णय ले लिया जायेगा ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, दो दिन पहले हमने काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से भी प्रश्न उठाया था कि प्रदेश में घटिया और नकली दवायें बिक रही हैं और इस पर मंत्री जी ने कहा था कि कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं । इसलिये प्रश्न किया कि क्या औषधि नियंत्रण विभाग को स्वास्थ्य विभाग से सरकार अलग कर रही है ? उत्तर दिया नहीं । लेकिन फर्जी दवाओं की बिक्री पर औषधि नियंत्रण विभाग रोक नहीं लगा सकता तो क्या मंत्री जी पुनः विचार करते हुए औषधि नियंत्रण विभाग को स्वास्थ्य विभाग से अलग करेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, वर्ष 1989 में जो हमारा ड्रग कंट्रोल विभाग है उसने एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है जो विचाराधीन है ।

डाक्टर सरजीत सिंह डंग--

मान्यवर, औषधि नियंत्रण विभाग अलग नहीं कर सकते तो द्रुतगति से सेम्पुल भरे जायं और उनकी जांच हेतु क्या प्रयोगशालाओं की संख्या मंत्री जी बढ़ायेंगे, यदि हां तो कब तक ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने पर हम विचार कर रहे हैं ।

डाक्टर सरजीत सिंह डंग--

मान्यवर, औषधि निरीक्षकों की संख्या बढ़ायेंगे कि नहीं और कब तक बढ़ायेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार हो रहा है लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर्स बढ़ाने का विचार शासन ने नहीं किया है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रकरण विचाराधीन है, तो इसमें क्या और कब तक कर रहे हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, वर्ष 1989 में ड्रग कंट्रोल विभाग ने ऐसी सिफारिश किया है कि उनको अलग कर दिया जाये और जिस पर विचार कर रहे हैं और यह पहले ही हम उत्तर दे चुके हैं।

जनपद सीतापुर तथा बाराबंकी के किसानों को कल्यानी नदी की बाढ़ एवं जल भराव से बचाव हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पुलों का पुनरोद्धार तथा निर्माण का निर्णय

[विचाराधीन

*4—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर तथा जनपद बाराबंकी के किसानों को कल्यानी नदी बाढ़ एवं जल भराव से बचाने हेतु सिंचाई विभाग में अभियन्ताओं की एक कमेटी का गठन किया गया था जिसने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट शासन को कब तक प्राप्त होनी थी ? क्या कमेटी ने रिपोर्ट प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य संस्तुति क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

समिति को अपनी आख्या दो माह में प्रस्तुत करनी थी।

जी हां।]

कमेटी ने पश्चिमी कल्यानी नदी की सम्पूर्ण लम्बाई 64.00 कि0मी0 एवं पूर्वी कल्यानी नदी की सम्पूर्ण लम्बाई 33.90 कि0 मी0 तथा कल्यानी नदी के 152.20 कि0 मी0. से 162.00 कि0 मी0 अर्थात् 9.80 कि0 मी0 की लम्बाई में समुचित जल निकास हेतु चौड़ा एवं गहरा करने की संस्तुति के अतिरिक्त उक्त नदियों के 9 पुलों के पुनरोद्धार तथा 10 पुलों के निर्माण की सस्तुति की है।

निर्णय विचाराधीन है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न के जरिये मैंने एक बड़ी गम्भीर समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया था। बाराबंकी जनपद के 100 गांव कल्यानी नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके लिये धन्यवाद को उन्होंने स्वयं समिति कर दी और उसकी रिपोर्ट भी आ गयी। तो इस पूरे पर तो करोड़ों रुपये का खर्च है, किन्तु क्या वह जो विशेष 40-50 गांव प्रभावित हैं उनकी रक्षा के लिय 4-5 किलोमीटर में खुदायी का कोई प्राविधान करा देंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह समस्या बड़ी गम्भीर है, यहां 16 सौ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जलमग्न हो जाता है और इसमें जो खर्चा है वह बहुत ज्यादा है। इसलिये माननीय नेता भ्रकपा, श्री राम चन्द्र बक्श सिंह जो ने जो कहा है, मैं उसको दिखवा लूंगा और उसके बाद जो भी सम्भव हो सकेगा, सीमित संसाधनों में उसे अवश्य करा देंगे।

जनपद अलीगढ़ में मूंग के सघन उत्पादन हेतु अधिक पानी देने की नीति का निर्धारण

*5--श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पश्चिमी जनपदों को गन्ना की फसल के आधार पर प्राथमिकता दिये जाने वाले नहरी सिंचाई पानी की भांति अलीगढ़ जनपद में जायद की मूंग के सघन उत्पादन हेतु माह अप्रैल, मई में प्राथमिकता पर अधिक नहरी पानी देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ का पत्र कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र के अनुरूप दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु माह अप्रैल, मई में जनपद के मूंग उत्पादक क्षेत्र को अधिक पानी देने की नीति का निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री रेवती रमण सिंह--

जिलाधिकारी, अलीगढ़ का जनपद अलीगढ़ में मूंग की खेती हेतु माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह से बराबर दो सप्ताह तक नहरों में पानी की व्यवस्था सम्बन्धी पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 प्राप्त हुआ है। इसमें प्रदेश के पश्चिमी जनपदों के पानी के विषय में कोई कथन नहीं है।

जनपद अलीगढ़ में सिंचाई ऊपरी गंगा नहर प्रणाली एवं नव निर्मित मध्यगंगा नहर प्रणाली द्वारा की जाती है। खरीफ फसल हेतु ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर एवं आगरा नहर में पानी का बंटवारा एक निश्चित मापदण्ड के आधार पर निर्धारित है। वर्तमान में इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः जनपद अलीगढ़ में मूंग उत्पादन क्षेत्र को माह अप्रैल, मई में वर्तमान नीति अनुसार आवंटन से अधिक पानी देने हेतु नीति निर्धारण प्रस्तावित नहीं है। मध्य गंगा नहर प्रणाली वर्षा काल में धान सिंचाई हेतु बनी है तथा माह अप्रैल, मई में इसमें पानी दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद मऊ के पीउवा पकड़ी ताल के किनारे स्थित गांवों को बचाने के लिये बरसाती पानी के निकासी हेतु व्यवस्था करने की मांग

*6--श्री सुभाष--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के पीउवा पकड़ी ताल के किनारे बसे पचासों गांव वर्षा काल में पानी भराव से प्रभावित रहते हैं? यदि हां, तो वहां पानी की निकासी की क्या व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां।

इन तालों से पानी की निकासी हेतु पीउवा ताल ड्रेन तथा पकड़ी नकटी ताल ड्रेन के पुनरोद्धार का कार्य आर0 एल0 ई0 जी0 पी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89

में प्रारम्भ किया गया । स्थानीय कृषकों के अवरोध के कारण अभी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुभाष—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मऊ जनपद में पीउवा पकड़ी ताल एक बहुत बड़ा ताल है और बरसात के दिनों में उसके पानी से पचासों गांव प्रभावित हो जाते हैं । उसके लिये मैंने ड्रेन की मांग की है, और आपने बताया कि ड्रेन के पुनरोद्धार का कार्य आर० एल० जी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत 1988–89 में प्रारम्भ किया गया था, किन्तु स्थानीय कृषकों के अवरोध के कारण अभी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है । यह ड्रेन इतना चौड़ा ड्रेन है कि छोटी सरयू नाम से यह जाना जाता है । उसमें किसी के अवरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । यह तमसा नदी में गिरती है और जहां पर यह गिरती है, वहां पर मिट्टी पटने से उसका मुंह ऊंचा हो गया है, जिससे वह उसमें गिर नहीं पाता है और उसका पानी ताल में रह जाता है । उसमें किसी किसान के अवरोध करने या रुकावट डालने का कोई प्रश्न ही नहीं है । इसकी खुदाई हो जाती और पानी उसमें गिर जाता तो यह समस्या न पैदा होती, तो मेरा सवाल यह है कि क्या इसकी खुदाई की व्यवस्था कराई जाएगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय, यह सही है कि इस ड्रेन से क्यूबा, बलभद्र, डाही, मेरों उर्फ खरैम, मखदमपुर, सलीमपुर, विक्रमपुर, और कनौनी आदि कई गांव प्रभावित हो जाते हैं । इसीलिए आर० एन० ई० जी० पी० योजना के अन्तर्गत इसमें काम शुरू हुआ था । उन्होंने बताया है कि वहां पर काम में अवरोध नहीं है, अतः मैं इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को निर्देश देकर तत्काल भेजूंगा और यदि स्थानीय अवरोध नहीं है और इस समय काम करना सम्भव होगा, तो अभी करा दिया जाएगा, नहीं तो बरसात के बाद उसमें कार्य करा दिया जाएगा ।

जनपद फैजाबाद को मड़हा नदी, बिसुही नदी तथा गोमती नदी पर पुल न होने के कारण आवागमन का अवरुद्ध होना

*7—डा० बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद जो उत्तर से मड़हा नदी, दक्षिण से बिसुही व गोमती नदी से घिरा हुआ है, उक्त नदियों पर पुल न होने के कारण लगभग 8 महीने आवागमन अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मड़हा नदी में डेवठी गदुरही अमानी गंज मार्ग पर किठावा के पास तथा कुदखा कलां किन्हू पुर गोठवारा व गोमती नदी पर खन्डासा बोडवेल मार्ग पर आदीलपुर के पास सत्तीन घाट पर पुल निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, सवाल को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि नदी पर पुल बनाना है । यह प्रश्न सिंचाई विभाग में आ गया है लेकिन यह मामला पी० डब्लू० डी० से सम्बन्धित

ह । इसलिए यह सवाल स्थानान्तरित होकर उनके पास चला गया । उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और कहा है कि दूसरे सत्र में जब दोबारा यह सवाल लगेगा तो इसका जवाब लोक निर्माण विभाग वाले देंगे ।

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारा यह प्रश्न नहीं था । मेरा प्रश्न सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है । हमारा क्षेत्र तीन नदियों से घिरा हुआ है । हमारे क्षेत्र में उत्तर में मड़हा नदी और दक्षिण में बिसुही व गोमती नदी है । हमारे क्षेत्र में सड़कें बना हैं, पुल नहीं बने हैं । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है । मान्यवर हमारे चौथे महीने में यह प्रश्न लगाया है । सूचना मंगाने में समय ज्यादा नहीं लगता है । अब तक सूचना आ जानी चाहिए थी । हमारा यह सवाल है कि पुल बनवायेंगे तो कब तक, नहीं बनवायेंगे तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब लोक निर्माण विभाग देगा ।

सिंचाई विभाग द्वारा 16 करोड़ रुपये की धनराशि से नलकूपों के निर्माण, रिंग मशीन्स तथा उससे सम्बन्धित उपकरणों पर व्यय किया जाना

8—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना की 16 करोड़ की धनराशि माह नवम्बर, 1989 में स्टेट सेक्टर में स्थानान्तरित कर ली गयी थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था तथा उसको किन मदों पर चर्चा किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं जिनका जनपद योजना से समाधान नहीं हो सकता था, के समाधान हेतु ।

लघु डाल नहरों के निर्माण, बन्धियों के निर्माण, लोअर खजुरी बांध क्षमता की वृद्धि, नलकूपों के निर्माण तथा रिंग मशीन्स एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों के क्रय पर व्यय किया गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कर्मों से इस प्रदेश के छोटे जिलों को कितनी क्षति हुई है; इसका यह स्पष्ट उदाहरण है ।

(शोर)

मान्यवर, माह नवम्बर में जब पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर था उस समय कांग्रेस सरकार ने द्वारा जिला योजना की 16 करोड़ रुपये की धनराशि स्टेट सेक्टर में स्थानान्तरित कर ली गयी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्य वित्तीय अनुशासनहीनता है कि नहीं ? यदि है, तो इतने रुपयों को किसकी अनुमति से लिया गया था और जिसकी अनुमति से लिया गया, उसे कोई दण्ड देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य, सिद्धार्थ नगर, श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी बड़े विज्ञ आदमी हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया है और उसका जवाब भी यह जानते हैं

और हमसे दिलवाना चाहते हैं । मैं उसका जवाब यह दे रहा हूं कि पूर्व शासन के मंत्रियों के द्वारा यह आदेश संख्या 3920/टी/89/25, 5212/टी/1214, दिनांक 24 अक्टूबर, 1989 द्वारा यह आदेश निर्गत किए गये थे । यह आदेश निर्गत हुए, क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए, उस समय चुनाव भी होने वाला था, चुनाव के समय में घोषणायें भी जो हो रही थीं बहुत से कार्यों के लिए पैसा भी दिया जा रहा था, उस सरकार का जो जवाबदेही थी उसको दे रहा हूं । इस बात को कबूल कर रहा हूं कि पैसा दिया गया, लेकिन यह किसकी जिम्मेदारी है इसको आप स्वयं जानते हैं पूर्व सरकार की जिम्मेदारी है, पूर्व सरकार ने ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया कि मंत्री को दंडित किया जा सके ।

श्री शारदानन्द अंचल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 16 करोड़ रुपये की धनराशि के मानक को तोड़कर जो गम्भीर अनियमितता की गई है, तो मान्यवर, क्या सरकार उन लोगों को जिन लोगों ने इस मानक को तोड़कर रुपया हस्तान्तरित करने में सहयोग प्रदान किया है उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, चूंकि उस समय तत्कालीन मंत्री के आदेश निर्गत हुए थे इसलिए उसका कार्यान्वयन हुआ इसलिए उसके लिए अधिकारी दोषी नहीं हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, बजट की कुछ परम्परायें होती हैं संवैधानिक बन्धन उन पर होते हैं । निश्चित रूप से वित्तीय अनुशासन ही का मामला यह था । विभागीय सचिव इसलिए होते हैं कि मंत्री का कोई आदेश असंवैधानिक हो तो उसका कार्यान्वयन नहीं होना चाहिए । मैं जानना चाहूंगा कि किस सचिव ने ऐसा किया । किस सचिव ने रुपया जिला सेक्टर से स्टेट सेक्टर में दिया उसको दंडित करने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है । सारे प्रदेश को जिला सेक्टर का पैसा क्यों दिया गया । इस पैसे को देने के लिए किन-किन जिलों का एलान किया गया था ? क्या माननीय मंत्री जी उसका विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय तिवारी जी, सदस्य फैजाबाद ने जो सवाल पूछा है मैं यह तो नहीं जानता कि उस समय कौन से सचिव थे, लेकिन इतना जरूर है कि सचिव यह बता देते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है, लेकिन उसके बाद मंत्री का आदेश अन्तिम होता है । उस आदेश का क्रियान्वयन करना सचिव का दायित्व है और मान्यवर, किस-किस जिलों की योजना थी यह पूछा, तो उसमें फैजाबाद जिले की भी योजना थी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला योजना का पैसा पिछली सरकार ने स्टेट सेक्टर में क्यों परिवर्तन कर दिया था । क्या उन जिलों की प्रतिपूर्ति के लिए इस बजट से अलग से, स्टेट सेक्टर से, उतनी ही धनराशि, उन जिलों को दी जाएगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, वह सरकार चली गई [× × ×] यह नयी सरकार है, नयी योजनायें हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इसको सदन की कार्यवाही से निकलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देख लूंगा ।

जनपद इटावा की बिधूना तहसील के कतिपय ग्रामों की खरीफ फसलों को बचाने हेतु दखनाई तालाब के पानी को अरिन्द नदी में गिराने की कार्यवाही

*9--श्री धनीराम वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री जी को जानकारी है कि इटावा जनपद की विधुना तहसील के दखनाई, पूर्वा, आशा, खरगपुर की खरीफ की फसलें जल भराव के कारण नष्ट हो जाती हैं और रबी की फसलों की बोआई 50 प्रतिशत भूमि पर नहीं हो पाती है ? क्या सरकार दखनाई तालाब से नाला निकलवा अरिन्द नदी में गिरवाने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक नाला खुदवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हाँ, गत पाँच वर्षों में जल भराव के सम्बन्ध में तहसीलदार विधूना से प्राप्त सूचना के आधार पर केवल वर्ष 1988 की बाढ़ में ग्राम दखनाई में 225 एकड़ ग्राम पुरवा आशा कन्हीं में 347 एकड़ एवं खरगपुर जलालपुर फफूंद में 250 एकड़ क्षेत्रफल में खरीफ की फसल क्षतिग्रस्त हुई थी । रबी में कितने क्षेत्रफल में बुआई नहीं हो सकी इसका विवरण राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है ।

वर्तमान में दखनाई ताल से पानी के निकास हेतु दखनाई नाला, जिसकी लम्बाई 3.2 किमी0 है बना हुआ है । यह नाला कमारा नाले में गिरता है जो 29.2 किमी0 लम्बा है तथा कमारा नाला अरिन्द नदी में गिरता है अन्य नाले के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, हमारे प्रश्न की गम्भीरता को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है । मेरा प्रश्न यह था कि बाढ़ एवं जल भराव से कितनी फसल क्षतिग्रस्त हुयी और कितनी जमीन पर रबी की बुवाई नहीं हो सकी । क्या सरकार दखनाई तालाब से नाला खोदकर इस समस्या को दूर करेगी । उत्तर में मंत्री जी ने बताया है दखनाई नाला 3, 2 कि0 मी0 है । मान्यवर, इस नाले से जल भराव होता है । मैंने पिछली सरकार से अनुरोध किया और लोकमहत्व के प्रश्न के रूप में उठाया था लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ मैं अनुरोध करूंगा ग्राम दखनाई, पूर्वा, आशा खरगपुर, टन्नो-मन्नो आदि तमाम गांवों की

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हजारों एकड़ भूमि जल भराव से नष्ट हो जाती है। केवल एक किलो मीटर नाला खोदने की बात है, तो क्या दखनाई ग्राम से नाला खोद कर नदी में पानी डालेगें ताकि समस्या का समाधान हो सके और जल भराव न हो सके ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य धनीराम जी का सवाल उपयुक्त है। आपने एक किलोमीटर की बात कही है। उसका सर्वे करा लिया जायगा और सर्वे कराने के बाद जो आवश्यक होगा उनको करा दिया जायेगा।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, सरकार ने स्वीकार किया है कि लगभग एक हजार एकड़ जमीन की फ़सल सन 1988 में बाढ़ से नष्ट हो गयी है। तो क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1988 में उस जमीन पर लगी फसलों की आबपाशी माफ की गयी थी ? अगर नहीं माफ की गयी थी तो क्यों ? अगर माफ नहीं की गयी है तो आबपाशी को माफ करेगें ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि अगर जल पलावन हो जाय, तो उसकी माफी कर दी जाय। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

*10—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[7व सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के दूर पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी योजना लागू करने का मामला भारत सरकार के अन्तर्गत विचाराधीन

*11—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूर के पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ता राशन एवं मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने हेतु चीनी की भांति अन्तिम वितरण केन्द्रों तक इनके ढुलान पर ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी दिए जाने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न पर हिल ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी योजना लागू करने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन ह।

मिट्टी तेल पर भारत सरकार के नियंत्रणाधीन तेल निगमों के माध्यम से थोक विक्रय बिन्दु तक "फ्रेट सब्सीडी" स्वीकृत है। राज्य सरकार के खाद्य विभाग में थोक विक्रय बिन्दु से अन्तिम विक्रय केन्द्रों तक मिट्टी के तेल पर ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को हिल ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी प्रस्ताव कब भेजा था और दूसरा केन्द्र सरकार से हिल ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने हेतु आज तक प्रदेश सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये ? तीसरा जब आपने साधनों पर हिल ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने का प्रस्ताव भेजा है, तो मिट्टी के तेल पर ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने का प्रस्ताव

क्यों नहीं भेजा ? क्या सरकार मिट्टी के तेल पर ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, भारत सरकार को हिल ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने का खाद्यान्न के ऊपर प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, बल्कि जब माननीय नेगी जी की पार्टी सत्ता में थी 10 वर्ष तक प्रस्ताव भेजा गया था और इस पर भारत सरकार ने निर्णय लेने से इनकार कर दिया था। इसमें हमने काफी प्रयास किया कि शायद हमारे अनुरोध को केन्द्र सरकार मान ले और हिमांचल प्रदेश की तरह सरकार हिल ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने पर विचार कर ले। मान्यवर, मिट्टी के तेल पर तेल कम्पनियों ने लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में 10 तालुका केरोसिन डिपो (टी0 के0 डी0) बना हुआ है और वहां पर मिट्टी के तेल का वितरण तेल कम्पनियों के 64 थोक डीलरों तथा 4546 फुटकर विक्रताओं के माध्यम से स्थानीय उपभोक्ताओं को कराया जा रहा है और वर्तमान में उसकी उपलब्धता सन्तोषजनक है। जो 64 थोक विक्रेता है, उनसे केवल जो गांव की दूकानों पर तेल जाता है, केवल उसी की सब्सीडी देय नहीं हो रही है, उसमें 2.30 रु0 प्रति लीटर का दाम निर्धारित किया गया है, जिसके नाते इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि केन्द्र सरकार हिल ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी नहीं स्वीकृत करती है और सरकार की नीति है कि सभी को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाय, तो प्रदेश सरकार अपने स्तर से ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन्, खाद्यान्न एक मूल्य पर उपलब्ध कराने का नियम यह भारत सरकार का ही है, इस नाते मूल रूप से भारत सरकार की ही इसमें जिम्मेदारी है। इसमें लगभग साढ़े 5 करोड़ का मूल्य समाहित होता है, सरकार के पास संसाधन न होने के कारण यह नहीं हो पा रहा है, फिर भी म भारत सरकार से निरन्तर प्रयास कर रहा हूं, मैं दो बार स्वयं जा चुका हूं, शायद हमारे इस अनुरोध को मान लिया जाय।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि आवश्यक वस्तुओं और मनुष्य को जिस-जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसकी सप्लाई के लिये गृह जनपद बस्ती के उपभोक्ताओं को देखते हुये एक केन्द्र गृह जनपद बस्ती में बनाया जा रहा है, तो उसके पड़ोसी जनपद गोंडा के उपभोक्ताओं का ख्याल रखते हुये उनकी आवश्यकताओं और आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में भी सब्सीडी का ध्यान रखेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जहां तक वितरण की व्यवस्था का प्रश्न है, हमारा विभाग प्रयास यह करता है कि विभिन्न स्थानों के सामानों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाता है। गोंडा से कौन सा सामान विशेष रूप से भेजा जा सकता है, इसकी सूचना मिल जाय, हम प्रयास कर लेंगे।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में परीक्षण के उपरान्त ही पी० वी सी० पाइप से सिंचाई की व्यवस्था किया जाना

*12--श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लगे हुये अधिकांय राजकीय नलकूपों के पाइप खारा पानी के कारण खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उन सब राजकीय नलकूपों को पी० वी० सी० के पाइप से पुनः बनवाकर वहां सिंचाई के साधन कायम रखने की व्यवस्था विभाग करेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लोहे के पाइपों की जगह पी० वी० सी० के पाइप प्रयोग कर एक नलकूप का पुनः निर्माण कर पी० वी० सी० पाइपों तथा नलकूप की आयु पर खारे पानी के प्रभाव का अध्ययन परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है । अध्ययन के उपरान्त ही राजकीय नलकूपों को पी० वी० सी० के पाइपों से पुनः बनवाकर सिंचाई साधन कायम रखने की व्यवस्था पर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा ।

इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में खारा पानी से पाइपों के खराब होने के कारण विफल हुये नलकूपों को पुनः बनवाने का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

खण्डीय संवर्ग के अनुसचिवीय अधिष्ठान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिपिकों का प्रोन्नति किया जाना

*13--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खण्डीय संवर्ग के अनुसचिवीय अधिष्ठान में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिपिकों की प्रोन्नति वरिष्ठ सहायक मुख्य लिपिक तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) पदों पर की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

शासनादेश संख्या-अ-2491/83-23-सि०-8, दिनांक 20 अगस्त, 1983 के अनुसार खण्डों के कुल लिपिकों के पदों के 12 प्रतिशत पद वरिष्ठ सहायक तथा 52 प्रतिशत पद वरिष्ठ लिपिक के सृजित हैं । इनमें से 20 प्रतिशत पद अनुसूचित/जनजाति के कर्मचारियों हेतु आरक्षित हैं । वरिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति देने हेतु प्रान्तीय स्तर पर तैयार की गयी खण्डीय संवर्ग की वरिष्ठता सूची से वरिष्ठताक्रम में कर्मचारियों के नाम मण्डल कार्यालय को निर्गत किये जाते हैं । वर्तमान में अनुसूचित जाति तथा जन जाति के कार्मिकों की खण्डवार प्रतिशत की सूचना प्रदेश के सभी खण्डों से एकत्र की जा रही है ।

मुख्य लिपिकों के पद पर प्रोन्नति खण्ड के स्थायी वरिष्ठ सहायकों में से की जाती है । वर्ष 1989-90 में आरक्षण का कोटा पूर्ण करने हेतु अनु० जाति/जनजाति के 11 कर्मचारियों की मुख्य लिपिक के पद पर प्रोन्नति दी गई तथा अनु० जाति/जनजाति के और पात्र (स्थायी) कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण 28 पद आरक्षित रखे गए । पात्र कर्मचारी उपलब्ध होने पर आरक्षण पूर्ण किया जा सकेगा । खण्डों में

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है । पद सृजन के बाद आरक्षण के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती सिया दुलारी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो अनुसूचित जाति के लिपिकों के लिए 20 प्रतिशत का आरक्षण है और अस्थाई पद भरे नहीं गए हैं तो इनको भरने के लिए शासन क्या व्यवस्था कर रहा है और कब तक यह पद भर दिए जायेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इस पर कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही होने के उपरान्त इन पदों को भर दिया जाएगा ।

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री कृष्ण किंकर सिंह—

मान्यवर, मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे भी प्रश्न कर लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम स्वरूप वर्मा का मूल प्रश्न है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस सदन के संचालन के निबम कानून हैं उसे आप पढ़िये ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वरिष्ठता सूची तैयार करने में क्या सामान्य और अनुसूचित जाति की अलग-अलग वरिष्ठता सूची तैयार करते हैं या एक ही सूची में वरिष्ठता तैयार की जाती है, वरिष्ठता सूची तैयार करने में पात्रता क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य, कानपुर रामस्वरूप वर्मा जी ने जो सवाल पूछा है, इसके लिए अलग से तैयार की जाती है । अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, दोनों की अलग-अलग सूची तैयार की जाती है । जहां तक पात्रता का सवाल है, वहां पर यह स्पष्ट निर्देश हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य एक अवधि का सेवाकाल पूरा कर लें, उनको पात्रता सूची में मानकर प्रोन्नति आरक्षित कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

भारत सरकार द्वारा उ० प्र० तथा मध्य प्रदेश के सहयोग से बांध का निर्माण होने के उपरान्त झांसी, जालौन, ललितपुर तथा हमीरपुर को सिंचाई का लाभ दिया जाना

*14—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड में सिंचाई साधनों का भारी अभाव है जिसके कारण पांचों जिले बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर प्रायः

नोट—नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

प्रतिवर्ष अवर्षण सूखा, अकाल से पीड़ित रहते हैं ? यदि हां, तो क्या अवर्षण सूखा तथा अकाल से बुन्देलखण्ड को बचाने हेतु राज्य सरकार ने सिंचाई की कोई विशेष योजना बनाकर केन्द्र सरकार के पास सहायता हेतु भेजी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

जनपद झांसी में राजघाट के निकट बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाने की योजना भारत सरकार को भेजी गई थी जिसके अन्तर्गत बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सहयोग से बेतवा निर्माण बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है । उक्त परियोजना से जनपद-झांसी, जालौन एवं हमीरपुर में 1.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड की नदियों में पानी की कमी तथा सिंचाई की अव्यवस्था का प्रकरण विचाराधीन

*15—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार बुन्देलखण्ड की नदियों में पानी की कम उपलब्धता तथा असिंचित क्षेत्र को देखते हुए सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु इस क्षेत्र में 5 क्यूसेक तक के लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कतिपय पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता का मापदण्ड

*16—श्री यशवंत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, डिमान्सट्रेटर तथा अन्य पदों के लिए विधि स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के आयुर्वेद स्नातक पात्र माने गए हैं, जबकि प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु मात्र उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद स्नातक ही पात्र होते हैं ? यदि हां तो पात्रता के मापदण्डों में उक्त विषमता का क्या औचित्य है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां।

अधीनस्थ राजपत्रित चिकित्सा सेवा (आयर्वेदिक एवं यूनानी) नियमावली 1964 के नियम 10 एवं य0 पो0 इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 की धारा-40 के प्राविधानानुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी संवर्ग में चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु केवल उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से डिग्री प्राप्त आयुर्वेद यूनानी स्नातकों को ही अर्ह माना गया है।

चि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश में पी0 एम0 एच0 एस0 की वरिष्ठता सूची न जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*17—डा0 सुरजीत सिंह डंग—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संख्या 2 लखनऊ द्वारा रिफरेन्स संख्या 276/2/87 में महा निदेशक, चि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश को पी0 एम0 एच0 एस0 की वरिष्ठता सूची दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और जिसके अनुपालन में पी0 एम0 एच0 एस0 को वरिष्ठता सूची के स्थान पर पी0 एम0 एच0 एस0 (पुरुष) की वरिष्ठता सूची दिनांक 30 जनवरी, 1989 को दाखिल की गई थी ? क्या यह भी सही है कि माननीय अधिकरण द्वारा इस त्रुटि की ओर इंगित किये जाने के बाद भी पी0 एम0 एच0 एस0 की वरिष्ठता सूची निर्णय की तिथि (17 जनवरी, 1990) तक दाखिल नहीं की गयी ? यदि हां, तो इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संख्या 2 के निर्देश पर स्वास्थ्य महा निदेशालय द्वारा निर्देश याचिका संख्या 276/2/87, में पी0 एम0 एस0/पी0 एम0 एच0 एस0 अधिकारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची दाखिल की गयी थी जिसके क्रमांक 1 से 750 तक पी0 एम0 एस0 अधिकारियों के एवं क्रमांक-751 से 1444 तक पी0 एम0 एच0 एस0 अधिकारियों के नाम अंकित थे।

याचिका की अन्तिम सुनवाई के दिन माननीय अधिकरण को तदनुसार सूचित करके सन्तुष्ट कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने अपने निर्णय में किसी त्रुटि का उल्लेख नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में राशन कार्डों की संख्या तथा दुकानों से चीनी वितरण का कोटा

*18—श्री हरिद्वार दुबे एडोकेट—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में कितने यनिट के राशन कार्ड है, तथा नगर में सस्ते गल्ले की दुकानों से चीनी वितरण का कोटा निर्धारित है ? क्या यह कोटा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

आगरा महानगर में वर्तमान में 9,24,381 यूनिट के राशन कार्ड प्रचलित हैं।

जिलाधिकारी द्वारा आगरा नगर में उचित दर की दुकानों के लिए 867·4 मी0 टन लेवी चीनी का कोटा निर्धारित किया गया है ।

जी नहीं ।

भारत सरकार से वर्ष 1986 को प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर प्रदेश को लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्य होता है जो प्रदेश की वर्तमान आबादी के अनुसार नहीं है ।

प्रदेश के डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से दवा के अभाव में मरीजों की मृत्यु तथा हड़ताल के सम्बन्ध में कार्यवाही

*19—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले माह जूनियर डाक्टरों की हड़ताल और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सीनियर डाक्टरों की प्रदेश व्यापी हड़ताल में दवा के अभाव में प्रदेश मे कुल कितने मरीजों की मृत्यु हुई ? उक्त हड़ताल के क्या कारण थे तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी मे कार्यशील पूंजी के अभाव से ठप्प उद्योगों को पुनर्जीवित करने की मांग

*20—श्री रवीन्द्र शुक्ला—

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि झांसी में 80 प्रतिशत उद्योग कार्यशील पूंजी के अभाव में ठप्प हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

रेवती रमण सिंह—

यह कहना सही नहीं है कि झांसी में 80 प्रतिशत उद्योग कार्यशील पूंजी के अभाव में बन्द हैं । रुग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु उनका सर्वेक्षण कराया जाता है तथा संभाव्य पाये जाने की दशा में वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से इकाई का पुनर्वासन पैकेज बनाया जाता है ।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को देय वेतन

1—श्री चरन सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 3रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न 44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संदर्भित मामले में वेतन आयोग की सहमति प्राप्त हो गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

मामला विचाराधीन है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के अपर दोआब शुगर मिल शामली से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु विधिक कार्यवाही किया जाना

2—श्री नकली सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के अपर दोआब शुगर मिल शामली से निकलने वाले प्रदूषण (काली छाई, धुआं तथा विषैला पानी) से शामली के नगरवासियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है ? सरकार उक्त प्रदूषण को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद मुजफ्फरनगर के अपर दो आब शुगर मिल शामली से निकलने वाले काली छाई, धुआँ तथा विषैला पानी के लिये उद्योग द्वारा लगाया गया शुद्धिकरण संयंत्र अपर्याप्त है फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या विद्यमान है ।

2—उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण रोकने के लिये जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 (1) व 44 के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई है ।

3—श्री रविदास मेहरोत्रा—

[5वें बुध में अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के सिंचाई खण्ड प्रथम द्वारा नये निर्माण तथा पुराने कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

4—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कितना धन आवंटित किया गया ? इस धन का कितना भाग नये कार्यों पर खर्च किया गया ? कितना धन पुराने कार्यों में व्यय किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई खन्ड प्रथम इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल 118.745 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी ?

नये निर्माण कार्य पर व्यय 29.27 लाख रुपये हुआ । पुराने कार्यों के अनुरक्षण पर व्यय 40.18 लाख रुपये हुआ ।

सिंचाई खण्ड इलाहाबाद के मडियाहूं शाँच के बिना अनुमति के मिट्टी ढुलाई का कार्य कराये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जाँच

5—श्री नजमउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अधीक्षण अभियन्ता 18वां मण्डल सिंचाई कार्य इलाहाबाद के पत्रांक 7996/अष्टदशम् सी-32/जी, दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 में यह स्पष्ट निर्देश था कि 200 मी0 लम्बाई की दूरी की ढुलाई के अतिरिक्त बिना उनकी अनुमति के मिट्टी के कार्य की ढलाई के अति0 ढुलाई न करायी जाय ? यदि हां तो

क्या इसके विपरीत सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के अधिशासी अभियन्ता के आदेशों द्वारा मड़ियाहू ब्रांच के किमी0 12.200 से 14.00 तक मिट्टी ढलाई का कार्य सत्र 1989-90 में कराया गया है ? क्या यह सही है कि नहर के दोनों किनारों पर मिट्टी उपलब्ध थी ? माह मार्च 1990 में नहर बन्द थी और नहर की उक्त रीच पर तली भी अभी ऊंची है ? यदि हां, तो मिट्टी की ढलाई के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या सरकार टी0 ए0 सी0 से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

मड़ियाहू शाखा के 12.2 किमी0 से 14.0 किमी0 तक नहर की सुरक्षा की दृष्टि से जो अति आवश्यक कार्य कराया गया उसके लिये उपयुक्त गुणवत्ता की मिट्टी 200 मीटर लीड तक उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत दर अनुसूची के अनुसार 630 मीटर तक की लीड से मिट्टी लाई गई । मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1990 को किये गये निरीक्षण में भी इन परिस्थितियों को सही पाया गया ।

जी नहीं ।

वांछित गुणवत्ता की मिट्टी 200 मीटर तक उपलब्ध नहीं थी ।

प्रश्नगत कार्य दिनांक 4 जनवरी, से 3 मार्च, 1990 की अवधि में किये गये, जबकि नहर की बन्दी दिनांक 10 मार्च, 1990 से प्रारम्भ थी । कराये गये कार्यों में कोई अनियमितता नहीं है और न ही उसके लिये कोई अधिकारी दोषी है ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में टी0 ए0 सी0 से जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद इलाहाबाद के सिंचाई खण्ड प्रथम के अन्तर्गत मड़ियाहूं शाखा पर साइफन का निर्माण करने की मांग

6--श्री नजमउद्दीन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद के अन्तर्गत मड़ियाहूं ब्रांच से किमी0 14.825 पर क्षतिग्रस्त साइफन के स्थान पर नया साइफन किमी0 15.810 पर बनवाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

मड़ियाहूं शाखा के किमी0 15.81 पर प्रस्तावित साइफन हेतु पूरखीपुर ड्रेन का समरेखन स्थानीय अवरोध के कारण निश्चित नहीं हो सका है । इस ड्रेन का समरेखन निश्चित होने के बाद ही साइफन का निर्माण कार्य सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई) उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा अकोढ़ी राजबहा की मरम्मत किया जाना

7--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 11 जनवरी, 1990 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई), उ0 प्र0, लखनऊ को भेजा गया इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि अकोढ़ी राजबहा में मरम्मत की आवश्यकता है ? यदि हाँ, तो सरकार ने संदर्भित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

माह दिसम्बर, 1989 व फरवरी, 1990 में अकोढ़ी राजबहे की बाई पटरी में मील 1-4 और 1-5 के बीच मिट्टी द्वारा मरम्मत करा दी गई थी ।

जनपद चमोली में नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

8--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद चमोली में काफी संख्या में नहरों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जिससे लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ? यदि हाँ, तो 1 फरवरी, 1990 तक ऐसी नहरों की संख्या कितनी है ? किस कारण निर्माण कार्य रुका है और अब तक इसके निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? अधूरी नहरों को पूर्ण किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? कब तक अधूरी नहरें पूर्णरूप से निर्मित कर दी जायेंगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

जनपद चमोली में ऐसी नहरों की संख्या 52 है ।

निम्न कारणों से उनके निर्माण कार्य फरवरी, 1990 तक पूर्ण नहीं किया जा सका :--

(1) वित्तीय स्वीकृति के अभाव में 9 नहरें ।
(2) वन अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति न मिलने के कारण 5 नहरें ।
(3) ग्रामवासियों के आपसी विवाद के कारण 5 नहरें ।
(4) तकनीकी के कारण 5 नहरें ।
(5) पम्प तथा विद्युत् आपूर्ति न होने के कारण 4 नहरें ।
(6) अपर्याप्त आवंटन के कारण 24 नहरें ।

योग 52 नहरें

उक्त नहरों पर फरवरी, 1990 तक 252·37 लाख रुपये व्यय किय जा चुके हैं ।

मार्च, 1990 तक उक्त नहरों में से 14 नहरों के निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा शेष 38 नहर वर्ष 1991-92 तक पूर्ण किये जाने का प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनपद इलाहाबाद के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर कार्यरत 30 मलेरिया बी0 एच0 डब्लू0 कर्मचारियों का नीति के अनुसार स्थानान्तरण करने की मांग

9—श्री नजमउद्दीन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विकास खण्ड सोरांव कौड़िहार, होलागढ़, मऊ आइमा में कितने मलेरिया (बी0 एच0 डब्लू0) बेसिक हेल्थ वर्कर्स (पुरुष) कब से कार्यरत हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनका स्थानान्तरण स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनका स्थानान्तरण कब तक किया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद इलाहाबाद के प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विभिन्न वर्षों से कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर्स के विवरण निम्नवत् हैं :—

प्रा0 स्वा0 केन्द्र	नियुक्ति का वर्ष	संख्या
1	2	3
सोरांव	1965	3
	1972	1
	1973	1
	1976	1
	1979	1
	योग ..	7
होलागढ़	1965	1
	1972	2
	1973	1
	1974	1
	1984	1
	1988	1
	योग ..	7

1	2		3
कौड़िहार	1960		1
	1962		2
	1963		2
	1968		1
	1972		1
	1976		1
	1984		1
		योग ..	9
मऊ आइमा	1960		1
	1963		1
	1968		1
	1969		1
	1970		1
	1971		1
	1972		1
		योग ..	7
		कुल योग ..	30

जी नहीं ।

नीति के अनुसार स्थानान्तरण विचाराधीन है ।

जनपद इलाहाबाद के प्रा0 स्वा0 केन्द्र के होलागढ़ के परिवार स्वास्थ्य कल्याण सहायकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देशित किया जाना

10—श्री नजमउद्दीन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्राय0 स्वा0 के0 विकास होलागढ़ में कितने परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक कब से कार्यरत हैं ? क्या उनका स्थानान्तरण स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चार स्वास्थ्य सहायक कार्यरत हैं जिनमें से एक 25 मई, 1969, एक 17 जून, 1984, एक 15 जुलाई, 1984 तथा एक 2 जुलाई, 1989 से कार्यरत हैं ।

इनमें से तीन स्वास्थ्य सहायकों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण होना था जिनके स्थानान्तरण करने हेतु निदेशक परिवार कल्याण ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर (देहात) के बिल्हौर के प्रा0 स्वा0 केन्द्र में एक्सरे मशीन का लगाया जाना

11--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर जनपद कानपुर (देहात) में "एक्सरे-मशीन" कब तक लग जायेगी और उसका काम कब शुरू हो जायेगा ? इसी प्रसंग में क्या यह भी बतायेंगे कि तहसील बिल्हौर के पी0 एच0 सी0 ककवन में "एक्सरे मशीन" लगने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मुख्तार अनीस--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्हौर जनपद कानपुर (देहात) को मार्च, 1989 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया गया है, एवम् एक एक्सरे मशीन के क्रय के स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । क्रय हेतु अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति प्रगति पर है, इसके उपरान्त ही मशीन की स्थापना सम्भव हो सकेगी ।

जी नहीं,

मानकों के अनुसार अनुमन्य नहीं ।

जनपद कानपुर देहात के ग्राम मकनपुर में 30 शैय्याओं का अस्पताल खोलने का स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्वयन

12--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि क्या स्वास्थ्य मंत्री ने नवंबर ग्राम मकनपुर, जनपद कानपुर देहात की जनसभा में 30 शैय्याओं का अस्पताल खोलने की घोषणा जनवरी, 1990, में की थी ? यदि हां, तो अस्पताल कब तक खुल जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद के आयुर्वेदिक चिकित्सालय को पी0 एच0 सी0 में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा परिवर्तित करने का आश्वासन

13--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय कहिजरी, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर (देहात) को जनवरी, 1990 में स्वास्थ्य मंत्री जी ने पी0 एच0 सी0 में परिवर्तित करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा कार्य रूप में कब परिणित हो जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां,

घोषणा के पश्चात् अनुवर्ती प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अध्ययन किया जा रहा है ।

प्रदेश के लाइसेन्स शुदा बिस्कुट निर्माताओं के लिए सस्ती दर पर चीनी को व्यवस्था किया जाना

14---श्री शिव करन सिंह---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लाइसेन्स शुदा बिस्कुट निर्माताओं हेतु सरकारी सस्ती चीनी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश को आवंटित चीनी का कोटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिये सामान्य उपभोक्ताओं के लिये ही अपर्याप्त है । अतएव बिस्कुट निर्माताओं को सस्ती दर पर सस्ती चीनी की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बस्ती के निर्वाचन क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत पिठिया बांध के निर्माण में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

15---श्री कृष्ण किंकर सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र कप्तानगंज बस्ती के अन्तर्गत पिठिया बांध पर वर्ष 1982 से मार्च, 1990 तक वर्षवार कितना-कितना व्यय किया गया । क्या उक्त व्यय में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी, 1990 में सिंचाई मंत्री को तथा मार्च, 1990 में सिंचाई सचिव को कोई शिकायती-पत्र प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो शिकायत के सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं ? क्या इस संबंध में की गई कार्यवाही से शासन सदन को अवगत कराने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह---

पिठिया बांध के नाम से निर्वाचन क्षेत्र कप्तानगंज बस्ती के अन्तर्गत कोई बांध नहीं है । माननीय विधायक जी का तात्पर्य काशीपुर-दुबौलिया बांध से प्रतीत होता है जिस पर वर्ष 1982 से मार्च 1990 तक वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है :---

वर्ष	व्यय लाख रु0 में
1982-83	..
1983-84	..
1984-85	21.00
1985-86	..
1986-87	15.13
1987-88	85.10
1988-89	16.30
1989-90	3.17

उक्त बांध पर अनियमितताओं के सम्बंध में माननीय सिचाई मंत्री जी को संबोधित एक शिकायती-पत्र जनवरी, 1990 में प्राप्त हुआ है जिसमें एक अवर अभियन्ता द्वारा पिठिया कटान पर अपने चाचा श्री विश्वनाथ के नाम पर कई लाख रुपये का फर्जी भुगतान कराने का आरोप लगाया गया है । जांचोपरान्त अवर अभियंता के विरुद्ध फर्जी भुगतान का आरोप सही नहीं पाया गया है ।

मुख्य अभियन्ता (प0 न0 एवं बा0) ने मुख्य अभियंता (गंडक) सि0 वि0, उ0 प्र0 गोरखपुर को लिखा है कि माननीय विधायक द्वारा ग्राम पिठिया में तीन आवेशों से 240 घ0 मी0 बोल्डर के क्रय में अनियमितता की शिकायत की गई है । इस शिकायत की जांच अधीक्षण अभियंता, सिचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर द्वारा की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर वास्तविक तथ्यों की जानकारी हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर में श्री पी0 सी0 त्रिपाठी, अवर अभियन्ता ड्रेनेज खंड बांसी द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

16--श्री कृष्ण किंकर सिंह--

क्या शासन को जानकारी है कि श्री पी0 सी0 त्रिपाठी, अवर अभियंता ड्रेनेज खंड बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई जांच रिपोर्ट जनवरी, 1987 में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की गई है ? यदि हां, तो जांच के सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

प्राथमिक जांच रिपोर्ट में इनके विरुद्ध ककरही-सोनहा बांध के कटाव निरोधक कार्य में 3745.76 घन मीटर अधिक बोल्डर की मापी हेतु जिम्मेदार पाया गया है ।

इनके विरुद्ध आरोप-पत्र बनवाया गया है जिसका परीक्षण हो रहा है ।

जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला तारीन बहादुरगंज के सेवानिवृत्त अवर अभियंता श्री जोगराज सिंह से जबरन वसूल की गयी धनराशि तथा संशोधित पेंशन आदि का भुगतान करने की मांग

17--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता (यांत्रिक), श्री जोगराज सिंह, निवासी मोहल्ला तारीन बहादुरगंज, शाहजहांपुर की राजकीय नलकूप विभाग, मुरादाबाद में सेवावधि दरम्यान जबरन कटौती कर विभाग के पास जमा धनराशि रु0 62,190.40 पैसे तथा सेवावधि दरम्यान अवैधानिक निलम्बन दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 से 6 अप्रैल, 1976 तक (16 माह) का अवशेष वेतन, राजकीय नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण-4, लखनऊ के बलेम नं0 23/एफ0-4/86 के निर्णय दिनांक 28 जुलाई, 1989 के अनुपालन में है प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1990 के प्रत्युत्तर में अभी तक भुगतान नहीं दिया गया है ? उक्त दोनों धनराशियां कब तक भुगतान करा दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

श्री जोगराज सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से पाइप की कमी की वसूली की गई धनराशि रु0 62,190.40 तथा निलंबन के सम्बन्ध में निर्देश याचिका संख्या 23/एफ/4/86, जोगराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य में दिनांक 28 जुलाई, 1989 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध जिला सरकारी अधिवक्ता की राय के अनुसार अपील माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

18--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या सिंचाई मंत्री प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1990 के संदर्भ में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त अवर अभियंता (यांत्रिक) श्री जोगराज सिंह, निवासी मोहल्ला तारीन बहादुरगंज, शाहजहांपुर की राजकीय नलकूप विभाग, उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण सेवावधि एक ही वेतनक्रम देकर क्यों समाप्त कर दी गई ? शासनादेश व विभागीय शर्तों के अनुसार श्री सिंह को अवर अभियन्ता पद पर 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् वेतनक्रम रु0 570--1100 (टाइम स्केल) एवं 10 वर्ष की सेवा के बाद वेतनक्रम 690--1400 (टाइम स्केल) एवं 19 वर्ष की सेवा के पश्चात् वेतनक्रम रु0 850--1720 (सेलेक्शन ग्रेड) क्यों नहीं स्वीकृत किये गये ? श्री सिंह को उपरोक्त तीनों वेतनमान स्वीकृत होकर अवशेष धनराशियों का भुगतान विभाग द्वारा कब तक कर दिया जायेगा ? श्री सिंह की सेवानिवृत्त दिनांक 30 सितम्बर, 1986 मुरादाबाद मंडल से उनको संशोधित वेतनमान का लाभ उपरोक्त तीनों वेतनक्रम की वुरुस्ती पश्चात् उनकी पेंशन संशोधित कर कब तक दिला दी जावेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

यह सही नहीं है कि श्री जोगराज सिंह, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की सम्पूर्ण राजकीय सेवा एक ही वेतनक्रम देकर समाप्त कर दी गयी है ।

शासनादेश व विभागीय शर्तों के अनुसार श्री सिंह को 3 वर्ष पूर्ण होने पर वेतनक्रम 570--1100 (सीनियर ग्रेड) देय नहीं है । 10 वर्ष की सेवा के बाद देय वेतनक्रम 690--1420 इनको स्वीकार किया जा चुका है । 19 वर्ष की सेवा के पश्चात् वेतनक्रम 850--1720 श्री सिंह के अवर अभियन्ता पद पर स्थायी न होने के कारण नहीं दिया गया है । श्री सिंह को वेतनक्रम 690--1420 स्वीकार किया जा चुका है तथा उसके अवशेष देयकों का भुगतान शीघ्र किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सिंह के संशोधित स्वीकृत वेतनमान के अनुसार इनका संशोधित पेंशन प्रकरण तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्र स्वीकृताधिकारी को भेज दिया जायेगा ।

जनपद मऊ एवं आजमगढ़ के सिंचाई खण्ड के अवर अभियन्ताओं का दस वर्षों से स्थानान्तरण न किया जाना

19--श्री मोबीन अहमद आजमी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ एवं आजमगढ़ के सिंचाई खण्डों में ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जो दस वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी इन सभी अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर मेडिकल कालेज के छात्र डा0 मनोज कथूरिया व उनकी पत्नी द्वारा आत्महत्या के कारणों की जानकारी देने की मांग

20—डा0 दिनेश चौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि कानपुर मेडिकल कालेज के एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र डा0 मनोज कथूरिया व उनकी पत्नी ने गत दिनों साथ-साथ आत्म हत्या कर ली ? यदि हां, तो आत्म हत्या के क्या कारण थे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल छात्रों व जूनियर डाक्टरों में आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

आत्महत्या के कारणों की जांच कराई जा रही है । मेडिकल छात्रों एवं जूनियर डाक्टर्स की समस्याओं के निराकरण हेतु शासन निरन्तर प्रयत्नशील है ।

होली के त्योहार पर ग्रामवासियों एवं नगरवासियों को चीनी उपलब्ध कराने की मांग

21—श्री शिव करन सिंह—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार होली के त्योहार पर ग्रामवासियों एवं नगरवासियों को पूर्व की भांति अतिरिक्त चीनी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण त्योहारों पर अवसर एक कार्ड पर एक किलो चीनी देने के आदेश दिये जाते रहे हैं । इस हिसाब से प्रत्येक ऐसे त्योहारों पर लगभग 27 हजार मी0 टन अतिरिक्त चीनी की आवश्यकता होती है, परन्तु पूर्व में जनपदों को त्योहारों पर अलग से उपलब्धता के आधार पर चीनी वितरण हेतु केवल आदेश जारी किये गये और अतिरिक्त चीनी की मात्रा उन्हें कभी आवंटित नहीं की गयी । भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 की प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर 425 ग्राम प्रति यूनिट, प्रतिमाह की दर से 52926 मी0 टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित किया जाता है जो प्रदेश की वर्तमान आबादी के अनुसार नहीं है । भारत सरकार से प्रयास किया जा रहा है कि वे प्रदेश की वर्तमान प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर चीनी का आवंटन बढ़ा कर उपलब्ध करायें । भारत सरकार से चीनी का अतिरिक्त आवंटन मिलने पर ही त्योहारों पर अतिरिक्त चीनी दिया जाना संभव होगा ।

जनार्द हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक इन्टर कालेज के सेवानिवृत्त लेक्चरार को 10 वर्षों की नियमित सेवा न होने के कारण पेंशन, ग्रेच्युटी न दिया जाना

22—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ऋषिकुल आयुर्वेदिक इन्टर कालेज, हरिद्वार जिसका प्रान्तीयकरण वर्ष 1974 में हुआ था, में लेक्चरार पद पर सेवारत कौन-कौन कर्मचारी वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त हुए तथा किस-किस को पेंशन तथा ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है ? जिन्हें पेंशन तथा ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया गया उसके क्या कारण हैं ?

श्री मुख्तार अनीस--

अखिलकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार में लेक्चरर पद पर सेवारत कर्मचारियों में से वर्ष 1983 में केवल श्री देवेन्द्र नाथ शास्त्री सेवानिवृत्त हुए । श्री शास्त्री की नियमित सेवा 10 वर्ष की न होने तथा उनके अस्थायी होने के कारण उन्हें पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा सका है ।

जनपद बस्ती के कार्यालय अधिशासी अभियंता नलकूप खण्ड में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से अप्रैल से जून, 1988 के मध्य एक सेवानिवृत कर्मचारी के देयकों का भुगतान

23--श्री माधव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बस्ती में कार्यरत कर्मचारियों में से अप्रैल से जून, 1988 के मध्य कौन-कौन से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए ? क्या कुछ सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अभी तक न तो पेन्शन दी जा रही है और न ही उन्हें उनकी अन्य देयों का भुगतान ही किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

नलकूप खण्ड बस्ती से अप्रैल से जून, 1988 के मध्य श्री हरी राम धावक सेवा निवृत्त हुए ।

सेवा निवृत्त धावक के देयकों का भुगतान किया जा चुका है । पेंशन स्वीकृत है । प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के अवर अभियंता, सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता अधीक्षण अभियन्ता को अकार्यकारी खण्ड यूनिट या प्रतिबन्धित स्थान पर तैनात किया जाय

24--श्री अमर मणि--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियन्ता ऐसे है जिनकी सेवायें दस वर्ष से अधिक हो चुकी है, किन्तु अब तक किसी अकार्यकारी खण्ड यूनिट अथवा प्रतिबन्धित स्थान पर कार्यरत नहीं रहे है ? क्या इन अभियन्ताओं को अकार्यकारी खण्ड/यूनिट अथवा प्रतिबन्धित स्थान पर तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सिंचाई विभाग में 691 अवर अभियंता (सिविल), 421 अवर अभियंता (यांत्रिक), 3 सहायक अभियंता (सिविल) एवं 4 प्रभारी सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता (सिविल) तथा 14 अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) ऐसे हैं, जिनकी सेवाएं वर्तमान पदों पर 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हैं किन्तु उन्होंने इस पद पर कार्य करते हुए अब तक किसी प्रतिबंधित पद/स्थान पर कार्य नहीं किया है ।

आलोच्य वर्ष में इनमें से 280 अवर अभियंता (सिविल) तथा 68 अवर अभियंता (यांत्रिक) को और 2 सहायक अभियंता (सिविल) तथा 5 अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) को प्रतिबंधित किया जा चुका है । आगामी वर्षों में ऐसे शेष अभियन्ताओं को इस

समय विद्यमान परिस्थितियों तथा तत्सम्यक स्थानान्तरण नीति को दृष्टिगत करते हुए चरणवद्ध रूप से प्रतिबंधित पदों पर तैनात किया जायेगा किन्तु प्रतिबंधित पद/स्थान सीमित होने के कारण ऐसे समस्त अभियंताओं को किसी निश्चित अवधि तक और एक साथ ऐसे पदों पर पदस्थापित किया जाना सम्भव नहीं होगा ।

25--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[5 वें बुध में अता० प्र० सं० 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मथुरा के जिला अस्पताल के प्रीमेच्योर रिटायरमेन्ट लेने वाले चिकित्सा अधिकारी डा० रमाकान्त शर्मा को स्थायी करने के उपरान्त ही पेंशन/ग्रेचुटी का भुगतान किया जाना

26--डा० दिनेश जौहरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी है कि डाक्टर रमाकान्त शर्मा चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल मथुरा के 30 नवम्बर, 1983 को अपना प्रीमेच्योर रिटायरमेन्ट लिया था किन्तु अभी तक उनके पेन्शन ग्रेचुटी एवं अन्य लाभों एवं छुट्टी के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या मंत्री जी डाक्टर शर्मा की पेन्शन आदि के भुगतान के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

जी० पी० एफ० का अन्तिम भुगतान किया जा चुका है । अवकाश अवधि के वेतन रु० 32,438,30 का भुगतान कर दिया गया है । जी० आई० एस० के भुगतान हेतु प्रपत्र बीमा निदेशालय को भेज दिये गये हैं ।

डाक्टर शर्मा को स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । स्थायीकरण के पश्चात् ही उनके पेंशन, ग्रेचुटी आदि के भुगतान के आदेश दिया जाना संभव है ।

जनपद बाराबंकी के खराब राजकीय ट्यूबवेल को चालू किया जाना

27--श्री शिव करन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के कितने राजकीय ट्यूबवेल पिछले 6 माह से भी अधिक समय से खराब पड़े हैं ? क्या सरकार उन्हें ठीक कराने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जनपद बाराबंकी में एक नलकूप छः माह से अधिक समय से विद्युत् लाइन का तार चोरी होने से बन्द था ।

नलकूप दिनांक 28 जून, 1990 को चालू हो गया है ।

प्रदेश की नहर की पटरियों को पक्का करने की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना

28--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के नहर की पटरियों को पक्की सड़क के रूप में बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है इस

सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मुख्य मन्त्री को दिनांक 11 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह---

जी नहीं ।

जी हां ।

नहरों की कच्ची पटरियां नहरों के निरीक्षण के लिये ही बनाई जाती हैं । प्रदेश की नहरों की पटरियों को यातायात की दृष्टि से पक्का करने की कार्यवाही नीति के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के प्रा0 हेल्थ सेन्टर पिंडरा को 30 बेड वाला अस्पताल बनाने की मांग

29---श्री ऊदल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 हेल्थ सेन्टर पिंडरा जिला वाराणसी जो सबसे पुराना अस्पताल है और सिर्फ 14 बेड का है को 30 बेड वाला बनाकर इसका उच्चीकृत कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस---

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण जिला य जना का अंग है इसके लिये जिला योजना में अपेक्षित परिव्यय उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्थानों का अनुमोदित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर शासन द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद वाराणसी में नहरों से वंचित क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने की मांग

30---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मंत्री गांव बसंतपुर व भगौतीपुर, चमार, मुर्दी, मटबंधा, चितावनपुर, अमौत पूर्वी व पश्चिमी, (जंगर) राजपुर पूर्वी तथा रोह उत्तरी ब्लाक पिंडरा तथा गांव पुरा-रघुनाथपुर पश्चिमी, बहुतरा, बेलवां उत्तरी पिंडरा पूर्वी ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में पब्लिक नलकूप लगाने की कृपा करेंगे ? क्या यह सही है कि इसी क्षेत्र में विश्व बैंक परियोजना लागू है । क्या यह भी सही है कि 50 ट्यूबवेल के कलस्टर में 15 के करीब राजकीय ट्यूबवेलों को शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में जहां नहरें नहीं है वहां जांच कर सरकार ट्यूबवेल लगायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह---

जी नहीं क्योंकि अब विश्व बैंक परियोजना फेज द्वितीय में कोई कलस्टर बनना शेष नहीं है ।

जी हां ।

कुल 43 नलकूपों के कलस्टर में 10 पुराने राजकीय नलकों को शामिल किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अब विश्व बैंक परियोजना फेज द्वितीय में कोई कलस्टर बनना शेष नहीं है ।

जनपद हरदोई, शारदा नहर के रजवाहा सहादतनगर में पानी टेल तक न पहुचने के सम्बन्ध में नहर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

31—लालता प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के शारदा नहर के रजबाहा सहादतनगर, जिसकी लम्बाई 10 कि0 मी0 है, किन्तु जल सम्पूर्ति 5 कि0 मी0 तक ही होती है, में पानी टेल तक नहीं पहुंचता है ? क्या यह सही है कि इस रजबहे की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुयी है जिसके फलस्वरूप किसानों की रबी, 1989 की फसल सूख गयी थी ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? पानी टेल तक पहुंचाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा इसका हेड अलग किए जाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इसका हेड आज तक अलग न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सहादतनगर राजबाहे की लम्बाई 9·51 कि0 मी0 है तथा इसकी टेल पर सामान्यतः जल पहुंच जाता है एवं कृषकों द्वारा सींच की जाती है ।

इस नहर की सफाई वर्ष 1988-89 में की गई है तथा रबी 1989 की फसल के सूखने की कोई सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है ।

किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

टेल तक पानी पहुंचाने हेतु वर्ष 1990-91 में नहर की समुचित सिल्ट सफाई कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सहादतनगर राजबहा लखनऊ शाखा के कि0 मी0 27·7 बाई पटरी से निकलता है अतएव इसमें अलग से हेड बनाये जाने के आश्वासन का प्रश्न नहीं उठता है ।

सहादतनगर राजबहे का हेड वर्तमान में लखनऊ शाखा में बना हुआ है तथा इसको अलग किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा मिनी ट्रक की खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप

32—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में मिनी ट्रक की वर्ष 1989-90 में खरीद फरोख्त में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो एवं कैण्टेरिया प्रबन्धक पद हेतु वरिष्ठता सूची बनाया जाना

33--श्री ओम प्रकाश गुप्त--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो एवं कैण्टेरिया प्रबन्धक पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु कोई वरिष्टता सूची बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची का विवरण क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जी हां ।

डिपोज में प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु 1985 तक की वरिष्ठता सूची तथा कैण्टेरिया में वर्ष 1988 तक की वरिष्ठता सूची बनाई गई है ।

प्रश्न नही उठता ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 185 पर ।)

शारदा सहायक पोषक नहर पर व्यय किया गया धन तथा रेट साइफन का निर्माण न किया जाना

34--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर पर पिछले तीन वर्षों में विभिन्न मदों अनुरक्षण, लाइनिंग, पी० मेंटीनेंस कैपिटल, केन्द्रीय सहायता आदि पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि शारदा सहायक पोषक नहर का रेट सायफन पिछले वर्षों में कभी भी प्रयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका निर्माण कराये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह भी सही है कि यह स्कैप जर्जर स्थिति में एवं अनुपयोगी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

शारदा सहायक पोषक नहर पर पिछले तीन वर्षों में विभिन्न मदों पर किया गया व्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	अनुरक्षण	लाइनिंग	पी-मेन्टीनेंस	केन्द्रीय सहायता
1987-88	62.061	1099.787	77.298	—
1988-89	91.755	821.317	104.553	—
1989-90	75.628	1409.912	141.915	0.70

जी नहीं ।

रेट साइफन पोषक नहर के कि0 मी0 135 पर निर्मित हैं ताकि पोषक नहर के नीचे से रेठ नदी का पानी निकल जाय । इस साइफन की उपयोगिता निरन्तर बनी हुई है तथा बाढ़ अवधि में और अन्य काल मे रेठ नदी का समस्त पानी इसी साइफन से होकर पोषक नहर के पार निकलता है । इसका निर्माण पूर्णतया औचित्यपूर्ण है ।

पोषक नहर के कि0 मी0 134.485 पर रेठ स्केप का निर्माण हुआ है । इस स्केप का प्रयोग समय-समय पर पोषक नहर के डिस्चार्ज को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है । यह स्केप अच्छी स्थिति में है और उपयोगी है ।

जनपद आजमगढ़ के प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सठियांव में एक ही व्यक्ति द्वारा 20 वर्षों से एक ही पद पर कार्य किया जाना

35—श्री मोबीन अहमद आजमी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 1990 जो कि ब्लाक सठियांव, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सठियांव में लगभग 20 वर्षों से एक व्यक्ति एक ही पद पर कार्यरत रहने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

प्रश्नगत पत्र खोजा जा रहा है ।

प्रदेश के सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन खण्डों को जल विद्युत् परियोजनाओं के सर्वेक्षण हेतु धन आवंटित किया जाना

36—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन खण्डों को जल विद्युत् परियोजनाओं के सर्वेक्षण हेतु 7वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में अलग-अलग कुल कितना धन आवंटित किया गया ? जल विद्युत् की कितनी योजनाएं प्रस्तावित की गयी हैं और कब तक इन पर काम प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रदेश के सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन संगठनों के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के 11 खण्डों को जल विद्युत् परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्यों हेतु 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में कुल 917.81 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई ।

उक्त संगठनों द्वारा 43 जल विद्युत् परियोजनाओं पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । वर्तमान में इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं पर केवल अनुसंधान कार्य प्रगति पर है । अभी तक परियोजनाओं के प्राक्कलन, पर्यावरणीय स्वीकृति आदि पर भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है । सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् तथा उन पर केन्द्रीय जल आयोग तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्राप्त होने के पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकेगा कि इनसे सम्बन्धित परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं पर कब से कार्य प्रारम्भ हो पायेगा ।

जनपद आजमगढ़, विश्व बैंक पोषित नलकूप, ग्राम भैंसाड़, विकास खंड हरैया के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

37--श्री पंचानन राय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक पोषित नलकूप ग्राम भैंसाड़ विकास खण्ड हरैया, जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित प्रधान का पत्र तथा ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता को पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1990 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर की ब्लाक वण्डा में नहर विभाग द्वारा किसानों की फसल हेतु पानी छोड़ा जाना

38--श्री चेतराम---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की ब्लाक वण्डा में नहर विभाग द्वारा विगत वर्षों एक 'भवरखेड़ा माइनर' का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त माइनर से सिंचाई हेतु किसानों की फसल को पानी न छोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह---

जनपद शाहजहांपुर की ब्लाक वण्डा में नहर विभाग द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की योजना के अन्तर्गत उनसे प्राप्त धनराशि से भंवरखेड़ा माइनर विगत वर्षों से निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

उक्त माइनर का जितना निर्माण हो चुका है उससे वर्ष 1989-90 में किसानों को फसल की सिंचाई हेतु पानी छोड़ा गया है ।

जनपद बांदा के ग्राम आलमपुर की तहसील बबेरू के खराब राजकीय नलकूपों को संचालित न करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

39--श्री देव कुमार यादव---

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम आलमपुर, तहसील बबेरू, जिला बांदा के सरकारी ट्यूबवेल संख्या 4 और 17 क्रमशः करीब 20 साल वर्ष 10 साल पूर्व बनने के बावजूद भी आज तक संचालित नहीं किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो इनको संचालित न किए जाने के उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी और प्रश्नगत ट्यूबवेल कब तक संचालित करा दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह---

जी हां ।

राजकीय नलकूप संख्या 4 बबेरू का छिद्रण वर्ष 1974 में तथा ऊर्जीकरण वर्ष 1976 में हुआ था । किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा इसके बोर में ईंट पत्थर डाल

दिए जाने के कारण 1983 में इसका पुनः छिद्रण कराया गया। तत्पश्चात् 1986 में ऊर्जीकरण हेतु वी0 एण्ड एल0 फार्म राज्य विद्युत् परिषद् को प्रेषित किया गया। किन्तु ऊर्जीकरण अभी तक अपेक्षित है।

राजकीय नलकूप संख्या 17 बवेरू का छिद्रण माह 12/84 में तथा ऊर्जीकरण माह 11/85 में हुआ था। दिनांक 23 जनवरी, 1987 को डाल सिंचाई खण्ड, बांदा में ट्रान्सफार्मर खराब हो जाने, तत्पश्चात् विद्युत् लाइन के चोरी हो जाने के कारण नलकूप बन्द हो गया। उक्त नलकूपों को यथाशीघ्र चालू कराने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। नलकूप संख्या 4 को ऊर्जीकरण तथा नलकूप संख्या 17 का विद्युत् दोष ठीक करने हेतु विलम्ब के सम्बन्ध में राज्य विद्युत् परिषद् से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

प्रश्नगत नलकूपों को यथाशीघ्र चालू कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सिविल अभियन्ताओं के विनियमितीकर का आधार तथा मल विभाग में वापस लिए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

40–श्री श्याम बिहारी सिंह––

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिविल अभियन्ताओं को पैतृकमूल विभाग में वापस भेजने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सचिवालय के पत्र संख्या–1870/5–7–3718–86, दिनांक 11 अगस्त, 1989 में उल्लखित निदेशालय का कार्यालय ज्ञाप सं0 14 प/वर्क्स–1743/87/2141, दिनांक 18 अगस्त, 1987 का मुख्य विवरण क्या है? क्या मंत्री जी 18 अगस्त, 1987 के उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी वह भी बतायेंगे कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 अगस्त, 1987 में अभियन्ताओं को वापस करने का क्या आधार दर्शाया गया है एवं उसके आधार पर 28 फरवरी, 1990 तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुख्तार अनीस––

प्रश्नगत निदेशालय का कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 अगस्त, 1987 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सिविल अभियंत्रण निर्माण ईकाई के अधीन तदर्थरूप से कार्यरत अवर अभियन्ताओं को उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर (तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1979 के नियम (3) के अन्तर्गत विनियमितीकरण से सम्बन्धित है।

जी हां, प्रतिलिपि संलग्न है।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 अगस्त, 1987 केवल विनियमितीकरण के सम्बन्ध में है, उसमें अभियन्ताओं को वापस करने का कोई आधार नहीं दर्शाया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 188 पर।

41—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये सिविल अभियन्ताओं को मूल विभाग में वापस लेने व सेवा नियमावली के सम्बन्ध में दिनांक जुलाई, 1989 में कार्मिक विभाग एवं नियोजन विभाग द्वारा कोई संस्तुति दी गई थी ? यदि हां, तो वे संस्तुतियां क्या हैं ? मंत्री जी उन संस्तुतियों के अनुरूप कार्यवाही कब तक सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन संस्तुतियों पर दिसम्बर, 1989 तक कार्यवाही न करने का क्या आधार है एवं इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री मुख्तार अनीस—

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग एवं नियोजन विभाग द्वारा कोई संस्तुति नहीं दी गई थी, अपितु, कार्मिक नियमावली सेल द्वारा प्रस्ताव पर कतिपय पृच्छाएं की गई हैं जिनका निराकरण किया जा रहा है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल में राजकीय चिकित्सालय का निर्माण तथा डाक्टर आदि की नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जाना

42—डा० दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को 29 मार्च, 1990 को प्रश्नकर्ता का पत्र शक्तिगढ़, जनपद नैनीताल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति तथा टिलियापुर में राजकीय चिकित्सालय भवन के निर्माण एवं चिकित्सक की नियुक्ति एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सितारगंज में सर्जन की नियुक्ति के विषय में पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है ।

जनपद गोण्डा में बेलहा बांध के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया जाना

43—श्री हनुमंत सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3 मई, 1990, जो बेलहा बांध, जनपद गोण्डा के निर्माण के सम्बन्ध म था, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

बेलहा बांध के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 मई, 1990 नहीं बल्कि पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1990 प्राप्त हुआ था पत्र पर विचार किया गया और कटाव निरोधक कार्यों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है । कार्य प्रगति पर में है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

44--श्री राम प्रसाद सिंह--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के अन्तर्गत बाल्मीकी नदी से ग्राम अर्जुनपुर एवं बछान के समस्याग्रस्त गांवों को पानी देने की मांग.

45--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के तहसील कर्वी के अन्तर्गत बाल्मीकी नदी में ग्राम सुरकिया के पास पश्चिमी तट पर दिसम्बर, 90 तक खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए डीजल सिंचाई योजना बनाकर ग्राम अर्जुनपुर एवं बछान के समस्याग्रस्त गांवों को सिंचाई के लिए पानी देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल्मीकी नदी में स्थल विशेष पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है ।

जनपद महाराजगंज में लक्ष्मीपुर के प्रा0 स्व0 केन्द्र के कर्मचारियों का दक्षतारोक पारित न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग.

46--श्री अमर मणि--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र, लक्ष्मीपुर, जनपद महाराजगंज (गोरखपुर) के कर्मचारियों का दक्षता रोक विगत कई वर्षों से पारित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त कर्मचारियों के उत्पीड़न के लिए सक्षम एवं सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारी कौन-कौन हैं और कब तक उनको दक्षता रोक पार करने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 1989-90 में सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न इकाइयों में अलग-अलग व्यय की गयी धनराशि

47--श्री अमर मणि--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 में गोरखपुर जनपद सिंचाई विभाग की विभिन्न इकाइयों में 15 मार्च, 1990 से 31 मार्च, 1990 तक अलग-अलग कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह--

वित्तीय वर्ष 1989-90 में गोरखपुर जनपद में सिंचाई विभाग के निम्नलिखित खण्डों में 15 मार्च, 1990 से 31 मार्च, 1990 तक अलग-अलग किए गये भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है :--

खंड का नाम	15-3-90 से 31-3-90 तक व्यय
	रु0
1--सिंचाई खंड-1, गोरखपुर	20,94,967.00
2--सिंचाई खंड-2, गोरखपुर	46,36,150.00
3--बाढ़ खंड, गोरखपुर	51,20,942.00
4--ड्रेनेज खंड, गोरखपुर	83,34,000.00
5--म0 न0 नि0 खंड-10, गोरखपुर	55,35,246.59
6--नलकूप खंड-1, गोरखपुर	9,80,000.00
7--नलकूप खंड-2, गोरखपुर	15,92,000.00
8--नलकूप निर्माण खंड, गोरखपुर	1,10,56,000.00
योग ..	6,93,49 305.59

48--श्रीमती सिया दुलारी--

[दिनांक 21 जून, 1990 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित]

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के कर्मचारियों स्थायी अस्थायी नियुक्ति तथा रोजगार कार्यालय से नाम न मंगाये जाने के सम्बन्ध में जांच कराया जाना

49--श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी ने दिनांक 1 जनवरी, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक कितने रिक्त पदों पर स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की और क्या यह सही है कि अनेक नियुक्त कर्मचारियों के नाम रोजगार कार्यालय से नहीं आये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1989 से 30 अप्रैल, 1990 तक की अवधि में अस्थायी रूप से रिक्त पदों पर 34 तृतीय कर्मचारियों के पदों पर एवं 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्तियां की गयी ।

7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम रोजगार कार्यालय से आये थे । शेष कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध म जांच करायी जा रही है ।

मु0 नगर खंड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर के कार्यों की शिकायतों से सम्बद्ध प्रभारी सहायक अभियन्ता सहित अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

50—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य नगर खंड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर के कार्यों के शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के दो प्राविधिक परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 से 23 दिसम्बर, 1988 की अवधि में मुख्य नगर जाकर की गयी थी ? क्या इन दोनों जांचों में तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता सहित उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो वह अधिकारी और कर्मचारी कौन-कौन थे ? इन दोनों जांचों में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयीं ? जांच में पायी गयीं अनियमितताओं और दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां । परन्तु मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि चूंकि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मामले की विस्तृत जांच अभिलेखों के आधार पर की गयी है, अतएव पुनः उन्हीं अभिलेखों के आधार पर अलग से जांच आख्या तैयार किया जाना वांछित नहीं है । अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गयी उक्त जांच के आधार पर अग्रम कार्यवाही की गयी है ।

उक्त जांच आख्या के आधार पर प्रभारी सहायक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, ओवर अभियन्ता, जिलेदार, सींच पर्यवेक्षक एवं सींचपाल दोषी पाये गये थे ।

कार्यविशेष के अन्तर्गत कार्य की मदों में ओवर राइटिंग करना, माप पुस्तिका में कटिंग/ओवर राइटिंग करना, प्लान्टेशन रजिस्टर का समुचित रख-रखाव न करना, वृक्षों के सम्बन्ध में गलत सूचना देना तथा वृक्षों को रजिस्टर में दर्ज कराये बिना उसकी नीलामी कराना, खादों के बारे में गलत सूचना देना, फसली कुलाबों की अनधिकृत स्वीकृति प्रदान करना, अस्वीकृत परियोजना पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अधिक धनराशि का व्यय करना, फर्जी आबपासी एवं जिन्स परिवर्तन के सम्बन्ध में गलत सूचना भेजना, अमीन को अनुचित लाभ पहुंचाना, शैक्षिक योग्यता कम होने पर भी मुंशी पद पर नियुक्ति दिया जाना, आवंटित धनराशि से अधिक व्यय कर अनियमितताएं करना, मिट्टी उठाने के प्रकरण पर कार्यवाही न करना, राजस्व हानि एवं सींच पर्यवेक्षक के चयन में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किया जाना आदि ।

प्रभारी सहायक अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र गिरी को शासनादेश, दिनांक 14 मार्च, 1990 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु आदेश दे दिया गया है प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त दो सींच पर्यवेक्षकों एवं एक सींचपाल को भी निलम्बित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये भी प्रमुख अभियन्ता को आदेश दिया गया है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मुजफ्फरनगर खंड गंगा नहर मुजफ्फरनगर के कार्यों शिकायतों की जांच आख्या

51--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर खंड गंगानहर मुजफ्फरनगर के कार्यों की शिकायत के सम्बन्ध में शासनादेश, दिनांक 25 अप्रैल, 1988 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मंडल, सिंचाई कार्य, मेरठ द्वारा की गयी जांच आख्या तथा शासनादेश संख्या 239 एन0 एन0-188-23-सि-10-228/87, 12 सितम्बर, 1988 के अनुसार मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1989 को प्रेषित जांच आख्या और संस्तुति क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा की गयी थी परन्तु मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि चूंकि मामले की विस्तृत जांच अभिलेखों के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जा चुकी है अतएव उन्हीं मामलों पर पुनः जांच कर आख्या देना वांछनीय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अधीक्षण अभियन्ता की आख्यानुसार अग्रतर कार्यवाही वांछनीय पायी गई। अधीक्षण अभियन्ता की आख्यानुसार प्राप्त शिकायतों में से 10 में तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से एवं शिकायतों में उक्त खण्ड के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों की अंतर्ग्रस्त पाया गया। आख्या में कोई संस्तुति नहीं की गई।

प्रभारी सहायक अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र गिरी को शासनादेश, दिनांक 14 मार्च, 1990 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। प्रकरण में अंतर्ग्रस्त दो सींच पर्यवेक्षकों एवं एक सींचपाल भी निलम्बित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये भी प्रमुख अभियन्ता को आदेश दिया गया है।

राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण/स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना

52--श्री मंजूर अहमद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा संवर्ग में कितने चिकित्साधिकारी सेवारत हैं ? उनमें से कितने वेतनक्रम 2200-4000 रु0 में विनियमित एवं स्थायी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके विनियमित एवं स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ? स्थायीकरण में विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ? उनका स्थायीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा संवर्ग में 3075 चिकित्साधिकारी सेवारत हैं। इनमें से वेतनमान 2200-4000 रु0 में 309 पद धारक विनियमित हैं। शेष के विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

रा0 ला0 ब0 शा0होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य द्वारा आवास किराया भत्ता किये जाने के विरुद्ध जांच

53--श्रीमती सिया दुलारी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पांचवे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राचार्य,

रा0 ला0 ब0 शा0 होम्योपैथिक कालेज, इलाहाबाद द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच आख्या जिलाधिकारी, इलाहाबाद से प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच आख्या में दोषी पाये गये प्राचार्य को दण्डित किया गया ? क्या यह सत्य है कि उक्त जांच आख्या के आरोप पत्र निदेशक होम्योपैथिक से बनाये जाने के आदेश वापस लेकर विभाग के बाहर के अतिरिक्त निदेशक (एलो0) से जारी कराया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य ह ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां, प्राचार्य, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच आख्या जिलाधिकारी, इलाहाबाद से प्राप्त हो गई है । जांच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त कथित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

देवकली पम्प कैनाल, खण्ड द्वितीय के अधिशासी अभियन्ता, श्री अर्जुन दास व सहायक अभियन्ता, श्री विश्वनाथ प्रसाद के निलम्बन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

54—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1578/89-23-सि0-10-360-86, दिनांक 13 मार्च, 1989 द्वारा देवकली पम्प नहर, खण्ड द्वितीय के श्री अर्जुन दास, अधिशासी अभियन्ता को तथा शासनादेश संख्या 1989/89-23-10-360/86, द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद, सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई सचिव के पत्रांक 274/सी0 टी0 आई0/23-सी0-889/88, दिनांक 7 फरवरी, 1989 तथा पत्रांक 2/2/सी0 टी0 ई0/23, दिनांक 7 फरवरी, 1990 द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, की गयी तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पत्रांक 274, दिनांक 7 फरवरी, 1989 के साथ प्राप्त रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियन्ता (जांच), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्देशित कर दिया गया है जबकि मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पत्रांक 272, दिनांक 7 फरवरी, 1989 व उसके सन्दर्भ में प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी अधिशासी अभियन्ता श्री अर्जुन दास व सहायक अभियन्ता, श्री विश्वनाथ प्रसाद को निलम्बित कर दिया गया था जैसा कि उत्तर के पहले भाग में स्वीकार किया गया है । यह भी सूचनीय है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच भी पूरी हो चुकी है ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ग्राम सभा सिरोही बेलकुण्डा तथा खरघाट को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित न करने के सम्बन्ध म प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कार्यवाही

55—श्री पंचानन राय—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सिरोही, बेलकुण्डा तथा खरघाट के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के प्रस्ताव खण्ड विकास कार्यालय को प्राप्त होने के बावजूद भी इन्हें दुकान आवंटित न करने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 मार्च, 1990 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत गांव सभाओं में दुकानें प्रस्ताव के अनुसार फरवरी, 1990 में आवंटित कर दी गयी हैं, जो कार्यरत हैं ।

56—श्री पंचानन राय—

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

शारदा सहायक खंड 32, आजमगढ़ में बरोही ड्रेन पर पुलिया बनाने का प्रस्ताव

57—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड-32 द्वारा निर्मित बरोही ड्रेन पर किन-किन स्थानों पर पुलिया के निर्माण का प्रस्ताव ह ? कहां-कहां पर पुलिया का निर्माण हो चुका है ? और शेष का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

शारदा सहायक खंड 32, आजमगढ़ में बरोही ड्रेन के कि0मी0 1. 4, 3. 2, 4. 5, 6. 4, और 7. 5 पर पुलिया का निर्माण प्रस्तावित है । कि0 मी0 1.4, 3.2 और 4.5 पर पुलिया का निर्माण हो चुका है । कि0 मी0 6.4 तथा 7.5 पर पुलिया का निर्माण शीघ्र (जून, 1991 तक) कराया जाना प्रस्तावित है ।

58—डा0 दिनेश जोहरी—

[दिनांक 28 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 195 द्वारा उत्तरित]

आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसिस्ट संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के ज्ञापनों पर कार्यवाही की मांग

59—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद/यूनानी फार्मेसिस्टों ने उन्हें 13 मार्च, 1990, 10 अप्रैल, 1990, 25 अप्रैल, 1990 एवं 4 मई, 1990 को ज्ञापन दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुख्तार अनीस—

आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मेसिस्ट संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के ज्ञापन दिनांक 10 अप्रैल, 1990 एवं 25 अप्रैल, 1990 प्राप्त हुए हैं । ज्ञापनों में उल्लिखित मांगें विचाराधीन हैं ।

जनपद उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता द्वारा नया उपखंड सृजित करने का औचित्य

60—श्री हृदय नारायण—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता को नया उपखंड, से0 1 सृजित करने के अधिकार हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि उन्नाव

जिले के सिंचाई खंड के अधिशासी अभियन्ता ने वर्ष 1989 में पंचम उपखंड में पहले के सोहरामऊ व मौरांवा सेक्शनों के अलावा एक सेक्शन अजगैन सृजित किया था ? यदि हां, तो बिना मुख्य अभियन्ता की पूर्व अनुमति/सहमति के ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम करने का क्या औचित्य है ? अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

पहले के सोहरामऊ एवं मौरावां सेक्शन के अलावा अजगैन सेक्शन का सृजन नहीं किया गया, परन्तु नवाबगंज, मौरावां एवं अजगैन सेक्शन में पुनर्गठन किया गया । सिंचाई खंड उन्नाव के अधीन कुल सेक्शनों की संख्या से अधिक अवर अभियन्ता पदा-स्थापित होने पर अतिरिक्त पदास्थापित अवर अभियन्ता को जनहित में सेवायें प्राप्त करने एवं पंचम उपखंड के नवाबगंज एवं मौरावां अनुभागों में स्थित नहरों के रख-रखाव, व्यवस्था में सुधार हेतु उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के फलस्वरूप जनहित में नवाबगंज एवं मौरावां अनुभागों का पुनर्गठन किया गया, जिस पर शासन को कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ा ।

नवाबगंज एवं मौरावां अनुभागों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अजगैन सेक्शन के सृजन पर कोई अतिरिक्त व्यय भार न होने से अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनहित में की गई कार्यवाही के फलस्वरूप कोई दोषी न होने से किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ब्लाक सण्डीला के कतिपय ग्रामों में घनाभाव के कारण प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोलने की स्वीकृति न मिल पाना

61—श्री सुरेन्द्र कुमार दूबे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक सण्डीला, जनपद हरदोई में ग्राम गदौरा, छनोइया एवं गोसवा डोंगा एवं ग्राम बड़ागांव ब्लाक बेंहदर, जनपद हरदोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जिला समिति में हो चुकी है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न खोले जाने के क्या कारण है ? कब तक उक्त स्वास्थ्य कन्द्र खोला जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां, प्रस्ताव वर्ष 1989-90 में प्राप्त हुआ था ।

घनाभाव के कारण शासन द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकी ।

जनपद हरदोई के सण्डीला में दो उच्चीकृत चिकित्सालय खोलने की मांग

62—श्री सुरेन्द्र कुमार दूबे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सण्डीला, जनपद हरदोई में दो उच्चीकृत चिकित्सालय की स्वीकृति शासन द्वारा की जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय कब तक बनाये जायेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के सिंचाई विभाग के चतुर्थ खण्ड सरहेरी रजबहा तथा मलिहाबाद माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने की योजना

63—श्री सुरेन्द्र कुमार दूबे—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के सिंचाई विभाग के चतुर्थ खण्ड में सरहेरी रजबहा से बड़गांव माइनर तथा सिधवल मलिहाबाद माइनर में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो पानी टेल तक पहुंचाने की क्या योजना है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

हरदोई जनपद में सिंचाई विभाग के चतुर्थ उपखण्ड से सरहेरी राजबहा से निकलने वाली बड़गांव माइनर कोई नहीं है परन्तु अलीपुर माइनर को ही बड़गांव माइनर के नाम से जाना जाता है । इसी प्रकार सरहेरी राजबहा से निकलने वाली सिधवल मलिहाबाद नाम की कोई माइनर नहीं है । राजबहा सिधवल को ही सिधवल मलिहाबाद माइनर के नाम से जाना जाता है ।

आने वाली फसलों में नहर की समुचित सफाई करवा कर तथा अवैधानिक तरीकों से कृषकों द्वारा ऊपर की रीच में गत वर्षों में की जा रही कटिंग एवं बन्धों पर नियन्त्रण कर, टेल पर यथासम्भव प्रयास कर जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

जनपद देवरिया के पडरौना ड्रेन पर निर्मित पुल के दोनों ओर के ढालों को ठीक कराने की मांग

64—श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री अमर मणि—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम श्रीपति खंडन जमुनिया के बीच पडरौना ड्रेन पर निर्मित पुल से सम्बन्धित ग्रामीण पथ को ठीक कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी देवरिया को शासन द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मन्त्री जी जिलाधिकारी देवरिया से ग्रामीण पथ का निर्माण कराने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 1989–90 की धनराशि को शासन को वापस किया जाना

65—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989–90 की कितनी धनराशि मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ द्वारा प्रयुक्त न करके शासन को वापस कर दी गई ? इसके क्या कारण थे कौन से कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

वित्तीय वर्ष 1989-90 में मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अनुदान संख्या 32 आयोजनेत्तर पक्ष में आहार की मद में रु0 4,800 तथा उपकरणों के अनुरक्षण की मद में रु0 48,176·10 की धनराशि निर्मित की गई। अनुदान संख्या 36 में रु0 12,87,912 की धनराशि छात्रवृत्ति की मद में समर्पित की गई। प्रश्नगत वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशियों की आवश्यकता न होने के कारण उन्हें समर्पित किया गया। इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक असत्य अंकित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र भेजा जाना

66—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 जनवरी, 1990 को जिला स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक असत्य अंकित किये जाने में सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 मार्च, 1990 मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ तथा हरैया विकास खण्ड के खराब नलकूपों के सम्बन्ध में कार्यवाही

67—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ तथा हरैया विकास खण्ड के नलकूपों की खराब स्थिति से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 मार्च, 1990 मुख्य अभियन्ता नलकूप (पूर्व) को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

पुराने असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु अपूर्ण जल वितरण प्रणाली वाले नलकूपों पर 2 कि0 मी0 लम्बाई तक भूमिगत पी0 ले0 सी0 पाइप लगाने हेतु तथा जीर्णशीर्ण जल वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्य कराये जा रहे हैं।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के कतिपय ग्रामों को कटाव से बचाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

68—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सगड़ी तहसील के कतिपय गांवों को कटाव से बचाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 मार्च, 1990 सचिव सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण विचाराधीन है ।

गोवर्धन नाले की सफाई के सम्बन्ध में श्री हरद्वारी लाल ठेकेदार के भुगतान हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

69—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को गोवर्धन नाले की सफाई के सम्बन्ध में श्री हरद्वारी लाल ठेकेदार के भुगतान हेतु उनके पत्र समेत प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1990 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी उक्त का भुगतान यथाशीघ्र कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

गोवर्धन नाले की सफाई के सम्बन्ध में श्री हरद्वारी लाल ठेकेदार के भुगतान हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1990 (न की 11 अप्रैल, 1990) (जो कि माननीय सिंचाई मंत्री जी को सम्बोधित है) व उसके साथ श्री हरद्वारी लाल ठेकेदार का प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नकर्ता के उपरोक्त दिनांक 10 जनवरी, 1990 के पत्र के साथ संलग्न श्री हरद्वारी लाल ठेकेदार के प्रार्थना-पत्र में गोवर्धन नाले की सफाई हेतु अनुबन्ध संख्या 2, 3 एवं 5/85 86 ई0 6-4-1985 व दिनांक 13 मई, 1985 के विरुद्ध उन्हें लगभग 4.50 लाख रुपये का भुगतान शेष बताते हुए उसके भुगतान की प्रार्थना की गई है ।

उपरोक्त अनुबन्धों के विरुद्ध ठेकेदार का कोई भुगतान शेष नहीं है । अपितु ठेकेदार के विरुद्ध विभागीय वसूली शेष है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

70—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[5वें गुरु में अ0 प्र0 सं0 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ में नरही के जायसवाल मेडिकल स्टोर को स्थानीय राजकीय एलोपैथिक औषधियों की आपूर्ति हेतु मनोनीत किये जाने में कथित रूप से राजाज्ञा का उल्लंघन

71—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स जायसवाल मेडिकल स्टोर नरही, लखनऊ को वर्ष 1990-91 के लिए लखनऊ स्थित राजकीय औषधालयों और चिकित्सालयों में स्थानीय क्रय की एलोपैथिक औषधियों की आपूर्ति हेतु मनोनीत किया गया है ? यदि हां, तो क्या राजाज्ञा संख्या 586 षेक-2/पांच(23) 8-5, दिनांक 27 अक्तूबर, 1986 के अनुसार जिला क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? यदि नहीं तो राजाज्ञा के उल्लंघन के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

जी नहीं ।

डाक्टर एस0 के0 मिश्र, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

जनपद आजमगढ़ के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, जमीन फरेन्दा के किराये का भुगतान

72—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, जमीन फरेन्दा, जनपद आजमगढ़ का किराया 384 रु0 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है ?
यदि हां, तो कब से और कब तक किराया भुगतान कर दिया गया है ?

श्री मुख्तार अनीस —

जी हां, स्वीकृत किया गया है किन्तु भवन पति द्वारा भवन के पूर्ण भाग, जिसके लिए किराया स्वीकृत किया गया है, का कब्जा न दिए जाने के कारण किराये का भुगतान नहीं किया गया है ।

जनपद वाराणसी के कार्यशाला में सीनियर फोरमैन की तैनाती के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

73—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन व निदेशालय के अधिकारियों द्वारा परिवहन कार्यशालाओं के बारे में 14 दिसम्बर, 1989 के निर्णय के अन्तर्गत स्वास्थ्य भवन से अटैचमेन्टों को समाप्त करने तथा वाराणसी कार्यशाला में सीनियर फोरमैन की तनाती हेतु प्रश्नकर्ता एवं विधायक श्री मूलचन्द्र के पत्र 14 मई, 1990 व 30 मार्च, 1990 शासन व निदेशालय को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? स्थानान्तरण सत्र के उचित समय में कार्यवाही न करने के लिये मुख्य रूप से कौन दोषी है ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

74—श्री शारदानन्द अंचल—

[4थे बुध में अता0 प्र0 सं0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नलकूप विभाग का कार्यालय जनपद बांदा से जनपद हमीरपुर में स्थापित करने की मांग

75—श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग का कार्यालय बांदा में स्थापित किये जाने का क्या औचित्य है जबकि ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग जनपद

हमीरपुर के राठ क्षेत्र में होती है ? क्या इस कार्यालय को जनपद हमीरपुर में स्थानान्तरित करने की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

नलकूप निर्माण खण्ड, बांदा, जनपद रामपुर को स्थानान्तरित किया जा चुका है । कार्यभार तथा कार्य क्षेत्र की दूरी को देखते हुए नलकूप मण्डल, झांसी के अधीन निर्माण कार्य के लिए नलकूप निर्माण खण्ड का मुख्यालय उरई में रखा गया है जो हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी एवं ललितपुर में नलकूपों के निर्माण का कार्य करेगा । उक्त खण्ड द्वारा राठ क्षेत्र के नलकूपों का भी कार्य किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट कैनाल निर्माण हेतु ग्राम भेड़ी जलालपुर बेतवा नदी से तथा मलेहटा का सर्वेक्षण कार्य एवं रिपोर्ट

76--श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद हमीरपुर में सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम भेड़ी जलालपुर बेतवा नदी से तथा मलेहटा लिफ्ट कैनाल का जो सर्वेक्षण सरकार ने कराया है, उसकी रिपोर्ट क्या है ? प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उसमें कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

ग्राम भेड़ी जलालपुर व मगरौठ में लिफ्ट कैनाल बनाये जाने हेतु सर्वेक्षण किया गया है । इसके अनुसार तकनीकी दृष्टिकोण से 20 क्यूसेक की लिफ्ट कैनालों का निर्माण विचाराधीन है । मगरौठ पम्प नहर का क्षेत्र नहरी कमाण्ड में आता है । अतः लिफ्ट कैनाल का निर्माण सम्भव नहीं है । मलेहटा लिफ्ट कैनाल के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

25 क्यूसेक से कम क्षमता की लिफ्ट नहरों के निर्माण पर प्रतिबन्ध है जिसके शिथिलीकरण के पश्चात् ही निर्माण किया जा सकेगा ।

जनपद आजमगढ़ के बनहरा छपरा आदि ग्रामों के बीच ताल के पानी के निकास हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

77--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बनहरा छपरा तथा बगई कपूर के बीच के ताल के पानी निकास से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 फरवरी, 1990 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय विधायक महोदय का जिलाधिकारी आजमगढ़ को सम्बोधित पत्र दिनांक 6 फरवरी, 1990 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । इसी विषय में माननीय सिंचाई मंत्री जी को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है ।

तकनीकी दृष्टिकोण से विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

सचाई कार्य मण्डल मिर्जापुर तथा वाराणसी के सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

78--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर तथा वाराणसी म ऐसे कौन-कौन सहायक अभियन्ता हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? कौन-कौन सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जो 16 साल की सेवाएं पूरी करने वाले हैं परन्तु 6 साल की प्रतिबन्धित अवधि पूरा नहीं किये हैं ? क्या शासनादेशों के तहत उन सभी का स्थानान्तरण इस वर्ष किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर में एक सहायक अभियन्ता (सिविल) श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय ऐसे हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ।

सिंचाई कार्य मण्डल वाराणसी में कोई सहायक अभियन्ता ऐसा नहीं है जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हो ।

सिंचाई कार्यमण्डल, मिर्जापुर में ऐसा कोई सहायक अभियन्ता नहीं है जो 16 साल की सेवा पूरी करने वाला हो, परन्तु 6 वर्ष की प्रतिबन्धित सेवा न पूर्ण किए हों ।

सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी में निम्न 3 सहायक अभियन्ता ऐसे थे जिनकी 16 साल की सेवायें पूरी होने वाली हैं और उनका प्रतिबन्धित कार्यकाल 6 वर्ष से कम है ।

क्रम सं०	सहायक अभियन्ता का नाम	विभाग में सेवाएं	प्रतिबन्धित
1	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	17 वर्ष	4 वर्ष 4 माह
2	श्री पारस नाथ यादव	21 वर्ष	4 वर्ष 1 माह
3	श्री अशोक कुमार शर्मा	14 वर्ष	4 वर्ष 5 माह

(1) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता को ज्ञापांक-सी-283/ई-1, दिनांक 4 जून, 1990 द्वारा परिकल्प लखनऊ (प्रतिबन्धित स्थान) को स्थानान्तरित किया गया था, परन्तु बाद में जनहित में उक्त आदेशों को संशोधित कर ज्ञापांक-सी-292/ई-1, दिनांक 15 जून, 1990 द्वारा इन्हें मेजा बांध खण्ड, मिर्जापुर में पदस्थापित किया गया ।

श्री पारस नाथ यादव, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण ज्ञापांक-सी-283/ई-1, दिनांक 4 जून, 1990 द्वारा अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, मिर्जापुर (प्रतिबन्धित) को किया जा चुका है ।

श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता की विभाग में सेवायें 14 वर्ष की हुई हैं। यह वर्तमान खण्ड में 1 जुलाई, 1989 से कार्यरत हैं और वर्तमान पद पर केवल एक वर्ष ही हुआ है। शेष प्रतिबन्धित अवधि पूर्ण करने हेतु आगामी स्थानान्तरण पर विचार किया जावेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव में एक क्लस्टर का निर्माण तथा पिंडरा ब्लाक में नलकूप लगाने की मांग

/9--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरुणा नदी के उत्तर ब्लाक बड़ागांव जला वाराणसी में महिमापुर (दुर्जनपुर) कोईलार, आराजी हसनपुर पिरौंव, साईपुर, पतेरपायकपुर, कोवाडाड़, बेलवा, बहतुरा, बौलिया, भाईपुर, बलुआ, विश्वनाथपुर, खरारिया, भोखारीपुर, पचरासी, पुरारघुनाथपुर, मैसा, नटवा पश्चिमी ब्लाक बड़ागांव तथा गांव कनकपुर, रोहउत्तरी, चितावनपुर, राजपुर, रामपुर, पश्चिमी, विक्रमपुर दक्षिणी पश्चिमी तथा पिंडरा पूर्वी का सर्वेक्षण कई बार पब्लिक नलकूप सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त स्थानों पर नलकूप न लगाये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार ब्लाक बड़ागांव में एक क्लस्टर बनाने और पिंडरा ब्लाक के गांव में नलकूप लगाकर पिंडरा क्लस्टर के जोड़ने के आदेश देगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया था विश्वबैंक द्वितीय चरण योजना अपने अंतिम चरण में होने के कारण अब कोई क्लस्टर निर्माण हेतु शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में ट्यूबवेलों की नालियों को अन्डर ग्राउन्ड बनाने की मांग

79-अ—श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में पुराने राजकीय नलकूप देवराई, झंझौर, पिंडरा, अजईपुर, पिंडरा उत्तरी, मानापुर पिंडरा, किरतपुर को पब्लिक नलकूप क्लस्टर में शामिल कर लिया गया है ? क्या यह सही है कि इनकी नालियां खुली हैं और ऊपर से जर्जर हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ट्यूबवेलों की नालियों को अन्डर ग्राउन्ड बनाने के आदेश प्रदान करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां।

विश्वबैंक नलकूप परियोजना में इस कार्य हेतु प्राविधान नहीं है।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग

80--श्री करन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक संवर्ग के समान पदों (वैज्ञानिक सहायक, शोध पर्यवेक्षक, सहायक शोध अधिकारी) को तकनीकी

संवर्ग के विभिन्न पदों (अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता) के समान वेतन, समयमान वेतन, वाहन भत्ता की समान सुविधायें प्रदान की गयी हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस विसंगति को समाप्त करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

वैज्ञानिक संवर्ग के वेतन सम्बन्धी समस्त प्रकरण अभी मुख्य सचिव समिति के विचाराधीन हैं । अतः मुख्य सचिव समिति के निर्णय के पूर्व यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वेतनमानों में विसंगति है अथवा नहीं ।

सिंचाई विभाग के विभिन्न संवर्गों से कार्यरत कर्मचारियों के वरिष्ठता तथा पदोन्नति में की गई अनियमितताओं को दूर करने की मांग

81--श्री करन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक संवर्ग सिंचाई विभाग की वरिष्ठता सूची किन-किन प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर सन् 1990 में घोषित की गयी है ? क्या पदोन्नत कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण कर दिया गया है ? क्या इस संवर्ग में विभिन्न स्तरों पर कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत कर दिया गया और वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति में अनियमिततायें बरतने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस अनियमितताओं को समाप्त कर न्यायोचित कार्यवाही करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह---

सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक संदर्भ के अन्तर्गत वैज्ञानिक सहायकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 20 मार्च, 1990 व 17 मई, 1990 को घोषित की गयी है । यह वरिष्ठता सूची वैज्ञानिक सहायकों की सेवानियमावली, 1983 के नियम 21 एवं शासनादेश संख्या 1876/ए0 एन0/23 सि0-अनु0-7 दिनांक 9 अप्रैल, 1973 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्गत की गयी है ।

वर्तमान में इस संवर्ग में कोई पदोन्नति नहीं की गयी है, अपितु प्रतिरूप सहायकों में से वैज्ञानिक सहायकों के पदों पर पूर्व में की गई तदर्थ प्रोन्नतियों को नियमानुसार विनियमित किया गया है शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खंड सीतापुर श्री राम किशोर गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता द्वारा लिये गये अवकाश अवधि में अनियमित रूप से किये गये कार्य की जांच

82--श्री शिव करन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम किशोर गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड सीतापुर जब शारदा सहायक खंड, रायबरेली में तैनात थे एवं अनुसंधान एवं नियोजन खंड (जब संसाधन) लखनऊ का कार्यभार भी उनके पास था, तब उनके द्वारा रायबरेली खंड में कार्य नहीं किया गया और अनुसंधान एवं नियोजन खंड (जल संसाधन) लखनऊ में लगातार लगभग 196 दिवस तक कार्य लिया जाता रहा और शारदा सहायक खंड रायबरेली में उक्त अवधि का चिकित्सा अवकाश लिया गया ? किन परिस्थितियों में एक ही तिथि में खंड में कार्यरत रहे और दूसरे खंड में चिकित्सा अवकाश पर रहे, श्री गुप्ता को इसके लिए निलम्बित कर शासन पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करायेगा एवं 196 दिवस की सर्विस ब्रेक मानेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री राम किशोर गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 अगस्त, 1987 द्वारा अनुसन्धान एवं नियोजन (जल संसाधन) खंड, लखनऊ से स्थानान्तरित करके शारदा सहायक खंड 41, रायबरेली में तैनात किया गया था, जहां पर उन्होंने दिनांक 7 सितम्बर, 1987 को कार्यभार ग्रहण कर लिया किन्तु अनुसन्धान एवं नियोजन (जल संसाधन) खंड, लखनऊ में उनके प्रतिस्थानी की नियुक्ति न होने के कारण उच्च अधिकारी के मौखिक निर्देश पर इस खंड का भी कार्यभार देखते रहे। श्री गुप्ता अपनी अस्वस्थता के कारण यद्यपि दिनांक 5 दिसम्बर, 1987 से 12 दिसम्बर, 1987 तक आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना-पत्र देकर शारदा सहायक खंड 41, रायबरेली से अवकाश पर प्रस्थान कर गये और टुकड़े-टुकड़े दिनांक 13 जून, 1988 तक चिकित्सा अवकाश बढ़ाते रहे किन्तु चिकित्सा अवकाश की अवधि में भी उन्होंने दिनांक 5 दिसम्बर, 1987 से 12 फरवरी, 1988 तक अनियमित रूप से अनुसन्धान एवं नियोजन (जल संसाधन) खंड, लखनऊ में कार्य किया। इस अनियमितता के सम्बन्ध में श्री गुप्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो प्रमुख अभियन्ता को प्राप्त हो गया है और वे सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत आख्या प्राप्त कर रहे हैं। अपेक्षित आख्या प्राप्त होने पर श्री गुप्ता के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी और 192 दिवस के चिकित्सा अवकाश की अवधि के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

जनपद बरेली स्थित आई0 टी0 आर0 फैक्ट्री, सी0 बी0 गंज से हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के मांग

83—श्री दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली स्थित आई0 टी0 आर0 फैक्ट्री, सी0 बी0 गंज का दूषित पानी एक खुले तालाब में एकत्रित होता है, जिससे तालाब का पानी प्रदूषित हो रहा है और पानी के उपभोग करने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त फैक्ट्री से हो रहे जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कर रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

आई0 टी0 आर0 फैक्ट्री सी0 बी0 गंज, बरेली से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह हेतु उद्योग द्वारा की गई शुद्धिकरण संयंत्र व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण आस-पास के वातावरण में दुर्गन्ध की समस्या है।

जल प्रदूषण रोकने के लिये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की गई है।

जनपद बांदा की जमुना नदी में कठार पम्प कैनाल को चालू न करने का कारण

84—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में जमुना नदी में कठार पम्प कैनाल मिट्टी खोद कर वर्ष 1984 में निर्मित कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो

कठार पम्प कैनाल चालू न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या नहर चाल की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, कठार पम्प नहर निर्माणाधीन है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा पम्प नहर का उर्जीकरण अपेक्षित है ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वर्ष 1990-91 में ही उक्त पम्प नहर के उर्जीकरण की संभावना है, जिसके पश्चात् पम्प नहर को यथाशीघ्र चालू करा दिया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में तहसील कर्बी के अन्तर्गत पंचस्वेनी डाइवर्सन नहर में सभापुर पम्प कैनाल को चालू न किया जाना

85—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में तहसील कर्बी अन्तर्गत पंचस्वेनी डाइवर्सन नहर में सभापुर (बखारा द्वितीय) पम्प कैनाल अभी दस साल पूर्व बनाई जा चुकी है ? यदि हां, तो यह कब तक चालू की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

बांदा जनपद की कर्बी तहसील के अन्तर्गत वरवारा पम्प नहर द्वितीय तथा सभापुर पम्प नहर अलग-अलग दो नहरें है । वरवारा पम्प नहर द्वितीय का निर्माण किया जा चुका है । तथा वह लगभग 10 वर्ष पूर्व से ही सिंचाई कर रही है ।

सभापुर पम्प नहर के कुछ कार्यों को छोड़कर लगभग सभी कार्य 9 वर्ष पूर्व पूर्ण कर दिए गए थे । अब विद्युत् कनेक्शन को छोड़कर सभी कार्य पूर्ण करा दिए गए हैं । विद्युत् विभाग से कनेक्शन प्राप्त होते ही इस नहर को चालू कर दिया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ताओं को स्थानान्तरित न किया जाना

86—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सिंचाई विभाग में ऐसे कितने मुख्य अभियन्ता हैं जो लगभग बस वर्षों से मुख्यालय में ही कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी उन्हें स्थानान्तरित नीति के तहत स्थानान्तरित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई विभाग में ऐसे तीन मुख्य अभियन्ता हैं, जिन्हें मुख्यालय लखनऊ में विभिन्न पदों पर निरन्तर कार्य करते हुए दस वर्ष हो गए हैं।

वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार लखनऊ में पद स्थापना की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। मध्य सत्र में इन्हें स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों द्वारा फर्जी नसबन्दी के प्रमाण-पत्र जारी किया जाना

87—श्री अतीक अहमद तथा श्री मन्जूर अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहेड़ी, जनपद बरेली के स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों द्वारा फर्जी नसबन्दी के प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में मुख्य मंत्री के पत्र संख्या सी० एम० वि० को० एम० 4/3-104/ब/90 पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम सभा मोहननगर-अजिगवां में नई ड्रेन खुदवाने तथा किसानों को मुआवजा देने व सिंचाई कर माफ करने के सम्बन्ध में विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

88—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नई ड्रेन खुदवाने से किसानों की फसल नष्ट होने का मुआवजा दिए जाने तथा सिंचाई न करने के बावजूद लगाए गए सिंचाई कर को वसूली माफ करने विषयक उन्हें सम्बन्धित ग्राम सभा मोहननगर-अजिगवां, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई के किसानों के प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 जून, 1989 के साथ विधायक, श्री राम पाल वर्मा का पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 तथा विधायक श्री सुरेन्द्र कुमार दूबे का पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1990 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

1—प्रश्नगत क्षेत्र में मांग के अनुसार नई ड्रेन जिला सेक्टर योजना में खुदवाने के प्रस्ताव पर विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

2—नहरी जल से किसानों की फसलों को कोई हानि नहीं पहुंची है, अतः सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजा दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

3—सिंचाई कर मात्र उन्हीं खेतों पर लगाए गए हैं जो वास्तव में नहर द्वारा सींचे गए हैं। अतः सिंचाई कर माफ किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

89—श्री किशोरी श्याम—

[5वें सोमवार में मता० प्र० सं० 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

90—श्री अतीक अहमद तथा श्री मंजूर अहमद—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

जनपद लखनऊ के परिवार कल्याण निदेशालय में पी० एच० एन०/
ट्यूटर महिलाओं को स्थानान्तरित किया जाना

91—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव स्वास्थ्य विभाग को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25 मई, 1990 जो परिवार कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु कल्याण इकाई में 13 साल से लेकर 8 साल तक की पी० एच० एन०/ट्यूटर महिलाओं को लखनऊ में ही सेवारत होने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने नियमानुसार उनको लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाही की ? उनमें से कितनी महिलायें इस समय लखनऊ में हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

जिन पी० एच० एन०/ट्यूटर महिलाओं का लखनऊ में कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो गया था, उनका लखनऊ से अन्य जनपद में स्थानान्तरित करने के आदेश कर दिये गये हैं।

जनपद एटा के देवर फीडर नहर के गलत निर्माण के सम्बन्ध में
प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई विभाग द्वारा जांच किया जाना

92—श्री जगदीश लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवर फीडर नहर जनपद एटा के गलत निर्माण के सम्बन्ध में विधायक, कुंवर सर्वराज सिंह के पत्र पर उन्होंने सिंचाई सचिव को अपने पत्रांक 1559/90, दिनांक 6 मार्च, 1990 के अन्तर्गत (टेक्निकल आडिट सेल) प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठक, सिंचाई द्वारा जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच करा ली गई है ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण करा ली जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, परन्तु तिथि 7 मार्च, 1990 है ।

इस सम्बन्ध में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई विभाग को शासनादेश दिनांक 21 मई, 1990 द्वारा जांच करके जांच आख्या संस्तुति तत्काल भेजने हेतु आदेशित कर दिया गया है । चूंकि आख्या अप्राप्त है, अतएव शेष के बारे में अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फर नगर के कार्यों की जांच से सम्बन्धित तात्कालिक प्रभारी सहायक अभियन्ता अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

93—श्री महावीर—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फर नगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर के कार्यों की शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के दो प्राविधिक परीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 20 दिसम्बर, 1988 से 23 दिसम्बर, 1988 की अवधि में मुजफ्फरनगर जा कर की गयी थी और उनके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, सिंचाई कार्य मेरठ द्वारा रिकार्ड से की गयी प्रारम्भिक जांच आख्या भी प्राप्त की गयी थी? इन दोनों जांचों में तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता सहित उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये थे? यदि हां, तो वह अधिकारी और कर्मचारी कौन-कौन थे? इन दोनों जांचों में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी? जांच में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा की गयी थी परन्तु मुख्य प्राविधिक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि चूंकि मामले की विस्तृत जांच अभिलेखों के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जा चुकी है अतएव उन्हीं मामलों पर पुनः जांच कर आख्या देना वांछनीय नहीं है तथा अधीक्षण अभियन्ता की आख्या भी प्राप्त करने को कहा। ऐसी परिस्थिति में अधीक्षण अभियन्ता की आख्यानुसार अग्रेतर कार्यवाही वांछनीय पायी गयी।

जी हां।

प्रभारी सहायक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, उप राजस्व अधिकारी, अवर अभियन्ता जिलेदार, सींच पर्यवेक्षक एवं सींचपाल दोषी पाये गये।

कार्यादेश के अन्तर्गत कार्य की मदों में ओवर राईटिंग करना, माप पुस्तिका में कटिंग/ओवर राइटिंग करना, प्लान्टेशन रजिस्टर का समुचित रख-रखाव न करना, वृक्षों के सम्बन्ध में गलत सूचना देना तथा वृक्षों को रजिस्टर में दर्ज कराये बिना उसकी नीलामी कराना, खांदी के बारे में गलत सूचना देना, फसली कुलाबों को अनधिकृत स्वीकृति प्रदान करना, अस्वीकृत परियोजना पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अधिक धनराशि का व्यय करना, फर्जी आबपासी एवं जिन्स परिवर्तन के सम्बन्ध में गलत सूचना भेजना, अमीन को अनुचित लाभ पहुंचाना, शैक्षिक योग्यता कम होने पर भी मुंशी पद पर नियुक्ति दिया जाना, आवंटित धनराशि के अधिक व्यय कर अनियमितताएं करना, मिट्टी उठान के प्रकरण पर कार्यवाही न करना, राजस्व हानि एवं सींच पर्यवेक्षक के चयन में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किया जाना आदि।

प्रभारी सहायक अभियन्ता, श्री सुरेश चन्द्र गिरी को शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 1990 द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार कर दिया उपलब्ध कराने हेतु आदेश दे दिया गया है। प्रकरण में अन्तर्गत दो सींच पर्यवेक्षकों एवं एक सींचपाल को भी निलम्बित कर दिया गया है इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए भी प्रमुख अभियन्ता को आदेश दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में चन्दहा ड्रेन पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

94—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में चन्दहा ड्रेन पर पुलिया निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 मार्च, 1990 अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड 32 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

चन्दहा ड्रेन पर पुलिया निर्माण से सम्बन्धित पत्र दिनांक 26 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ है ।

पुल के निर्माण हेतु डिजाइन तथा ड्राइंग की कार्यवाही प्रगति में है ।

जनपद लखनऊ के के० जी० मेडिकल कालेज के प्रमुख अधीक्षक के पद पर डा० ए० क्यू० सिद्दीकी की नियुक्ति

95—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रमुख अधीक्षक का पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

प्रमुख अधीक्षक के पद पर डा० ए० क्यू० सिद्दीकी की नियुक्ति की जा चुकी है, जो दिनांक 2 जुलाई, 1990 को कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं ।

जनपद शाहजहांपुर के राजकीय चिकित्सालय में मृतक के शव को गायब किया जाना

96—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 12 अप्रैल, 1990 को राजकीय चिकित्सालय, शाहजहांपुर में एक मरीज का स्वर्गवास हो गया था और उसका शव गायब हो गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा में डीप बोरिंग कराने हेतु सिंचाई विभाग को आवेदन-पत्र

97—श्री प्यारे लाल शंखवार—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड अमरौधा, जनपद कानपुर देहात में डीप बोरिंग कराने हेतु कितने आवेदन-पत्र विभाग के विचाराधीन हैं तथा उन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? क्या सरकार लम्बित कार्यों के त्वरित समाधान के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

दो आवेदन-पत्र ग्रामों में बोरिंग कराने हेतु प्राप्त हुए हैं ।

जिला सिंचाई सलाहकार समिति एवं स्थल चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त एवं जिला योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर ही प्रस्तावित छिद्रण कराया जा सकता है ।

जी नहीं ।

जिला सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ही जिला योजना के नलकूपों का निर्माण कराया जाता है ।

जनपद उन्नाव में ईंटों के नियंत्रित मूल्य का अनुपालन न करने पर भट्ठा मालिकों के खिलाफ कार्यवाही

98--श्री हृदय नारायण--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में ईंटों का नियंत्रण मूल्य क्या है ? कितने भट्ठा मालिक नियंत्रित मूल्य का अनुपालन करते हैं ? क्या सरकार ने मूल्य नियंत्रित करते वक्त ईंटों की लम्बाई, ऊंचाई और चौड़ाई का कोई मानक तय किया है ? उन्नाव जिले में कितने भट्ठा मालिक उक्त मानक के अनुसार ईंटें तैयार करते हैं और कितने नहीं ? मानक के अनुसार ईंटें तैयार न करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

विधिक दृष्टि से ईंटों के मूल्य नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

उपरोक्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ईंटों के कोई मूल्य एवं मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर मुख्यालय पर सिंचाई विभाग डाक बंगला में लगे टेलीफोन बिलों का भुगतान

99--श्री मिठाई लाल शास्त्री--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर मुख्यालय पर सिंचाई विभाग डाक बंगला (निकट गोरखपुर रेलवे स्टेशन) माह सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1989 में अंशतः या पूर्णतः किन-किन लोगों व पदाधिकारियों के नाम आरक्षित हुआ ? क्या यह सत्य है कि इसमें लगे फोन नं0 5385 व 4444 का उक्त अवधि की धनराशि का भुगतान किस के द्वारा किया गया ? उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूची संलग्न है ।

उक्त डाक बंगला पर स्थापित टेलीफोन नं0 5385 के बीजक अवधि 11 अगस्त, से 10 अक्तूबर, 1989 तक 3,303.00 रु0 का भुगतान अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड प्रथम, गोरखपुर द्वारा किया गया । अवधि 11 अक्तूबर, 1989 से 10 दिसम्बर, 1989 तक का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ।

टेलीफोन नं0 4444 के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(देखिये परिशिष्ट "ग" आगे पृष्ठ संख्या 190 पर)

जनपद गोंडा में सिंचाई विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ता, श्री ब्रह्मदेव चौधरी का स्थानान्तरण किया जाना

100—श्री राम छबीला—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ब्रह्मदेव चौधरी, अवर अभियन्ता, सिंचाई खंड, गोंडा की जब से विभाग में नियुक्ति हुयी है तब से अपने समीपवर्ती जिला गोंडा में ही कार्यरत हैं ? 14 (चौदह) वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात् भी किन परिस्थितियों में स्थानान्तरण नहीं किया गया जबकि इनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच चल रही है ? क्या इस वर्ष उनका स्थानान्तरण गोंडा से बाहर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

यह लगभग 13 वर्ष से जनपद गोंडा में कार्यरत हैं । पहले अवर अभियन्ता के एक ही जनपद में कार्यरत रहने की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी । अतः इनका जनपद गोंडा से बाहर स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं था ।

श्री ब्रह्मदेव चौधरी, अवर अभियन्ता, सिंचाई खंड, गोंडा के विरुद्ध कोई सतर्कता जांच प्रचलित/लम्बित नहीं बताई गयी है ।

इस वर्ष इनका स्थानान्तरण गोंडा से बाहर किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के ग्रामों में चीनी का वितरण न किया जाना

101—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या खाद्य तथा रसद मन्त्री को जानकारी है कि जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर में होली से अभी तक ग्राम सभा खेड़ारठ तथा बझेड़ा भगवानपुर को चीनी नहीं मिली ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जिला शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर के ग्राम सभा खेड़ारठ तथा बझेड़ा भगवानपुर के फुटकर चीनी विक्रेताओं द्वारा माह मार्च, 1990 से मई, 1990 तक चीनी का आवंटन किया गया है । ग्राम सभा खेड़ारठ के विक्रेता द्वारा केवल माह अप्रैल, 1990 में चीनी नहीं उठाई गयी थी । उठायी गयी चीनी का वितरण होली के अब तक किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी के अन्तर्गत बाल्मीकी नदी से खरीफ की फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाना

102—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के तहसील कर्वी अन्तर्गत ग्राम सुरकिहा के पास बाल्मीकी नदी के पश्चिमी हिस्से से 31 दिसम्बर, 1990 तक

खरीफ की फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अजुंनपुर एवं बखरन गांवों में डाल सिंचाई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बालमीकी नदी में स्थल विशेष पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है ।

जनपद झांसी अन्तर्गत राजकीय महिला अस्पताल बरुवा सागर की महिला डाक्टर सुनीता पाण्डे के विरुद्ध कार्यवाही

163—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद झांसी अंन्तर्गत राजकीय महिला अस्पताल बरुवा सागर के महिला डाक्टर सुनीता पाण्डेय के सम्बन्ध में अध्यक्ष भैजबान समा बरूवा सागर एवं विनोद अखरिया एवं सुरज प्रसाद मन्त्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बरूवा सागर का पत्र, दिनाक 24 अप्रल, 1990 माननीय मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश एवं स्वास्थ्य मन्त्री सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक तथा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

पत्र का विवरण प्राप्त किया जा रहा है. फिर भी डाक्टर सुनीता पाण्डे को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

जनपद देवरिया में सिकटा बादल पट्टी ड्रेन पर नव निर्मित पुल से ग्राम जमुनिया तथा कैनाल रोड बनाने की मांग

164—श्री इमाम नारायण तिवारी तथा श्री अमर मणि—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा का पत्र दिनांक 11 फरवरी, 1989, 18 मई, 1990 एवं क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 13 फरवरी, 1989 एवं 18 मई, 1989 प्राप्त हुआ है ? जिसमें देवरिया जनपद के सिकटा बादल पट्टी ड्रेन पर नव निर्मित पुल से ग्राम जमुनिया तक 1·5 कि0मी0 दूरी के शेष भाग में भी कैनाल रोड बनवाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त 1.5 किमी0 कैनाल रोड बनवाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सम्बन्धित प्रकरण पर जानकारी प्राप्त की गयी । सिकटा बादम पट्टी ड्रेन के 0.20 किमी0 पर नव निर्मित पुल से ग्राम जमुनिया तक 1.70 किमी0 (न कि 1.50 किमी0) कैनाल रोड बनाने का न कोई प्राविधान है और न कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । जमुनिया गांव से सिरसत खंड होते हुये नव निर्मित पल तक पहले से एक मात्र उपलब्ध है जिस पर पुल बना है ।

देवरिया जनपद के तहसील तुमकुही राज स्थित सिकटा बादल पट्टी ड्रेन पर नवनिर्मित पुल का शेष कार्य पूर्ण कराने की माँग

105—श्री श्याम नारायण तिवारी तथा श्री अमर मणि—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के प्रथम बुधवार के अतारां0 प्रश्न संख्या 144 के उत्तर के तारतम्य में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थापक एवं महा सचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा, जनपद देवरिया, तहसील पडरोना स्थित सिकटा बाबल पट्टी ड्रेन पर नव निर्मित पुल के शेष कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में दिनाँक 31 जनवरी, 1989 एवं 19 मई, 1990 शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो शिकायती पत्र के बिन्दुओं की जांच कराकर मंत्री जी ठेकेदार के जमा अग्रिम धन से शेष कार्य कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिकटा बादल पट्टी ड्रेन के कि0 मी0 7·24 पर एक पुल निर्माणाधीन था, जिसका निर्माण अप्रैल, 1985 में आरम्भ हुआ था, परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़कर चले जाने के कारण पुनः निविदायें प्राप्त कर पुल का निर्माण कार्य 3/90 में पूर्ण करा दिया गया है। शिकायतों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री यू0 एस0 लखटकिया के विरुद्ध लम्बित जांच

106—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री यू0 एस0 लखटकिया, मुख्य अभियन्ता (शा0 स0) सिंचाई विभाग अपनी सेवा के दौरान किन-किन पदों पर कब-कब कितने दिनों के लिये निलम्बित रहे हैं तथा इनके विरुद्ध सतर्कता विभाग में कितनी जांचें लम्बित हैं ? यदि हां, तो इन्हें अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त क्यों नहीं किया ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री उमा शंकर लखटकिया (श्री यू0 एस0 लखटकिया) मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग में अपनी सेवा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता के पद पर दिनांक 25 सितम्बर, 1979 से दिनांक 28 फरवरी, 1981 तक निलम्बित रहे। इनके विरुद्ध सम्प्रति कोई सतर्कता जांच लम्बित नहीं है।

श्री उमा शंकर लखटकिया, मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) को सिंचाई विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति के योग्य नहीं पाया।

जनपद लखनऊ के सिंचाई खण्ड के मुख्य अभियन्ता (शा0 स0) द्वारा सहायक अभियन्ता को कार्य हेतु एक करोड़ रुपया दिया जाना

107—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता (शा0 स0) द्वारा शारदा सहायक की लाइनिंग का 1·20 करोड़ रु0 का कार्य सिंचाई खण्ड, लखनऊ के एक सहायक अभियन्ता, श्री एन0 जी0 कपूर को दिया गया है ? क्या यह सही है कि इसी खण्ड के एक सहायक अभियन्ता को सीतापुर खण्ड में भेजकर उससे 1·00 करोड़ रुपये का कार्य कराया जा रहा है ? क्या

मन्त्री जी पूरे मामले की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

सिंचाई खण्ड, लखनऊ के अन्तर्गत श्री एम० जी० कपूर, सहायक अभियन्ता के अधिक्षेत्र में गत नहरबन्दी (दिनांक 18 मार्च, 1990 से 27 मई, 1990 तक) में लाइनिंग के जो कार्य तीन अनुबन्धों द्वारा कराए गये उसकी अनुबन्धित लागत 1·01 करोड़ रुपये थी । सहायक अभियन्ता के अधिक्षेत्र में कार्य होने के कारण उन्हीं के द्वारा इसे कराया गया । विशेष रूप से उन्हें नहीं दिया गया ।

सिंचाई खण्ड, सीतापुर के एक सहायक अभियन्ता को प्रशासनिक आधार पर खण्ड से हटाये जाने के कारण नहरबन्दी अवधि में लाइनिंग कार्यों के निष्पादन हेतु सिंचाई खण्ड, लखनऊ के एक सहायक अभियन्ता को लगाया गया था । इस अवधि में उनके द्वारा कराये गये कार्यों की अनुमानित लागत 40 लाख रु० है ।

उपरोक्त व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

शारदा सहायक पोषक नहर पर अरबों रुपया खर्च करने के उपरान्त भी पूर्ण क्षमता से न चल पाना

108—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर की पूर्ण क्षमता क्या है तथा इस समय इसमें कितना पानी चलता है ? अरबों रुपया खर्च होने तथा 10 वर्षों बाद भी पोषक नहर पूरी क्षमता से न चल पाने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर की पूर्ण क्षमता शीर्षक पर 27,000 क्यूसेक्स है तथा सिल्ट इजेक्टर के नीचे 0·3 कि० मी० पर उसकी क्षमता 23,000 क्यूसेक्स है । शारदा सहायक पोषक नहर में अभी तक 19,260 क्यूसेक्स तक पानी चलाया जा चुका है । पोषक नहर को पूर्ण क्षमता से चलाने के लिये उसकी 7·1 कि० मी० से 98·73 कि० मी० तक लाइनिंग किये जाने की आवश्यकता है । लाइनिंग का कार्य पूर्ण न होने के कारण पोषक नहर पूर्ण क्षमता से अभी नहीं चला रही है । इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में मदियापुर ड्रेन पर माल्टारी तथा राजू-पट्टी के बीच पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

109—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मदियापार ड्रेन पर माल्टारी तथा राजू-पट्टी के बीच पुलिया निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक

1 मई, 1990 अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक-42 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

ग्रामीण पथ सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है तथा इसे वित्तीय वर्ष 91-92 में पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है ।

110—श्री पंचानन राय—

[5वें वृध में आ0 प्र0 सं0/69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में लेक्चरर के स्वीकृत पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विधायक श्री राम आसरे पासवान के पत्र पर कृत कार्यवाही

111—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिल्ली की एक स्वयं सेवी संस्था "चेतना लीगल एड ओमन एण्ड चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसायटी" द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर एक रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1987 में विभिन्न मेडिकल कालेजों में लेक्चरर के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों हेतु लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को अभियाचन भेजा था, जिनमें 26 स्थान अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित थे, लेकिन बाद में उक्त 26 आरक्षित स्थानों में से अधिकांश पर सामान्य अभ्यर्थियों को विनियमितीकरण द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी गयी तथा शेष बचे आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया गया ? क्या इस सम्बन्ध में श्री राम आसरे पासवान तथा 5 अन्य विधायकों का दिनांक 6 अप्रैल, 1990 का स्वास्थ्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सरकार को मिल गया है ? यदि हां, तो सही तथ्य और उक्त पत्र पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

मुख्तार अनीस—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 के अनुसार मेडिकल कालेजों में दिनांक 1 अक्तूबर, 1986 के पूर्व से तदर्थ रूप से कार्यरत अधिकांश लेक्चरर्स को विनियमित किया गया । शेष आरक्षित पदों को शासन द्वारा अनारक्षित घोषित नहीं किया गया ।

जी हां । मेडिकल कालेजों में विभिन्न विशिष्टताओं में 1 अक्तूबर, 1986 से पूर्व से कार्यरत प्रवक्ताओं का विनियमितीकरण नियमावली 1989 के नियमों के अन्तर्गत ही विनियमितीकरण किया गया है । डाक्टर शिव नारायण कुरील (अनुसूचित जाति) तदर्थ लेक्चरर इन सर्जरी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर के अनुरोध पर शासन द्वारा लेक्चरर इन सर्जरी के पूर्व में आयोग द्वारा विज्ञापित एक आरक्षित पद को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित रखने के निर्देश आयोग को दिनांक 9 अप्रैल, 1990 को दे दिये गये हैं ।

112--श्री विजय सिंह—

[6वें गुरुवार के लिए स्थगित]

जिला झांसी की तहसील मऊरानीपुर के ग्रामों के तलाबों का बरसाती पानी न रोकने से सिचाई हेतु किसानों को असुविधा

113--श्री प्रागी लाल अहिरवार—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला झांसी तहसील मऊरानीपुर के कचनेव व पलरा पचवारा, मगरवारा, अरजार स्यावरो तालाबों का खदान करके बरसाती पानी रोकने की योजना बनायी जायेगी ? जिससे किसानो को सिचाई की सुविधा मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

114--श्री नजमउद्दीन--

[दिनांक 28 जून, 1990 को अता० प्र० सं० 47 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया में वार्ड-5 में श्री अली अहमद दुकानदार को चीनी आवंटित किये जाने का औचित्य

115--श्री हरवंश सहाय--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका देवरिया के वार्ड-5 में अली अहमद दुकानदार को माह दिसम्बर, 1989 में 197 कुन्तल चीनी किस आधार पर आवंटित की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि उक्त दूकान की अक्तूबर, 1989 से मार्च, 1990 तक माहवारी कितना चीनी आवंटित की गयी ? हर महीने चीनी की मात्रा बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

प्रश्नगत मामले में सहायक खाद्य आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर से विस्तृत जांच करवाई जा रही है । अक्तूबर 1989 से मार्च 1990 की अवधि में नगरपालिका देवरिया के अली अहमद उचित दर के दुकानदार को रेगुलर मासिक आवंटन के रूप में केवल माह अक्तूबर, 1989 में 48 कुन्तल तथा प्रश्नगत शेष महीनों में 47 कुन्तल चीनी प्रत्येक माह में आवंटित की गयी है । इसके अतिरिक्त विशेष परमिटों हेतु संलग्न वितरण के अनुसार उक्त दुकानदार को जो चीनी आवंटित की गयी वह आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार हर महीने घटती बढ़ती रहती है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 194 पर)

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र में बागपत में हिंडन नदी के किनारे बसे गांवों में गिरते जल स्तर को रोकने का उपाय

116--श्री साहब सिंह--

क्या सिचाई मंत्री बागपत विधान सभा क्षेत्र में हिंडन नदी के किनारे बसे अमीनगर सराय, मऊ बालेनी आदि कई गांवों में पानी के गिरते जल स्तर को रोकने हेतु नदी के बालेनी पुल पर झाल बनवायेंगे या अन्य कोई उपाय करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

117—श्री सुवास—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्रामों की भूमि पानी के अभाव में बंजर होने से रोकने के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

118—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम हुसेनपुर सकरबारी ग्राम कौरा तथा हारिलपुर, तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में लगभग एक हजार एकड़ भूमि पानी के अभाव में बंजर हो रही है ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त गांव के ग्राम प्रधानों के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1987 तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सर्वेक्षण के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट होगी ।

जी हाँ ।

विश्व बैंक परियोजना में कम से कम 25 नलकूपों के कलस्टर के निर्माण का ही प्राविधान है । परियोजना के अन्तर्गत एक नलकूप लगाए जाने का प्राविधान न होने के कारण एक नलकूप का निर्माण सम्भव नहीं है ।

जनपद मऊ में पकड़ी ताल एवं मोफा ताल से बरसाती पानी का निकास न होने से किनारे बसे गांव प्रभावित

119—श्री सुवास यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से सम्बन्धित बडराव ब्लाक के अन्तर्गत पकड़ी ताल एवं मोफा ताल के बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था न होने के कारण उनके किनारे बसे पच्चासों गांव के लोग बरसाती पानी से प्रभावित होते है ? यदि हां, तो उक्त दोनों ताळों के पानी के निकासी की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

मऊ जनपद से सम्बन्धित पड़राव ब्लाक के अन्तर्गत पकड़ी ताल के किनारे क्रमशः 14 गांव एवं मोफा ताल के किनारे 8 गांव (कुल 22 गांव) के लोग बरसाती पानी से प्रभावित होते हैं ।

पानी की निकासी हेतु पकड़ी नकटी ताल ड्रेन का पुनरोद्धार कार्य आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988–89 में प्रारम्भ किया गया जो काश्तकारों के अवरोध के कारण अभी पूर्ण नहीं हो पाया । अवरोध का समाधान होने के पश्चात् ही पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव है ।

मोफा ताल ड्रेन 7.0 कि0 मी0 लम्बी है । वर्ष 1989–90 में कि0मी0 2.5 से कि0 मी0 7.0 तक ड्रेन की सफाई व पुलों का पुनरोद्धार कराया जा चुका है ।

कि0 मी0 0 0 से 2.5 तक सफाई का कार्य तथा इस रोध में 3 पुराने पुलों का पुनरोद्धार कराया जाना शेष है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

धन उपलब्ध होने पर शेष कार्य कराया जाना सम्भव होगा ।

जनपद बांदा के चित्रकूट स्थान पर राष्ट्रीय रामायण मेले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी

120--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के चित्रकूट स्थान पर फरवरी, 90 के चौथे हफ्ते में हुए राष्ट्रीय रामायण मेला में स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी ? उक्त ड्यूटी किसने लगायी थी और व्यक्तिगत समारोह में सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री मुख्तार अनीस--

कथित मेले में 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी ।

उक्त ड्यूटी मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा ने जनहित में जनता के स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए लगायी थी ।

जनपद कानपुर (देहात) के गांव ककवन को निचली नहर पर पटरी कट जाने से ग्रामीणों के नुकसान के सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता के पत्र पर कार्यवाही

121-श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अधिशासी अभियन्ता सिंचाई कानपुर देहात को गांव ककवन (कानपुर देहात) निचली गंगा नहर के मील नं0 102/103 पर पटरी कट जाने विषयक प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 18 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो ग्रामीणों के नुकसान को देखते हुए क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न कृषकों के प्रार्थना पत्र में कानपुर शाखा के मील 102/103 के मध्य लगे कुलाबों पर पक्की डाट लगाए जाने की मांग है ।

यह कुलाबा रामगंगा कमांड एरिया अथारिटी द्वारा निर्मित गूल से जुड़ा नहीं था । कुलाबे की लम्बाई बढ़ाकर इसे गूल से जोड़ दिया गया है, अतः पक्का करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र दर्शन नगर के आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम से चिकित्सालय खोले जाने की योजना

122-श्री जय शंकर पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दर्शननगर में आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम पर एक चिकित्सालय खोले जाने की

कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और उक्त योजना कब तक पूरी हो जाएगी तथा योजना पर कितना धन खर्च होगा ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

प्रश्नगत चिकित्सालय के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहीत करने की कार्यवाही की जा रही है तथा प्रतिकर भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

योजना का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

इस चिकित्सालय के निर्माण पर लगभग 13.12 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है ।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक के खालिसपुर राजवाहा के अधूरे निर्माण से फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में कार्यवाही

123-श्री पंचानन राय--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक खण्ड-52 के खालिसपुर राजवाहा के अधूरे निर्माण के कारण किसानों की फसल नष्ट होने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1990 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

नहर के बैंक के ऊपर से पानी ओवर-फ्लो करने के कारण फसलों की क्षति नहीं हुई थी । अतः मुआवजा देने अथवा सिचाई कर की माफी का प्रश्न नहीं उठता । राजवाहा में तीन स्थलों पर जो गैप है उसे शीघ्र पूर्ण कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी ।

जनपद अल्मोड़ा में बसौली से भटगांव तक नहर का निर्माण करने की मांग

124-श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन सिचाई मंत्री द्वारा मार्च 1989 के तृतीय सप्ताह में बसौली से भटगांव जिला अल्मोड़ा में नहर निर्माण हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त नहर भटगांव तक पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त नहर भटगांव तक पूर्ण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

ग्राम बसौली के नीचे (डाउन स्ट्रीम) में पड़ने वाले ग्राम भकुना से ग्राम स्यूनराकोट तक भटगांव नहर 6.50 कि० मी० लम्बाई में बनाई जानी प्रस्तावित है तथा

नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है । बसोली एवं भटगांव ग्राम का क्षेत्र इस नहर के समरेयन में नहीं आता है । अतः नहर को भटगांव तक पूर्ण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लाक ढेंचा स्थान पर रिंग बांध के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

125—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के रतनपुरा ब्लाक में ढेंचा स्थान पर रिंग बांध के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 जनवरी, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में लेक्चरर्स के पदों के चयन हेतु निर्धारित तिथियों पर साक्षात्कार न लिया जाना

126—श्रीमती सिया दुलारी—

क्या सरकार को मालूम है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञापन संख्या 2/88-89 विभागीय संख्या एस-8/16, दिनांक 6 अगस्त, 1988 को किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के लिये 3 पद लेक्चरर्स (प्रवक्ता) मेडिसिन विभाग के लिये विज्ञापित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों में 2 पद सामान्य जाति और 1 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित था ? क्या इस विज्ञापन में दिये लेक्चरर्स पदों के चयन के लिये 29, 30 सितम्बर, 1989 और 28 नवम्बर, 1989 साक्षात्कार की तिथियां लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित की गयी थी और अकारण स्थगित कर दी गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दैवी आपदा से प्रभावित मक्का में गये खेलकूद मंत्री के सम्बन्ध में जानकारी

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है, जिसका मैं आपके माध्यम से समाधान चाहता हूं । मान्यवर, 'जहां-जहां जाये गेंदा रानी, वहां-वहां पड़े, पत्थर पानी, तो इस सरकार के मंत्री जहां जाते हैं कुछ गड़बड़ हो जाता है । मान्यवर, इस सरकार के खेलकूद और वन मंत्री मक्का गये थे । वहां पर एक हजार व्यक्तियों का निधन हो गया है । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि खेलकूद और वन मंत्री जी, जो मक्का गये थे वे सकुशल हैं या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आप जानकारी दे दें । भारत सरकार के निर्णय पर खेलकूद मंत्री जी मक्का गये थे । वे सकुशल हैं या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिखकर भेज दिया है। उसको संसदीय कार्य मंत्री जी को भेज दिया गया है। उस पर विचार हो जायगा।

लोक निर्माण संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, इतने दुःखद विषय को हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिये। आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। इतने दुखद विषय को इतने हल्के ढंग से नहीं उठाना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि माननीय खेलकूद मंत्री जी सकुशल हैं या नहीं। इनको अपने मंत्री के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठिये, बता देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, सुरक्षित हैं। बता दिया।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं। मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम बुलाऊं वे खड़े हो जायं, ताकि पता चल सके कि वे माननीय सदस्य उपस्थित हैं :

[समय—12 बजकर 20 मिनट]

(श्री निरवेन्द्र कुमार, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रामकरन आर्य, श्री शिवकरन सिंह, श्री शिवप्रताप शुक्ल तथा श्रीमती विमला राकेश का नाम पुकारे जाने पर श्री राजीव कुमार सिंह, श्री रामकरन आर्य तथा श्री शिवकरन सिंह उपस्थित नहीं पाये गये) जो लोग उपस्थित नहीं हैं, उनकी जगह पर श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) तथा श्री चेतराम, जिनकी सूचनायें प्रतीक्षा सूची में थीं, को स्वीकार करता हूं। ये सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद लखीमपुर खीरी के निधासन क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में जल भराव से किसानों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री निरवेन्द्र कुमार—

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं जनपद लखीमपुर खीरी के निधासन निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम मिश्रधिवा सुमेर नगरा रानीनगर,

---

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बसही, माननगर, मूपनगर, हंसनगर, चरवरा दुबहा, बलदेव पुरवा, कौडिया, धर्मापुर, मुशींगढ़, तिनधरा, जगनपुरवा, कटहा *मुन्नुपुरवा आदि ग्रामों की खेती की जाने वाली भूमि में लगभग 6 माह जल भराव बना रहने के कारण किसान गरीबी की रेखा से नीचे चले जा रहे हैं ।

अतः मेरी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि नाला खुदवा कर पानी निकास की व्यवस्था की जाय ।]

जनपद आगरा के सिकन्द्रा स्थित विद्युत् उपकेन्द्र के ट्रान्सफार्मर जलने से विद्युत् आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश विकल—

[मान्यवर, दिनांक 14 जून, 1990 को आगरा के सिकन्दरा स्थित 220 के0 वी0 ए0 विद्युत् उपकेन्द्र में स्थापित 20 एम0 वी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर में भीषण आग लग जाने से वह पूरी तरह जलकर भस्म हो गया है । कुल 60 एम0 वी0 ए0 की क्षमता वाले इस उपकेन्द्र में 20 एम0 वी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर के फुक जाने से शहर की विद्युत् आपूर्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा है और सुबह से रात तक 8–10 घंटे तक शहर के विभिन्न भागों में की जा रही रीस्टरिंग से भीषण गर्मी से बेहाल जनता विद्युत् के अभाव में अत्यन्त त्रस्त और पीड़ित है । विशेष रूप से उद्योग व्यापार समाचार पत्र, अस्पतालों में पड़े मरीज इससे बुरी तरह प्रोड़ित व प्रभावित हैं । आगरा की पहले से ही बदतर विद्युत् आपूर्ति की हालत में इससे और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं ।

विद्युत् अधिकारियों का कहना है कि नया ट्रान्सफार्मर लाने में कम से कम 3 महीने का समय लग जायेगा जिसके कारण जनता में भारी बेचैनी व असन्तोष है । यदि ट्रान्सफार्मर शीघ्र विद्युत् आपूर्ति को नियमित नहीं किया गया तो जनता का असन्तोष चरम सीमा पर पहुंच जायेगा ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि तत्काल 20 एम0 वी0 ए0 का नया ट्रान्सफार्मर उक्त विद्युत् उपकेन्द्र में लगाये जाने की व्यवस्था करें ।]

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार हेतु अनुबन्धित बी0 ए0 आई0 एफ0 संस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव प्रताप शुक्ल—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गायों की नस्ल सुधार योजना के अन्तर्गत बैंक संस्था से सरकार ने अनुबन्ध किया है । इस संस्थान का मुख्य कार्यालय कामधेनु सेनापति बापट मार्ग पूना है । उत्तर प्रदेश शासन से सन् 1983–84 में प्रदेश में गायों के नस्ल सुधार के लिए अनुबन्धित किया है । जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 21 जिलों में 214 केन्द्र कार्यरत हैं । जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष चलाने के लिए 54 हजार रुपये मे अनुबन्ध किया था । परन्तु वर्ष 1984–85 में ही आर्थिक घाटा दिखा कर रुपये 60,067 सरकार से वसूल किया गया इस प्रकार का घाटा तभी से प्रत्येक वर्ष चलता आ रहा है, और इस समय बढ़ कर 67 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रतिकेन्द्र हो गया है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वोणण नहीं किया ।

सरकार के पशुपालन विभाग तथा डी० आर० डी० ए० के अधिकारी संस्था के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष सरकार को लाखों रुपये का चूना लगा रहे हैं। विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश शासन न अनुबन्ध बी० ए० आई० एफ० संस्था से किया है। परन्तु भुगतान इस समय बी० डी० आर० एफ० के नाम से किया जा रहा है तथा इसमें कार्यरत सभी कर्मचारी बर्ड नाम की सोसायटी में रखे गये हैं तथा कर्मचारियों को सरकार द्वारा देय वेतनमान भी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है तथा बड़े पैमाने पर संस्था द्वारा शोषण किया जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में ला कर चर्चा की मांग करता हूं।]

ग्राम मानकमऊ जनपद सहारनपुर में चीनी मिल तथा राइस मिल से प्रदूषण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला राकेश—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

ग्राम मानकमऊ जनपद सहारनपुर में मैसर्स राधा कृष्ण बोर्ड मिल, मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य सरकार चीनी मिल तथा मैसर्स कृष्ण टेक्सटाइल मिल के प्रदूषित प्रदूषण जल स्राव से भयंकर बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है जिससे चारो ओर जनता में हाहाकार मचा हुआ है। पशुओं पर भी गन्दे पानी के पीने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फसले नष्ट हो गई हैं जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है हैण्ड पम्पों में प्रदूषित पानी आने लगा है। धन व जन की बहुत बड़ी हानि हो रही है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु करने का अनुरोध करती हूं।]

प्रदेश में दूषित पेयजल से भयंकर बीमारियां उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)—**

[मान्यवर, दूषित पेयजल पूर्ति के चलते प्रदेश के कई जनपद वाराणसी, बांदा, आगरा, कानपुर, हमीरपुर और झांसी संक्रामक रोगों की चपेट में आ चुके हैं। पोलियो, डायरिया, हैजा आदि रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कानपुर देहात इलाहाबाद से मौत होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। प्रदूषित पेयजल का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश जगह जलपूर्ति लाइन व सीवर लाइन एक में मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस पानी में लोहें व बैक्टीरिया की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जान लेवा बीमारियों का खतरा है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि संक्रामक बीमारी को रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाया जाये एवं ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि सीवर लाइन व जलापूर्ति लाइन का पानी एक में न मिलने पावे।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद शाहजहांपुर में खेड़ा बझेड़ा तक बरेली से परिवहन विभाग की बसों को चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चेतराम—

[मान्यवर, टाउन एरिया फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली से एक सड़क लोक निर्माण विभाग की ग्राम गढिया जिला शाहजहांपुर जाती है। इस सड़क के दोनों तरफ से दो सांसदों श्री राजवीर सिंह व श्री सत्यपाल सिंह यादव का क्षेत्र व दो विधायक एक मेरा व श्री सिया राम सागर का क्षेत्र पड़ता है। इन क्षेत्रों के सांसद व विधायकों के क्षेत्र ग्रामीण को बरेली व शाहजहांपुर जाने में भारी असुविधा है। फतेहगंज पूर्वी तक तो प्राइवेट बसों से आ जाते हैं लेकिन फतेहगंज पूर्वी में कभी-कभी दो घन्टे तक इन्तजार करना पड़ता है।

अतः ग्रामीण भाईयों के हित में ग्राम खेड़ा बझेड़ा से शाहजहांपुर व बरेली रोडवेज की बस चलाई जाये बरेली पहुंच सके। मेरी जानकारी के अनुसार रा० आर० शाहजहांपुर खेड़ा बझेड़ा देख भी आये हैं। यह ग्रामीण हित में है।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत आज जितनी सूचनायें आयी हैं, उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया है।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन
(1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 तक की अवधि का) को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन†
(1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1987 तक)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1987 के 31 दिसम्बर, 1987 तक की अवधि का) को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) को अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश श्री बद्री नाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

(1) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1990 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 जून, 1990 की बैठक में पारित किया था, दिनांक 27 जून, 1990 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जून, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का 9वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

(2) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक, 1990 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 मार्च, 1990 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जून, 1990 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 जून, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का 10वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

(3) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 जून, 1990 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 जून, 1990 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जून, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

(4) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जून, 1990 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 जून, 1990 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की

अनुमति दिनांक 29 जून, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 5 जुलाई, 1990 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुयी जिनमें से निवेश संख्या-15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयी पहली सूचना श्री ऊदल, श्री राज किशोर सिंह, श्री अकबर हुसैन बाबर की है वाराणसी जनपद के थाना रोहनियां एवं पुलिस चौकी राजा तालाब क्षेत्र में पुलिस द्वारा किये जा रहे जन उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी, श्री राम बचन व श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की है, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के विभागाध्यक्षों द्वारा मरीजों तथा शोध मेडिकल छात्रों को अपने निजी क्लीनिकों में जाने के लिये बाध्य किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य व श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट की है, प्रदेश की कई विद्युत उत्पादन इकाइयों के ठप्प होने से उत्पन्न विद्युत संकट के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की है दिनांक 2 जुलाई, 1990 को ग्राम बावनपुर, जनपद जौनपुर में सवर्णों द्वारा किये गये हमले में राम खिलाड़ी हरिजन की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री पंचानन राय की लोक निर्माण विभाग के 15 वां वृत्त, आजमगढ़ के लगभग 300 कर्मचारियों का जून, 1990 का वेतन रोके जाने एवं उन्हें बलपूर्वक हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी दादा की, प्रतिबन्ध के बावजूद प्रदेश में आयोडीन रहित नमक की धड़ल्ले से हो रही बिक्री के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की है पत्रकारपुरम्, गोमती नगर, लखनऊ में रह रहे पत्रकारों को असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ला, श्री बांके चन्द्र मिश्र व श्री दशरथ सिंह की है। झांसी के जिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री कल्याण सिंह व श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की है। वर्ष 1980 से 1986 तक के प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 1500 कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा धारकों को सेवा में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की है, जनपद बांदा में अल्प सिंचाई के लिये बने चेक डेमों के टूट जाने से सरकारी राजस्व की करोड़ों रुपये की क्षति एवं हजारों एकड़ फसल के नुकसान के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त 10 सूचनाओं में से अन्तिम पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, जून के महीने में शुरू से ही वाराणसी जिले के थाना रोहनियां और उसमें सम्बन्धित चौकी राजा तालाब के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूरे क्षेत्र की जनता को परेशान करना शुरू किया है। इतना ही नहीं, पुलिस बहुत से लोगों को डरा धमकाकर, उनको पकड़कर थाने ले आती है और मारती-पीटती है तथा पैसा लेकर छोड़ती है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से लोगों के घरों में घुसकर पुलिस द्वारा तलाशी ली जाती है। श्रीमन्, इसी दौरान बीच में 20 तारीख को दो निरीह लोगों को दिन में पकड़कर आम जनता के सामने इनकाउन्टर कर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया, इससे पूरे रोहनियां क्षेत्र में जनमानस के अन्दर बहुत बड़ा आक्रोश है और पुलिस जुल्म से लोगों में भय व्याप्त है। इसलिये में ज्यादा न कहकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने जो कृपा करें।

श्री राम किशोर सिंह—

माननीय ऊदल जी ने जो प्रश्न रखा है, मैं उस पर बल देना चाहता हूं। मान्यवर, बिगत दिनों में थाना रोहनियां के थानाध्यक्ष तोमर के नेतृत्व में वहां के पुलिस और चौकी राजा तालाब के इन्चार्ज शुक्ला के नेतृत्व में वहां की पुलिस ने पूरे क्षेत्र में आतंक का राज कायम कर दिया है, वे गांव में घुस-घुसकर लोगों को पकड़ कर थाने ले आते है और 4-4 दिन थानों में बन्द करते हैं, पीटते हैं तथा इसके बाद रुपया लेकर छोड़ते हैं, जो पैसा नहीं देता है, उसको फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश करते हैं। मान्यवर, वहां पर गांव में लोगों का रहना दूभर हो गया है। गांव के लोग घर छोड़कर इधर-उधर भाग रहे हैं, खासतौर से निर्बल वर्ग के लोग जो हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, वह बुरी तरह परेशान हैं? चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुयी है।

मान्यवर, इस बीच क्षेत्र में कई हत्यायें हुयी हैं। कम से कम मेरी जानकारी में 3-4 लोगों की हत्यायें हुयी हैं, इसमें से दो हत्यायें पुलिस वालों ने किया है, जिसके अपराधी थाना रोहनियां के थानाध्यक्ष तथा वहां की पुलिस और राजा तालाब इन्चार्ज श्री शुक्ला और वहां की पुलिस है। इन्होंने ग्राम नाथपुर, थाना मड़ुआडीह, वाराणसी के गंगा कुर्मी, ग्राम सुरसी, थाना चुनार, मिर्जापुर के लल्लूराम कुर्मी को पकड़ कर दिन में 9-30 बजे ग्राम टोडरपुर के अन्तर्गत कन्या पाठशाला के पास पेड़ के नीचे बांधकर दोनों को गोली से उड़ा दिया। इन दोनों का न तो कोई अपराध था और न ही यह कभी जल गये थे, इनको फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मार डाला गया और इसके बाद अखबारों में झूठे बयानात जाहिर किये। इन घटनाओं से पचासों गांव के लोग अत्यन्त आतंकित हैं। ग्राम हरिहरपुर, मातलदेई, मोहन सराय, नाथूपुर, पहाड़ी, बंगालीपुर, राजा तालाब, भीमचन्डी आदि गांव के लोग बुरी तरह पुलिस जुल्म से त्रस्त हैं। यदि तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो वहां के गांवों के लोगों का रहना मुश्किल हो जायगा। यह बहुत ही गम्भीर मसला है और मैं चाहता हूं कि इस पर अपराध अनुसंधान शाखा से तत्काल जांच करायी जाय और जो हत्याओं के अपराधी हैं, मुलजिम है, थानाध्यक्ष, रोहनियां और थाना राजा तालाब के श्री शुक्ला, उनको वहां से हटाया जाय। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हरिजनों की हत्या हो रही है। बहुजन समाज पार्टी सदन में उपस्थित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, श्री ऊदल जी ने और श्री राज किशोर सिंह जी ने नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, इस सम्बन्ध में मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस फर्जी इनकाउन्टर की बात यहां पर की गयी है, वह सही नहीं है । वे अपराधी थे । उनके खिलाफ हत्या के व दूसरे तमाम संगीन-संगीन अपराध पुलिस रेकार्ड में दर्ज हैं और इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश भी हैं कि ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाय । पकड़ने में यदि गोली के आदान-प्रदान में कोई ऐसा अपराधी मर जाता है तो उसे हम फर्जी इनकाउन्टर नहीं मान सकते हैं । फिर भी हम इस सम्बन्ध में श्री ऊदल जी से व श्री राज किशोर सिंह जी से अलग से बात कर लेंगे ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, आप इसकी जांच करायेंगे । अपराधी को सरे आम गोली से उड़ा देना किस कानून में लिखा हुआ है । यह तो कोई कानून नहीं है । यह तो जंगल राज्य हो जायेगा ।

*मुख्य मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय ऊदल जी ने व माननीय श्री राज किशोर सिंह जी ने फर्जी इनकाउन्टर की बात कही । श्री ऊदल जी व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिल भी चुके हैं । इस सरकार की फर्जी इनकाउन्टर की नीति नहीं है । शायद आपको याद होगा फर्जी इनकाउन्टर को लेकर हम प्रदेश में सबसे ज्यादा इधर पीछे बैठे लोग परेशान रहते थे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम नहीं कहना चाहते हैं । मैं श्री ऊदल जी का व श्री राज किशोर सिंह जी का बहुत आदर करता हूं । अगर हम दोनों लोगों का पूरा इतिहास यहां पर रख दें, वैसे भी उनको खुद ही पता है । लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों माननीय सदस्यों से बात कर लेंगे । जैसा कि माननीय श्री ऊदल जी मुझसे पूर्व भी मिल चुके हैं और उनका कागज भी मुझे मिल चुका है । मैंने शुरू में भी कहा था कि यह सरकार खुली किताब है । हमने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की । गाजियाबाद की क्या हालत हो गई थी, सभी लोग जानते हैं और आंकड़ों को देखा जाय तो पता चलेगा कि हत्यायें हो रही थी, अपहरण हो रहे थे, उद्योगपतियों का काम करना मुश्किल हो गया था । वाराणसी की हालत बिगड़ रही है । मैं तमाम जिलेवार विधायकों से मिल रहा हूं, सबने शान्ति-व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की है । शान्ति-व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है करीब 1984 के बाद से । उसको नियंत्रित करने की हमारी पूरी कोशिश है । लखनऊ में भी 10 बजे के बाद इन्दिरानगर में कोई रिक्शे में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता था, कोई रिक्शा तक खड़ा करने की हिम्मत नहीं करता था । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में एक गम्भीर समस्या आ गई थी । अब इस समय अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होगी, लेकिन फर्जी इनकाउन्टर की इजाजत नहीं दी जायेगी ।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा हम उससे सहमत हैं । अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । परन्तु आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि अपराधी को पेड़ पर बांधकर पुलिस सरेआम गोली मार दे । यदि अपराधियों के खिलाफ इस तरह से कार्यवाही होगी तो बहुत गलत बात होगी, खास तौर से इस सरकार से ।

माननीय राज किशोर सिंह जी ये साफ बात कही कि कन्या पाठशाला के बगल में पेड़ से बांधकर दो व्यक्तियों को गोली मार दी गयी । उत्तर देने के लिये जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रिकार्ड इन्हें मिला है, वह वही है जैसा कांग्रेस सरकार को मिला करता था और जैसा वह कहती थी। अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा लेंगे तो क्या दिक्कत है ?

श्री. उपाध्यक्ष—

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दे दिया है।

श्री राम बचन—

मान्यवर, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के सारे विभागाध्यक्षों ने अपने निजी क्लीनिक खोल रखे हैं। मरीजों को बाध्य किया जा रहा है कि वहां पर जाकर उनमें एडमीशन लें और फीस दें। सबसे दिक्कत की स्थिति यह है कि मेरे क्षेत्र में डकैती पड़ी और डकैती में एक घर पूरा लूट लिया।

श्री. उपाध्यक्ष—

केवल विषय पर बोलें और संक्षिप्त बोलें।

श्री राम बचन—

उसका भाई मर गया। एक मेडिकल कालेज, वाराणसी में है एक मेडिकल कालेज लखनऊ में है, उसको मजबूर किया जा रहा है कि वह निजी क्लीनिक में दवा करायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें लम्बा भाषण नहीं होता है, संक्षेप में कहें।

श्री राम बचन—

निजी क्लीनिक लक्ष्मी क्लीनिक निराला नगर, डाक्टर नर्सिंग होम निसलानगर, शरद क्लीनिक निरालानगर, मीरा नर्सिंग होम अलीगंज, महानगर नर्सिंग होम महानगर में सारा सामान मेडिकल कालेज का रखा है। दूसरा यह है कि जितने टैक्नीशियन हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वे जाकर उनके निजी क्लीनिक में काम करें तभी उनको मान्यता दी जाती है। शोध और ए0 डी0 करने वाले जितने लड़के हैं उनको मजबूर किया जाता है कि निजी क्लीनिकों में जाकर काम करें तभी डिग्री दी जाती है। यह स्थिति है। रोगियों, टैक्नीशियनों और शोध छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि निजी क्लीनिक में काम करें मेरी मांग है कि इस पर चर्चा अवश्य करायें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, के0 जी0 मेडिकल कालेज में चिकित्सा नाम की कोई चीज नहीं है सभी विभागाध्यक्षों ने घर पर अपनी क्लीनिकें खोल रखी हैं। गरीब मरीज मेडिकल कालेज के बरामदों में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। शासन पंगु हो गया है। मरीजों से कहा जाता है कि उनके क्लीनिक में जायं। मेडिकल कालेज का स्टाफ उनके निजी

क्लीनिक में काम करता है । बहुत सी दवाइयां उनके क्लीनक में आ जाती हैं । कुछ क्लीनिकों के नाम बताना चाहूंगा निराला नगर में चरक क्लीनिक है, एक मोरा नर्सिंग होम देखिये । मेडिकल कालेज किसी समय में सबका इलाज करता था, आज वहां बाहर से आये हुए मरीज पड़े रहते हैं, उनको दवा न मिलती है । इस विषय में यथ सुधार करने की कार्यवाही करें ।

*जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

मान्यवर, के0 जी0 मेडिकल कालिज के बारे में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वहां की व्यवस्था को सुधारने के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं और वहां की व्यवस्था को सुधारने के लिय हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं । मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप वहां की व्यवस्था को सुधरा हुआ पायेंगे । जहां तक प्राइवेट प्रेक्टिस के सम्बन्ध में कहा है कि वहां के डाक्टर निजी प्रेक्टिस कर रहे हैं और आपने कुछ नर्सिंग होम के नाम भी बताये हैं, इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहना है और इस सम्बन्ध में सदन में प्रश्न भी उठा था, इस सिलसिले में रिट चल रही है । करीब 700 डाक्टरों ने हाई कोर्ट में रिट कर रखी है । उनके बारे में बहुत ही तत्परता से कार्यवाही की । रिट की फाइल बन्द करके रख दी गयी थी । वर्तमान सरकार ने बहुत ही शीघ्रता की है । आशा है कि इसमें जुलाई के महीने में निर्णय आ जायेगा । और जब निर्णय आ जायेगा, जैसा कि आपने कहा है, जो भी निर्णय आयेगा, हमें कार्य करने में आसानी होगी, यह मैं आश्वासन देता हूं ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार डाक्टर बाबा भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा लगा कर और उनके नाम पर छुट्टी देकर हरिजनों की हितैषी होने का जो ढिंढोरा पीट रही है उसका नमूना आप देखें कि दिनांक 2 जुलाई, 1990 को ग्राम बावनपुर, जनपद जौनपुर में एक हरिजन को मात्र एक सवर्ण के खेत में चले जाने पर हत्या कर दी गयी इस बात पर सारे सवर्ण एक जुट हो गये और हरिजनों को चारों तरफ से घेर कर उनकी पिटाई कर दी और उसमें से एक हरिजन जिसका कि नाम राम खिलाड़ी था उसकी मृत्यु हो गयी और 9 लोगों के खिलाफ इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें से मात्र तीन लोग थानापुरी के लिये बन्द किये गये और कोई कार्यवाही नहीं हुई । वहां पर सारे हरिजन भयभीत हैं और गांव को छोड़ कर चले जाना चाहते हैं । वहां सवर्ण और हरिजनों के बीच में ऐसा वातावरण उपस्थित हो रहा है जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश के समाज को डर है कि कहीं वह दूषित न हो जाय ।

मैं इस सदन का एक सदस्य होने के नाते और सचेतक होने के नाते आपसे मांग करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही को रोक इस गम्भीर समस्या पर चर्चा करा दें-जिससे कि सभी माननीय सदस्यों के विचार इस सम्बन्ध म आ जायं और समस्या का निराकरण हो सके । हरिजनों और सवर्णों के बीच जो खाई उत्पन्न हो गयी है इस पर विचार किया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, पहली बात जो माननीय उपाध्याय जी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर के बारे में आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से नाम हम लोग ले रहे हैं तो इसके सम्बन्ध मे मैं कहना चाहूंगा कि फर्जी तरीके से नाम आप ले रहे थे क्योंकि चुनाव के लिय बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर के नाम से एक युनिवर्सिटी खोली थी जिसके लिये आपने एक पैसा भी नहीं दिया । पहली बार हम उसके लिये पांच करोड़ रुपया दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

सही बात सुनने का साहस रखिये नहीं तो जो हालत हुई है इससे बरी हालत हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर बोलें तो माननीय उपाध्याय जी बोलें जिन्होंने विषय को उठाया है, आप लोग कृपया बैठें और माननीय मंत्री जी को सुनें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, हमें लगता है कि माननीय उपाध्याय जी ने अखबार में घटना के बारे में पढ़ करके नोटिस को दिया ह क्योंकि उन्होंने उल्लेख किया है कि यह घटना 2 जुलाई, 1990 को है जबकि यह घटना 1 जुलाई, 1990 को घटित हुई और 2 तारीख को अखबार में आयी । यह मामला बातचीत से शुरु हुआ और आगे यह घटना घट गयी वहां एक तिवारी जी हैं उनके खेत में राम खिलाड़ी का जानवर चला गया जो वहां चर रहा था । गांव में इस तरह की घटनायें होती रहती हैं । हरिजनों को तो मैं सन्तुष्ट कर लूंगा आप तिवारी जी को सन्तुष्ट कर लीजिये । इस सम्बन्ध में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, छानबीन चल रही है, जो सम्भावित कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि डा0 भीमराव अम्बेदकर युनिवर्सिटी के लिये पैसा नहीं दिया गया था । मैं उस सरकार का मंत्री रहा हूं, मैं कहता हूं कि उसके लिये पैसा दिया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप बैठें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

जिस हरिजन की मृत्यु हुई है क्या उसके घर वालों को कोई मुआविजा दिया गया ? यदि हां, तो कितना ? हां, मैंने अखबार में पढ़ करके नोटिस दी क्योंकि मुझे अखबार में आस्था है । आप कहते हैं कि खेत में जानवर आया था तो जानवर के चरने से आदमी को मार डाला ? यह कोई बात नहीं हुई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदमी आया था और आप कहते हैं कि जानवर आया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस हरिजन परिवार को कोई धनराशि दी गयी है या नहीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, उपाध्याय जी सीनियर मेम्बर हैं और वह जानते हैं कि हरिजनों की आकस्मिक मृत्यु पर कुछ प्रतिपूर्ति करने का प्राविधान है । इस सम्बन्ध में नियमानुसार जो कार्यवाही होगी वह की जायेगी ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

सभी को नहीं बुलवाया जा सकता है । विद्यार्थी जो आप को इस तरह से नहीं बोलना चाहिये । आपने जो दिया है, उसको अस्वीकार कर दिया है ।

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश मे विद्युत् उत्पादन की एक तिहाई से अधिक इकाइयां ठप पड़ी हुई हैं, जिसके कारण विद्युत् का संकट उत्पन्न हो गया है । अकेले पनकी में अप्रैल और मई, 1990 में 15 करोड़ रुपये की विद्युत् क्षति हुई है । प्रदेश की 34 बड़ी इकाइयों की क्षमता 3489 मेगावाट है, लेकिन 1500 और 1700 के मध्य उत्पादन हुआ है । राष्ट्रीय उत्पादन 2200 मेगावाट होना चाहिये । विद्युत् बोर्ड के अभियन्ताओं की लापरवाही से विद्युत् क्षमता में काफी कमी हो गयी है । पनकी की इकाई नं0 1, 2, 3 और 4 अप्रैल और मई 1990 में 10 बार बन्द हुई, जिसके कारण विद्युत् में कमी आयी । हरदुआगंज, टांडा और कानपुर की इकाइयां बन्द हुई, जिसके कारण बिजली उत्पादन एक तिहाई हो गया है और शासन की घोषणा है कि हम किसानों को गांवों में बिजली 14 घन्टे देंगे, लेकिन उनको बिजली दी नहीं जा रही है । बदायूं जो तृतीय श्रेणी का जिला है, वहां पर 7 बजे सायं से सुबह 9 बजे तक बिजली नहीं मिल पा रही है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

*श्री हरिद्वार दूबे एडवोकेट--

मान्यवर, प्रदेश में लगभग एक तिहाई विद्युत् उत्पादन ठप हो गया है । चाहे शहर का नागरिक हो और चाहे देहात का नागरिक हो सभी बिजली न मिलने से परेशान हैं । बिजली न मिलने से विद्यार्थी परेशान हैं, विधायक परेशान हैं । बिजली बोर्ड जो अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण विद्युत् उत्पादन कम हो गया है । पनकी, हरदुआगंज और टांडा जहां से प्रदेश को बिजली सबसे अधिक मिलती है, वहां पर बिजली का उत्पाद ठप हो गया है । यह प्रश्न पूरे प्रदेश की जनता से सम्बन्धित है, इसलिये मेरा निवेदन कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा करा दें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, प्रश्न काल में विद्युत् के सम्बन्ध में प्रश्न आया था और उस समय इस पर काफी जानकारी सदन को दी गयी, लेकिन फिर भी मैं सदन को बताना चाहूंगा कि विद्युत् समस्या के प्रति हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं । इसमें जो तमाम कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और उनको दूर करने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली दी जायेगी । इस समय 14 घन्टे बिजली दिये जाने के निर्देश हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न हैं वह विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आपने भाषण को सुना होगा, उसका भी तो उत्तर हमें देना होगा उन्होंने यह भी कहा कि गांवों के लोग प्रभावित हैं उनको बिजली नहीं मिल रही है । इसलिये माननीय, पूरा उत्तर नहीं देंगे तो यह सदन के लिये और हमारे लिये भी मुनासिब नहीं होगा । जो भी इसमें सम्भव कार्यवाही होगी, वह की जायेगी । जहां तक विद्युत आपूर्ति का सवाल है । हम पहले से ज्यादा बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं । उसमें सुधार हो रहा है । आपकी सरकार के निर्देश थे कि 10 घन्टे निश्चित रूप से बिजली मिले और मुश्किल से 14 घन्टे बिजली मिलती थी ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

आपको बहुत धन्यवाद । आपने स्वीकार तो किया कि हम 10 घन्टे के स्थान पर 14 घन्टे बिजली देते थे

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मेरा मतलब यह था कि आप 10 घन्टे के बजाय 4 घन्टे बिजली देते थे और हम तो 14 घंटे देने की बात कर रहे हैं । आज सबसे ज्यादा 14 घंटे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के हमारे निर्देश हैं इन तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद भी । बिजली विभाग हमारे मुख्य मंत्री जी के पास है

(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

मर्यादा का पालन करना सीखिये । इस तरह से खड़े होकर पूछेंगे तो कैसे उत्तर दिया जायेगा । इस तरह से न तो आप कह सकेंगे और न हम उत्तर दे सकेंगे ।

माननीय, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली इस समय भी मिल रही है । 14 घंटे के जो हमारे निर्देश हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, यह हम मानते हैं । पहले से ज्यादा 14 घंटे बिजली सब स्टेशन पर पहुंच रही है लेकिन लाइन लासेज की वजह से वहां पर नहीं पहुंच पा रही है । इसको ठीक करने के लिये हमने 2 अधीक्षण अभियन्ताओं और 11 अधिशासी अभियन्ताओं को सेवा-निवृत्त भी किया है....

(व्यवधान)

हमें आपसे बेईमानी और भ्रष्टाचार का खजाना ही तो मिला है । उसको दूर करने में समय लगेगा ।....

(व्यवधान)

आपको खुश होना चाहिये

(श्री कृष्ण स्वरूप बंश्य के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

हमने आपकी बात समझ ली है। विद्युत् उत्पादन से आपका सम्बन्ध है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री पंचानन राय—

माननीय, लोक निर्माण विभाग के 15वें वृत्त, आजमगढ़ से 300 मेठ, बेलदार और वन एजेन्ट निकाले जा रहे हैं। उन्हें मार्च के महीने से मजदूरी नहीं दी गई है। अब इनके परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये लोग गम्भीर संकट में हैं। एक तरफ तो यह गरीब परिवार भुखमरी की कगार पर है दूसरी तरफ यह सरकार पिछड़े वर्ग और हरिजनों की बात करती है। माननीय, इसमें शत-प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग हैं या छोटी जाति के या अनुसूचित जाति के लोग हैं। उनकी रोटी का साधन सरकार छीन रही है। उनको वेतन नहीं मिल रहा है। इसीलिये लोक निर्माण विभाग का पूरा काम इस जिले में ठप पड़ा हुआ है। इस पूरे जिले में लोक निर्माण विभाग का विकास अवरुद्ध है, पूरी जनता त्रस्त है कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। 300 परिवार भुखमरी की दयनीय हालत में पहुंच गये हैं। इसलिये माननीय, यह प्रश्न अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं आभारी हूं माननीय राय साहब का जो उन्होंने आजमगढ़ के साथ लोक निर्माण विभाग का सवाल उठाया है। वहां पर किसी भी बेलदार या वर्क ऐजेन्ट को निकाले जाने की हमारे पास सूचना नहीं है। वहां से कोई प्रस्ताव भी इस तरह का नहीं आया है और न ही उच्च स्तर से ऐसे कोई निर्देश हैं। आपने जून माह के वेतन आहरित न होने के सम्बन्ध में शंका व्यक्त की, हो सकता है साख सीमा के अधिक आहरित होने की वजह से व्यवधान आ गया हो तो उसको हम दिखला देंगे माननीय राय साहब ने जो चिंता व्यक्त की है मेरी भी चिंता है कि कोई व्यवधान न हो उनको हम वेतन दिलवायेंगे।

श्री अमर मणि—

यही समस्या गोरखपुर की है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय त्रिपाठी जी आप बैठें।

(व्यवधान)

अब आगे नहीं लिखा जायेगा।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय, हमारी सूचना पर यहां पर कोई समय नहीं दिया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 में जो 10 सूचनायें चयनित हुई 7 पर हमने सुना, सभी को अस्वीकार किया गया है कार्यस्थगन के लिये। इनमें से श्री ,ऊदल, श्री राज किशोर सिंह, श्री अकबर हुसैन बाबर को सूचना पर वक्तव्य के लिये और श्री राम बचन, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह को सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, श्री कृष्ण स्वरूप वश्य, श्री हरिद्वार दुबे की सूचना पर वक्तव्य तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय का जबाब दे दिया है, श्री पंचानन राय जी की सूचना पर भी सन्तोषजनक जबाब दे दिया है। बाकी शेष सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, आज प्रदेश भर में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं उनको मारा जा रहा है और डाक्टर अम्बेदकर की मूर्ति को मथुरा में तोड़ दिया गया

(व्यवधान)

आगरा में भी हरिजनों पर अत्याचार हुआ है। आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी सदन त्याग कर चले गये)

श्री कल्यान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान एक विशेष परिस्थिति की ओर खीचना चाहता हूं। आज कदाचित उनसे कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा धारियों का एक शिष्ट मंडल मिला है। 1980 से 1986 तक के 1500 डिप्लोमाधारी बेरोजगार पड़े हैं और आज मूखमरी के कगार पर खड़े हैं 12 सितम्बर, 1984 को इसी सदन में शासन द्वारा इनको सेवाओं में लेने का आइवासन भी दिया जा चुका है 14 सितम्बर, 1989 को हाई कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में निर्णय हो चुका है कि इन डिप्लोमाधारकों को अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग-3 में लिया जाय। तो मैं चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी से उनका शिष्टमंडल आज ही मिल चुका है। अतः मैं स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या किया है और सरकार की क्या नीति है। इन डिप्लोमाधारियों को कब तक सेवाओं में ले लिया जायेगा। डिप्लोमाधारियों का धरना, आन्दोलन और लगातार अनशन चल रहा है। सरकार उन्हें रोजगार देने के बजाए जेलों में ठूस रही है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

एक स्पष्टीकरण।

श्री उपाध्यक्ष—

इसी संदर्भ में। आप बड़े योग्य सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय मुख्य मंत्री जी को बार-बार खड़ा न होना पड़े उनकी सुविधा के लिये कहना चाहता हूं। मैंने कार्यस्थगन के माध्यम से एक प्रस्ताव दिया था जो नियमों में

नहीं आ सका। हमारी सरकार ने लखनऊ में पत्रकारों के लिये पत्रकार पुरम बनाया था यह सरकार तो पत्रकारों की बुहाई देती है । आज उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है विगत-10, 15 दिनों से वहां लगातार हत्यायें हो रही हैं और मारपीट और चोरी की घटनायें हो रही हैं पत्रकारों को स्वतंत्र लेखनी चलती रहे वह निष्पक्ष काम करते रहें इस के लिये आवश्यक है कि उनको पूरा संरक्षण दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

काफी हो गया आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भाजपा के नेता -कल्यान सिंह जी ने जो सवाल उठाया है वह व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल भी चुके हैं, बातचीत भी उनसे हो चुकी है, आपने पहले भी सुझाव दिय और आज भी सदन के अन्दर कहा है उसको हम जरूर देखेंगे और आपसे भी बात करेंगे। जहां तक पत्रकारों का सम्बन्ध है, पत्रकारों के बारे में हमारी स्पष्ट नीति रही है। आज प्रमोद जी को उनका ध्यान आ रहा है उनको आज उनसे हमदर्दी है इसकी मुझे खुशी है क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म आपकी सरकार ने कराया था और यह सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिये पूरी तरह से बचनबद्ध है सदन और सदन के बाहर भी। मान्यवर, हम दोहराना नहीं चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल महसूस कर रहा हूं कि हमारे पत्रकार बन्धुओं को पूरी लिखने की अभी आजादी नहीं है । हम चाहते हैं कि जो मालिक हैं वह अपनी तरह से पत्रकारों से लिखवाना चाहते हैं और हमारे पत्रकार बन्धु अपनी तरह से लिखना चाहते हैं तो उन्हें उनसे छुटकारा मिले और इसमें हम उनसे 10 कदम आगे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 11 माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी बजट पेश करें।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

सभी सम्मानित सदस्यों को ज्ञात है कि 10 सूचनाओं में से प्रथम 5 सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सुना जा सकता है। सभी पर नहीं । शेष पर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

अब हम किसी को नहीं सुनेंगे

(व्यवधान)

श्री शुक्ला जी हमारी बात सुनें। परम्परा के विरुद्ध समय नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री दशरथ सिंह आदि शेष 5 माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर हमने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। इसलिये अब हम किसी को नहीं सुनेंगे।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 22-खाद्य तथा रसद विभाग

श्री उपाध्यक्ष--

खाद्य मंत्री जी । (कई सदस्यों के खड़े होने पर आप लोग बैठ जायं) । मैंने खाद्य मंत्री को बुला लिया है ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,62,79,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन् खाद्य तथा रसद विभाग इस प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करने का प्रयास करता है । साथ ही श्रीमन्, इस विभाग द्वारा यह भी देखा जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि मूल्यों पर जहां तक हो सके नियन्त्रण बनाए रखें और मूल्यों में असाधारण वृद्धि न हो सके । मान्यवर, इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण भी इस विभाग के माध्यम से ही प्रचालित किया जाता है । इसके अलावा किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का समुचित मूल्य मिल सके, यह भी इस विभाग की जिम्मेदारी रहती है । मान्यवर, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए इस समय पूरे प्रदेश में 54,966 दुकानें कुल कार्यरत हैं । इसमें से 9942 ग्रामीण क्षेत्रों में और 45024 शहरी क्षेत्रों की दुकानें हैं, तथा 44933 निजी व 10033 सहकारी समितियों की भी दुकानें हैं । इसके अलावा भी हमारी कुछ सचल दुकानें भी हैं, जो आवश्यक वस्तु एवं खाद्य निगम के द्वारा चलाई जाती हैं । यह सचल दुकानें विशेष कर सुदूर क्षेत्रों में और पहाड़ी स्थानों और अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से चलाई जाती है । इसमें अब तक न तो कोई निश्चितता थी और न सन्तुलन था । अब इसमें निश्चितता लाने के लिए और तदर्थता समाप्त करने के लिए कुछ उठाए गये हैं । यह मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को सूचित करना चाहूंगा ।

एक तो प्रदेश में हमें चीनी 52 हजार 926 मी0 टन भारत सरकार द्वारा दी जा रही है । भारत सरकार द्वारा जो चीनी हमें दी जा रही है, वह 425 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति माह के आधार पर और 1986 की आबादी के आधार पर दी जा रही है । इसी प्रकार मिट्टी का तेल हमें 98,000 किलो लीटर मिल रहा है, इसका कोई मानक नहीं निर्धारित है । चीनी तो सारे प्रदेश में एक ही मानक के आधार पर दी जा रही है । तो हमें चीनी और मिट्टी के तेल की व्यवस्था करनी पड़ती है । समस्या शासन के समक्ष यह है कि आज हमारी आबादी 13.18 करोड़ की है, जो 89 के आधार पर आंकी गई है । अब हमें इस आबादी में 86 के आधार पर जो चीनी मिल रही है, उससे उसका वितरण करना है । दूसरी समस्या यह विभाग के समक्ष आती है कि 425 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति माह के आधार पर वह हमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए चीनी दे रहे हैं । यहां पर पहले से परिपाटी चली आ रही कि चीनी शहरी अंचल में 1 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से दी जाए और ग्रामीण क्षेत्र में ढाई सौ ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति माह की दर से दी जाए । जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, सुदूर क्षेत्र हैं, जहां आने-जाने की कठिनाई है, उनको एक किलोग्राम हम देते हैं ।

थोड़ी समस्या इससे ही हम लोगों के सामने है । इसलिए आवश्यकता जहां तक हमारे प्रदेश की है, जो लगभग 56 हजार मी० टन है, वह पूरी नहीं हो पा रही है । फिर भी यह प्रयास किया जा रहा है कि इसमें निश्चितता लाई जाए, इसको सुदूर अंचलों में पहुंचाया जाए । इसलिए इसमें कुछ निर्णय लिये गये हैं । इसमें जो प्रमुख हैं उनके बारे में मैं इस आदरणीय सदन में बताना चाहूंगा । एक तो यह है कि प्रत्येक जनपद की मूवमेंट प्लान बना ली गयी है कि जनपद के किस भाग में, माह के किस सप्ताह में चीनी वितरित की जाएगी और चावल और गेहूं की संवेदनी क्षेत्रों में वितरण की तो कोई समस्या नहीं है । केवल पहाड़ों की है । मूवमेंट प्लान के आधार पर प्रयास किया गया है कि निरन्तर मूवमेंट इस तरह का हो कि जो पहले एक बारगी लोड पड़ता था कि एक दम सब जगह चीनी पहुंचानी है, वह अब हो । इससे एक दम से उस पर भारी लोड पड़ता था और शेष समय वह खाली बैठे रहते थे । इसमें उसको मानीटरिंग की, अनुश्रवण की आसानी हो गई है । हम यह देख सकते हैं कि इस सप्ताह कहां चीनी वितरित होनी चाहिए थी, किस गोदाम में पहुंचानी चाहिए थी, वह पहुंची है या नहीं ।

दूसरे चूंकि हमें भारत सरकार द्वारा चीनी आबादी के आधार पर दी जा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग ने तो तय किया है कि हर जनपद में शहरों और ग्रामों में आबादी जितनी है, उसके आधार पर वहां के लिए कोटा निर्धारित कर दिया जाए ।

उसमें किसी परिवर्तन की अब सम्भावना नहीं है । अब ऐसा नहीं होगा कि दुकानदार जहां चाहे वहां चीनी दे दें । और जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं उन्हें कम चीनी दी जाय, इस स्थिति को कम करने का प्रयास किया है । आबादी के आधार पर प्रत्येक जनपद में चीनी का कोटा बनाया गया है । प्रत्येक जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे अपने जनपद के अन्दर जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक को चाहे टाउन एरिया हो, नोटीफाइड एरिया हो, म्युनिसपैलिटी हो, या कारपोरेशन हो वहां आबादी के आधार पर मानक को लेते हुए कोटा निश्चित कर दें । इससे अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी कि कहां पर कितनी चीनी मिलेगी और चीनी पहुंचाने के मामले में भी निश्चितता को ध्यान में रखा जाएगा । इससे शासन के लिए अनुश्रवण आसान रहेगा ।

मान्यवर, यह भी निर्णय लिया गया है और इस पर कार्य भी हो रहा है कि पहले जो सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए सामान प्राप्त करने के लिए रिलीज आर्डर प्राप्त करने में पैसा देना पड़ता था, तीन-तीन दिन ट्रेजरी में पैसा जमा करने के लिए दौड़ना पड़ता था, यह नहीं मालूम होता था, यह नहीं मालूम होता था कि कितना सामान मिलना है लेकिन अब कोटा निर्धारित करने से ग्रामसभाओं की दुकानों में दुकानदारों को यह जानकारी हो गई है कि प्रत्येक माह कितनी चीनी आयेगी । क्षेत्र समितियों को, बी० डी० सी० को, ग्राम सभाओं को भी सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है ।

सामान उठाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश के सभी जनपदों के प्रत्येक विकास खण्ड में एक गोदाम बना दिया जाएगा । खाद्य विभाग द्वारा और यह कहा गया है कि जितना भी सामान उस विकास खण्ड में वितरित होता है, उसी गोदाम से वितरित किया जायेगा । चीनी, गेहूं, चावल आदि सभी सामान उस गोदाम के माध्यम से वितरित करेंगे । पैसा जमा करने के लिए जो ट्रेजरी जाने की समस्या थी उसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द कर दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी

राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें खाता खुलवा दिया गया है और दुकानदार वहां पर जाकर पैसा जमा कर देंगे । उनके पास ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इन्होंने पिछले महीने का कोटा बांटा है । बैंक स्लिप के आधार पर गोदाम से सामान उपलब्ध करवा दिया जायेगा ।

इस समय एक समस्या और भी है और वह यह है कि नियंत्रित सामान बहुत कम हैं और मार्जिन भी कम है, इसलिए कुछ दुकानदार पहले तो इसमें आये थे लेकिन अब वे झिझक रहे हैं क्योंकि उन्हें लाभ नहीं हो रहा है । शासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कुछ ऐसे सामान उपलब्ध करायें जायें जो नियंत्रित नहीं हैं जिससे प्राफिट बढ़ सके और रोजगार में मन लग सके । कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनसे सामान को उपलब्ध कराने में आसानी हो सकेगी । शहरी क्षेत्रों में भी इस सम्बन्ध में हम प्रयास कर रहे हैं कि दुकानों पर सामान आसानी से उपलब्ध हो सके । 15 जनपदों में नई योजना लागू की गई है । माडल डिस्ट्रिक्ट बनाये गये हैं । यह आदेश दिए गए हैं कि उपभोक्ता अपनी राशन की दुकान स्वयं तय करे । अभी तक राशन की दुकान से हर उपभोक्ता का कार्ड सम्बद्ध होता था । अब उपभोक्ता को यह छूट रहेगी कि जितनी भी दुकानें हैं, जहां से वह समझे वहां वह अपना कार्ड सम्बद्ध कर

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

सकता है और यदि एरिया राशनिंग अफसर के दफ्तर में दरख्वास्त देते हैं तो वहां पर उसके कार्ड पर दुकान बदल दी जाएगी । अगली बार उसको उसके द्वारा निश्चित दुकान से सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा । 16 तारीख से 15 तारीख तक जितनी दरख्वास्त प्राप्त होंगी, उसी के अनुसार उपभोक्ता को उनकी मनपसंद दुकान से सामान उपलब्ध कराया जाएगा । सारे जनपदों में अभी इसको लागू नहीं किया गया है, अभी उन जनपदों के रिजल्ट देख लिए जाएं जिनमें इसको लागू किया गया है फिर पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा । इसमें लखनऊ मंडल के पूरे जिले ले लिए गये हैं । प्रत्येक मंडल में एक जनपद लिया गया है । चार मंडल इसमें छूट गए थे जिनमें से कोई जनपद नहीं लिया जा सका था, तो इसके लिए निर्णय ले लिया गया है इसके लिए आज ही आदेश दे दिए गए हैं ।

मुरादाबाद मंडल, कुमाऊं मंडल, आगरा मंडल, वाराणसी मंडल यह चार मंडल छूटे थे इन मंडलों में आगरा में एटा, मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद वाराणसी में गाजीपुर, कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा को इस योजना के तहत लिया गया है । गढ़वाल मंडल में पौढ़ी गढ़वाल है इस तरह से प्रयास किया जा रहा है ।

श्रीमन् 14 जनपदों में यह भी प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा जो हमारी ग्रामीण दुकानें हैं, वहां अन्य वस्तुयें भी उपलब्ध कराई जाएं । पाम आयल और कपड़ा शहरी दुकानों में तो मिलता है लेकिन जो हमारी ग्रामीण अंचलों में दुकानें हैं वहां पाम आयल और कपड़ा उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इसको उपलब्ध कराने का भी हमने प्रयास किया है । 14 जनपद पहले और चार जनपद यह, इन 18 जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा ग्रामीण अंचलों में पाम आयल और कपड़ा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी । ताकि जो खाद्य तेल है उस पर नियंत्रण हो सके । गेहूं, तेल और चावल तो ब्लाक के गोदाम से वितरित किया जा रहा है, लेकिन मिट्टी का तेल वितरित नहीं किया जाता है तो अब ब्लाक में गोदाम स्थापित कराके, उससे दुकानों को मिट्टी का तेल दिया जाएगा । इससे कुल 10–15 पैसे का फर्क आएगा । 2 रुपये 25 पैसे की जगह पर मिट्टी का तेल 5–6 रुपये बिक रहा था ।

अब 10-15 पैसे बढ़ाकर इसको ब्लाक तक पहुंचा देंगे, इससे उपभोक्ता का संरक्षण भी होगा और नुकसान भी नहीं होगा। जहां तक संभव होगा हर ब्लाकों पर इसको देखा जाएगा ताकि ब्लाकों से दुकानों को मिट्टी का तेल मिलने लगे, इस सम्बन्ध में आदेश भी दे दिए गए हैं।

श्रीमन, यह कुछ और निर्णय लिए गए हैं जिनसे यह प्रयास किया गया कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में हम सामान उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा राशन कार्ड्स की बात है। राशनकार्ड्स की सचमुच हमारे सामने एक समस्या है। अभी माननीय हरद्वार दुबे जी का एक प्रश्न था जिसमें उन्होंने पूछा था कि आगरा महानगर को कितनी चीनी उपलब्ध कराई जा रही है और वहां पर कितनी यूनिट हैं। मान्यवर, राशन कार्ड्स के सम्बन्ध में एक विषमता है कि एक तरफ तमाम परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं, उनके राशनकार्ड्स नहीं बने हैं। दूसरी तरफ तमाम बोगस राशन कार्ड, फेक राशनकार्ड चल रहे हैं जिसमें बोगस यूनिट्स हैं। आगरे से सम्बन्धित चूंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, मेरे पास उसका उत्तर रखा है। आगरा की पूरी पापुलेशन 10 लाख कुछ हजार है।

यह आंकड़े 1988 की आबादी पर आधारित हैं। आगरा महानगर की यूनिटों की जांच की गई तो 9 लाख 40 हजार यूनिट आगरा महानगर में हैं बाकी टाउन एरिया, नोटीफाइड एरियाज, म्युनिसिपैलिटी को छोड़ दीजिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कितनी अधिक बोगस यूनिट्स और राशन कार्ड्स हैं। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि यह इतनी बड़ी समस्या है कि जब आपूर्ति की बात आती है तो एक तरफ कुछ परिवारों को सामान उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो नाजायज तरीके से लाभ उठा रहे हैं। तो राशन कार्ड्स बनाने का समयबद्ध कार्यक्रम चालू करने का निश्चय ले लिया गया है।

प्रश्न यह आता है कि जब नये राशन कार्ड्स बनायेंगे तो उनको भी सामान चाहिए। इसलिए आवश्यकता है कि जो राशन कार्ड्स बने हैं, जो बोगस यूनिट्स हैं उनको जांच कराकर उनको निरस्त किया जाय। यह एक विषम समस्या है लेकिन कहने में जरूर आसान लगती है। लेकिन बहुत बड़ा काम है। दूसरी एक समस्या हमारे सामने यह आ रही है कि शहर में एक यूनिट पर हम एक किलो चीनी दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 250 ग्राम दे रहे हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे गाजियाबाद, नोयडा तो यह शहर निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। यहां समस्या एक यह आ रही है कि अगर एक आदमी गांव से शहर को आ जाता है तो 250 ग्राम की जगह पर वह 1 किलो चीनी का हकदार हो जाता है इस तरह से गांव के लोगों को चीनी कम हो रही है। एक यह भी समस्या है जिसका भी निराकरण हम सोचने में लगे हैं कि इसका निराकरण किया जाय। जैसा कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में सदन में पहले ही घोषणा की है कि हमें भारत सरकार से जो भी अधिक चीनी उपलब्ध होगी उसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ायेंगे। तो यह हमने जो चीनी और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में निर्णय लिये हैं उसके बारे में था।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी पीठासीन हुए।)

इसके बाद मान्यवर आज तक जो बड़ी समस्या आ रही है मूल्यों की, सही है, कुछ चीजों के मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, जो कि गांवों में पैदा होने

वाली चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे सरसों का तेल है, इसका दाम है। दो महीने पहले इसका दाम काफी ऊपर चला गया इसका दाम 20–22 रु0 किलो का था, इस दो महीने के अन्दर 26–27 रु0 किलो में फुटकर में बिक रहा है। माननीय, एन0 डी0 डी0 टी0 से हमारी बातचीत चल रही है, वह हमारे यहां सरसों का तेल उपलब्ध करायेंगे, बजट था, इसलिए हमारे अधिकारी आ नहीं सके, बजट आज समाप्त हो जायेगा, तो वह दिल्ली जायेंगे। ताकि वह एन0 डी0 डी0 टी0 से बात करके सरसों का तेल उपलब्ध करवायें। माननीय, कितना तेल मुझे मिल रहा है, यह उपलब्धता पर निर्भर करता है। एन0 डी0 डी0 टी0 शायद कानपुर में चला रहे हैं। माननीय, स्टाफ लिमिट दूकानों का और फैक्टरियों का कम कर दिया गया था, फिर भी और अधिक उपलब्धता प्रदेश में आवे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

माननीय, चीनी तो हमारे पास काफी उपलब्ध है। माननीय, मिट्टी के तेल को जहां तक समस्या है, मिट्टी का तेल जो हमें मिल रहा है, वह कुछ कम है, उसमें स्पष्ट नियम नहीं है, इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया, हम लोग माननीय प्रधान मन्त्री जी से सम्पर्क किये और निवेदन किये, गुरुपद स्वामी जी से भी हमने निवेदन किया है कि जिन प्रदेशों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, वहां की ऊर्जा की उपलब्धता को देखा जाय, ऐसे प्रदेश जहां पर एल0 पी0 जी0 के केन्द्र हैं, वहां पर मिट्टी का तेल अधिक दिया जा रहा है। हमने अभी 29 मई को जो नेशनल ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें इस बात को उठाया था, स्वामी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जहां पर अन्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाय। माननीय, जो मिट्टी के तेल का आवंटन होता है, वह 4–4 महीने का आता है, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर में थोड़ा सा आवंटन बढ़ जाता है और नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में आवंटन हमें 98 हजार किलोलीटर का हुआ था यह हमें जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर में ही प्राप्त हो गया है और हमें उम्मीद है कि नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में एक लाख किलो लीटर के ऊपर मिट्टी का तेल प्राप्त हो जाय, क्योंकि हमारा जो कहना है कि इसके लिए अन्य स्रोतों को भी देखा जाय। 14 मण्डल के जिले कौन से लिये गये हैं इसकी बात माननीय सदस्य पूछ रहे थे; उनके नाम बता दूं लखनऊ मण्डल में लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर जैसे मैंने बताया लखनऊ मण्डल के सभी जनपदों को ले लिया गया। इसी तरह से फैजाबाद मण्डल में बाराबंकी, बरेली मण्डल में शाहजहांपुर, मेरठ मण्डल में गाजियाबाद, कानपुर मण्डल में इटावा, इलाहाबाद मण्डल में फतेहपुर, गोरखपुर मण्डल में सिद्धार्थनगर, बस्ती, झांसी मण्डल में झांसी।

श्री अमरमणि—

प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री और आपूर्ति मन्त्री के यहां के ही सारे जिले लिये गये हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

इसके पहले पूरा हिन्दुस्तान अगर सुल्तानपुर में ही समाहित हो गया था तो आपको परेशानी नहीं हो रही थी।

माननीय, गढ़वाल मण्डल में पौड़ी गढ़वाल और मुरादाबाद जो नया जिला लेने का हमने निर्णय ले लिया है, मुरादाबाद मण्डल में मुरादाबाद, वाराणसी में गाजीपुर, कुमायूं मण्डल में अल्मोड़ा और आगरा मण्डल में एटा। माननीय, नेता विपक्ष ने जौनपुर जनपद की बात कही है उनकी बात को निश्चय ही हमें मानना ही है, इसलिए जौनपुर को भी इसमें शामिल करने का निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री पंचानन राय—

मन्त्रियों में अकेले विक्रमादित्य पाण्डेय जी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं इनका जिला भी ले लीजिए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही एल0 पी0 जी0 और तेल की जो उपलब्धता है, अभी हमारे यहां 11 लाख सिलेन्डर मिल रहे हैं वितरण के लिए जो अपने यहां बाटलिंग क्षमता है उसके लिए जरूरत है लगभग 16 लाख सिलेन्डर की फिलहाल कुछ नये बाटलिंग प्लांट हमारे यहां आ रहे हैं जिसमें से उत्पाद तैयार हो गया है और नये प्लांट आ जायेंगे तो लगभग 19 हजार सिलेन्डर और हमें उपलब्ध हो जायेंगे। हम प्रयास यह कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के डिपो भी अधिक से अधिक अपने यहां स्थापित हो जाय क्योंकि जब इनको शार्टेज हो जाती है तो बहुत दिक्कत महसूस होती है। जैसे कुंवर सिंह नेगी जी हैं यहां पर बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अपनी बात को रखा का कि सारी की सारी गाड़ियां गढ़वाल में खड़ी हुई हैं तो इसके लिए एक निर्णय ले लिया गया है कि देहरादून में एक डिपो स्थापित किया जायेगा। खासकर गढ़वाल मण्डल में जो तेल आ रहा है, वह जहां से आता है इस बीच वहां वर्क टू रूल चल रहा था इसलिए तेल के आने में बीच-बीच में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी इसलिए इसमें निर्णय ले लिया गया था, यह प्रारम्भ हो गया है इन्होंने जमीन भी मांगी थी, जो जिलाधिकारी से कह दिया गया है कि इसको उपलब्ध करा दें। मान्यवर, देहरादून मण्डल में एक डिपो उपलब्ध कराया जायेगा जो गढ़वाल मण्डल में सप्लाई दे सकें। मान्यवर, एल0 पी0 जी0 बरेली और हरिद्वार से मिल रहा है, इसके लिए प्रयास यह है कि इसके और सिलेन्डर उपलब्ध हों ताकि गढ़वाल के सुदूर क्षेत्रों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमायूं मण्डल विकास निगम के माध्यम से गैस सिलेन्डर उपलब्ध करा सकें। मान्यवर, माता प्रसाद पाण्डे जी जानते हैं कि हमारे यहां बात बहुत खुला होता है।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आपने अभी माननीय, गैस सिलेन्डर और मिट्टी के तेल की बात कही यह दोनों फिरोजाबाद के उद्योग में प्रयुक्त होते हैं तो उद्योग के लिए इसका कोटा इसको नहीं दिया गया है। गैस सिलेन्डर का भी उपयोग उद्योग में होता है तो दोनों के लिए वहां कोटा निर्धारित कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन्, मैं बहुत स्पष्ट माननीय वर्मा जी को बताना चाहूंगा कि इस समय विभाग अपनी पहली जिम्मेदारी यह समझता है कि आम उपभोक्ता को सामान उपलब्ध करावें। हमारी पहली जिम्मेदारी आम उपभोक्ता को सामान उपलब्ध कराने की है। मिट्टी के तेल के बारे में जो कहा, अभी तक यह स्थिति रही है कि पहले जो भी मिट्टी का तेल मिलता था, 92 हजार किलोलीटर मिलता था, उसमें से 2 हजार किलोलीटर तेल अलग कर लिया जाता था तथा खाद्य विभाग में नहीं आता था, उद्योगों के नाम पर। यह खाद्य विभाग द्वारा आवंटित होना चाहिये था। वह तेल कहां किस इण्डस्ट्री को दिया जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं मिला। अनंता दत्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के शासन में आने के बाद हमने सोचा कि मिट्टी के तेल की वैसे ही कमी है, अतः हमारे लिये यह बिलकुल संभव नहीं है कि 2 हजार किलोलीटर तेल छोड़ दें और जिसको चाहें बांटे और जितना चाहे ले जायं। हमने सूची मंगाई कि किस इण्डस्ट्री की कितनी खपत है और कितनी तेल चाहते हैं। उस पर हम विचार करेंगे। इसमें भारत सरकार के निर्देश आये हैं और हमने भी निर्णय लिया है कि जो छोटी इण्डस्ट्रीज हैं, उनको तेल देने पर विचार करने को तैयार हैं, लेकिन जो बड़ी या मध्यम इण्डस्ट्रीज हैं उनको अपने कोटे में कतई सम्मिलित नहीं करेंगे। यह निर्णय ले लिया है। हमें सूचो उपलब्ध हो जायेगी कि कितनी उनकी आवश्यकता है, तो उसको देखते हुये विचार करेंगे। हम मानते हैं कि हमारे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। लेकिन उनके नाम पर तस्करी की जाय, उनके नाम पर माल ब्लैक में बेचा जाय, यह संभव नहीं होगा।

माननीय, जो वस्तुओं के मूल्य दिलाने की बात है, केवल चावल और गेहूं के समर्थन मूल्य खाद्य विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित होते हैं। पिछले खरीफ के सीजन में धान में काफी परेशानी रही थी। सेन्टर्स कम खोले गये थे। जो काम निश्चित रूप से अगस्त सितम्बर तक हो जाता है कि कितने सेन्टर्स खुलेंगे, कितने बोरे चाहिये, कितना धन लगेगा, यह सितम्बर, तक निर्णय ले लिया जाता है। दिसम्बर में मेरे लिये यह संभव नहीं था कि बोरे इकट्ठा कर पाऊं या धन इकट्ठा कर पाऊं। लेकिन जो भी संसाधन उपलब्ध थे, उनके द्वारा प्रयास किया कि धान की खरीद की जाय, यह समस्या केवल पूर्वांचल में है, क्योंकि मध्य उत्तर प्रदेश में धान की मिलें लगी हैं और वहां के किसानों को अच्छा मूल्य मिल जाता है। पूर्वांचल में मिलें न होने के कारण, यह विषम समस्या किसानों को हो गयी है। पिछली सरकार ने, मैं तत्कालीन खाद्य मंत्री माननीय हुकुम सिंह जी का बजट भाषण पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में धान की मिलें लगाने का विशेष प्रयास करेंगे। मुझे खेद है कि पूरा समय बीत जाने के बावजूद प्रयास नहीं हुये। अब हमने प्रयास आरम्भ कर दिये हैं मिलें लगवाने के। मध्य क्षेत्र के मिल मालिकों को दो टीमें देखने गयीं कि वहां क्यों मिलें नही लग रही हैं। मैं भी बजट सत्र समाप्त होने के बाद विचार-विमर्श करूंगा कि उनको क्या सुविधायें चाहिये मिलें क्यों नहीं लग रही हैं, या जो लगी हैं वह चल क्यों नहीं रही हैं। वे स्टडी करके आये हैं। हम भी स्टडी कर रहे हैं हम चाहेंगे कि वहां पर अधिक से अधिक मिलें लगें और चावल की किसानों की समस्या का समाधान हो सके। इतना जरूर बताऊंगा कि पिछले साल एक हजार क्विंटल धान की खरीद की गयी। उसके पिछले साल डेढ हजार क्विंटल खरीद की गयी। वर्ष 1984-85 में इस प्रदेश में एक लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। उसके बाद से धान की खरीद इस प्रदेश में करीब-करीब नगण्य रह गयी थी, 1000-1500 के लगभग। पिछली बार दिसम्बर में आने के बाद जनता दल की सरकार बनने के बाद प्रयास किया गया उस प्रयासों के माध्यम से सरकारी एजेन्सियों द्वारा लगभग सात हजार दो सौ कुछ मीट्रिक टन धान खरीदा जा सका था। जो निश्चित रूप से सन्तोषजनक नहीं है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आपने धान की खरीदारी के बारे में बात कही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल मिल न होने के कारण यह समस्या पैदा हुई। खरीदारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापारी सीधे नहीं करते हैं, सरकारी एजेन्सियां करती हैं। उनका कहना है कि जो केन्द्रीय मानक है चावल का, एक क्विंटल में 66 के0 जी0 होना चाहिये, पूर्वी उत्तर प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का चावल एक क्विंटल में 64-65 या 62-63 के0 जी0 आता है, सरकारी एजेन्सियां खरीदती हैं, खाद्य निगम लेने में आनाकानी करता है । यह समस्या है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मैंने पहले ही कहा कि कुछ समस्या हैं, जिसके नाते धान की खरीद नहीं हो रही है, जो आपने बताया वह समस्या एक है, इनके अलावा भी कुछ समस्यायें हैं, चावल मिल नहीं लग रहीं हैं, उसमें कहा यह जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल का जो परता पड़ता है धान से वह मध्य उत्तर प्रदेश से कम है । इसके माने चावल मिलें लाभप्रद नहीं हो पा रही हैं, यह कुछ ऐसी समस्यायें हैं उन पर विचार-विमर्श में लिये हुये हैं । जो यहां से दो टीमें गयी, शाहजहांपुर बरेली साइड से टीम गयी और एक टीम किच्छा साइड से गयी । उन्होंने वहां देखा है । बजट सत्र समाप्त होने के बाद उस पर विचार विमर्श करेंगे कि कैसी सुविधायें दी जायं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बासमती चावल लेवीमुक्त करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

चावल लेने का 13 लाख मीट्रिक टन टारगेट था उत्तर प्रदेश का हमने 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल खरीदा । अब पूरी बात सुन तो लीजियें । गेहूं 15 लाख मीट्रिक टन का टारगेट था, 15 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा है समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत । यह जरूर है कि जो पहले 4 हजार कुछ सौ केन्द्र गेहूं के बनाये गये थे, इस वर्ष 6 हजार से ऊपर क्रय केन्द्र काम किये हैं उत्तर प्रदेश में एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि यह जो 6 हजार क्रय केन्द्र काम कर रहे हैं, सारे क्रय केन्द्र सौ फीसदी सही ही चलें, कुछ शिकायतें भी आयी हैं, कुछ जांच भी करायी हैं, कार्यवाही भी कर रहे हैं । लेकिन फिर भी प्रयास यह किया गया कि जहां तक हो सके किसान को उसके गेहूं का उचित मूल्य मिल सके । एक समस्या हमारे सामने आगे भी आयी गेहूं खरीद के सम्बन्ध में । मेरठ मण्डल में बुलन्दशहर, मुजफ्फनगर और कुछ गाजियाबाद के हिस्सों में बरसात हो जाने के कारण गेहूं कुछ खराब हो गया था । बरसात का कुछ इफेक्ट पूर्वांचल में भी रहा । भारत सरकार से 20 प्रतिशत लश्चर लांस की छूट दी, 20 प्रतिशत लश्चर लांस के तहत गेहूं की खरीद की गयी । इसके बाद बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में कुछ समस्या विषम हो गयी । मैं दिल्ली भी गया था वहां बात हुई थी, 50 प्रतिशत लश्चर लांस की छूट उस क्षेत्र के लिये विशेष रूप से भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है । उसके आधार पर गेहूं खरीद के लिये आदेश निर्गत कर दिये गये हैं । जब से आदेश निर्गत किये गये हैं 3-4 दिन से, वहां से कोई समस्या और कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । जहां की बाबत चिंता थी, माननीय सदस्यगण भी चिंतित थे, 3-4 दिन से वहां से कोई सूचना नहीं आयी है किसी समस्या की, 50 प्रतिशत लश्चर लांस भारत सरकार ने स्वीकार किया, उससे वहां पर काम प्रारम्भ हो गया है । जहां तक मान्यवर, आवश्यकता की बात है । हमारे पंचानन राय जी ने मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में एक प्रश्न भी उपस्थित किया था, जिस पर चर्चा भी सदन में अनुमन्य है कि मकान बनाने की सामग्री में बहुत अधिक दामों की वृद्धि हो रही है चाहे मिट्टी, सीमेन्ट, लोहा, ईंटा, बालू, मोरंग, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी, जिसको उन्होंने छोड़ रखा हो ।

इस समय मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में यह जितने भी आइटम्स है, जितनी भी वस्तुयें हैं, जो मकान बनाने के काम में आती हैं, उन पर किसी तरह का कोई

नियंत्रण नहीं है, सभी फ्री सेल की हैं। चाहे लोहा हो, ईंटा हो, बालू, मिट्टी हो, सभी फ्री सेल में हैं। ईंटा भी फ्री सेल में था, यह बात सही है कि ईंट के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुयी थी। हमने ऐसोसियेशन के लोगों से बात की थी। ऐसोसियेशन से बातचीत करने के बाद एक समझौते के आधार पर उन्होंने अपना रेट दिया था कि इस रेट पर ईंटा उपलब्ध करा दिया जायगा, यह विभिन्न जनपदों का था, इसे अखबारों में भी प्रकाशित किया गया था। बाद में जनपदों से, जिलाधिकारियों से सूचना प्राप्त हुयी कि ऐसोसियेशन ने जो तय किया है, उस दाम पर वह राजकीय कार्यों के लिये तो ईंट उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन जब कोई उपभोक्ता, गांव का किसान, शहर का रहने वाला अपने मकान बनाने के लिये ईंटा लेने गया, तो उसको उस दाम पर नहीं दिये गये और बढ़े हुये रेट लेने का प्रयास किया गया।

श्री राम कुमार शुक्ल--

बजट में दाम घटाने की कोई योजना है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

कट मोशन में कह लीजियेगा, जो कहना है।

माननीय, इसके लिये आवश्यक समझा गया और ईंट संभरण विनियमन अध्यादेश लागू किया गया था और उसके लागू करने से इतना तो हुआ है कि दामों को बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण हो गया था। भट्ठा मालिकों का कहना है, कि कोयला मिलने में विलम्ब हुआ है, इसलिये ईंटों का दाम बढ़ गया। जहां तक कोयला मिलने की बात है, यह सही है कि जो बीच में कोल एजेंट थे, जो कोयला लाते थे, हमने उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, जो आज भी लागू है। लेकिन ईंट भट्ठा एसोसियेशन से हम वार्ता किए हैं और जो भी सुविधा हो सकती थी, उसको हम लोगों ने देने का प्रयास किया है और दिए भी हैं। फिर भी रेट में जितनी स्पांसरिंग होनी चाहिए थी, वह नहीं कराई गई। एसोसिएशन वालों का कहना था कि सड़क द्वारा कोयला लाने की स्पांसरिंग किया जाय। हमने कहा कि भट्ठा मालिक को पूरी छूट है और वह सड़क द्वारा कोयला लाने के लिए भारत सरकार से स्पांसरिंग करा सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी भट्ठा मालिक की कोई भी एप्लीकेशन हमें प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश एसोसिएशन से इतनी बात अवश्य आई है कि उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता संघ को अधिकृत कर दें और उनको स्पांसरिंग कर दें, पूरे सदस्यों को तरह कि वह सड़क से कोयला लावें और अपने सदस्यों में वितरित करें, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम इतना अवश्य चाहते हैं कि हमें कम से कम इतनी निश्चित जानकारी हो कि हमारे भट्ठा मालिकों तक वह पहुंच रहा है, वहां इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हमारी फिर उनसे बातचीत होगी, यदि कोई समुचित निराकरण निकल आया तो उनके एसोसिएशन को स्पांसर्ड कर देंगे और वह अपना कोयला लावेंगे। जहां तक मूल्य नियंत्रण की बात आई है, जैसा माननीय शुक्ला जी ने कहा है।

बजट में मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि हमने निश्चित कर लिया है कि जिस वस्तु को हम अपने कारपोरेशन के माध्यम से अपनी फेयर प्राइस शाप्स के माध्यम से उपलब्ध करवा सकते हैं हम उसे अधिक से अधिक बाजार में उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। दाम बढ़ने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, सामान की मांग अधिक और उत्पादन कम और दूसरा जानबूझकर मुनाफा-

खोरी करना । जो मांग है, उसके आधार पर उपलब्धता कराने का प्रयास हमारा विभाग कर रहा है खासतौर से चीनी, तेल, पाम आयल व अन्य खाद्य पदार्थ । जहां तक जखोरेबाजी का सवाल है, हमने 6 महीने के अन्दर इस पर कड़ी कार्यवाही की है और आगे भी कड़ी कार्यवाही करेंगे, ताकि जमाखोरी करके मूल्य बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर हम नियंत्रण पा सकें । 6 महीने के अन्दर छापा-मार कर 4 करोड़ रुपये का सामान बरामद किया गया है । उधर कुछ मूल्य में नियंत्रण हो गया था, परन्तु इधर कुछ दाम बढ़े हैं, इसको हम पुनः जांच करा रहे हैं । कहीं ऐसा तो नहीं कि जमाखोरी के कारण यह दाम बढ़ रहे हैं या फिर सामान की अनुपलब्धता के कारण दाम बढ़ रहे हैं । इसके साथ ही हमारे यहां बांट-माप विभाग है, यह आज तक निष्क्रिय पड़ा हुआ था, हमने इसे चैतन्य करने की कोशिश की है ताकि नाप-तौल में जो शिकायतें आ रही हैं, उन पर नियंत्रण हो सके ।

मान्यवर, अक्सर यह बात कही जाती है कि डीजल या पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिला दिया जाता है । आज तक जो नियम था, वह यह था कि किसी भी पेट्रोल पम्प का आप तब तक सैम्पुल नहीं ले सकते जब तक कि उसके स्टाक में वैरिएशन न हो । अगर मान लीजिए कि उसने 1000 लीटर डीजल निकालकर 1000 लीटर मिट्टी का तेल मिला दिया तो उसके स्टाक में कोई अन्तर नहीं आया । ऐसी स्थिति में हम उसका सैम्पुल नहीं ले सकते हैं ।

अब हमने इस नियम में परिवर्तन किया है । हमारे राजपत्रित अधिकारी व राजस्व विभाग के अधिकारी किसी भी पेट्रोल पम्प से नमूना प्राप्त कर सकते हैं । इसमें यह भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी का हैरेसमेंट न होने पाये । इस पर भी निगाह रखना जरूरी है । कुछ डीलर एसोसिएशन के इस सम्बन्ध में हमारे पास पत्र भी आये हैं । हमारी कोशिश रहेगी कि उपभोक्ता का भी शोषण न होने पाये और डीलर का हैरेसमेंट भी न होने पाये ।

मान्यवर, हमारे यहां एक आवश्यक वस्तु निगम है । जो आज तक निष्प्रभावी था । इस समय इसे साढ़े चार करोड़ का घाटा है । दूसरा, कर्मचारी कल्याण निगम है, जिससे 6 लाख से ऊपर सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं । जहां-जहां इसकी आवश्यकता पड़ रही है, वाएबिलिटी को देखते हुए, हम इसके नये सेन्टर भी उन स्थानों पर खोल रहे हैं ताकि राज्य कर्मचारियों को सुविधा प्रदान हो सके । लखनऊ में एक सचल वाहन भी प्रारम्भ किया गया है । ऐसी दूरस्थ कालोनियां जहां पर अल्प आय वर्ग के और निम्न आय वर्ग के हमारे राज्य कर्मचारी रह रहे हैं, उन कालोनियों में सामान उपलब्ध हो सके, सचल वाहन प्रारम्भ किया गया है । आवश्यक वस्तु निगम आज तक निष्प्रभावी था, इसलिए हमने तय किया है कि हम उसे और अधिक प्रभावी बनायेंगे । 14 माडल जनपद हमने लिए हैं और 4-5 और लिए जाने हैं । खासतौर से कपड़ा, पाम आयल या फिर सरसों का तेल हमें मिल जाता है या फिर साबुन आदि जिसकी भी आवश्यकता होगी हम उसके माध्यम से उन जनपदों तक और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि मार्केट पर नियंत्रण रख सकें । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपने बहुमूल्य सुझाव देने की कृपा करें ।

*श्री भयंकर सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक

---

*वक्ता ने रवण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रूपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है ।

(श्री राम तेज के खड़े होने से व्यवधान)

मान्यवर, यह वह विभाग है जो भरण पोषण और वितरण का विभाग है । यह आवश्यक है कि इसके जरिये प्रदेश को जनता को मिलने वाली वस्तुयें और खाद्य सामग्री ऐसी हो जो अच्छी हों और आवश्यकतानुसार उसकी उपलब्धता हो । किसानों से जो खाद्यान्न क्रय किया जा रहा है, उसका उनको उचित मूल्य दिलाया जाएगा इस पर नियंत्रण रहे, ये सारी जिम्मेदारियां हैं किन्तु लग रहा है कि एक कमरे में इधर के लोग पहले बैठते थे, अब दूसरे लोग पहुंच गए हैं । पिछली सरकार भी जब बजट पेश करती थी, पिछली बार बड़े गौरव से हुकुम सिंह जी ने कहा था कि 44910 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं, जिसमें 11,175 सहकारिता के क्षेत्र में हैं और 33735 निजी क्षेत्रों में हैं । इस सरकार ने क्या कर दिया ? जिला प्रशासन को आदेश दे दिया कि हर ग्राम सभा में एक दुकान खोल दी जाय । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 54,966 पूरे प्रदेश में हो गई, यानी 10-12 हजार बढ़ा दी गयीं । इसी तरह सहकारिता/निजी क्षेत्रों में भी बढ़ा दी गयीं ।

मेरा कहना है कि दुकानों को बढ़ाकर जो जाल फैलाया गया है मकड़ी की तरह, खाद्य और रसद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी छोटे-छोटे किसानों, गरीबों और शहर के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं । अधिकारियों की लम्बी फौज और दुकानों की लम्बी फौज बनाकर कहते हैं कि राहत दे दो, जब कि लाइसेन्स देकर आपने बहुतों को सन्तुष्ट किया है । कोटा और परमिट देकर लोगों को प्रसन्न किया गया है । यह कहना गुमराह करना है कि इतनी दुकानें खोलकर उपभोक्ता को सामान पहुंच जाता है ।

इससे यह हुआ कि सरकार के चहेतों को लाइसेन्स और परमिट मिल गया । लाइसेन्स, परमिट और कोटा भ्रष्टाचार की जननी है और जब तक यह जीवित है, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा । इसको समाप्त करना चाहिए । इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और षड़यंत्र छिपा हुआ है । आज मुझे एक घटना याद आती है । माननीय मंत्री जी के पूर्व परिवार में किसी जमाने में जब अठदमा रियासत थी तो जब वहां गौशाला से दूध घरों में जाता था तो उस गोशाला के कर्मचारी दूध में कुछ पानी मिला देते थे । एक कर्मचारी उसमें से 10 किलो दूध ले लेता था और उतना ही पानी मिला देता था । जब राजा साहब को उनके मंत्रियों ने इस बात की सूचना दी तो राजा साहेब अठदमा ने व्यवस्था कर दी कि उस कर्मचारी को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा कर्मचारी नियुक्त कर दिया जाय । दूसरा कर्मचारी गोशाला के दूध में से कुछ अतिरिक्त दूध निकाल कर 15 किलो पानी मिलाने लगा । जब इसकी शिकायत पहुंची तब तीसरा कर्मचारी बदला गया, फिर चौथा । इस तरह से एक दिन ऐसा भी आया कि गोशाला से जो दूध रियासत में जाता था उस दूध की जगह पानी ही पहुंचा । यह स्थिति रही ।

इसी तरह से अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की खाद्य की स्थिति के बारे में प्रकाश डाला, परन्तु आप देखें कि हर जिले में सस्ते गल्ले की दूकान पर जो कर्मचारियों की उपस्थिति है वह खत्म हो रही है, सामग्री उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं हो रही है । जहां पहले 250 ग्राम चीनी पहुंच जाती थी, इस समय वह भी बन्द हो गयी है ।

वितरण प्रणाली को ही लीजिये, अभी उत्तर प्रदेश सरकार का हर जिले में एक जी० ओ० गया था कि लड़की की शादी में 40-50 किलो चीनी मिलेगी और लड़के की शादी

में वह भी न मिलेगी । इस पर लड़के वालों के यहां हाहाकार मच गया । बड़ा बवण्डर हुआ, बवाल खड़ा हो गया । पूरी लगन में हाहाकार मचने के बाद यह आदेश गया कि लड़के को शादी में 25 किलो और लड़की को शादी में 50 किलो और मरने पर 15 किलो चीनी दी जाय । यह आदेश रुदौली और अटवमा के लिये ही हुआ है । इस समय माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जो उपस्थित नहीं हैं, वह बारात में गये थे, वह देखे हैं कि माननीय मंत्री जी ने अपने यहां शादी में दस बोरा चीनी खर्च किया था जब आप अपने यहां शादी में दस बोरा चीनी खर्च करते हैं तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के यहां जो शादियां होती हैं तो उनसे कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि वे लोग 25 या 60 किलो चीनी में शादी निपटा लेंगे ? उत्तर प्रदेश में कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जहां शादी में 25 या 50 किलो चीनी में काम चल जाय, इसका नतीजा यह होता है कि उनको बाहर से मंहगी चीनी खरीदनी पड़ती है । जबकि प्रदेश में इतनी चीनी पैदा हो रही है, पता नहीं चलता है कि वह कहां चली जाती है ?

इसी के साथ ही साथ मान्यवर, इस विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिये 13 लाख 31 हजार कई सौ टन गेहूं खरीदा । उसके बाद गेहूं सस्ते गल्ले की दूकानों पर जहां इसको बिकना चाहिये था, न बिक कर यह गेहूं खुले बाजार में बिका । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई ज्यादा काम नहीं हुआ ।

गांव के किसानों के प्रति लम्बी-चौड़ी बात करने वाली यह सरकार जो किसानों की दुहाई देती है, कभी-कभी आदमी इतना ज्यादा बोल जाता है कि वह दुर्भाग्य हो जाता है । जनता दल ने सत्ता में आने के लिए जनता से, किसानों से बड़े लम्बे-चौड़े वायदे किये थे, घोषणायें की थीं, लेकिन किया कुछ नहीं उल्टे उपभोक्ता की पिटाई और कर दी । मान्यवर, दो सौ रुपये गेहूं का मूल्य था और आपने उसको बढ़ाकर दो सौ 15 रुपये किया । इस प्रकार से इस सरकार ने केवल 15 रुपये की वृद्धि की है । मान्यवर, जो गेहूं सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान पर बिक रहा है वह दो रुपये 85 पैसे प्रति किलो बिक रहा है और आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जनता को राहत दे रहे हैं । पिछली सरकार ने दो सौ रुपये गेहूं का मूल्य किया था और आपने दो सौ 15 रुपये कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1988-89 में गेहूं का मूल्य 183 रुपये था 1987-88 में 166 रुपये था और 1987-88 में इस 166 रुपये को बढ़ाकर 183 और 183 से दो सौ रुपया कर दिया गया । यानी कुल 17 रुपये की वृद्धि की गई थी, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने 200 से 215 किया है यानी केवल 15 रुपये बढ़ाया है । पिछली सरकार से दो रुपये कम बढ़ाये हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनता का इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर 2.85 रुपये की दर से गेहूं बेचा जा रहा है । बाजार में तीन रुपये तक गेहूं बिक रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सी नीति है । आप कहते हैं कि हम उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप उनको लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं । आप कहते हैं कि हम किसानों को खुशहाल करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान खुशहाल नहीं हुआ है । आपकी जो नीति है वह सफल कभी नहीं हो सकती है, केवल आप ढिंढोरा पीट रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि 13 लाख 28 मैट्रिक टन गेहूं में जो मुनाफा हुआ है, वह कहां गया । मान्यवर यही चीज धान की खरीद में हुई । 7811 मैट्रिक टन धान की खरीद हुई और जब इसका कारण माननीय मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धान बाजार में कुछ महंगा था ।

इसके सम्बन्ध में सदन में कार्य स्थगन के रूप में मामला आया और कहा गया कि धान की खरीद नहीं हो रही है । मान्यवर, जिलों में आपकी अफसरों की फौज है, लेकिन

वह कुछ नहीं करते हैं । बहराइच में जिलाधिकारी हैं, और उनके तमाम सहयोगी अफिसर हैं, लेकिन वह कुछ नहीं करते हैं । मैंने जिलाधिकारी को बैठक में बताया कि फलां फलां केन्द्र हैं, उनका आप निरीक्षण कर लें वहां पर खरीद का काम नहीं हो रहा है । जो गेहूं खरीदा गया है वह बाजार से और बिचौलियों की सहायता से खरीदा गया है । किसानों को लौटा दिया गया किसान को मजबूर होकर 5 रुपया और 10 रुपया प्रति बोरा के हिसाब से देना पड़ा, तब उसका गेहूं खरीदा गया । स्थिति तो यह है कि विभाग की नीति सफल नहीं है । मेरा कहा है कि आप इन क्रय केन्द्रों को बन्द करें और आप पूरे बाजार पर नियत्रण करें । बाजार पर नियंत्रण होना चाहिये । मुगल शासन के इतिहास को आप देखें शासक लोग बाजार में छिप कर जाते थे और सामान को खरीद करते थे और इस प्रकार से गुप्तचरी करते थे, लेकिन आपके पास इस प्रकार की कोई मशीनरी नहीं है ।

अब मैं सीमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । सीमेंट की स्थिति यह है कि इतने दाम सीमेंट के इतिहास में कभी नहीं हुये हैं । 70 रुपये, 75 रुपये और 86 रुपये तक सीमेंट के दाम पहुंच गये हैं ।

कई माननीय सदस्य 100 रुपये तक पहुंच गये हैं । आप इनको नियंत्रित करें । आज सीमेंट इतनी महंगी हो गयी है, तो जनता क्या करे ।

अभी माननीय मंत्री जी ने कोयले की नीति के बारे में कहा कि स्लैक कोल बिचौलियों और लाइसेन्सधारियों को समाप्त करने के लिये सारे प्रदेश के भट्ठे वालों को कह दिया कि ट्रकों से से कोयला ले आओ और इसके साथ ही आपने यह सुना है अभी सदन में, कि एक भी दरख्वास्त भट्ठे वाले की तरफ से नहीं पड़ी है । अगर इस सरकार की नीति कारगर होती, अच्छी होती, लाभदायक होती तो ईट भट्ठे वाले दरखास्त न देते । वे लाइसेन्सधारियों से कोयला ले रहे थे । लेकिन उत्तर प्रदेश की इतनी रहम दिल सरकार हो गई है कि उसने कहा कि हम इसको फ्री करते हैं जिसके लिये एक भी दरखास्त उनके पास नहीं गई है । मुख्य कारण यह है कि कोयले के लाइसेन्सधारियों को बीच से हटाने की चूक हुई और इसने सरकार पूरी तरह से असफल हो गई । भट्ठे वालों को कोयला आसमान के भाव में मिला है और पूर्वी उत्तर प्रदेश आज 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक कोयला मिला है । ईट इतनी मंहगी आज हो गई है कि कोई भी भट्ठा वाला आपको दरखास्त नहीं दे रहा है ।

इस सरकार ने आज किसान की कमर तोड़ दी है । अपना गल्ला, गेहूं, धान बेचकर वह रहने के लिये एक कुटिया भी इस तरह से बनाना चाहता था, किन्तु आपने उसकी यह कल्पना भी धूमिल कर दी । चीनी के मोर्चे पर, ईट के मोर्चे पर, हर मोर्चे पर आपकी नीतियां असफल रही हैं । आने वाले दिनों में पालने में बच्चे के पांव दिखाई पड़ते हैं कि वह होनहार है लेकिन प्रदेश के मंत्री इस प्रदेश के उपभोक्ता, किसान और जनता के लिये अपशकुन हो रहे हैं । यही नहीं, आज चावल 260 रुपया प्रति क्विंटल इस सरकार ने लेवी में लिया, 304 95 रुपये प्रति क्विंटल फाइन चावल तथा 347 रुपये सुपर फाइन चावल प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया । लेकिन इस चावल नीति का बाजार पर क्या नियंत्रण है ? सुपरफाइन चावल 10 रुपये और 12 रुपये प्रति किलो बाजार में बिक रहा है । चीनी आज बाजार में 10 रुपये किलो में बिक रहा है । चीनी आज बाजार में खुले में 10 रुपये किलो के हिसाब से, 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं, 7 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से चावल बिक रहा है मेरे कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ता उपभोक्ता है । आप यह कह कर बरी नहीं हो सकते कि यह . . . ।

मेरी दुकान है और यह मेरी दुकान नहीं है । यह सारी खाद्य और रसद मंत्रालय की जिम्मेदारी है । प्रदेश का उपभोक्ता व्यापारी नहीं है कि वह यह देखे कि आपकी दुकान पर सस्ता है और बाजार में महंगा है । यह तो एक व्यापारी की भाषा हो सकती है कि चूंकि मेरी दुकान पर सस्ता है इसलिए कहां से सामान लो । यह शासन और प्रशासन की भाषा नहीं हो सकती है । आप उसको सस्ते भाव पर सामान उपलब्ध कराये ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी सस्ती सरकारी दुकान पर चले जायं । आज 10 रुपये किलो चीनी उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के सामने दारुल शफा में बिक रही है । विश्वास न हो तो माननीय मन्त्री जी कभी कुर्ता पायजामा पहनकर टहलते हुए वहां पर चले जायं, 10 रुपए किलो चीनी मिलेगी । कौन सी खास बात आपने कर दी जो पहले नहीं हुआ करती थी जिसे आप बड़ी उपलब्धि मानते है । हमें तो नहीं लगता है । इसी तरह से मिट्टी का तेल आप शहरों में पूरे परिवार की बुनियाद से 10 लीटर और देहात में 4 लीटर देते हैं । आप हमें यह

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

बताइये कि मिट्टी का तेल की आवश्यकता शहरों में अधिक है कि देहातों में । शहर का आदमी दूसरी खोजों का भी उपयोग करता है, गैस सिलेंडर भी उसके पास है और दूसरे संसाधन भी उसके पास है यदाकदा वह मिट्टी का तेल जलाते हैं लेकिन देहात में आज बरसात में लकड़ी भी जाती है वह भी कुछ जला ले उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है वहां सांप, बिच्छू और अन्य जानवर घरों और गली कूचों में जिस तरह से घूमते हैं उसको उजाला करने के लिए भी मिट्टी का तेल कम दे रहे हैं ।

आपने कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किया होता और गांवों में मिट्टी का तेल अधिक दिया होता तो मैं मानता कि सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है । ईंधन के प्रश्न पर आप गैस कनेक्शन देते हैं मैं बार-बार आग्रह करता हूं कि खाली कानून बना देने से कोई लाभ नहीं होता है यदि उसका पालन न हो तो इससे समाज में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है लोगों में कानून तोड़ने की आदत पड़ जाती है । आपने कानून बना दिया कि गैस सिलेन्डर उपभोक्ता के दरवाजे पर एजेंसी वाले भेजेंगे, दुकानदार भरा सिलेन्डर लेकर जायेगा और खाली सिलेन्डर वापस लायेगा । आप मंत्री हैं आपके यहां भरा हुआ सिलेन्डर आ जाता होगा लेकिन जब आप विधायक थे तो आपको भी लेने जाना पड़ा होगा यहां पर माननीय सदस्य बता दें कि उनके यहां जिलों में गैस सिलेन्डर दुकानदार दे जाता है ।

आपने भी देखा होगा सड़कों पर लोग खाली सिलेन्डर लिए हुए साईकिल में लाद कर ले जाते हैं और गोदामों में सिलेन्डर लिए हुए खड़े रहते हैं और तीन-तीन दिन तक लाइन पर खड़े रहने के बाद कह दिया जाता है कि गैस खतम हो गई । तो या तो आप ऐसा कानून न बनाइए जिसका पालन न हो या फिर सख्ती से उसे पालन कराइये ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस कानून में संशोधन कर दीजिए । आज कौन नहीं जानता है कि लोग साइकिल पर खाली सिलेन्डर लादे मारे-मारे फिर रहे हैं ।

इसके साथ ही आज उत्तर प्रदेश में छापों की बात की जाती है । छापों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं और उस पर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं छापों की संख्या 1988 में 35,737 थी 89 में यह संख्या 23,917 थी

और 90 में इस 6 महीने में जब से यह सरकार आई है उसमें वृद्धि हुई है और कमाल दिखाया है और छापों की संख्या 44,435 हुई है मेरा कहना है कि यह छापे राजनीतिक दुर्भावना से डाले गए और उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए नहीं डाले गए यह इस बात से सिद्ध होता है कि इन छापों में जो माल पकड़ा गया है उसके जो आंकड़े हैं वह उनसे कम मूल्य का माल पकड़ा गया है। क्योंकि 88 में 35,737 छापे मारे और जो वस्तुयें इनमें मिलो उसका मूल्य 6 करोड़ 38 हजार 675 था और 89 में जो छापे मारे गए वह 23,917 और पकड़े गए माल का मूल्य 5 करोड़ 36 लाख 604 था लेकिन पिछले 6 महीनों में जो छापे मारे क्योंकि कहा गया कि छापों के लिए बड़ा दबाव था प्रधान मंत्री जी ने भी 20 मई को उत्तर प्रदेश सरकार को लिखित पत्र भेजा कि जमाखोरो के खिलाफ सख्ती से निपटिए इसलिए बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। क्योंकि प्रधान मंत्री जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने भी छापे डाले थे। तो इन 6 महीनों में जो छापे मारे गए उनकी संख्या 44435 है और उनमें जो माल पकड़ा गया वह केवल 3 करोड़ 98 लाख का माल पकड़ा गया इस तरह से सारे प्रदेश के छापों में कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दुर्भावनावश कार्य किया गया है।

मान्यवर, अब में बांट माप विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में नकली बांटों की बाढ़ आ गई है और बांट माप मोर्चे पर मंत्री जी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, चूंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, उत्तर में बतायेंगे, इनके यहां आज भी किलो की जगह गोल-मोल लोहे का जिसको सेई कहते हैं चलता है। मंत्री जी के पूरे इलाके में सेई बांट से जो एक किलो से थोड़ा कम है मजदूरों को उसी से राशन दिया जाता है। मान्यवर, आज तक उसको नहीं बदला गया है तो जब इनका अपने क्षेत्र में नियंत्रण नहीं है तो पूरे प्रदेश में कैसे नियन्त्रण हो सकेगा इसको में नहीं समझता हूं।

मान्यवर, आज हर व्यक्ति खाता पीता है और चीजें क्रय करता है और उसके पीछे भावना होती है कि हर व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न और खुशहाल हो लेकिन खेद का विषय है उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता, आम नागरिक पूरी तरह से असुरक्षित है। गर्मियों में हम दावतें खाते थे किन्तु उपभोक्ता की आज स्थिति यह हो गई है खाद्य विभाग की देख-रेख में कि दावत में जाने वाला हर आदमी उत्तर प्रदेश में पहली पंक्ति में दावत में खाने को तैयार नहीं है, वह सोचता है कि पहले दूसरे को खा लेने दो और यदि वह जिंदा रहेंगे तो हम खायेंगे।

मान्यवर, यह शुरुआत कहीं दूसरे जिले से नहीं बल्कि खाद्य मंत्री जी के घर के जिले से हुई है। पीड़ा होती है कि उत्तर प्रदेश में आज खाद्यान्न जहर बन चुका है। इसके साथ ही गेहूं की बोरियों में जो रासायनिक दवायें डाली जाती हैं उनकी दुर्गन्ध जब हम रोटी खाने बैठते हैं तो आती है और हम लोग जहर खाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चाहे संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान खोल दिया है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि खाद्य विभाग को गारन्टी नहीं देता है कि खाने की चीजें सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्द्धक हैं। आज गेहूं में डाला जाने वाला सल्फास उत्तर प्रदेश में फांसी का फंदा है क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देशों में सल्फास के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है जबकि यहां इसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे बंद किया जाना चाहिए। सदन में इस पर भले हल्ला मचायें लेकिन उत्तर प्रदेश में सल्फास धड़ल्ले से बिक रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

कितना समय और आप लेंगे ?

श्री मयंकर सिंह—

थोड़ा समय और लेंगे।

आज उत्तर प्रदेश में प्रति तीसरे दिन जिले में एक आदमी सल्फाश खा कर मर रहा है। एक ओर गेहूं में प्राणघाती दवा छिड़कने से, उसके जहर से आदमी घुलकर मर रहा है, उसकी मौतें हो रही हैं और दूसरी तरफ उस औषधि को खाकर लोग मर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि कितनी और मौतों के बाद यह सरकार उस सल्फाश औषधि के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी कि अब से यह उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगी। बस्ती के ही नहीं प्रदेश के अन्य जिला के भी हमारे पास आंकड़े हैं, जहां पर इस सल्फास से लोगों की अनेक मौतें हुई हैं। ऐसी घटनायें मेरठ वाराणसी और मथुरा आदि कई जिलों में हुई हैं, लेकिन हमारी सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वाराणसी में 23 अप्रैल को जिले में दो स्थानों पर विषाक्त भोजन खाने से लोग बुरी तरह बीमार हो गये। उस जनपद में जगतगंज थाना क्षेत्र में 150 और सैय्यद वहां क्षेत्र नं0 50 आदमी विषाक्त भोजन करने से भयंकर रूप से बीमार हुए। आज शदियों के खुशियां, शदियों का उत्साह इस खाद्य व रसद मंत्रालय के नाम पर तथा इसकी करनी पर मातम का स्थान बना हुआ है।

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव है, पहले तो आप हिम्मत करिये। काम बड़ा है, एक लीक जो चल रही है, उसको तोड़ने के लिये बड़े संकल्प और साहस की आवश्यकता है। ऐसा करने में, एक बार अवश्य आपके सामने अन्धकार दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ करने के बाद आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आपको आगे का शुभ संकेत मिलेगा और कोटा परमिट का ही रास्ता समाप्त होगा। आज बहुत सी चीजें खुले बाजार में बिक रही हैं, मेरा कहना है कि आप इस जाल को न फैलावें। अभी आपने सदन में कहा कि हम साबुन भी देंगे, दियासलाई भी देंगे। मैं कहूंगा कि आप इस बीमारी को अब आगे न फैलायें। यदि यह भी चीजें आप देखले तो साबुन 20 रुपये बट्टी बिकेगा और दियासलाई 2/3 रुपये में एक बिकेगी। क्योंकि जहां-जहां आपका हाथ लगा है, वह चीज कंचन से कोयला हो गई है। जिस किसी भी चीज को आपने अपने हाथ में लिया उस चीज के दाम आसमान छूने लगे। आपने कोयले को छुआ, ईंट मंहगी हो गयी, सीमेंट को छुआ उसके मूल्य आसमान चढ़ गये। जिस चीज को छुआ उसे बर्बाद करके रख दिया। इसलिये मत छुवें दियासलाई और साबुन, मत छुवें कपड़ा।

आज इस प्रदेश में देखा जाए जिस तरह से उन्मुक्त बाजार है और पूरे बाजार पर नियन्त्रण है। इतना बड़ा यह उत्तर प्रदेश है और इसमें आप मात्र 62 मोबाईल-वान चलवा रहे हैं सन् 88 में भी 62 से 89 में भी 62 रहे और इस 90 के वर्ष में भी यह 62 ही निकलने हैं। इन सालों में इनकी संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। वह कुछ काम नहीं करते। जिसमें पैसा लगने वाला है, उसे आप करते नहीं। दुकानें ज्यादा खोल दी गई हैं, यह कहां कि कौन बड़ी बात हो नयी चावल और चीनी ब्लैक करने के लिए लोग डी0 एस0 ओ0 आफिस में दुकान का लाइसेंस लेने चले आ रहे हैं। किन्तु प्रदेश में यह 62 काही आंकड़ा क्यों चला आ रहा है। क्या किसी छोटे जिले में यह हैं, जो इस तरह के सामान को यहां से ले जाकर अपने यहां उपभोक्ताओं में बेचते हैं। आप सीमेंट के दाम गिराइये, नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश के लोग मकानों की ओर से हटकर झोपड़ी की ओर पहुंच रहे हैं। आज कोयले के बढ़े हुए दाम पर और कोयला नीति पर आपको विचार करना पड़ेगा। इस मामले में आपके अधिकारियों ने आपको गलत सलाह दी है या आपकी जानकारी है कम ही आज भी कोई अट्ठेवाला आपसे कोयला लेने को तैयार नहीं है, आपको अप्लीकेशन देने को तैयार नहीं है।

आपको इस नीति सुधार करना होगा। उत्तर प्रदेश में जो तमाम कोयल आवंटित हुआ था, वह प्रदेश में पूरे का पूरा नहीं आ पाया, तमाम कोयला रह गया। आज इस दिशा में प्रयास होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कोयला आये। कोयले की मांग है। आज उत्तर प्रदेश में लोग कोयला उठाना नहीं चाह रहे हैं इससे उपभोक्ता को भी असुविधा हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—

सारे सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिए अब आप खत्म करें।

श्री मयंकर सिंह—

इसलिए मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी और खाद्य एवं रसद विभाग को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज खुले बाजारों में जो जहर बिक रहा है, माननीय मंत्री जी को गाड़ी निकलती है, वह नहीं देखते हैं कि मीठे की दुकानों की क्या स्थिति है, पानी दूकानों की क्या स्थिति है। इस तरह से सारे प्रदेश में जो अनियंत्रित व्यवस्था है जिससे रोगों का जन्म हो रहा है, बस्ती और वाराणसी में हादसे हो रहे हैं, इस पर नियंत्रण पाया जाये और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार को भी लिखे। सरकार ने 15 रुपये से 17 रुपय बढ़ाये तो हैं लेकिन जिस भाव पर किसान का गेहूं का बिक रहा है उससे उसकी कमर टूट रही है और अगली पैदावार प्रभावित होती जा रही है। 1986 में जो ट्रैक्टर 80,000 रुपये का था अब वह डेढ़ लाख रुपये का हो गया है और किसान को गेहूं का मूल्य 160 रुपये 215 रुपये मिल रहा है। इससे अन्ततः उत्पादन प्रभावित होगा इसलिये किसानों को उचित मूल्य दिया जाय। क्रय केन्द्रों पर जिला परिषद् का नियंत्रण होना चाहिये। किसान अकारण किसी के विरोध में प्रार्थना-पत्र नहीं देते हैं। सभी जिलाधिकारियों को आदेश होने चाहिये, प्रशासन को सख्ती करनी चाहिये कि जिन क्रय केन्द्रों पर किसान से धान और गेहूं नहीं लिया जाता है, उसके विरुद्ध कठोरता की कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, अब मैं फलों की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, आज आदमी जब खाना खाता है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो रोगी हो गये हैं वह फल खाने की सोचते हैं। वह सोचते हैं कि फलों को खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन आज जो रिपोर्ट प्रस्तुत है उसमें सारे उत्तर प्रदेश में फलों को कार्बाइड डालकर पकाया जा रहा है। पहले फलों को घास-फूस की पाल में पकाया जाता था। कार्बाइड से बहुत दुष्परिणाम सामने आये हैं। इससे एसीटिलिन नाम की गैस पैदा होती है, वह मीठा जहर है उससे बड़े ही प्राणघाती दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। दुनिया के सारे देशों में इस पर पाबन्दी लगा दी गयी है। पहले डी0 डी0 टी0 भारत में अमेरिका से आयी थी, यह दस गुना अधिक जहर है जो सब्जियों पर छिड़का जाता है, जिससे सब्जियों हरी-भरी दिखाई देती है। पश्चिमी देशों में इसको बन्द कर दिया गया है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कार्बाइड डालकर फलों को पकाया जा रहा है, हम लोग वह खरीद रहे हैं और हर व्यक्ति उसे खा रहा है। इस प्रदेश की औसत आयु क्या होगी अगर फलों में जहर मिलेगा तो क्या होगा इन्होंने इधर बैठकर यह नहीं सोचा। यह पूरे प्रदेश का, आम जनता का सवाल है, हमारा आपका सवाल है। आज जिस तरह से फलों/सब्जियों में जहर हमारे प्रदेश में मिल रहा है उसको रिसर्च इन्सीट्यूट ने भी कहा है। एसीटिलीन के जो परिणाम हुए हैं उसके बारे में नई दिल्ली के आयुविज्ञान संस्थान ने भी कहा है और यह भी कहा गया है कि पन्द्रह वर्षों के बाद में से 3 लोग विकलांग होने लगेंगे समय से पूर्व मृत्यु होने लगेगी वैज्ञानिकों का

कहना है कि कार्बाइड का प्रयोग होता रहा तो फलों में घुला जहर, सब्जियों में घुला जहर बहुत घातक होगा। आजकल तो कार्बाइड की पुड़िया फलों की टोकरी में रखी जाती हैं, लेकिन इस विभाग ने फलों की टोकरियों का पैकटों का कभी निरीक्षण नहीं किया कि कार्बाइड इसमें रखी जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

मयंकर सिंह जी संक्षिप्त करें।

श्री मंयकर सिंह—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

*श्री सरदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 6 महीने में हमारे साथियों का स्वास्थ्य इतना अच्छा कर दिया है। जब वह चुनकर आये थे तो दुबले-पतले थे, लेकिन अब अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थ खा-खाकर इनकी सेहत कितनी बन गई है। माननीय अधिष्ठाता जी, यह बात सही है कि हमें एक बहुत टूटी हुई लचर व्यवस्था मिली, भ्रष्टाचार था, काला बाजारी थी। बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिनके लिये जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी, हमारी सरकार ने इसमें काफी सुधार किया है।

(व्यवधान)

यह सही है कि मंहगाई बढ़ी है। मान्यवर, अगर हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की महंगाई देखें तो पता चलेगा कि उन राज्यों में हमारे यहां से ज्यादा महंगाई है। मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई तो जरूर बढ़ी है लेकिन आप किसी सीमेंट की दुकान पर चले जायें, ईंट के भट्ठे पर चले जायें पिछले 6 महीनों में लोगों की इतनी क्रय शक्ति बढ़ गई है कि इन दूकानों पर आपको सामान नहीं मिलेगा, सब सामान बिक जाता है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है इसीलिये सामान नहीं मिलता है। महंगाई बढ़ने की बात आज वर्ल्ड वाइड फिनोमिना हो गई है। हमारी सरकार ने गेहूं के दाम बढ़ाये, गन्ने के दाम बढ़ाये, धान के दाम बढ़ाये और भ्रष्टाचार को खत्म किया है जिसका नतीजा यह है कि महंगाई तो बढ़ी है लेकिन खरीदारों की कोई कमी नहीं हुई है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में लोगों की हालत कितनी अच्छी हुई है। यह तो हमारे सामने बैठे माननीय सदस्य अपनी हेल्थ से अन्दाजा लगा सकते हैं कि पहले आप कैसे आये थे और आज कैसे दिख रहे हैं। किशोरी श्याम जी का वजन 35 किलो बढ़ गया है।

एक सदस्य—

आपका कुर्ता छोटा हो गया है, फटने वाला है।

श्री सरदार सिंह—

इस सरकार ने जो गेहूं और चावल की खरीदारी निर्धारित की गई थी उससे ज्यादा खरीदारी की है। सरकार ने गेहूं के भाव गिरने नहीं दिये हैं, 32 रुपये बढ़ा दिये हैं और किसान को स्वतंत्रता दी है वह जहां कहीं भी चाहे अपना गल्ला ले जाकर बेच सकता है। पहले की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सुधार व्यवस्था की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्षता—

आपका समय समाप्त हुआ आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं मथुरा और वृंदावन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह तीर्थ स्थान है और यहां पर हजारों, लाखों तीर्थयात्री आते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा वृंदावन में चीनी तथा दूसरे खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराया जाये । हमारे बी०जे०पी० के भाई भी वहां जायेंगे । मेरा अनुरोध है कि चीनी, मिट्टी का तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थ वहां पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराये । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अयराज गौतम—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया । माननीय मयंकर सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में 2 दिसम्बर, 1989 को इस देश के प्रधान मंत्री के रूप में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का अभ्युत्थान होता है । उनको बड़ी चिन्ता थी कि देश में मूल्य वृद्धि हो रही है इसीलिए उन्होंने अपने प्रमुख सचिवों की मीटिंग बुलाई और निर्देश भेजे कि मूल्य वृद्धि न हो । लेकिन खेद का विषय है कि 6 महीने बीतने के बाद यह सरकार मूल्य वृद्धि रोकने में असफल रही है । चुनाव के दौरान इस सरकार ने लोगों को तरह-तरह के लुभावने नारे दिये थे और यह कहा था कि सस्ते दामों पर आपको सही सामान उपलब्ध कराया जायेगा । चाहे वह चीनी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे गल्ला हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, हम हर सामान सस्ते दामों पर मोहइया करा देंगे । श्रीमन् सस्ते दामों पर देने के साथ-साथ इन्होंने घोषणा की थी कि प्रदेश में चाहे महिला की, चाहे हरिजन की, चाहे कानून-व्यवस्था की बात है, हम अत्याचार पर भी रोक लगा देंगे । मान्यवर, न तो ये किसी अत्याचार पर रोक लगा सके और न ही ये महंगाई पर रोक लगा सके । मैं, श्रीमन् केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि कांग्रेस शासन काल में जो आवश्यक वस्तुएं थीं, उनकी कीमतें क्या थीं और इनके शासन काल में आवश्यक वस्तुओं की क्या कीमतें हैं । मान्यवर, 1984 में चीनी 5 रु० किलो से 6 रुपया किलो बिकती थी और 1990 में 12 रु० से भी ज्यादा में बिकने लगी । गेहूं 1.50 रु० से 2 रु० था, आज 2 रु० से 3 रु० प्रति किलो बिकने लगा । चना 84 में 2 रु० से 4 रु० बिक रहा था, आज जनता शासन काल में 12 रु० से 13 रु० प्रति किलो हो गया है । श्रीमन् यही नहीं, तेल 10 रु० से 15 रु० तक कांग्रेस शासन काल में था, इनके शासन काल में 20 रु० से 35 रु० बढ़ गया । सब्जी हरे सब्जियों में भी काफी वृद्धि हुई है, कांग्रेस शासन काल में इसका दाम 1 रु० से 3 रु० प्रति किलो तक था और आज 5 रु० से 10 रु० तक बिक रही है ।

श्रीमन् कपड़ा धोने के साबुन की कीमत कांग्रेस शासन काल में 10 रु० से 12 रु० प्रति किलो थी, आपके शासन काल में 12 रु० से 20 रु० प्रति किलो हो गई । श्रीमन् यही नहीं, गरीब लोग अपनी भूख को मिटाने के लिये, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो, जब वह चलता है और अपनी थकान मिटाने के लिए बैठता था, तो पहले जहां उसको 50 पैसे में चाय मिलती थी, आज उसको 1 रु० मिल रही

है । मान्यवर, जिन गरीबों को आप बोहाई दे रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के शासन काल में हर स्तर पर महंगाई रोकने में नाकामयाबी रही है, चाहे वह चीनी की बात हो रही हो, चाहे वह ईंट की बात रही हो, चाहे सीमेन्ट की बात रही हो या खाद की कीमत की बात रही हो, हर चीजों में आप असफल रहे हैं । इस तरह से मैं एक सुझाव भी आपको देना चाहता हूं । मान्यवर, ईंट कन्ट्रोल के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, बहुत से लोग 10-15 वर्षों से मकानों में रह रहे हैं और मकान मालिक उसको इसलिए ठीक नहीं कराते, क्योंकि वह जानते हैं कि उसको वह छोड़ेंगे नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस किरायेदार में आप आपसी रोष पैदा करें और दूसरी बात यह कह दूं कि मकान मालिक को कभी-कभी अपने मकान से छुटकारा पाने के लिए, वह गुण्डों का सहारा लेकर मकान खाली करा लेता है । मान्यवर, इसमें ऐसी व्यवस्था कर दें कि जब वह मकान बिके, तो वह मकान किरायेदार को मिलना चाहिये । श्रीमन् समयाभाव के कारण मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री राम धनी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सबसे पहले मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ जो हमारे खाद्य और रसद मंत्री हैं, जिन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है उनको भी बधाई देना चाहता हूं । अभी जो माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह हमारी सरकार के सहयोगी हैं मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि वे सुझाव देंगे और सही बात की तारीफ करेंगे लेकिन उन्होंने एक भी बात सही नहीं कही और न कोई सुझाव ही दिये । अभी हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कीमतें बढ़ गयीं । मैं इसके लिए एक दो उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछली सरकार के जमाने में एक आपूर्ति विभाग का छोटा सा कर्मचारी जो बलकर की मोटर साइकिल से लेकर कार जीप पर चलना शुरू कर दिया था, यह किसको देन है । मान्यवर, जो भी लाइसेंसी था उसकी बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो गईं, यह किसकी देन थी, यह कैसे हो गया । मान्यवर, यह सारे भ्रष्टाचार की जड़ पिछली सरकार रही है । मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जिसने आते-आते भ्रष्टाचार को हटाने का संकल्प लिया और आपने देखा कि कितने लोगों को जेल भेजा गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया गया ।

मान्यवर, मिट्टी का तेल जो 4-5-9 रुपये में पहुंच गया था वह ढाई रुपये में बिकने लगा है, यह हमारे मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी की देन है । मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार में इतनी डूब गई थी लेकिन हमारी सरकार जो लोक कल्याणी सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, उसमें यह सारे परिवर्तन कल्याणकारी ढंग से हुए हैं । मान्यवर, मैं केवल 2-3 सुझाव देना चाहता हूं, पिछली सरकार की भ्रष्टाचार की जड़ थी उसमें राशन कार्ड नहीं बने थे, केवल दो एक जगह ही बने थे बाकी समूचा ब्लॉक होता था । मैं कहना चाहता हूं कि जो पुराने कार्ड बचे खुचे हैं, वह तो हैं, नये कार्ड जनगणना को मद्दे से बनाने का कष्ट करें । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ग्रांड स्तर से दूकानों का प्रस्ताव हुआ है उसको अविलम्ब का के रूप में गांवों तक पहुंचाने की कार्यवाही होनी चाहिए, तीसरी चीज जो बहुत आवश्यक है मनुष्य के रहने के लिए चाहे वह सीमेन्ट का मामला ही चाहे लोहे का मामला हो, सारी चीजों के मूल्यों पर कंट्रोल करना चाहिए । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री मयंकर सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने खाद्य मंत्री जी को सुना, सुधार की जिज्ञासा इनमें है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 6 महीने का समय मिलने के बाद भी किसी निश्चित दिशा की जानकारी दिखाई नहीं दी जिससे इस बात की आशा की जाय कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा, उपभोक्ताओं को सही चीजें मिलेंगी। इस दृष्टि से मैं 4–5 सुझाव देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि गेहूं की खरीद हो रही है, अच्छा काम हो रहा है लेकिन उसकी पहले कीमत 200 रुपये जारी हुई थी उसके बाद 21 अप्रैल, 1990 को 215 रुपये कीमत जारी हो गयी। 15 रुपये को देने के बारे में अभी आपने कोई नीति नहीं बनाई है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चावल की खरीद हुई है ठीक है, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था। मैं यह पूंछना चाहता हूं कि आर0 एफ0 सी0 के माध्यम से एफ0 सी0 आई0 उसको उठाती है। मेरी निश्चित जानकारी है कि 3 लाख बोरी चावल आपके द्वारा खरीदा हुआ व्यापारियों के गोदाम में सड़ रहा है, रुपये आपने दे दिये, एफ0 सी0 आई0 उठा नहीं रही है, गोदाम में पड़ा हुआ है। और उनका शोषण यह होगा कि इतने दिनों के बाद उठाने जाएंगे तो चावल सूख जाएगा और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसकी क्वालिटी गिर जायगी। फिर कहेंगे कि व्यापारी बेईमान है और उसको प्रताड़ित करने की चेष्ठा करेंगे, लेकिन आप यह नहीं देखेंगे कि इतने दिन तक चावल उठता क्यों नहीं उठता। इसमें नियम यह है कि लेवी का चावल 7 दिन में यदि एफ0 सी0 आई0 न उठाए तो राज्य सरकार, जितना चावल मिल गया है उसको बेच सकती है। केन्द्र में भी आपकी पार्टी की ही सरकार है। आपस में कोआपरेशन होना चाहिए। यदि कोआपरेशन नहीं है तो आप चावल बेच सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करें। या फिर केन्द्र सरकार पर दबाव डालें और उस चावल को सूखने से और खराब होने से बचावें। आप इस राष्ट्रीय क्षति को बचावें। आपने कहा कि पिछली व्यवस्था घटिया थी, समाप्त कर दी। ठीक है। लेकिन उसकी जगह कोई नया तंत्र नहीं बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा। आपने व्यापार मित्र को एबालिश कर दिया, ठीक है, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा तंत्र विकसित किया। अगर आपने 6 महीने में दूसरा तंत्र विकसित नहीं किया तो फिर मेरा आरोप सही है कि इच्छा शक्ति होने के बावजूद चिंता और चिंतन न होने के कारण आप दूसरा विकल्प नहीं निकाल पाए आपने जिला स्तरीय कमेटियों का एबालिशन कर दिया, बधाई, लेकिन उपभोक्ताओं, सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और जन नेताओं की स्थानीय वितरण प्रणाली में कोई भागीदारी हो, इसका कोई तंत्र विकसित किया। अगर विकसित नहीं किया है तो किसकी जिम्मेदारी है।

आपने लाइसेंसिंग प्रणाली की बात की कि लाइसेंस में सरलीकरण की प्रक्रिया जारी होगी। छः महीने हो गये, प्रक्रिया जारी नहीं हुई। इन्होंने एक घोल दिया है। व्यापारी मांग करते हैं कि हम व्यापार करते हैं और हमें एक ही दुकान पर बैठ कर 10–12 लाइसेंस देने पड़ते हैं। आपने धोखा दिया कि कम्पोजिट लाइसेंस बना देंगे। लेकिन इससे छोटे व्यापारियों के गले में फांसी का फंदा पड़ गया। बड़े व्यापारियों के लिये ठीक है कि आपने एक लाइसेंस दे दिया होलसेल का लेकिन गांव में जिसने दो बोरी का स्पेलर लगाया है, क्या वह दूसरे प्रोड्यूसर को बेचने जायगा। आपने उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फीस 5 हजार कर दी । अगर उसको लाइसेंस फीस का 5 हजार देना पड़ेगा तो वह कैसे काम करेगा । इसी तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम में, जो 1955 का है, एक धारा 3/7 है । आप बाजार में भाषण देंगे, सार्वजनिक मंच से भाषण देते समय आप इस धारा की आलोचना करते हैं । यह जानबूझकर व्यापारियों का शोषण करने के लिये यह धारा बनाई गयी है, लेकिन विधान सभा में आप बैठेंगे तो उसके एबालिशन की बात नहीं करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट किस जमाने में बनी थी । आज वायर, ब्लेड, दियासलाई की क्या कोई कमी है ? अगर कमी नहीं है तो क्या एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट को पुनरीक्षित करने की क्या आवश्यकता नहीं है ? अगर नहीं है तो क्यों नहीं पुनरीक्षित की । अगर मात्र रेट लिस्ट में कुछ छूट गया तो आप 3/7 में उसको ले जाएंगे । उसकी जमानत नहीं होगी, वह व्यापारी आपका अपराधी हो जाएगा । आप व्यापारी को नियमों में बांधें, ठीक है, लेकिन नियमों का उद्देश्य अनुशासन का पालन होना चाहिये । लेकिन अगर कर्मचारियों और ब्यूरोक्रेसी को हैण्डिल दे देंगे शोषण का तो इससे शांति नहीं मिलेगी । शायद माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और उत्तर देते समय कुछ उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

*श्री मारकण्डेय चन्द्र---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । इस खाद्य विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव माननीय भयंकर सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, जितनी उसकी उपलब्धियां हैं जितनी अच्छाइयां हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया । उनके दल के माननीय गुप्त जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट की उपलब्धियों की सराहना की और बहुमूल्य सुझाव दिये । माननीय जय राज गौतम जी चले गये, सारी बात कोयले पर कह गये ईंटों के दाम पर कह गये । मैं उनकी बात का उत्तर दे दे रहा हूं, आप लोगों को मालूम है कि आपकी सरकार जब थी

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, उत्तर तो मंत्री जी देंगे, एक माननीय सदस्य कैसे दे सकते हैं ? मंत्री पद के उम्मीदवार हैं इसलिये यह हैं ।

(व्यवधान)

श्री बाबा राम यादव—

मान्यवर, माननीय सदस्य उनको बता रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सब लोग बैठें । सबको अवसर मिलेगा सभी बैठें ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

ईंट की महंगाई से पूरा प्रदेश प्रभावित था, इसकी जड़ कहां है ? यह जानना आवश्यक है । आपकी सरकार ने, कोयले की स्पांसरिंग जो ट्रेन द्वारा होती थी लाखों करोड़ों टन, वह स्पांसरिंग समाप्त कर दिया । ट्रकों से स्पांसरिंग लाने का आदेश दिया, ट्रकों से कोयला लाने की स्पांसरिंग का आदेश दिया । आपके केन्द्रीय मंत्री ने जो नया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ट्रांसपोर्ट, सेन्ट्रल ट्रांसपोर्ट एक्ट पास कराके निश्चय कराया कि कोई भी ट्रक 10 टन कोयले से अधिक नहीं ले जायेगा। ट्रक का लोड 16 टन, 20 टन होता है, उसे घटाकर 10 टन कर दिया गया। जिस ट्रक में 20 टन कोयला आता था, उसे 10 टन लाने के लिये मजबूर कर दिया, आपकी सरकार ने आदेश पास कर दिया। जब एक ट्रक 10 टन लोड करेगा तो कैसे नहीं कोयला महंगा पड़ेगा। आपकी इस अदूरदर्शी नीति के तहत ईंटों के दाम आसमान पर पहुंच गये। यह जो दाम बढ़े इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। माननीय भयंकर सिंह जी ने महंगाई की बात कही, चीनी महंगी होने की बात कही। आपको मालूम है कि किसान को उसके गन्ने का मूल्य इस बार कितना दिया गया है, उसके गन्ने के मूल्य को बढ़ाया गया, जब उसको बढ़ाया गया तो चीनी का दाम उस अनुपात में कुछ न कुछ बढ़ेगा ही। अगर आपने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख कर दिया होता, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने यह कहा होता कि गन्ने के दाम बढ़े इसलिये चीनी के दाम बढ़े। आपने तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किये दूसरे राज्यों से, हमारे अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान में, मध्य प्रदेश में यही स्थिति है। आप तो हमारी सरकार के सहयोगी हैं आपको कहां हमारी कमी दिखाई दी ? कमी नहीं है। किसान के गन्ने के दाम को बढ़ाया उस अनुपात में कुछ चीनी के दाम बढ़े।

मान्यवर, हमको तो इन्होंने जर्जर व्यवस्था दी, पंचानन राय जो इस चीज को सुन लीजिये, यह जो 40 साल की दुर्व्यवस्था थी, उसको साफ करने में समय लगेगा और धैर्य के साथ इसको आप बर्दाश्त करिये मान्यवर, गेहूं खरीद की बात की गयी। अगर गेहूं खरीद की व्यवस्था दोषी होती, तो जो 28 लाख टन गेहूं की खरीद हुयी है, वह हम नहीं कर सकते थे, एक रिकार्ड कायम किया गया है, गेहूं खरीद का। जिससे पता चलता है कि सरकार द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य दिया गया और हमारी सरकार ने किसानों को सुविधा प्रदान किया है। मान्यवर, चावल को जो हमारी खरीद हुयी है, उसमें भी लाभकारी मूल्य दिलाने का काम किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मारकन्डे चन्द्र—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और मुझे दुख है, अफसोस भी है कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधि उसे उचित ठहराने की चेष्टा कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में महंगाई की मार ने जनता की कमर तोड़ दी है, मैं उसकी चर्चा इसलिये नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत से साथियों ने इसको कहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भट्ठा चलाने वालों को आप 1 हजार 15 सौ रुपये में एक हजार ईंट बेचने की छूट दे दीजिये, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ बैठे हुये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश गरीब जनता की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। अभी कुछ दिनों पहले 400 रुपये हजार प्रथम श्रेणी की ईंट बिक रही थी, जो आज 800 रुपये हो गयी है। आज यह भट्ठा मालिक आपको तरह-तरह के बहाने बता रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने जनता को गुमराह किया, उसको धोखा दिया, असत्य बोल कर सत्ता में आ गये हैं, वह अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, अगर गरीब जनता की ओर आपने ध्यान नहीं दिया, तो उनका विश्वास आप पर से उठता चला जायेगा।

आपने घोषणा किया कि लड़की की शादी में 40 किलो चीनी देंगे और लड़के की शादी में 20 किलो देंगे। तमाम ब्लाकों में किसान प्रार्थना-पत्र लेकर आ गये, लेकिन उनको चीनी उपलब्ध नहीं करायी गयी। हालत यह हुयी कि जिसके घर में लड़की की शादी थी, वह ब्लाकों का चक्कर काटता रहा और अगर किसी को 40 किलो चीनी का परमिट मिल भी गया, तो दुकान पर चीनी नदारद थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार मन्त्रियों के जिलों की सरकार नहीं है, बल्कि यह सरकार सभी जनपदों के लिये बराबर उत्तरदायी है। आपने कहा कि कुछ जिलों के विशेष व्यवस्था करेंगे। यह हमारे पाण्डे जी बैठे हैं, उनके जिलों को भी यही लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जिस जिले को जितनी जनसंख्या है, उसके अनुपात में आप सामग्री आवंटित करें, चाहे मिट्टी का तेल हो, चीनी हो, या जिस चीज की भी आपने राशनिंग की है, डीजल, पेट्रोल भी उसी अनुपात में आवंटित करें। मैं अपना तीसरा सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि जो जनसंख्या बढ़ी है, उसके हिसाब से राशन कार्ड कर दिये जायें और ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र दोनों को चीनी, मिट्टी का तेल आदि सभी वस्तुयें बराबर के अनुपात में दी जायें, क्योंकि गांव में बिजली तो आती नहीं है। अब हमारे कुछ साथी यही नहीं समझ पाते हैं कि यह बजट वर्तमान सरकार का है या पिछली सरकार का है, या केन्द्र सरकार के बजट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा में बहस हो रही है। उनको तो मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी बुद्धि को बलिहारी है। जिसको आज वह कुकर्म कह रहे हैं, जब वह वहां थे, तो हो हल्ला किया करते थे कि यह अच्छा है और आज जिस प्रकार जनता को गुमराह किया जा रहा है, उसके लिये भी कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। काला बाजारी करने वालों, चोरी करने वालों के सम्बन्ध में हम सभी को एक जुट होकर विचार करना चाहिये जो आज आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। आज ऐसा मालूम हो रहा है कि नीति बनाने का काम विरोध पक्ष के जिम्मे है और गलत तरीके से इनके पास सत्ता चली गयी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों द्वारा श्री जागेश्वर जी को मौका दिये जाने का अनुरोध किया।)

*श्री जागेश्वर—

अधिष्ठाता महोदय, वर्तमान खाद्य मन्त्री जी ने जो बजट रखा है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। खाद्य के सम्बन्ध में उन्होंने काफी परिवर्तन किये हैं। क्योंकि पहली सरकार का जो अंग है, उसे छुटाने में काफी समय लग सकता है क्योंकि अभी हमारी सरकार केवल 7-8 महीने का बच्चा है, जब यह साल व दो साल का हो जायेगा, तब आप देखियेगा कि यह कितना सुन्दर काम करती है। हमारी सरकार काम करती है। गीता में जो लिखा है ईश का अवास ही सारो जगत, जीवन यहां जो उसके भागत है। अतियोग करके, त्याग करते हुये, सतवर्ष का जीवन हमारा ईष्ट हो।

एक सदस्य—

माध्यवर, माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री जागेश्वर—

धन को किसी को न कुतवासना, करते हुये कर्म संसार में। सर्व सह विषयों से प्राप्त निराश, सर्व-भूतों जातो यहां, अतिरिक्त इससे दूसरा पथ है नहीं, होता नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिप्त मानव कर्म से, उससे चिपकती मात्र बल वासना करते हुये कर्म संसार में। कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कर्म करना चाहिये। दूसरा, यह जनता बल एक समुद्र के समान है। कहा भी गया है सर्वथा विषयों से जो प्रज्ञा है उसकी निशा, निशा जो सर्वभूतों की जाते वहाँ, नदी–नदों से भरता हुआ भी समुद्र है जो इस तरह से प्रत्योक्ता काम सारे समावते, पाता वही जो शान्त का कामे सर्व काम प्रत्यागी अहमत ममता मुक्त पाता परम शान्ति सो, ब्राह्मी स्थिति पार्थी सो न पाते ब्रह्म निर्वाणि दायनी।" सारी नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र मलिन नहीं होता है। अन्त में मैं माननीय मुख्य मन्त्री श्री मुलायम सिंह जी व वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देते हुये बजट का समर्थन करता हूं।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बजट पर जो मयंकर सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बजट में जो तमाम भ्रष्टाचार के बिन्दु हैं जिनकी तरफ मयंकर सिंह जी ने ध्यान केन्द्रित किया, मन्त्री जी के भ्रष्टाचार के तमाम बिन्दुओं की तरफ जो इंगित किया है, जो जिला पूर्ति कर्मी जो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं; इस बजट में सरकार ने दोगली नीति के कारण जो शहर और गांवों को अलग–अलग रख दिया है; उन तमाम बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उनके निराकरण के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह बजट तो बनाया है राजा साहब ने—

"जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।"

राजा साहब बजट बनाते में, वह झोपड़ियों में रहने वालों की पीड़ा को क्या समझ सकते थे। सरकार दुहाई देती है कि हम किसानों की तरफ बजट को ले जाना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन के फर्जी आंकड़े पर बनी सरकार कहती है कि बजट को किसानों की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज भी इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया, गांव में रहने वाले व्यक्ति को 250 ग्राम चीनी प्रति यूनिट मिलती है जबकि शहर के रहने वालों को एक किलोग्राम प्रति यूनिट चीनी मिलती है।

(व्यवधान)

जहां तक दूसरी व्यवस्था की बात है, आपने स्वीकार भी किया है कि ईंटों के भाव बढ़े हैं, बालू के भाव बढ़े हैं, सीमेंट के भाव बढ़े हैं। सैद्धान्तिक रूप से तो स्वीकार कर लिया लेकिन इसकी कीमत को कम करने का प्रस्ताव बजट में नहीं किया गया है। जहां तक आपने गांव में दुकान खोलने की संख्या बढ़ायी है, भाई मयंकर सिंह जी ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार का एक जाल रचा है। सरकार ने जो नियम और कानून बनाये हैं उसका पालन नहीं होता है। गांव में पंचायत की तरफ से जो दुकान आवंटित होती हैं, वे बिना पैसा लिये, रिश्वत लिये, कोई आवंटन नहीं होता है। उसमें खामियां और भी हैं, प्रधानों के प्रस्ताव की जो बात है, अनेकों उदाहरण मिलेंगे, प्रधानों के बे दुकानें चला रहे हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लिखकर भी दिया गया, शासन की नीति है कि प्रधान का बेटा दुकान नहीं चलायेगा, लेकिन वह चलाता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रष्टाचार का इससे ज्यादा प्रमाण और क्या मिल सकता है ? मान्यवर, एक बात और जो कि केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है कि डीजल और पेट्रोल के लिये नियम बना दिया है कि इतवार के दिन डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा और प्रतिदिन शाम के 7 बजे के बाद उसे नहीं देंगे । इससे जो छोटे-छोटे ड्राइवर हैं थ्री ह्वीलर के चलाने वाले ड्राइवर परेशान हैं क्योंकि अक्सर रात म जनता को भी कड़े से कड़ा काम आ जाता है जिससे कि बाहर जाना पड़ता है, इसलिये आपने जो यह रोक लगा दी है, इस रोक को आप हटा दें, यह मेरा आपसे अनुरोध है । (धन्यवाद) ।

श्री बहादुर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको नहीं बल्कि माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी का नाम पुकारा है । आप बैठें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख है कि हमारे बगल में बैठे हुए माननीय सदस्य आपके द्वारा मेरा नाम पुकारे जाने के बाद भी बोलते रहे, इसमें उनका उतना दोष नहीं है क्योंकि हमारे ही एक माई जोंक की तरह से उनको बुलवाने के लिये चिपके हुए थे और वह उनसे अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे थे ।

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में, मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, महंगाई स्वभाविक रूप में तब तक कम नहीं हो सकती है जब तक कि देश में काले धन पर रोक नहीं लगेगी । महंगाई पर नियंत्रण कर पाना तब तक सम्भव नहीं हो पायेगा जब तक कि हिन्दुस्तान में जो काला धन है जो कि उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण नहीं लगाया जायेगा । इसलिये यदि आपको महंगाई पर काबू पाना है तो पहले आपको काला धन जो है उस पर नियंत्रण पाना होगा ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप महंगाई कहां देखते हैं ? माननीय जयराज गौतम हैं, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है कि सब्जी कौन बोता है ? सब्जी गांव में मुराई, खटिक और कुंजरा बोता है और उसमें उसको दो रुपया ज्यादा मिल गया तो कौन सा छप्पर टूट पड़ा ?

मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि एक अधिनियम पारित करके आप ईंट के भट्ठे के लिये नियम बनाइय और इसके दाम को नियंत्रित कीजिये । क्योंकि भट्ठे वाले कोयला आपसे लेते नहीं हैं और इस तरह से मनमानी ढंग से ईंट को मनमाने भाव से बेचते हैं । आप नियम के द्वारा यह कम्पलसरी कर दीजिये कि ईंट के भट्ठे आपसे ही कोयला लेंगे और निर्धारित मूल्य पर ईंट को बेचेंगे ।

इसी तरह से धान की खरीदारी के बारे में कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों को चावल के दाम इस आधार पर निर्धारित किये जायं कि केन्द्र सरकार भी हमारा चावल खरीदे । एक तरफ तो आप लाभकारी मूल्य की बात

करते हैं और दूसरे कहते हैं कि महंगाई आ गयी है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मानक को बदलें ।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश में राइस मिल नहीं लगाना चाहता है, इसलिये मेरा सुझाव है कि आप वहां पर राइस मिल लगायें । बांसमनी पर जो लेवी है, उसको आप समाप्त करें और किसानों को सीधे लाइसेंस दें ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी दाबा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा जो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कदम उठाया गया है वह स्वागत योग्य है । यह सत्य है कि जो 40-42 साल से सड़ी गली व्यवस्था चल रही है, उसमें परिवर्तन करने में कुछ समय जरूर लग जायेगा । मान्यवर, मैं कुछ बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आशा है माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे और विचार करके कार्यवाही करेंगे । मान्यवर, मैं वाराणसी जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं । जो साहित्य मिला है और जो माननीय मंत्री जी ने बताया है, वह सब स्वागत योग्य है, लेकिन अगर उनका कार्यान्वयन नहीं होगा तो यह सुविधा नागरिकों को नहीं मिल पायेगी और शासन को दोषी ठहराया जायेगा । शादी और ब्याह के अवसर पर जो चीनी देने की व्यवस्था की गयी है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । वाराणसी में इसका सही पालन नहीं हो रहा है और जो लेवी की चीनी है, जिसको देने की व्यवस्था है, उसको देने में हतोत्साहित किया जा रहा है और दुकान दार चीनी को ब्लैक में बेच लेता है । वाराणसी में जो नागरिक रहते हैं, उनसे अतिरिक्त डेढ़ दो लाख यात्री पर्यटन पर आते हैं । वहां पर मिट्टी के तेल की बड़ी किल्लत होती है । वहीं पर मिट्टी का तेल ब्लैक में 5 रुपये और 7 रुपये प्रति लीटर बिकता है । मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे और कार्यवाही करेंगे । ताकि कार्ड धारकों को मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में निर्धारित मूल्य पर मिल सके ।

मान्यवर, सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकानें हैं उनके खुलने का समय दोपहर एक बजे से 7 बजे तक किया है, इससे जनता को बड़ी परेशानी होती है । यह व्यवहारिक नहीं है । उस समय उपभोक्ता अपने-अपने कारोबार में आफिस, स्कूल, कालेज चले जाते हैं और उनको दिक्कत होती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन दुकानों को सुबह 7 बजे से खोलने की व्यवस्था करें । दूसरी बात यह है कि इन दुकानों पर सारा सामान एक बार में नहीं मिल पाता है । लोगों को एक-एक चीज के लिये बार-बार जाना पड़ता है, इससे उनको दिक्कत होती है । कम तौल की भी शिकायत मिलती है, बाटों की जांच अनिवार्य है । आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि सारा सामान एक साथ ही मिल जाये । आपने कहा कि जो निकटस्थ दुकान होगी वहीं पर उपभोक्ता का राशन कार्ड सम्बद्ध कर दिया जायेगा ।

लेकिन मान्यवर, यह चीज हमारे वाराणसी जिले में नहीं हो रही है, इस ओर आप कार्यवाही करें । मान्यवर, प्रायः लोग हम दुकानदार को चोर तो कह देते हैं, मैं भी ऐसा कहता हूं कि दुकानदार ब्लैक करते हैं, लेकिन गोदामों से माल लेने हेतु इण्डेन्ट स्वीकृत कराने से लेकर आफिस के सभी कामों के लिए एक बड़ी रकम प्रतिमाह अधिकारियों/कर्मचारियों को देनी पड़ती है, जिससे भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता

है। मैं चाहूंगा कि आप इस दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही करें। माहवार, वाराणसी में इंधन गैस सिलिन्डरों की कमी से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इस दिशा में प्रयत्न करें, ताकि सभी नागरिकों को कुकिंग गैस नियमित उपलब्ध हो सके।

लेकिन आज कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हमारी नजर में आई हैं। मैं इसकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सामान उठाने के लिये आर० एफ० सी० के गोदामों से सामान उठाने के लिए दुकानदारों को घूस देनी पड़ती है। जब वे इसकी शिकायत करते हैं तो उसको नजरन्दाज कर दिया जाता है। इसके लिये उनसे माहवारी ली जाती है। इस ओर मन्त्री जी ध्यान दें...

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे। जिससे व्यवधान हो गया।)

तौल के मामले में नागरिकों की आम शिकायत है। इसके लिये आपके पास बड़ा तथा साप विभाग है। वे चेकिंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि इन राशन की दुकानों की चेकिंग हो। यह शिकायत बहुत दिनों से आम नागरिक करता है कि उन्हें सामान सही नहीं मिलता है। यह इसेंशियल कमोडिटीज में आता है...

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ जो उचित कदम सरकार ने उठाये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और निकट भविष्य में आशा करता हूं कि मन्त्री जी मेरे सुझावों पर गौर करेंगे जिससे जनता राहत पा सके।

(श्री अमरेश चन्द्र पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी—

अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने खाद्य तथा रसद के बजट में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं। आपको नहीं बुलाया है।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपको धन्यवाद देता हूं...

एक सदस्य—

(शासन पक्ष की ओर से)—नई परिपाटी न चलायें।

(कई सदस्य दोनों पक्षों से बोलने के लिये खड़े हो गये जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप बैठ जायं।

(श्री अमरेश चन्द्र पांडेय के अपना स्थान ग्रहण करने पर)

श्री जय राज गौतम--

माननीय, आपने उनका नाम पुकार लिया था । वे बोलने लगे थे । आपने उन्हें अनुमति दे दी है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब उधर के लोग बोलेंगे ।

श्री जय राज गौतम--

वे आपकी अनुमति से बोलने लगे हैं...

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । इस सदन की परिपाटी रही है कि जब भी इस सदन में भाषण होता है तो एक माननीय सदस्य इस पक्ष से और उसके बाद उस पक्ष से बोलता है । अब माननीय चौधरी साहब उधर से बोल चुके हैं । हालांकि यह आपका विवेक है, किन्तु परिपाटी के तहत इस तरफ के सदस्य की बारी आती है...गौतम साहब उसके बाद उधर से बोलना चाहिए । माननीय, परिपाटी खराब न करें, अन्यथा परेशानी होगी ।

श्री बाबू राम यादव--

माननीय, जो अभी तक सदन की परिपाटी रही है वह यह है कि एक सदस्य इस तरफ से और एक सदस्य उस तरफ से बोलता है । लेकिन यह आपका विवेक है, उसको हम चलेंज नहीं करते...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने दुबे जी को बुला लिया है । उधर से माता प्रसाद पांडे जी बोले थे...

(व्यवधान)

अधिष्ठाता पीठ से विवेक से निर्णय लिया जाता है कभी इधर से बोलते हैं तो कभी उधर से बोलते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । उधर से माननीय पांडे जी बोले थे अब इधर से बुला लिया है...

(व्यवधान)

आप बैठें ।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने खाद्य तथा रसद जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय, खाद्य मंत्रालय का सीधा सम्बन्ध आम जनता से होता है चाहे वह शहर में रहने वाली जनता हो या देहात में रहने वाली जनता सबके लिये इस विभाग का महत्व है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कांग्रेस की तरफ से जब लोग बोलते हैं तो उधर से लोग टिप्पणी करते हैं लेकिन यह बात सही है कि हम भी विधान सभा के लिये जनता

द्वारा ही चुन कर आये हैं तो सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिये और इसमें पार्टी की बात नहीं करनी चाहिये । जनता दल की सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि उनको सरकार बनने के बाद देश और प्रदेश में इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या किसी दल की सरकार हो इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि आप सब जानते हैं जब कांग्रेस ने हुकूमत छोड़ी और जनता दल की सरकार हिन्दुस्तान और प्रदेश में आई तो उस समय चीनी 6 या 7 रुपये किलो खुले बाजार में बिक रही थी आज वह 10 से 12 रुपये किलो बिक रही है ।

जब कांग्रेस ने गद्दी छोड़ी थी उस समय सीमेंट 60 रु0 62 रु0 बोरी बिक रही थी आम आदमी यह बात जानते हैं । कल ही जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो वहां मधुबन बाजार है वहां पर मैं बैठा था सीमेंट के दुकानदार के पास एक ग्राहक आया तो उसने सीमेंट के भाव पूछे तो उसे 105 रु0 बोरी बताया तो यह आम बात है कि आज सीमेंट 105 रु0 बोरी बिक रही है । इसी तरह से लोहा जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो सात सौ साढ़े सात सौ क्विंटल बिक रहा था और आज 11 सौ 12 सौ क्विंटल बिक रहा है । इसमें कोई टोका-टिप्पणी करने की बात नहीं है ।

इसी तरह से ईंट कांग्रेस की सरकार के समय साढ़े तीन सौ चार सौ में भट्ठे वाले गांव में छोड़ जाते थे लेकिन आज ईंट साढ़े सात सौ आठ सौ में भट्ठों में बिक रही है । तो इस महंगाई से गांव में किसान और खेतिहर मजदूर त्रस्त है आज इतनी महंगाई बढ़ गयी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है तो हमारी सरकार और आपकी सरकार में इतना अन्तर हुआ है कि 6 महीने में आवश्यक सामग्री, आम जनता की चीजें जो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिये वह महंगी हो गयी हैं और उनके भाव असमान पहुंच गये हैं ।

मान्यवर, अब मैं सदन और शासन को बताना चाहता हूं कि कपड़ा और पाम आयल सरकारी दुकानों पर हमने कभी नहीं देखा है, इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाये कि यह चीजें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपलब्ध करायी जायं चूंकि दुकानदार इनको ब्लैक में बेच देता है ।

मान्यवर, आज सरसों का तेल जिसकी हर एक आदमी को आवश्यकता है, हमारी सरकार के समय में 16 रुपये किलो बिकता था लेकिन आज तेल 28 रुपये किलो बिक रहा है, इसलिये इसे कम किया जाये । सरकार बढ़ती महंगाई को रोकें अन्यथा जिस इच्छा से आपकी सरकार बनी है वह पूरी नहीं होगी और आपकी सरकार उखड़ जायेगी । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री संत श्रीराम द्विवेदी—

मान्यवर, मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने को जो समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । इसके साथ ही उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं । कटौती के प्रस्ताव में उन्होंने जो गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में छापे मारे गये, तो इससे मुझे लगता है कि वह और उनसे सम्बन्धित पड़ोस के बैठने वाले लोग इस व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी उनके माथे पर जाती है ।

मान्यवर, पिछली सरकार ने एक सरकुलर किया था जिसमें चीनी का वितरण और मिट्टी के तेल का वितरण गांव सभाओं से किया जायेगा इस पर मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें क्योंकि कल बकरीद में मैं अपने क्षेत्र में गया था ताकि वहां हर जगह शिकायत मिली कि इस व्यवस्था से

वितरण का काम सुचारु रूप से नहीं होता है। इसलिये इस पर ध्यान दिया जाये। पिछली सरकार के सरकुलर को मानकर नयी सरकार ने भूल किया है।

मान्यवर, सभी जनपद की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुये मांग करता हूं, खाद्य मंत्री जी, इस कन्ट्रोल व्यवस्था को तुरन्त समाप्त करें। चूंकि मान्यवर, आज आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गयी है, शासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ यह भी निवेदन है कि आज प्रदेश में मिलावट की स्थिति अत्यन्त ही गयी है। हमारे क्षेत्र में सूचना मिली है कि डालडा के जो डिब्बे जो भेजे गये हैं उसमें रेती के कण पाये गये हैं जो न जाने आगे क्या बीमारी का रूप धारण करेंगे, यह विचारणीय बात है।

मान्यवर, जो चीनी और मिट्टी तेल के कोटेदार हैं अधिकांश यह पुराने समय से चले आ रहे हैं और यह कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले दल से सम्बन्धित हैं जो कालाबाजारी में लिप्त हैं और प्रदेश में अजीबो-गरीब स्थिति पैदा कर रहे हैं। मिलावट और कालाबाजारी के सम्बन्ध में जो धारा 3/7 का कानून है उसमें मेरा निवेदन है कि इसको कड़ाई से लागू करें और जहां-जहां इस तरह के छापों में अनियमितताएं और वितरण में गड़बड़ी पायी जाती हैं एवं होर्डिंग्स के मसले पाये जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, आज सारे प्रदेश के अन्दर समर्थन मूल्य को लेकर जो बातें हो रही हैं, जिस तरह पिछली फसल में धान के क्रय केन्द्र खोले गये, हमारे यहां फैजाबाद में अकबरपुर में केवल एक क्रय केन्द्र पर 5 कुन्टल धान की खरीद की गयी और बाकी पर कोई खरीद ही नहीं की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसे आप देखें और जगह-जगह भीगे हुए गेहूं को लेकर और उसकी गुणवत्ता को लेकर किसानों के सामने जो परेशानियां पैदा की गई, उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मुझे अफसोस इस बात का है, जो ममी मंत्री जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। माननीय मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो इसके पक्षधर थे कि पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी होनी चाहिए। केन्द्र नहीं देता है, न सही आप दें। इसमें सिर्फ 5 करोड़ रुपये की जरूरत है और यह वहां के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो जनजातीय क्षेत्र है वहां शराब की व्यवस्था कर दी गयी थी, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया है। उसको लागू होना चाहिए। तीसरी बात यह है जनपद में हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्रों में चावल और चीनी की बहुत कमी है। वहां पर भुखमरी की स्थिति व्याप्त है। वहां पर भारतीय खाद्य निगम ने जो चावल भेजा है 35 हजार मी0 टन, वह सड़ा-गला था, मानवीय उपयोग के लिए ठीक नहीं था, उस पर रोक लगा दी गयी। वह वहां पर पड़ा हुआ है, किन्तु उसके स्थान पर फिर 12 हजार मी0 टन जो यहां से चावल भेजा गया, वह भी उसी तरह का सड़ा-गला हुआ है। इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि पहाड़ों पर जो चावल भेजा गया, वह इस प्रकार का सड़ा-गला न हो। मिलावट की बात ममी और

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सस्ते पल्ले की दुकानों के सामान में मिलावट बहुत ज्यादा है । उस मिलावट को आपको रोकना चाहिए ।

हमारे यहां पर दूर-दराज के क्षेत्रों में आपके गोदाम नहीं हैं । गोदामों के न होने से वहां पर राशन जमा नहीं हो सकता है और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी गोदामों तक न होने से उनको वहां बहुत नुकसान है । बरसात की वजह से सड़कें वहां टूट गई हैं, इसलिए वहां पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है । इसलिए आप सुनिश्चित कीजिये कि वहां पर दूर-दराज स्थानों पर खाद्य गोदामों का निर्माण कराया जाए । गैस कनेक्शन के बारे में आपने कहा और यह भी कहा कि पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से जंगल न काटे जावें । तो मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों में जंगलों की सुरक्षा तभी हो सकती है जब वहां पर कुकिंग-गैस के कनेक्शन अधिक से अधिक दिये जाएं । आपकी सरकार जब से सत्ता में आई, नये गैस कनेक्शन पर रोक लग गयी, किसी को नया कनेक्शन नहीं मिला है । हमारे यहां जनपद चमोली में चौपाटा और चौपड़ा दो स्थानों के लिए श्रीनगर से गैस एजेन्सीज मिलने चाहिए, जिसके लिए भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री बहुगुणा जी के आदेश भी हो गये थे, किन्तु अभी तक वे नहीं मिले हैं वह इलाका ऐसा है, जहां लकड़ी की बहुत कमी है, जहां पर गैस कनेक्शन मिलना बहुत जरूरी है । आप सारे पर्वतीय क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में गैस कनेक्शन दें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री बहादुर सिंह--

माननीय अध्यक्षता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आभारी हूं । माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अपने बजट भाषण में कुछ संशोधन करेंगे । माननीय, विकास खंडों में डिपो बनाने का जो प्रावधान किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं साथ ही यह सुझाव देता हूं कि मिट्टी के तेल की जो मात्रा प्रति कार्ड देहातों में 4 लीटर है उसको बढ़ा दिया जाय । इसके अलावा चीनी की मात्रा में शहर और देहात में जो अन्तर है उसे दूर किया जाय । देहाती आदमी गन्ने का उत्पादन करता है और उसको पर्याप्त मात्रा में चीनी नहीं मिलती है । मेरा सुझाव है कि देहात में कम से कम 500 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी दी जाय । माननीय, जितने भी डीजल पम्प हैं, वह भी 1 लीटर डीजल उपभोक्ता को नहीं देते हैं । उनका मानक 100 लीटर की जगह 90-95 मिली लीटर होता है, उसमें सुधार लाया जाय । मेरे बहुत से साथी अभी ईंट के बारे में बोल रहे थे । माननीय, ईंट को बनाने में तीन चीजों का उपयोग होता है, मिट्टी, कोयला और मजदूरी । पिछले वर्षों से लगातार इन तीनों चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं ।

मिट्टी, कोयला और मजदूरी पर नियंत्रण नहीं है । मेरा सुझाव है कि ईंटों के रेट में आप नियंत्रण कर रहे हैं तो यह ठीक है । लेकिन हर जिले में मिट्टी का रेट अलग है, कोयले का रेट अलग है । मिट्टी 40,000 प्रति बीघा और कहीं पर 20,000 प्रति बीघा के हिसाब से है । कोयले का रेट बनारस से मथुरा, आगरा में 250 रुपये प्रति टन से अधिक है । मजदूर कहीं पर कम रेट में मिल जाते हैं और किसी क्षेत्र में बुझने वालों पर उपलब्ध हो पाते हैं । इसके साथ ही मौसम का सवाल है, कहीं पर बरसात होती है कहीं पर नहीं होती है । यह 6 महीनों का व्यापार है, जाड़े के दिनों में जब बरसात होती है तो ईंट खराब हो जाती हैं । ईंटों के भट्ठे बन्द हो जाते हैं । भट्ठे बन्द होने से लेबर का नुकसान होता है । अन्त में मैं फिर माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रविकान्त गर्ग—

माननीय, आज खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए हार्दिक धन्यवाद । यह विभाग आज प्रदेश के नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के अपने उद्देश्य से भटक कर भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रह गया है । आज जितने भी जिला पूर्ति कार्यालय हैं, मार्केटिंग आफिस हैं, आर० एफ० सी०, आर० एम० ओ०, डिप्टी आर० एम० ओ० और उनके अधीनस्थ कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर उपभोक्ता का, व्यापारी का और किसान का निरन्तर शोषण कर रहे हैं । आज चीनी, दाल, चावल, बेसन, चना, ईंट और सीमेन्ट के मूल्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं जिनको घटाने के लिए इस सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वह प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं । आज आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं हो रहा है । उपभोक्ताओं का शोषण सस्ते गल्ले की दुकान से निरन्तर बरकरार है । आज जिला पूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड बदलने और यूनिट बढ़ाने में घांधली होती है । यह सरकार गरीब मजदूर को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने में भी अक्षम सिद्ध हो रही है । आज सरकार ने जो राशन कार्ड बनाने के लिए प्रणाली घोषित की है उसका कार्यालयों पर कितना प्रभाव पड़ा है कितनी प्रभावशाली वह सिद्ध हो रही है इसके लिए हमें जिला पूर्ति कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा । आज अनेक स्थानों पर प्रारम्भ से 20-20 साल से खाद्य आपूर्ति निरीक्षक व क्लर्क तैनात हैं अगर उनका ट्रान्सफर भी हो जाता है तो वह जाते नहीं हैं और तनख्वाह भी उसी जगह से लेते हैं । ऐसे ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले उदाहरण को मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मथुरा स्थित जिला पूर्ति कार्यालय में खाद्य आपूर्ति निरीक्षक श्री सुरेश फौजदार हैं उनको वहां कार्य करते हुए 20 वर्ष से अधिक हो गये हैं उन्होंने जितनी सम्पत्ति अबंध रूप से अर्जित की है उसकी खुली जांच यह विभाग कराए तो पता चलेगा कि इन्सपेक्टर का स्तर क्या है । उनका आगरा में ट्रान्सफर किया गया था, लेकिन वह आज भी मथुरा में कार्य कर रहे हैं और तनख्वाह आगरा से पाते हैं । फुटकर तेल लाइसेंसियों से अवध वसूली प्रत्येक वर्ष की जा रही है । फुटकर तेल विक्रेताओं को पांच वर्ष के तेल के लाइसेन्स की नीति घोषित की गई है परन्तु विभाग द्वारा उनको परेशान किया जाता है और अवैध वसूलियां की जा रही हैं, जितनी बातें हम कह रहे हैं उसकी लिखित शिकायतें मंत्री जी को दी जा चुकी हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई हो, मैं नहीं समझता हूं । आवश्यक वस्तु अधिनियम का खुले आम दुरुपयोग हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप खत्म करें ।

श्री रविकान्त गर्ग—

आज धारा 3/7 का दुरुपयोग हो रहा है, इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा । मथुरा में कोसी थाना है वहां 3/7 के अन्तर्गत फर्जी काम किए गये हैं व्यापारियों को मारा गया है, झूठा फंसाया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री रविकान्त वर्मा—

एक व्यापारी की टांग तोड़ दी गई और उसमें कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है। मुकदमा वापस नहीं किया गया है दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

(व्यवधान)

ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए तथा मन्त्री जी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने चाहिए।

*श्री हर नारायण—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे खाद्य मंत्री जी ने इतने थोड़े समय में बड़े विवेक से काम लिया है माध्यवर, 3/7 के अन्तर्गत जो चेकिंग का अधिकार अधिकारियों को दिया गया है उससे वह लोग घबड़ा गये हैं जिन्होंने पहले अनुचित तरीकों से लाखों, करोड़ों रुपये कमाये हैं। अब वह लोग दुकानें छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। माध्यवर, मैं अब कुछ बातें अपने क्षेत्र की आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां पहले आबादी एक लाख थी जो आज बढ़कर 3 लाख हो गयी है। वहां पर 2 मिट्टी के तेल के डिपो और हैं तो दो मिट्टी के तेल के डिपो दिये जायं। इसी तरह से वहां पर आज से 20 साल पहले एक पेट्रोल पम्प था वही आज है। वहां पर 20 हजार ट्रक्टर हैं, 60 हजार डीजल इंजिन हैं इसलिये वहां पर कम से कम 5 डीजल पम्प दिलवाने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां किसानों को गैस के कनेक्शन दिलवाने की व्यवस्था कर ताकि ईंधन के रूप में जो लकड़ी की बरबादी होती है वह बच सके।

माध्यवर, मंत्री जी ने बताया कि शहर के रहने वालों को एक किलो प्रति यूनिट तथा देहात के रहने वालों को 250 ग्राम चीनी दी जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि देहात के रहने वालों को कम से कम 400 ग्राम चीनी और शहर के रहने वालों को 900 ग्राम चीनी देने की व्यवस्था करें ताकि गांव का किसान समझ सके कि उसको कुछ मिल रहा है। कितनी मुसीबत से किसान गन्ना पैदा करता है लेकिन उसको शकर नहीं मिलती है जिससे उसको दुख होता है। माध्यवर, हमारे क्षेत्र में एक ही ब्लाक है। आपने ब्लाकों पर सारी चीजें मुहैया कराने की घोषणा की है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर एक ही ब्लाक हैं वहां पर 2-3 जगहों पर चीजों के वितरण की व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि लक्ष्य से ज्यादा गेहूं, चावल, धान की खरीद की गयी है लेकिन जरा ख्याल करें कि जो किसान गेहूं, चावल लेकर जाता है उससे वहां पर 8 रुपये 5 रुपये लिये जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी खुद खरीदें और अपने वेयर हाउसेज बनवायें ताकि किसानों को परेशानी से बचाया जा सके।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप बैठें।

श्री हर नारायण—

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो कंट्रोल की व्यवस्था है इस व्यवस्था को समाप्त करिये। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट बहुत अच्छा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया। माई मयंकर सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। महंगाई के बारे में तो मैं समय की कमी के कारण उस तरफ विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सम्मानित सदस्य अपने विचार रख चुके हैं। आप देखें कि इस समय आवश्यक वस्तुओं का मिलना बाजार में बिल्कुल बन्द हो गया है। उपभोक्ता किसी दुकान पर जाता है तो उत्तर मिलता है कि यह सामान खत्म हो गया है जिसका मुख्य कारण है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति या बड़े दुकानदार हैं उन्होंने आवश्यक वस्तुओं का संधारण कर लिया है और यह लोग जमाखोरी कर रहे हैं। यह जो बड़े-बड़े पूंजीपति, उद्योगपति दुकानदार हैं जो जमाखोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके जनता को आवश्यक वस्तुयें मुहैया करायें ताकि आपकी सरकार का जो सपना है पूरा हो सके। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ प्रायः हम लोग जब बी० डी० सी० की ब्लाक की मीटिंग में जाते हैं तो सारे प्रधान यही शिकायत करते हैं कि हमारी ग्राम समाओं के राशन कार्ड नहीं बने हैं।

मान्यवर, जहां कहीं पर राशन कार्ड बने भी हैं, तो वे कार्ड उनके बने हैं, जो कोटेदार हैं या जो बड़े-बड़े दुकानदार हैं; वे एक घर के बड़े यूनिट का कार्ड बनाकर चोर-बाजारी करते हैं, जिससे आवश्यक वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पा रही हैं। जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और भी गरीब लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, इन लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए शीघ्र व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां-जहां पर फर्जी राशन कार्ड बने हैं, वहां पर छापा मारा जाय। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितने भी राशन कार्ड हैं, उनका नवीनीकरण करा रहे हैं, राशन कार्डों में जितना भी आप सरलीकरण करा सकें, उतना ही लाभदायक होगा। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं खासकर चीनी के बारे में अपने विचार रखे हैं। मान्यवर, बहुतेरे हम लोग जब अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पर शिकायत मिलती है कि लड़की की शादी है या तेरही है, या लड़के की शादी है, मुझे परमिट नहीं मिल रही है, ब्लाक में प्रार्थना-पत्रों का अम्बार लगा हुआ है, प्रार्थना-पत्रों का, लेकिन चीनी नहीं मिल पा रही है।

मान्यवर, जितना कोटा आपने फिक्स्ड किया है, उससे ज्यादा अप्लीकेशन्स आ जाती हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि जब इस तरह का शादी-विवाह का मौका आये, तो वहां पर जितने भी प्रार्थना-पत्र हैं, उस हिसाब से आप कोटा फिक्स्ड करें, सभी जाकर यह शिकायत दूर हो सकती है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मान्यवर, आपने अभी अपने बजट के भाषण में कहा कि आप अपनी राशन की दुकानों को स्वयं चुनें। बहुत सी शिकायत मिलती हैं कि कोटेदार या दुकानदार हमें आवश्यक वस्तुएं नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इलाहाबाद की ओर आकर्षित करना चाहूंगा इस जनपद को भी आप "अपनी राशन की दुकान स्वयं चुनें" में रखने की कृपा करें। मेरे बगल में भाई भोला पाण्डेय हैं, यह बहुत देर से हमें इंगित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत से नये जिले बने हुए हैं, जहां पर डी० एस० ओ० की नियुक्ति नहीं हुई है और बलिया में अभी तक किसी डी० एस० ओ० की नियुक्ति नहीं की गयी है।

आपसे अनुरोध है कि बलिया में आप अविलम्ब डी० एस० ओ० की नियुक्ति करा दें ताकि वहां पर राशन की व्यवस्था ठीक से चल सके। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी

ने अभी अपने बजट भाषण में कहा है कि राशन की दुकानों से हम लोगों को कपड़े और पाम आयल भी मिलेगे । हमारा एक सुझाव यह भी है कि जो वस्तुएं अब राशन की दुकानों पर उपलब्ध करावें, वे वस्तुएं आम जनता तक पहुंच सके, इसके लिए भी आप व्यवस्था करें । यह जो आप अतिरिक्त सामानों की व्यवस्था राशन की दुकानों पर करा रहे हैं, इसके लिए हमें बड़ी खुशी है । मान्यवर, एक सुझाव मेरा यह भी है कि हम लोग देखते हैं कि आज कल पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल में मिलावट की जाती है, जिससे गाड़ियों के इंजन जो 8–10 साल तक चलने चाहिए, वे जल्दी ही खराब हो जाते हैं । मान्यवर, पेट्रोल पम्प का मालिक डी० एस० ओ० अफिस में पैसा देता है और इन्सपेक्टरों से मिला रहता है और उनको भी पैसा देता है। जब कभी हम लोग डी० एस० ओज० या ए० डी० एम० (सप्लाई) से मिलते हैं, और कोई शिकायत करते हैं, तो उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । मान्यवर, आपके माध्यम से हमारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि हम लोग जो शिकायत डी० एस० ओज० या ए० डी० एम० (सप्लाई) से करते हैं, उस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में ज्यादा न कह कर मैं भाई भयंकर सिंह से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम दुलारे सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य और रसद के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो हमारे खाद्य और रसद मन्त्री जी ने खाद्य और रसद का बजट प्रस्तुत किया है, वह परिवर्तनकारी है और होगा इसी आशा से उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह जो 6 माह की स्थिति है आज सरकार बदलने के बाद उसको बताना चाहता यह जो हमारे ऊपर के सदस्य बड़ी ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करते हैं यह उन्हीं की सड़ी-गली और गलत नीतियों का परिणाम है, जो महंगाई बढ़ी है । उन्होंने गन्ना के किसानों का शोषण किया है जिससे गन्ने की खेती पर प्रभाव पड़ा है और गन्ने की उपज कम हुई है जिससे चीनी महंगी हुई है । दूसरे, कर्मचारियों में इन्होंने अपना राजनैतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए इतना भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त किया वहीं सारे विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके कारण मिट्टी का तेल और चीनी जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिली आज वही अधिकारी जो अब तक वहां मौजूद हैं उन्हीं की वजह से आज परेशानी हो रही है । लोगों के लिए चीनी और मिट्टी का तेल आता है मौन वहां पर्याप्त मात्रा में जितना उपलब्ध है उतना भी नहीं मिल रहा है । वह कर्मचारी जो इनके ही बनाये हुए हैं वही उस दोष के भागीदार हैं । माननीय खाद्य मन्त्री जी, आप पर इस प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और खास कर गरीब किसानों की और खेतिहर मजदूरों की जिनको मिट्टी का तेल और चीनी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से विशेष आवश्यकता होती है ।

मान्यवर, मेरा कुछ सुझाव है जिसे मैं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस सड़ी-गली व्यवस्था को दूर करने के लिए एक साल तो मौका देगी ही जनता हमारी सरकार को, एक साल में सुधार होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मन्त्री जी इसका सुधार करेंगे , पहला सुझाव तो मेरा यह है कि गेहूं और धान के जो क्रय केन्द्र हैं, उन केन्द्रों को बढ़ाया गया है लेकिन फिर भी गेहूं और धान के क्रय केन्द्रों की संख्या बहुत ही कम है हर तहसील में कम से कम 5 क्रय केन्द्र होने चाहिए ताकि जनता को अपना सामान ज्यादा दूर न ले जाना पड़े और उन्हें सुविधा मिले । इसके साथ ही जो जिला तहसील और ब्लाक स्तर की समितियां दिसम्बर, 1889–90 में भंग की हैं, उनको पुनर्गठन करें और उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करें ताकि समस्याओं का सही ढंग से निराकरण हो सके ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम दुलारे सिंह—

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि जो आप कंट्रोल के व्यापारी को गलती में पकड़ने पर 3/7 दफा लगाते हैं इसमें अगर सरकार के कर्मचारी उस विभाग में भ्रष्टाचार में पकड़े जांय तो उनके ऊपर भी 3/7 की कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की मिलीभगत के यह होता है । उसके साथ ही तह भी कहूंगा कि जो भण्डारण की व्यवस्था है, वह खराब है । कांग्रेस सरकार के समय के जो एफ० सी० आई० के गोदाम बने हैं जहां पर गरीबों के खाने का सामान रखा जाता है, वह गोदाम कमीशनखोरी के बल पर बने हैं और वह पानी से चू रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम दुलारे सिंह—

मान्यवर, वह अनाज गरीब किसानों को मुहैया कराया जा रहा है, जो पानी से भीग जाता है । इसको भी आप समय-समय पर चेक करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम दुलारे सिंह—

माननीय, मैं इसके साथ ही प्रस्तुत बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

[4 बजकर 20 मिनट]

*श्री किशोरी श्याम—

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं । मैं दो बातें कहना चाहता हूं जो यहां पर सदन में इन्होंने गलत कही थीं । इनका हाल तो यह है कि "आंधरी बांटे सिन्नी, फिर-फिर घन केन्ने दे ।" माननीय, इन्होंने पिछले 40 साल में सारे देश को चौपट कर दिया । आपने कहा कि गेहूं का मूल्य 30 रुपये बढ़ाया है । खाद्य मन्त्री जी समझ लें, आपने हल नहीं पकड़ा और खेती नहीं की । गेहूं को एक एकड़ में पैदा करने के लिए 750 रुपये की जोत लगती है, 100 का पटेला लगता है, 250 रुपये में चार पानी लगते हैं, 600 को तीन बोरा खाद आता है, 175 के बीज लगते हैं, 200 रुपये कटाई के लगते हैं, 300 रुपये मड़ाई में लगते हैं, 100 रुपये मजदूरी लाख निकलाई पड़ती है, 100 रुपये पानी वाला मजदूर लेता है, 100 रुपये ढुलाई पड़ती है और नाज और भुसा अलग होने पर भुसा भरवाने में 500 रुपये लगते हैं । इस तरह कुल मिला कर 3,175 रुपया लगता है । जबकि 35 मन अनाज पैदा होता है जो 215 रुपये बिकने पर 3,010 रुपये का हुआ, 1,000 रु० का भूसा बिका, 500 रुपये महीने का मजदूर यानी कुल 6,000 की मजदूरी हुई, इस तरह एक एकड़ पर कुल 5,175 का घाटा आता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ,

अगर गेहूं का दाम 300 रुपये क्विन्टल हो तो ठीक रहे। इसके समस्या सुलझ जायेगी। इस हिसाब से गेहूं का दाम सही नहीं बढ़ा है। यह तेल का जो दाम बढ़ा है इसका कारण सुन लें। मन्त्री जी दुग्ध उत्पादन के बारे में तो बोले नहीं, गाय, भैंस पालन के बारे में भी नहीं बोले, जबकि घी की कमी के कारण ही तेल की कमी हो रही है। अगर घी ज्यादा पैदा होता तो तेल की खपत कम होती। दूध ज्यादा पैदा होता तो तेल की खपत कम होती। मैंने कहा कि कोसीकला में 500 क्विन्टल की लिमिट हटा दी, अभी तो एक दिन में आढ़तिया की 150 क्विन्टल की लिमिट है। कोई किसान 4 ट्रक ले आये तो व्यापारी क्या करे। आप लिमिट बढ़ा दो तो किसान को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप सेल्स टैक्स व्यापारियों के जिम्मे छोड़ दें, मैं जिम्मेदार हूं एक करोड़ दिलवा दूंगा। आप एक करोड़ रुपया ज्यादा ले लें, लेकिन सेल्स टैक्स माफ कर दें। इसके साथ ही में आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

डा० शमी (शमीम) अहमद खां—

(दो सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण भाषण का कुछ सुना नहीं जा सका)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पिछली कांग्रेस सरकार ने और बी० जे० पी० के लोगों ने इस देश को ऐसा निजाम दिया ऐसे अधिकारी दिये, जो हर जगह पक्षपात बरतते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० शमी (शमीम) अहमद खां—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कांग्रेस की पिछली सरकार और बी० जे० पी० जैसे लोगों ने भ्रष्टाचार और अफसरशाही को इतना बढ़ावा दिया कि भेदभाव की भावना की वजह से अकलियते फिरके के जो गरीब शहरों आ में गये हैं और देहातों से, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से शहरों में आकर के बस गये हैं उनके राशनकार्ड तक नहीं बनाये जाते हैं तथा उन्हें बंगलादेशी शहरी कहकर परेशान किया जाता है। मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि यह जो गरीब लोग होते हैं, पूरब के लोग होते हैं, देहात के लोग होते हैं, अधिकारी लोग जानबूझकर इनका कार्ड नहीं बनाते हैं। माननीय सदन के द्वारा अपने मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। जिन गरीब लोगों के राशनकार्ड अधिकारी नहीं बनाते हैं, उनके राशन कार्ड बनवाये जायं। मैं अपने देहात के भाइयों से, विधायकों से कहना चाहता हूं कि आपको तो गुड़ मिल जाता है लेकिन गरीबों को जो शहरों में रहते हैं शक्कर नहीं मिलती है। उनको एक एक दाने शक्कर के लिए मोहताज होना पड़ता है। मैं सुझाव दूंगा कि जहां अधिक गरीब लोग रहते हैं, चाहे वह शहरी क्षेत्र में हों या देहाती क्षेत्र में हों, वहां राशन की दुकानें खुलवायी जायं और उन दुकानों के माध्यम से उनको सस्ती दर पर राशन मुहैय्या कराया जाय। कोई ऐसा इन्तजाम किया जाय, उपाय किया जाय ताकि गरीब शहरी लोगों को राशन, पूरा राशन, इन दुकानों के माध्यम से मिल सके। मैं भूतपूर्व मंत्री श्री बिजवई साहब को मिसाल देना चाहता हूं, वे जब सेन्ट्रल फूड मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उस पीरियड में जो काम किये हैं, आज हमारे खाद्य मंत्री जी वह नीतियां अपनायें तो मैं समझता हूं कि राशन की जो शहरी लोगों को, गरीब लोगों को परेशानियां हैं, वह खत्म हो सकती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

डा० शमी (शमीम) अहमद खां—

मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि कुछ दुकानें राशन की अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्र में भी खुलवायी जायं । मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये । जो भी दुकानें हैं, चाहे राशन की दुकानें हों, पेट्रोल पम्प हों, डीजल पम्प हों या गैस की एजेन्सियां हों, यह सब लोगों को दी जानी चाहिये ? इन अल्फाज के साथ में मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया और जन सामान्य के लिये भलाई की बातें सोचीं । मैं पुनः जो खाद्य एवं रसद विभाग का बजट माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं । शुक्रिया ।

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने खाद्य विभाग के बजट की चर्चा में मुझे भाग लेने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस प्रदेश सरकार के बहुत ही विद्वान मंत्री ने खाद्य एवं रसद विभाग का बजट रखा है । पर उसमें इस बात का कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि जनता दल को शासन व्यवस्था आने के बाद, सीमेन्ट, ईंट, मिट्टी का तेल, चीनी आदि के जो दाम बढ़े हैं, उन पर सरकार क्या अंकुश कर रही है ? जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, गांव और शहर की व्यवस्था यह है कि जब राशन की दुकानों पर चीनी-शक्कर आता है तो उसके दूसरे तीसरे दिन वह चोर बाजारी में बेंच दी जाती है । हमारे इटावा जनपद में जो प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री का गृह जनपद है, जो वितरण प्रणाली है, औरैय्या कस्बे में फफूंद व दिब्यापुर में चीनी और मिट्टी का तेल राशन की दुकानों में आने के दो और तीन दिन बाद ही चोरबाजारी में बेंच दिया जाता है । जब इस सम्बन्ध में इटावा के अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया, तो उन लोगों को संरक्षण दिया जाता है, सत्तारूढ़ दल के लोग संरक्षण देते हैं ।

मैं माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राशन की दुकानों पर सामान आने के बाद उसकी नियमित चेकिंग करायी जाय और फिर उसमें चाहे इस दल से सम्बन्धित लोग दोषी हों या उस दल से सम्बन्धित लोग दोषी हों उनके जेल जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये । कहा गया कि गांव में ढाई सौ ग्राम चीनी प्रति यूनिट मिलेगी शहर में एक किग्रा० चीनी मिलेगी । यह व्यवस्था अच्छी नहीं है । अब यह कहा जा रहा है कि यह बजट गांवों का है, गांवों की ओर चलो के नारे से बना यह बजट है तो फिर यह ग्रामीण जनता के साथ भेदभाव कैसा । मैं कहना चाहता हूं कि यह जो गांव शहरों में असमानता है । गांव और शहरों की दूरी है उस दूरी को मिटाया जाय, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाय । आज कस्बों में व्यवस्था यह है कि राशनकार्डों व यूनिटों की जितनी संख्या है उसके मुकाबले चीनी का आवंटन कम है । पर्याप्त मात्र में जनमानस को चीनी नहीं मिल पाती । मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि चीनी का आवंटन बढ़ाया जाय जिससे यह जो असमानता है दूर हो सके । जो कार्ड में निर्धारित यूनिट हैं उनके हिसाब से लोगों को पूरा राशन मिलना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्री मयंकर सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम करन आर्य—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट चर्चा में बहस करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । खाद्य और रसद विभाग का जो माननीय विद्वान

मंत्री ने बजट पेश किया है, वह सराहने और समर्थन करने योग्य है। मैं कहना चाहता हूं कि पुरानी सरकार ने अपने तरीके से जो कोटेदारों का एप्वाइंटमेन्ट किया था, आज भी वह उसी तरह बरकरार है, मैं मंत्री जी से पहला निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के जमाने से जो कोटेदार चले आ रहे हैं, जिनसे इनके एम0 एल0 ए0 पैसा लेकर सामान ब्लैक करवाते थे, उनका कोटा आप सस्पेन्ड कीजिए। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आज मिट्टी के तेल के कोटेदार 100 रुपया ड्रम ऊपर से देकर तेल लेते हैं, इसी कारण वह प्रति लीटर किसान से ज्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि बेईमानी की गंगा ऊपर से ही बह रही है। जब कोटेदार ज्यादा पैसा देकर तेल लायेगा, तो वह निश्चित ही किसान से ज्यादा दाम लेगा, आज इसके भुक्तभोगी किसान हैं। आपने कहा कि 3 महीने तक लगातार जो कोटेदार मिट्टी का तेल, चीनी आदि का वितरण नहीं करेगा, मैं उसका कोटा सस्पेन्ड कर दूंगा।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 3 महीने तो बहुत ज्यादा दिन हो गये, अगर कोई कोटेदार केवल एक महीने भी चीनी, मिट्टी का तेल नहीं उठाता है, तो उसका कोटा सस्पेन्ड कर देना चाहिये। मान्यवर, हम लोग देहात के हैं, हमारे क्षेत्र नगर पूरब में फूलपाही कस्बा टाइप का है, वहां 3 महीने से न तो चीनी मिली है और न मिट्टी का तेल ही मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां एक पुराने कांग्रेस के विधायक थे, जो पैसा लेकर ब्लैक करवाते थे। मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद एक ईमानदार, अच्छे प्रशासक के रूप में मंत्री हैं, आप ऐसा इन्तजाम करिये कि चाहे सत्ता पक्ष का आदमी हो, चाहे विपक्ष का हो, सभी के ऊपर इस तरह की रोक होनी चाहिये कि वह कोई गलत काम न करवा सके। इसलिये सभी कोटेदारों के कोटों का परीक्षण होना बहुत जरूरी है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री राम करन आर्य—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जिस दल का प्रतिनिधि हो, एम0 एल0 ए0 हो, वह अपने क्षेत्र के लिये जिम्मेदार होता है। और जो भी चीज जनता को नहीं मिलती है, उसके लिए वह उसको घेरती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी चीजों के वितरण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये अभी हमारे कांग्रेस के भाई हूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो इतने दिन रहकर पाप किया है, वह इतनी जल्दी नहीं धुलने वाला है, अभी तो 6 महीने ही हुये हैं, आप धैर्य रखिये। आपका जो इतना बड़ा पाप है, वह बहुत दिनों में जाकर खत्म हो पायेगा। मैं मन्त्री जी के बजट का समर्थन करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों को चेकिंग का मौका दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुनः समर्थन करता हूं।

श्री बालचन्द्र मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य और रसद विभाग के बजट पर माननीय श्री मयंकर सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देते हुये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले 40-42 साल के शासनकाल में जो अनुभव हुआ है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो व्यवस्था में की है कि एक-एक व्यक्ति बेनामी तरीके से 26-26 राशन की दुकानें चला रहा है, यह केवल में कानपुर की स्थिति आपके सामने रख रहा हूं।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठ पर आसीन हुए।)

मंत्री महोदय ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में प्रयास किया है तो मैं उनका ध्यान दिलाते हुये उन्हें प्रेरित करना चाहता हूं कि वाकई अगर वह व्यवस्था परिवर्तन

करने का हौसला बुलन्द रखते हैं तो आकस्मिक जांच कराये। जो बेनामी से दुकानें चल रही हैं, उन्हें समाप्त करें। आवंटन के समय भी शर्तें रखी जानी चाहिये। बेनामी दुकानों की गुप्तचर एजेन्सी से जांच कराई जानी चाहिये और उसकी माली हालत को भी देखा जाना चाहिये। आवश्यक वस्तु अधिनियम जिस प्रकार व्यापारियों पर लागू किया जाता है उसी प्रकार खाद्य विभाग में जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, अगर वह किसी घपले में लिप्त पाये जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

वेट एण्ड मेजरमेन्ट के बारे में भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इंडियन आयल के जो गैस सिलेण्डर होते हैं तो उनमें 14.2 किलो गैस होनी चाहिये। उनके पास आटोमेंटिक बोटलिंग प्लान्ट होता है। लेकिन किसी में गैस 12-13 किलो होती है तो किसी में 15-17 किलो होता है। अगर सील इनटैक्ट है इंडियन आयल की तो अण्डरवेट सिलिण्डर पर व्यापारी का चालान नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार अन्डर वेट में चालान किया जाता है, किन्तु यदि इसी प्रकार गैस ज्यादा हो जाती है तो उसे कोई प्रशंसा-पत्र या ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इंडियन आयल गैस के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिये। इसी प्रकार अगर घी का डिब्बा शील युक्त है, अगर घी उसमें कम है तो घी कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। जहां तक राशन कार्ड का सवाल है, मेरा सुझाव है कि प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के भीतर राशन कार्ड मिल जाना चाहिये।

कानपुर में ओरिएन्ट गैस सर्विस के पास इंडियन आयल के गैस सिलण्डर का ट्रक आया। अभी ट्रक बाहर खड़ा था और सील इन्टैक्ट थी तो वहीं पर वेट एण्ड मेजरमेन्ट वालों ने उसे चैक कर दिया और जिन सिलेण्डरों में गैस कम पाई गई थी, उसके आधार पर उन्होंने व्यापारी का चालान कर दिया। इस तरह से काम नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी--

माननीय, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि छोटा-कफी करना बहुत आसान है, लिकिन उसके साथ ही साथ वह अपने कुछ सुझाव भी रखें तो हम उसके लिए उनके आभारी रहेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मन्त्री जी ने कुछ महीने पहले एक बैठक हमारे पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की बुलाई थी और उसमें हमारे क्षेत्र की जो समस्यायें थीं, उनको सुना, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को जो आज सुविधा प्राप्त हुई है उसके लिए आभारी हूं। मुख्य बात यह कहना चाहूंगा कि इस समय हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेट्रोल पम्पों के टाइम में कटौती की गई है, वह उचित नहीं है। इस समय पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री के लिए यात्री जा रहे हैं, पेट्रोल पम्पों के टाइम में कटौती के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

मैं चाहूंगा कि यह जो समय सीमा है इसको समाप्त किया जाय, पम्प पूरे समय तक खुले रहें। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बरसात के कारण तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में गोदाम खोले जायें। देवप्रयाग विधान सभा दूसरे राज्य के इलाकों का जन सम्पर्क 6 महीने के लिए पूरे हिन्दुस्तान से

कट जाता है। मेरा सुझाव है कि वहां गोदाम खोले जायं। कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, बरसात के कारण जो सड़कें टूटी हैं, उनमें राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। पहाड़ी क्षेत्रों में विद्युतीकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। वहां का एकमात्र साधन मिट्टी का तेल है, वह भी पूरी मात्रा में नहीं मिलता है। मेरी मांग है कि इसे सरकार के द्वारा दूर-दराज के इलाकों में पहुंचाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ खाद्य और रसद विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री जय सिंह यादव—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत आभारी हूं। भाई शंकर सिंह जी ने माननीय खाद्य एवं रसद मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए लेकिन सबसे छोटी जो चीज होती है 'नमक' उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इसे तो राजा साहब भी खाते हैं और अध्यक्ष जी भी खाते होंगे, हम लोग भी खाते हैं। गांव में जो नमक चल रहा है वह बिना पिसा हुआ होता है और उसमें आयोडोन नहीं होती है। इसके कारण गर्भावस्था में ही बच्चे अंधे, लूले, लंगड़े हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास भी इतनी दवायें नहीं हैं कि इनका इलाज कर सके। जिस नमक के लिए महात्मा गांधी ने आन्दोलन किया था, यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, आयोडोन अगर नहीं मिली होगी तो नमक जहरीला हो जाता है। मेरी मांग है कि नमक के बारे में कोई विधि ऐसी निकाली जाय जिससे आम उपभोक्ता टैस्ट करके यह जान सके कि इसमें आयोडोन है या नहीं। मेरी मांग है कि सरकार अपने नियंत्रण में नमक को ले और सप्लाई के समय उसमें निर्धारित मात्रा में आयोडोन मिलाई जाय।

जो नियंत्रित वस्त्र के बारे में कहा है जनता पार्टी ने ही जनता धोती बनाई थी लेकिन इस समय तमाम स्थानों पर जो हथकरघा चल रहा है उसके अलावा पावरलूम से धोतियां बन रही हैं। इससे गरीब बुनकरों का शोषण हो रहा है। एक हथकरघा से जो वस्त्र तैयार होगा, पावरलूम से उसका दस गुना उत्पादन होता है। इस प्रकार गरीब बुनकर अपनी लागत भी नहीं वसूल पाता। हथकरघा के कपड़े कुछ खुरदुरे भी होते हैं और पावरलूम पर बना कपड़ा साफ तथा आकर्षक होता है। उस पावरलूम के कपड़ों पर फर्जी हरकरघा की मुहर अधिकारियों की मिली भगत से लगा दी जाती है जिससे कालाबाजार का धंधा गरम हो जाता है और गरीब बुनकर हाथों पर हाथ रखकर बैठा रह जाता है वह पावरलूम से बने कपड़े के सामने बाजार में महंगा पड़ने से मात खा जाता है। इसलिए सरकार इस प्रकार के शोषण को अविलम्ब बन्द करायें।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुकिंग गैस, यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं करीब-करीब सभी दो-तीन कनेक्शन रखे होंगे। अब तो गांवों में गैस पहुंच गई है। सभी सदस्य पत्नियों से प्रताड़ित हो जाते हैं क्योंकि सेलेण्डर में गैस की मात्रा कम निकलती है और गैस की जगह पर पानी भर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार नियन्त्रण नहीं कर पा रही है। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके यहां रानी साहेब को खाना नहीं बनाना पड़ता होगा परन्तु हमारे घरों में हमारी पत्नियां खाना बनाती हैं और हमको इस सम्बन्ध में उससे प्रताड़ित होना पड़ता है क्योंकि गैस में बहुत कालाबाजारी हो रही है

इस पर सरकार को नियन्त्रण प्राप्त करना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मयंकर सिंह--

माननीय, मैं एक आग्रह करूंगा कि अभी तक पुरानी परम्परा रही है और आज भी तमाम सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, अब नई परम्परा डालें । उधर और इधर से तमाम सुझाव आए हैं इस पर सरकार का लिखित आश्वासन होना चाहिए । इसके अतिरिक्त मेरा यह सुझाव है कि पश्चिमी देशों में उपभोक्ता फोरम है वह इतना सशक्त है कि बाजार में पूंजीपतियों का और व्यवसायिक केन्द्रों का जो सामान छाया है, अगर उपभोक्ता फोरम को मोहर लग जाय कि यह माल उचित नहीं है तो वह सामान बाजार से गायब हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है । इसी तरह का आपके यहां भी उपभोक्ता फोरम होना चाहिए ।

यह विभाग तो पांचाली की तरह है जिसके कई पति हैं जैसे कि काडं प्रधान बनाता है, ग्राम सेवक उसको बांटता है, रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखी जाती है और राजस्व की जांच एस० डी० एम० करता है । अब यह बात समाप्त होनी चाहिए । सब विभाग शक्तिशाली बन रहे हैं, देखिए दिल्ली में पर्यावरण विभाग कितना कमजोर था जो कि अब शक्तिशाली हो गया है । इसी तरह से खाद्य और रसद विभाग पांचाली न रहे, स्वावलम्बी होकर स्वयं खड़ा हो सके, ऐसा प्रयत्न कीजिए ।

मैं यह भी कहूंगा कि उत्तर में और केन्द्र में आपकी ही सरकार है । राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जनता दल की है । हम और हमारे साथी तो केवल सरकार को समर्थन दे रहे हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार खाद्य कोटे की मांग करें जिससे कि लोगों को अपना पूरा कोटा मिल सके । उत्तर प्रदेश में 1 लाख 56 हजार कि० ली० मिट्टी के तेल की आवश्यकता है जब कि उसके विपरीत केन्द्र से दिसम्बर, 1989 में 75 हजार 790 कि० ली० मिट्टी का तेल मिला। जनवरी, 1990 में 77 हजार 790 कि० ली० तेल मिला लेकिन एक वर्ष और तीन महीने के बाद इस सरकार में माननीय, मार्च, 1990 में 72 हजार 40 कि० ली० मिट्टी का तेल मिला ।

मैं उत्तर प्रदेश के खाद्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि मिट्टी का तेल का एलाटमेंट अधिक करें । आज हिम्मत हो तो खाद्य मन्त्री जी इस बात की घोषणा करें कि जो बाजारों में सल्फास की गोलियां बिक रही हैं, इनका बिकना बन्द करें । अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो वह इनको खा लेता है । तीसरी चीज यह है कि मट्ठे वाले तो ईंट का व्यापार कर ही रहे हैं, कृपया कोयले का व्यापार उन्हें मत दें, अन्यथा ईंट और महंगी हो जायेगी । समाज के लोगों को इस कार्य को करने दें, अगर आप इस कार्य को भी अधिकारियों को दे देंगे तो भ्रष्टाचार पनपेगा और इसके दुष्परिणाम निकलेगा । माननीय, डालडा की बड़ी चर्चा रही है । टिन के डिब्बों में कैंसर के भयावह खतरे से आगाह किया गया है । समाचार पत्रों में इसका जिक्र है । डालडा अनिवार्य आवश्यकता बन गया है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है । इसलिए इससे होने वाले खतरे को रोके । अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चीनी की जो प्रथा है 25 किलो और 50 किलो की देने की इसको समाप्त किया जाये । वह उचित नहीं है । आप जो भी मात्रा निर्धारित करें, उसका कड़ाई के साथ पालन होना चाहिये । हमारे बड़े भाई के साले सुरेन्द्र विक्रम सिंह बैठे हैं, इनसे आप पूछ लीजिये कि कितनी चीनी खर्च हुई थी ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

यह मेरी वाइफ को मामी कहते हैं ।

श्री मयंकर सिंह--

माननीय मंत्री जी जितने ही पाक हैं लेकिन इतने भ्रष्ट विभाग में वह कहां तक पाक रह पायेंगे । आपने जौनपुर के डी० एस० ओ० का स्थानान्तरण किया और 4 दिन के बाद फिर आपने उसे रोक दिया । क्या इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा । यह कैसे हो गया इसको आप देखें ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री मयंकर सिंह--

माननीय, समाप्त कर रहा हूं । दुकानों के निलम्बन के बारे में कहना चाहता हूं . . .

जब आप दुकानों को निलम्बित करते हैं तो तत्काल व्यवस्था कर देते हैं और दूसरी दुकानों को अटैच कर देते हैं । एक दुकान के पास पहले से ही 5/6 होती हैं और इस प्रकार वह अपनी ही दुकान नहीं चला पाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस अटैच करने की प्रणाली को समाप्त करें । अन्त में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आप सब का समर्थन चाहता हूं कि आप उस पर बल दें । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस अनुदान की राशि को घटाकर एक रुपया करें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और विशेष रूप से उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने मुझे बहुमूल्य सुझाव दिये । साथ ही मुझे दुःख इस बात का है कि माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, आलोचना और सुझाव कहकर तो उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया लेकिन वह मात्र आलोचना तक सीमित रह गये, सुझाव पर नहीं आये ।

मान्यवर, जो बिन्दु उठाये गये हैं उनके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं । माननीय मयंकर सिंह ने अपनी बातों में कहा कि दुकानों को बढ़ा देने से अधिकारियों को मकड़ी के जाल की तरह फैला दिया गया है जिससे भ्रष्टाचार फैल गया है । श्रीमन्, अगर उनकी यह मंशा है कि इन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खत्म कर दिया जाय या इनको न खोला जाय और इससे ये वस्तुयें सभी उपभोक्ताओं तक पहुंच जायेंगी, तो इससे मैं सहमत नहीं हूं । मान्यवर, हमारी मंशा है कि 23 हजार ग्राम सभायें हमारे इस प्रदेश में हैं और 7? हजार दुकानें ही स्थापित करने की शासन की नीयत है और इसी प्रकार शहरों में भी जितनी भी आवश्यकता होगी, आबादी को देखते हुये उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उतनी दुकानें स्थापित की जायेंगी ।

दुकानों के बढ़ने से भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। मैं मानता हूं कि दुकानें बढ़ती हैं तो नियंत्रण भी सख्त करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार हैं। एक बात यह कही गई कि लड़के–लड़की शादी के लिए चीनी किस तरह दी जाती है। माननीय मयंकर सिंह जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने यह बात कही। मैं बताना चाहता हूं सम्मानित सदन को कि भारत सरकार से जो लेवी की शुगर मिलती है, चीनी मिलती है, सब्सिडाइज्ड चीनी जिसे कहते हैं वह किसी खास उद्देश्य के लिये या किसी शादी त्योहार के लिए नहीं मिलती है बल्कि उपभोक्ता की वैधिक आवश्यकताओं के लिए मिलती है। जहां तक शादी त्यौहार के लिए चीनी की आवश्यकता की बात है उसके लिए खुले बाजार में चीनी उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। चाहे महंगी हो, खरीद लें लेकिन किसी का पेट काटकर शादी नहीं करेंगे।

श्रीमन् किसी भी प्रदेश में मैंने जिन प्रदेशों को देखा है....

(व्यवधान)

मैं अभी राजस्थान गया था। वहां पर आपकी सरकार है...

(व्यवधान)

मुझे तरस आ रहा है शुक्ला जी। मैं इस समय सम्मानित सदन के समक्ष कुछ नहीं कह सकता। श्रीमन् जितनी शुगर जिस प्रदेश में पैदा होती है उतनी उस प्रदेश में नहीं बेची जाती है। पूरी की पूरी शुगर एक पूल में जाती है और उसके बाद पूरे भारत में आवंटित की जाती है। शायद आपको जानकारी नहीं है। मैं राजस्थान गया था। वहां के खाद्य मंत्री से मेरी बात हुई। वहां पर किसी भी तीज–त्योहार, शादी–ब्याह के लिए एक दाना भी चीनी नहीं दी जा रही है और यहां पर इसके ऊपर बल दिया जा रहा है कि मिलना चाहिए।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

वहां पर चीनी सस्ती है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

वहां पर 12 रुपये है और यहां पर 9 रुपये हैं माननीय मयंकर सिंह साहब जब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे तो शायद उनको अपनी शादी याद आ गयी।

श्री अध्यक्ष—

यह तो अच्छी बात है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन् इनकी शादी मेरे पड़ोस में हुई है उनका कहना है कि उसमें 10 बोरी चीनी खर्च की गई। श्रीमन् एक दूल्हा अपनी बारात को छोड़ कर यह देखने जाय कि लड़की वालों के यहां कितनी चीनी खर्च हो रही है तो इससे नालायक दूल्हा और क्या हो सकता है जो यह देखे कि कितनी चीनी खर्च हो रही है? तो इसमें शर्म आती है

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

यह बोरी नहीं बोरियां देख रहे थे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

श्रीमन्, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको एक साथ बताना चाहता हूं अलग-अलग बताने में समय ज्यादा लगेगा एक बात जरूर बताना चाहता हूं माननीय भोला पाण्डेय बड़े बेताब हो रहे हैं कि उनके यहां डी० एम० ओ० नहीं हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि डी० एस० ओ० नियुक्त हो गया है अगर अभी ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन करा दिया जायेगा ।

श्रीमन् कोयले की बात आई विशेषरूप से मयंकर सिंह जी ने जोर दिया और कहा कि यह नीति अच्छी नहीं है इस लिए भट्टे के मालिक स्पोनसरिंग नहीं करेंगे वह शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके मन में ऐसी आशंका है कि स्पोनसरिंग करायेंगे तो सही रिकार्ड उपलब्ध हो जायेगा कि कितना कोयला लिया और कितना ईंट तैयार किया और उससे सेल्सटैक्स से बच नहीं सकेंगे । हालांकि डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब सेलसटैक्स कम्पाऊंडिंग पर लिया जा रहा है तो कितना ही ईंटा बनायें उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कम्पाउन्ड सिस्टम है डरने की बात नहीं है । मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि भट्टा मालिकों के एसोसियेशन के लोगों से मैं निरंतर बात करने के लिए तैयार हूं और उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए तैयार हूं । मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूं कि कोयले का उपयोग भट्टा मालिक कर रहे हैं और उसकी उपलब्धता बिचौलियों के माध्यम से क्यों कराना चाहते हैं ।

श्रीमन्, पहाड़ के लोगों ने अपनी बात कही मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 161 गोदाम हमारे कार्यरत हैं इसके अलावा भी और गोदाम बनाने की बात है । जहां तक गोदामों तक सबसिडाइज्ड रेट पर सामग्री उपलब्ध कराने की बात है मैं बताना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ में एफ० सी० आई० का गोदाम बन रहा है जो लगभग तैयार हो गया है । मैंने वहां स्वयं दौरा किया और बात की है कि बागेश्वर में भी एफ० सी० आई० का एक गोदाम बनाया जाय । इस पर अभी भारत सरकार ने निर्णय नहीं लिया है । मैं प्रयास कर रहा हूं कि एफ० सी० आई० के 23 गोदाम उस स्तर तक पहुंच जाय तो ढुलाई में जो रेट बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी ।

माननीय गुप्ता जी ने कुछ सुझाव दिये हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गेहूं की खरीद दो सौ रुपया क्विंटल से शुरू की गई बाद में वह 215 रु० हो गई तो जो बैलेंस पेमेंट है जिन किसानों ने पहले बेचा है उनको भी शेष पैसा दे दिया जाय । इसके लिए भारत सरकार के राज्य खाद्य मंत्री जी से बात हुई है और यह निश्चय हो गया है किसानों को बकाया भुगतान किया जाय और इस पर शीघ्र आदेश करने जा रहे हैं सिर्फ समस्या यह फंसी है कि भुगतान कैसे निश्चित किया जाय कि पैसा किसानों तक ही पहुंचे । आपके उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद सीधे किसानों से की गई है इसलिए यहां उन्हें कठिनाई नहीं है । लेकिन पंजाब, हरियाणा में जहां आढ़तियों के माध्यम से गेहूं खरीदा जाता है इसलिए वहां समस्या है और भारत सरकार जो निर्णय लेगी वह पूरे हिन्दुस्तान के लिए निर्णय होगा, अकेले उत्तर प्रदेश के लिए नहीं । आढ़तियों के माध्यम से हम सोचें कि गेहूं, चावल और धान खरीद कर किसानों को लाभ पहुंचायेंगे इसमें मुझे विश्वास नहीं है । माननीय सदस्य मथुरा में कोसी कला मण्डी के सम्बन्ध में जो समस्या बताई है उसके सम्बन्ध में हमारी उनसे बात होगी लेकिन जो शासन की समस्या है उसका निराकरण होना आवश्यक है । राज्य खाद्य मंत्री, भारत सरकार ने कहा है और आश्वासन दिया है कि जैसे ही इन प्रदेशों से जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि भुगतान कैसे किसानों को किया है उसका निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को बता देंगे । वैसे उत्तर प्रदेश

सरकार ने चेक सिस्टम से भुगतान करने का विचार किया है इसमें निर्णय भारत सरकार पर निर्भर है।

माननीय, श्री मयंकर सिंह ने जो कहा है कि जनता दल की सरकार ने गेहूं के दाम 15 रु० बढ़ाया है, इसमें मैं कहना चाहूंगा या तो उनकी गणित कमजोर है या जानबूझकर प्रदेश की जनता और सदन को गुमराह किया है। माननीय, 17 रु० कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पूर्व गेहूं खरीद से पहले घोषणा किया था लेकिन जनता सरकार बनने पर हमने महसूस किया कि 17 रु० की बढ़ोत्तरी उचित नहीं है, यह कम है, इसलिए कुल मिलाकर हमने 32 रु० की बढ़ोत्तरी किया है, शायद आप इस हिसाब को नहीं समझ पाये हैं।

माननीय, श्री गुप्ता जी ने व्यापार मित्र मंडल के गठन के सम्बन्ध में कहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कार्यवाही और विचार-विमर्श हो रहा है और इन कमेटियों का शीघ्र ही गठन कर दिया जायेगा।

माननीय, गुप्ता जी ने कम्पोजिट लाइसेंस के बारे में और धारा 307 ऐसेन्शियल कमोडिटी ऐक्ट के सम्बन्ध में कहा तो व्यापार मंडलों से हमारे पास तमाम सुझाव और प्रत्यावेदन आये हैं, लगभग 40 मुद्दे उठाये गए हैं और उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं तथा काफी मुद्दों पर विचार कर चुके हैं, हमने व्यापार मंडलों से कहा था श्री गुप्ता जी से व्यक्तिगत बात हुई थी और कहा था कि शीघ्र ही इस पर निर्णय करने जा रहे हैं। शासन की कतई मंशा नहीं है कि किसी लाइसेंस प्रणाली से व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाये। एसेन्शियल कमोडिटी ऐक्ट के माध्यम से किसी को परेशान करने की सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए जिस तरह का परिवर्तन करने की बात है उसके लिए हम तैयार हैं बशर्ते उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो सके। माननीय, कुछ और सुझाव आये हैं कि एसेन्शियल कमोडिटी ऐक्ट भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू किया जाये जहां साबित हो जाये कि उनके मिलने के कारण इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। यह सुझाव अच्छा है हम इस पर विचार करेंगे।

माननीय, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कहा था कि अपने यहां तीन लाख टन चावल पड़ा है, सप्लाई नहीं हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि अब लगभग 94.3 प्रतिशत हम एफ० सी० आई० की सप्लाई कर चुके हैं, थोड़ा ही चावल रह गया है और उसके बारे में भी हम एफ० सी० आई० से बात चला रहे हैं कि वह लेंगे या नहीं। उनका इसपर जवाब आने के बाद ही हम अपना इस पर निर्णय लेंगे।

पहाड़ी जनपद के बारे में यह बताना चाहूंगा कि यह आदेश दे दिए गए हैं कि 3 माह का स्टाक अभी से वहां पर इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि जो सड़कें टूट जाती हैं या जहां कहीं भू-स्खलन होने के कारण अनाज नहीं पहुंच पाता है, वहां पर के लिए पहले से ही स्टाक कर लिया जाए और उसे सप्लाई कर सकें। जो चावलों की शिकायत आई है उसकी जांच कराई गई है। वह 12 हजार टन चावल दिया नहीं गया है, बल्कि एफ० सी० आई० के गोदाम में रेजक्ट किया गया है, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब थी। माननीय, मैं कुछ मुद्दों पर और कहना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बैठिए बैठिये आप देखिए कि मैं परम्परा को नहीं बिगाड़ूंगा यदि मंत्री जी बैठ जाएं तो आप प्रश्न करें।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य मिश्रा जी ने पैकेज ऐक्ट के बारे में कहा था, पैकेज ऐक्ट और गैस सिलेण्डर पर दिए गए उनके सुझावों पर मैं विचार कर रहा हू कि उनके सुझाव अनुसार कैसे उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। श्री मयंकर जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव में मुख्यतः दो ही बातें कहीं थीं, एक तो सल्फास का प्रयोग खाद्य विभाग बन्द कर दे, और वे दूसरे मिलावटी सामान जो बाजार में मिल रहे हैं, वह न मिले। मुझे दुखः हुआ कि वह खाद्य विभाग में कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,62,79,60,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990

श्री अध्यक्ष--

अब मद संख्या-12।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--]

श्रीमन्, मैं अनुरोध करूंगा कि मद संख्या 12 आगे ले लिया जाए, क्योंकि इस समय माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जो विधान परिषद् में हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मद संख्या 14।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

उसको भी बाद में लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, तो अब मैं मद संख्या 16 लिए लेता हूं।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, इन विधेयकों का क्या हुआ, क्या ये आज नहीं पास होंगे। उन्होंने क्या कहा, सुनाई नहीं पड़ा।

(ग्राम्य विकास मंत्री के अनुपस्थित रहने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो, कृपया बता दें कि आज विधेयक लिये जायेंगे या नहीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जो परिषद् में हैं, उनके आने के उपरान्त ले लें ।

(ग्राम्य विकास मंत्री के सदन में उपस्थित हो जाने पर)

*ग्राम्य विकास एंव पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(श्री विमल प्रसाद तिवारी का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, क्या मैं प्रस्ताव रख दूं ? मैंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसमें मेरा नाम ही नहीं छापा है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि इसमें एक संवैधानिक कठिनाई है । आप विचार व्यक्त करें ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उसका जो अधिनियम था उसे इस विधेयक द्वारा संशोधन किया जा रहा है । संशोधन जो प्रस्तावित है उसमें "बोर्ड" को हटाकर इसका नाम "आयोग" रखा जा रहा है । ऊपर से पढ़ने में ऐसा लगता है कि इसका दर्जा बढ़ाया जा रहा है । बोर्ड के स्थान पर आयोग की मान्यता आज तक यही थी । आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था हुआ करती है यह आज तक स्वायत्तशासी निकाय में, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो सकता था । इस संशोधन के द्वारा इसे एक सरकारी विभाग बना दिया गया । इस पर रोज चर्चा हो रही है । नियुक्तियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाय ताकि प्रतिभासम्पन्न और योग्य लोगों के साथ अन्याय न हो सके । तमाम स्थानों पर नियुक्तियों के लिए सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त आयोगों की स्थापना हो रही है । हमारी सरकार की कथनी और करनी में इतना अन्तर है कि जब तक इसका नाम "बोर्ड" था तो यह स्वायत्तशासी निकाय था, अब इसका नाम "आयोग" कर रहे हैं और संशोधन कर रहे हैं कि यह एक सरकारी विभाग होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि कम से कम यह जो चन्द दिनों के लिए सत्ता में आये हैं तो ऐसी परम्परा डालकर न जायं जिससे कि भविष्य में उसका रोना आपको हमको न रोना पड़े । इन संस्थाओं को, जो सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहती थीं, आज भी सरकारी नियंत्रण से उन संस्थाओं को मुक्त रहना चाहिए जो कि नियुक्तियों का काम करती हैं । क्या मंत्री जी के कहने से चयन होगा, प्रतिभा के आधार पर, योग्यता के आधार पर, चयन नहीं होगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[5 बजकर 20 मिनट]—

बल्कि सिफारिश के आधार पर चयन होगा यदि ऐसा करना था तो इसको सीध-तीधे विघटित कर देते। ऐसे आदेश कर देते जिस विभाग को नियुक्ति होना है उस विभाग के मंत्री, निदेशक और सचिव के पास प्रार्थना पत्र आयेंगे उसम जैसा वह उचित समझते नियुक्ति कर देते। इसको आप आयोग का नाम दे रहे ह दूसरी तरफ विरोधाभास है आप इसको सरकारी विभाग बना रहे हैं तो आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट में विचार कर लें।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय, इस संशोधन के द्वारा जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड हैं इसको आयोग कहेंगे। जैसा पंचानन राय जी ने कहा कि इसका सरकारीकरण हो रहा है, इसकी स्वतन्त्रता में कटौती की जा रही है ऐसी बात बिल्कुल नहीं ह पहले जो कर्मचारी काम करते थे उनको तनख्वाह को मुश्किल होती थी वहां जो अधिकारी थे फिर उनको वापस भेज दिया जाता था, जाते थे वह पांच वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाते थे, तो इन सब चीजों का सरलीकरण करने के लिए कि वह अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकें इसलिए इसको आयोग का नाम दिया गया है। इसके सचिव अब दस वर्ष रहेंगे या जो ऊंचे पद पर रहेंगे और जो चयन ठीक तरह से कर सकेंगे और आयोग को ठीक तरह से चला सकेंगे उसको वहां रखा जाएगा, इसका मूल उद्देश्य यही इसके है सरकारीकरण की बात नहीं है। माननीय पंचानन राय जी शिक्षक हैं वरिष्ठ सदस्य हैं उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जो नियुक्तियों में ——— देरी होती थी तो उस देरी को दूर करने के लिए इसे आयोग बनाया गया है। इसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 13 तक, खण्ड—1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा परित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1988 का अग्रतर संशोधन करने के लिए।

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा।

(2) यह 31 मई, 1990 को प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1988 के शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1988 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शीर्षक में शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा ।

सामान्य संशोधन

3—मूल अधिनियम में —

(क) धारा 1 की उपधारा (1), धारा 2, धारा 4, धारा 6 की उपधारा (2), धारा 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23 और 27 में,

(ख) अध्याय दो, तीन और पांच के शीर्षक में,

(ग) धारा 6, 12, 14, 16 और 18 के पार्श्व शीर्षक में, जहां-जहां शब्द "बोर्ड" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा ।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग-1) समूह 'क' के पद या समूह 'ग' के पद का तत्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है ।"

धारा 5 का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"5—(1) एक आयोग होगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना आयोग के नाम से जाना जायगा ।

(2) इस अधिनियम की धारा 5 के, जैसा कि यह यह 31 मई, 990 के ठीक पूर्व थी, अधीन निगमित निकाय के रूप में गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 31 मई, 1990 को विघटित हो जायगा और ऐसे विघटन पर,—

(क) उस बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य क्रमशः आयोग के प्रथम अध्यक्ष और अन्य सदस्य हो जायेंगे;

(ख) उस बोर्ड की समस्त सम्पत्ति और परिसम्पत्ति राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी;

(ग) उस बोर्ड के संविदात्मक या अन्य प्रकार के समस्त ऋण, दायित्व और आभार राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे,

(घ) बोर्ड के प्रत्येक पूर्ण कालिक कर्मचारी की सेवायें राज्य सरकार को अनन्तिम रूप से अन्तरित हो जायेंगी, और—

(एक) यदि, वह 31 मई, 1990 से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में राज्य सरकार का कर्मचारी न रहने के अपने आशय की सूचना देता है तो उस अवधि की समाप्ति पर उसकी सेवायें समाप्त हो जायंगी ;

(दो) किसी अन्य स्थिति में वह दिनांक 31 मई, 1990 को राज्य सरकार का कर्मचारी हो जायेगा ।"

6—मूल्य अधिनियम की धारा 6, में— धारा 6 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्

"(1) आयोग में एक अध्यक्ष और पांच से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करे :

परन्तु कम से कम आधे सदस्य यथासम्भव ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति के दिनांक को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद या पदों को कम से कम दस वर्ष तक धारण कर चुके हों जो राज्य सरकार के समूह "क" के पदों से निम्न श्रेणी के न हों ।"

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 7" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1)" रख दिये जायेंगे ।

7—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्— धारा 7 का प्रतिस्थापन

"7—(1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसको निम्नलिखित अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियां होंगी ।— शक्तियां और कर्तव्य

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप-समितियों का गठन करना;

(ख) सदस्यों, समितियों और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो;

(ग) आयोग और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना;

(घ) आयोग के अन्य सदस्यों और अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना ।

(2) अन्य सदस्य अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों या विनियमों के द्वारा या अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किए जायं ।"

8—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्— धारा 13 का प्रतिस्थापन

"13—(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा ।

आयोग का सचिव

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जायं ।"

9—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में खण्ड (घ) और (ङ) निकाल दिये जायेंगे । धारा 15 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्— धारा 19 का प्रतिस्थापन

"19—आयोग की किसी बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।"

बैठक में निर्णय

11—मूल अधिनियम के अध्याय छः के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात्— अध्याय छः के शीर्षक का प्रतिस्थापन

"वार्षिक रिपोर्ट" ।

12—मूल अधिनियम की धारा 21, 22, 24 और 25 निकाल दी जायगी । धारा 21, 22, 24 और 25 का निकाला जाना

13—(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1990

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 13 तक, खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधि मान्यकरण) विधेयक, 1990

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह जो विधेयक है यह एक तरह से जो वैधानिक कठिनाई थी उसको दूर करने के लिये पेश किया गया है । 1988 के पहले जो मोटरयान अधिनियम, 1939 था उसकी धारा 68 में यह प्राविधान था कि अगर प्रदेश में किसी अराष्ट्रीयकृत मार्ग को राष्ट्रीयकृत घोषित करता है तो उसके लिये योजना बनाने, उस पर राय जानने आदि की जो औपचारिकतायें करनी है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को यह शक्ति थी कि वह इस प्रकार की योजना तैयार करे और यह कार्य करे । लेकिन हुआ यह कि उपक्रम की जगह जो प्रबन्ध निदेशक थे उन्होंने यह कार्य कर लिया । तो इस तरह के 14 मार्ग थे जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी और जब यह कार्यवाही हो गयी तो इस सम्बन्ध में कुछ मोटर मालिक हाई कोर्ट में चले गये और अभी भी मुकदमा वहां विचाराधीन है । इस बीच में जो मोटरयान अधिनियम, 1939 था वह बदल दिया गया और 1988 में नया मोटर यान अधिनियम आया । तो इस समय जो वैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था उसी को दूर करने के लिये यह प्राविधान किया गया है ताकि जो पिछला, पुराना कार्य है उसको विधिमान्य कर दिया जाय, कानून के अनुसार उसको मान्यता दे दी जाय । इसीलिये यह विधेयक लाया गया है । इसका प्रभाव आने वाले दिनों में नहीं पड़ेगा बल्कि यह भूतलक्षी है । इसका सम्बन्ध किसी आगे आने वाले कार्य से नहीं है । मैं समझता हूं कि सदन को इसको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिये, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी है नहीं इसलिये संशोधन का प्रस्ताव तो आयेगा नहीं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, कुछ अनियमित कार्य हैं उनको वैधानिक बनाने के लिये विधेयक लाया गया है । मैं इस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जो नौकरशाही है यह निरंकुश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है इसके लिये चाहे हम जिम्मेदार हों या आप । जिन अधिकारियों को जो काम करने का अधिकार विधि द्वारा प्राप्त नहीं था उन अधिकारियों ने वह काम किया । अगर किसी छोटे-मोटे चपरासी ने यह कार्य किया होता तो क्षम्य था पर बड़े-बड़े आई० ए० एस० अधिकारी, जो विधि द्वारा इस काम को करने के लिये अधिकृत नहीं थे उन्होंने यह काम किया है । उनके काम से जिस किसी को पीड़ा पहुंची है निश्चित रूप से वह न्यायालय गये होंगे । अगर विधान मंडल को विधायी शक्ति का प्रयोग इस बात के लिये किया जायगा कि जो अफसर गलत काम कर गये ह उसको सही करने के लिये कानून बनाया जायगा, तो यह उचित नहीं है । इसको आप देखें मान्यवर, जो राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा नियमावली तैयार की जानी थी उसको किसी अफसर ने तैयार कर दिया और यह विधेयक उसे विधिमान्य करने के लिए लाया गया कि उपक्रम के महा निदेशक और महा प्रबन्धक द्वारा बनाया गया समझा जाय । मान्यवर, इस विधेयक को तो हम पास कर देंगे, मंत्री जी विद्वान आदमी हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो ऊंचे पद पर काम करने वाले लोग कानून का इस तरह से नित्य उल्लंघन करेंगे, उसे विधि द्वारा विधि मान्य कर दिया जाय, जिन अधिकारियों ने कानून जानते हुए, ऐसा किया, उनसे कम से कम पूछ-ताछ होनी चाहिए, उनको तम्बी होना चाहिए कि भविष्य में बड़े-बड़े अधिकारी इस तरह का आचरण न करें । यह मेरा सुझाव है ।

*श्री माता प्रसाद पा०डेय—

मुझे मान्यवर इसमें कोई आलोचना नहीं करनी है, केवल सुझाव देना है । मान्यवर, मोटर विहिकिल ऐक्ट, 1939 के 16-सी०, 16-डी० के अन्तर्गत जो प्राविधान है, जिस सड़क को आप राष्ट्रीयकृत करते हैं, या फिर उसे आप वापस भी कर सकते हैं, उसमें मेरा एक सुझाव है कि जिन मार्गों को आप राष्ट्रीयकृत कर देते हैं, उस पर प्राइवेट विहिकिल्स को चलने से मनाही कर देते हैं और अपनी गाड़ी भी नहीं चलाते हैं, आप भविष्य में उन्हीं मार्गों को राष्ट्रीयकृत करें, जिन पर आप बसें पर्याप्त संख्या में चला सकें । आपने एक मार्ग राष्ट्रीयकृत कर दिया, और उस पर एक बस प्रातः और एक बस सायं चलवा दिया, लेकिन उससे जनता का काम नहीं चलता है, उस पर तमाम टैक्सियां, टेम्पो आदि भी चलने लगते हैं, जिससे ऐक्सीडेंट तमाम होते हैं । इसलिए आप जो मार्ग राष्ट्रीयकृत करें, उस पर आप पर्याप्त मात्रा में बस चलवायें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मार साधक मंत्री जी का भाषण सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । अगर पुरानी सरकार के पापों को धोने के लिए इस सदन में इस विधेयक को लाया गया है, जिसे आप सर्वसम्मति से पास तो करा ही लेंगे, लेकिन इस सदन में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, जो सही तथ्यों को उजागर करने के लिए बैठे हुए हैं । पुरानी सरकार ने एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया, जो ताकतें उपक्रम के पास थी, पूरी अन्डरटेकिंग के पास है, एक कमेटी में साफ निर्णय हुआ कि किस सड़क को राष्ट्रीयकृत घोषित किया जाय, बड़ा भ्रष्टाचार है हमारे सीतापुर से हरदोई मार्ग पर, मैंने कई बार कहा कि निस्तारण कर दिया जाय, लेकिन निस्तारण नहीं किया गया, जो कमिश्नर था, उसने अकेले फैसला कर दिया । इस मामले को लेकर लोग कोर्ट में गये, कोर्ट ने विपरीत फैसला कर दिया । उसने कहा कि किसी एक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है ।

हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया । मैं तो यह उम्मीद करता था कि यह सरकार जो गलत काम हो गये हैं, उन गलत कामों को खत्म कर एक नई परिपाटी चलायेगी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन यह सरकार उसको विधिमान्य घोषित करने के लिए यह विधेयक लाई है । क्या इनके गलत कामों को विधिमान्य हम घोषित करेंगे ? अगर गलत काम है, तो गलत कामों को उजागर करना चाहिए, उस गलत काम को खत्म कर आपको एक नई परिपाटी कायम करनी चाहिए । मैं बहुत दिनों से इस आदरणीय सदन में बैठता हूं । हाई कोर्ट ने विपरीत फैसला कर दिया, तो सरकार पूर्व गामी प्रभाव से उसमें संशोधन कर देगी ? मान्यवर, साढ़े चार हजार कंडक्टर और ड्राइवर निकाल दिये गये, हम चिल्लाते रहे, उस सदन में प्रार्थना करते रहे, माननीय तिवारी जी के पास गये, तिवारी जी सहमत हो गये कि यह काम गलत हुआ है । आज वे लोग धरना दे रहे हैं । वर्तमान मुख्य मंत्री के पास भी दस्तक दे रहे हैं, माननीय वर्मा जी बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि हमने इसका विरोध किया । मैं तो सहमत नहीं हूं कि सरकार इनके किये गये पापों पर पर्दा डालने के लिए फैसला कराये । इसमें जो संशोधन लाया गया है वह देखने में तो बहुत छोटा सा मालूम होता है कि एक व्यक्ति ने फैसला कर दिया, उस व्यक्ति के फैसले को चूंकि कानून के द्वारा फैसला सही नहीं माना जा रहा था, वह एक कमेटी को करने की जरूरत थी, उसे ये रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से विधिमान्य कर देंगे, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, पंचानन राय जी ने जो यहां पर अपने विचार प्रकट किये हैं उनसे तो यह निवेदन है कि आप इस बारे में जो संशोधन है ।

श्री अध्यक्ष--

संशोधन तो आया नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जब संशोधन आया नहीं तो इसका मतलब है कि सही है । पंचानन राय जी ने जो बात कही है तो आने वाले दिनों में अफसरों के ऊपर हम नहीं निर्भर करेंगे । राष्ट्रोयकृत योजना बनाने के लिए, जो नया मोटरयान अधिनियम आ गया है तो इससे सरकार के ऊपर यह आ गया है सरकार इस बात की योजना बनायेगी और वह राष्ट्रोकृत करने के लिए लोगों की राय जानेगी । इसलिए पुरानी बात खत्म हो गई । मान्यवर, पाण्डे जी ने जो सुझाव दिया है, मैं गम्भीरता से उसपर विचार करूंगा ताकि जनता को तकलीफ न हो क्योंकि जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए यह सरकार आई है । मान्यवर, राजेन्द्र जी ने जो राय व्यक्त की है, वह काफी जानकार और वरिष्ठ सदस्य हैं । भा० ज० पा० की तरफ से हमारे विधेयक पर कोई संशोधन नहीं आया है । इसका मतलब है कि सही है क्योंकि संशोधन नहीं आया है । मान्यवर, जो इन्होंने राय रखी कि पुराने पापों को धोने की बात है तो पाप क्या है यह तो सामने नहीं है ।

मान्यवर, यह वैधानिक संकट है और इसको दूर करने की जरूरत है । कोई भी हो चाहे भा० ज० पा० की सरकार हो, चाहे वेस्ट बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, यह वैधानिक शून्यता तो कहीं नहीं चलेगी । जो भ्रष्टाचार कांग्रेसियों के राज्य में हुआ अगर उसको उजागर करेंगे, मान्यवर, हमें तो जरूरत है हमको गुप्ता जी बतायें, किसी को भी बतायें उसपर हम लोग पूरी तौर से जांच करा लेंगे । मान्यवर, यह वैधानिक संकट है । यह तो आने वाले भविष्य के लिए नहीं है यह केवल 14 मार्गों के लिए है और इन 14 मार्गों के मामले में यह कोई वैधानिक शून्यता नहीं आई है, भूतलक्षी प्रभाव के लिए है । सीतापुर के लिए कहा गया, यहां उसकी कोई बात नहीं आई है, कोई और जनपद के लिए कहा नहीं है । अगर कोई गलत काम है तो बतायें । गलत काम कहकर वैधानिक संकट को नहीं दूर किया जाये तो हम अपने कर्तव्यों

का निर्वहन नहीं करेंगे। इसलिए म समझता हूं कि यहां जो विधेयक आया है इसको सर्वसम्मत से पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

माननीय, जैसे राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसें चलती हैं उसपर आर० टी० ए० नम्बर कुछ और देता है और एस० टी० ए० कुछ और नम्बर देता है। माननीय, पुरानी सरकार ने परमिट भी बहुत दे दिये हैं और ये नम्बर भी अलग-अलग देते हैं जिससे मर्डर हो रहें हैं। माननीय, माननीय तिवारी जी ने जो किया है उसपर माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो व्यवस्था है, उसे बदले। जिसपर आर० टी० ए० नम्बर दे रहे हैं उसपर एस० टी० ए० नम्बर न दें ताकि जो हत्याएं हो रही हैं, गुण्डागर्दी हो रही है उसपर अंकुश लगे।

*श्री प्रमोद कुमार—

माननीय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि पुरानी सरकार के पापों पर पर्दा न डाला जाये। माननीय, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पाप और पापी दोनों उधर चले गये और पापी का प्रमोशन करके राज्यसभा भेज दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2—व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण)

विधेयक, 1990

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कतिपय सड़क परिवहन योजनाओं की तैयारी और प्रकाशन को विधिमान्य करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1990 कहा जायगा।

(2) यह 26 मई, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

कतिपय योजनाओं की तैयारी और प्रकाशन का विधिमान्यकरण

2—जहां मोटर यान अधिनियम, 1939 के निरसन के पूर्व, राज्य परिवहन उपक्रम के महाप्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 68-ग के अधीन कोई योजना (स्कीम) तैयार या प्रकाशित की गई हो, वहां यह समझा जायगा कि योजना राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा तैयार या प्रकाशित की गई है और ऐसी योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल इस आधार पर कि उसे ऐसे उपक्रम के महाप्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा तैयार या प्रकाशित किया गया था, अवैध या शून्य या कभी भी अवैध या शून्य हुई नहीं समझी जायगी ।

3—उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1990

निरसन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2-व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना । विधिमान्यकरण विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति प्रदेश में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किये जाने तथा इसे प्रभावी बनाने के लिये सम्बन्धित चयन बोर्ड के सदस्य उक्त तीन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में रखे जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित अनजाति की भांति प्रदेश में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाय और इसे प्रभावी बनाने के लिए सम्बन्धित चयन बोर्ड के सदस्य, उक्त तीनों वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में रखे जायें ।"

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि हमारा प्रदेश एक परिवार है । परिवार की उपमा, मैं इसलिए दे रहा हूं कि संरक्षण परिवार में होता है । कैसा संरक्षण ? जैसे बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए विशेष खाने का प्रबन्ध करना है । परिवार अपना खाना काटकर प्रबन्ध करता है । कोई आदमी बीमार है परिवार का, उसके लिए फल की आवश्यकता है । उसे फल मुहैया करने के लिए परिवार का खर्च काट कर फल की व्यवस्था की जाती है । इस तरह से परिवार में विशेष आरक्षण की व्यवस्था है । हम आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था में भेद करना चाहते हैं । व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह होनी है कि हम ऐसा संरक्षण चाहते हैं कि जो वर्ग पिछड़ा है, रुग्ण है, उसका इलाज होना चाहिये। रुग्ण है वह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से। उन्नति की दृष्टि से बच्चा है, तरक्की नहीं कर पाया है। तो बच्चा और रुग्ण दोनों को समाज में संरक्षण मिलता है, परिवार में संरक्षण मिलता है। हमारा प्रदेश एक परिवार है। इसमें पिछड़ा वर्ग रुग्ण और बच्चा दोनों है। सवाल यह है कि जो एतराज उठता है कि आरक्षण जरूरी नहीं है, मान्यवर, मैं इसमें भेद करना चाहता हूं। आरक्षण और संरक्षण में भेद है। भेद यह है कि आरक्षण कालबद्ध और शब्दबद्ध नहीं होता और संरक्षण कालबद्ध और शब्दबद्ध होता है। हमारे देश में सबसे बड़ी कौम ब्राह्मण है। और उसका आरक्षण है पूरी तरह से हिन्दुस्तान में कि किसी भी मंदिर का पुजारी ब्राह्मण के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 1972-73 का।

एक सदस्य—

कृपया जाति का नाम न लें। यह अच्छी बात नहीं है।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

तो यह आरक्षण है ब्राह्मणों का, मन्दिर का पुजारी उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। चाहे काबिलियत हो या न हो, कोई भी स्वरूप हो, वह ब्राह्मण ही पुजारी रहेगा। कितने काल तक रहेगा, इसमें काल बाध्य नहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी, धर्म की व्यवस्था रहेगी, तब तक यह आरक्षण पक्का है ब्राह्मण के लिये पुजारी होने का। और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगायी 1972-73 के फैसले से।

(इस समय 5 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता चौधरी शंकर सिंह पीठासीन हुए)

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

इस व्यवस्था की समाप्ति के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इस पर आपके कोई सुझाव हैं, मान्यवर ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

इस समय जो प्रस्ताव है, उस पर आप पहले विचार करें। वह बात जब आयेगी तब उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी आप चाहे तो बैठकर भाषण दे दें, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दे दी। तो मान्यवर, आरक्षण की व्यवस्था हम नहीं चाहते हैं हम संरक्षण चाहते हैं। उसी तरह से जैसे परिवार में बालक का संरक्षण होता है। अब संरक्षण व्यवस्था कैसे हो इसके लिये दो ही रास्ते हैं। आप टुकड़ा दे दें तो संतोष कर लेगा जो भिखारी होगा। टुकड़ा अगर किसी मेहमान को दे दें तो वह गुस्सा करेगा। किसी को स्वाभिमानी बनाना यह देश के लिये सबसे जरूरी है। स्वाभिमानी आदमी कभी द्रवित नहीं होता है, कभी दलित नहीं होता है तो स्वाभिमानी बनाने के लिये जरूरी है :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया शांति बनायें रखें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण है उनकी जनसंख्या के हिसाब से । इसी तरह से जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना यह तो न्यायपूर्ण होगा, उससे कम देना अन्याय पूर्ण होगा और बिल्कुल न देना यह घोर अन्याय होगा । घोर अन्याय तो सरकार करेगी नहीं पर कम न्याय करने के लिये लगती है कि तैयार है । क्योंकि जनसंख्या से मण्डल कमीशन ने 27 सैकड़ा आरक्षण की बात कही है । हम इसे स्पष्ट कर देंगे, वह आरक्षण है, संरक्षण नहीं है । संरक्षण मिलेगा 27 सैकड़ा मिलेगा और 25 सैकड़ा नौकरियां बची है वह ऊंचे वर्ग के हाथ में जायेंगी, तो इस हिसाब से वे कभी बराबरी पर नहीं आयेंगे संरक्षण इसमें दिया जा रहा है कि जो बच्चा है वह बड़ा हो जाय, बीमार बीमारी से ठीक हो जाय । संरक्षण इसलिये है कि हम तरक्की करके बराबरी पर आ जायं । शैक्षिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़ापन है वह दूर हो जाय इसलिये संरक्षण मांग रहे हैं । तो मान्यवर, संरक्षण देने की प्रथा में सबसे पहले यह जोड़ना चाहिये कि संरक्षण उनके हक के हिसाब से दिया जाय। इस हक को जब-जब नकारा गया देश में, तब-तब देश गुलाम हुआ है । यह बड़ी लम्बी कहानी है इसको दोहराना नहीं चाहता हूं । यह कहानी पक्की है । जब-जब देश में ऊंच नीच का भेदभाव करके कुछ लोगों को रेवड़ी बांटी गयी है तब-तब देश गुलाम हुआ है, सारा इतिहास पड़ा है, 2 हजार बरस का, आप देख लें । मान्यवर, इसलिये हमारा निवेदन है, आदरणीय सदन के सदस्यों से कि संरक्षण दें और पूरा दें । मान्यवर, मंडल कमीशन ने 52 प्रतिशत आबादी बताई है, तो आप 52 प्रतिशत को संरक्षण दें, क्योंकि इसके लिये मेरा एक तर्क है । प्रशासन में हिस्सेदारी होना । अगर प्रशासन में हिस्सेदारी होगी, तो एक सम्मान की भावना जगेगी । सरकारी पदों से किसी की दरिद्रता दूर नहीं होती और अगर होगी तो दो-ढ़ाई प्रतिशत देश में कुल सरकारी नौकर हैं, जिसकी गरीबी ही दूर होगी । तो जो आर्थिक दृष्टि से आरक्षण का मापदंड बनाना चाहते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आर्थिक दृष्टि से बनाना है तो जो कल-कारखानों पर कुछ गिने-चुने लोगों का कब्जा है, खत्म करने की बात सोचें, तभी आर्थिक आरक्षण होगा । अगर कोई इस तरह की बात रखेगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे ।

सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो पिछड़े हैं, जिनकी तरक्की रुक गयी है, तरक्की में नाबालिग हैं, उनको तरक्की और सामाजिक हैसियत बनाने के लिये यह संरक्षण देना चाहिये । समाज में सरकारी नौकरी प्रतिष्ठा की चीज है, उससे प्रतिष्ठा बढ़ती है । अगर एक भंगी का लड़का दरोगा हो जाता है और किसी जगह गांव में जाता है, तो लोग उसे पानी पिलायेंगे, उससे बर्तन नहीं मंजवाये जाते हैं, लेकिन उसी जगह कोई भंगी चला जाता है, तो पानी पिलाना तो दूर, उससे बर्तन भी नहीं मंजवाये जायेंगे । जहां तक सामाजिक पिछड़ेपन की बात है, वह संविधान की धारा 340 के अन्तर्गत परिभाषित है, इसलिये संविधान की मर्यादा की रक्षा करते हुये हमारा आदरणीय सदन के सदस्यों से निवेदन है कि इसको सम्पूर्ण संरक्षण दें । एक बात और कहकर मैं आदरणीय सदन के सदस्यों के सुझावों को जानना चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य—

मान्यवर, इन्होंने भंगी शब्द कहा है, मुझे इस पर एतराज है, यह एक आदमी कह लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, कृपया आप स्थान ग्रहण करें और सीधे बात न करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

कितना संरक्षण मिला है, पिछड़े वर्ग को, इस सम्बन्ध में आंकड़े देना चाहूंगा, लेकिन आंकड़े देने से कोई मजा नहीं आयेगा, क्योंकि एक आंकड़ा हमने पूछा था, इसी सदन में सन् 1984 में, कि देश में, कितनी नौकरियां हैं और कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं । तो सवा 6 सैकड़ा पिछड़े वर्ग का बताया गया । लेकिन जब पता लगाया गया, तो सरकारी नौकरियां 25 हजार बताई गयी, जबकि उसी दिन के बजट में 37 हजार सरकारी नौकरियां थीं । जब मंत्री जी पर विशेषाधिकार हनन का हमने प्रश्न उठाया तो विधान सभा ही भंग हो गयी, इसलिये रह गया । तो मान्यवर, किसी सरकार ने आंकड़े विश्वसनीय बनाये नहीं, अब जब कोई सरकार विश्वसनीय आंकड़े बनाये, तो सही पता लगेगा । 6 प्रतिशत से भी कम नौकरियों में आरक्षण है, क्योंकि 25 हजार में सवा 6 प्रतिशत था, उसमें 9 हजार तो डाक्टर हैं, जिसमें एक-डेढ़ परसेन्ट भी नहीं है, बाकी में कई हजार इंजीनियर हैं, इस प्रकार यह मामला पतला हो गया, औरों का परसेन्ट बढ़ गया । इसलिये इतना तो दिखाई पड़ता है कि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नगण्य है, इस वजह से इस आदरणीय सदन के सदस्यों से आपके जरिये से मेरा निवेदन है । इस पर सम्यक विचार करें और उसके बाद एक निश्चित मत दें ताकि संरक्षण पूरा हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, श्री वर्मा जो ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए और अपनी सरकार के सम्मुख यह मुद्दा रखा । श्री वर्मा जो समाजवादी आन्दोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, हमारे संसदीय कार्य मन्त्री जी व हम लोग समाजवादी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं । ज्यादातर समाजवादी विचारधारा के बुद्धिमान लोग इधर या उधर बैठे हुए हैं । श्रीमन् यह मुद्दा बहुत ही गम्भीर है । जब-जब यहां पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सम्बन्ध में मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर यहां चर्चा हुई तब-तब उसके विरोध का आन्दोलन इस देश में खड़ा हो गया । आज हम यह देख रहे हैं कि जब पिछड़े वर्ग का आदमी मुख्य मन्त्री बना था तो उसके जमाने में पिछड़े वर्ग का आरक्षण का मामला उठा, तब इस प्रदेश में उसके विरोध में सबसे ज्यादा अन्दोलन हुआ कि आरक्षण की नीति लागू न की जाय । मैं आज यह जानना चाहता हूं और साथ ही इस आदरणीय सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव मैदान में तो सभी पार्टियां आरक्षण की करती हैं, परन्तु जब चुनाव के मैदान से हट कर कुर्सी पा जाने के बाद, चाहे वह पक्ष के लोग हों या विपक्ष के हों, यही कहते हैं कि इस बहस को जनता के बीच ले जाया जाना चाहिए कि किन-किन बिन्दुओं पर आरक्षण की नीति के सम्बन्ध में विचार किया जाय ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कह दिया कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बाद में बात करेंगे । हम चाहते कि जनता के बीच में इस पर विचार प्रकट होना चाहिए कि यह नीति लागू हो या न हो। चुनावी मैदान म तो लागू होने की बात कांग्रेस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पार्टी के लोग भी करते हैं और हमारे दल के लोग भी कहते हैं। हम लोग तो इसके लिए कटिबद्ध हैं ही और संसदीय कार्यमन्त्री जी भी कटिबद्ध हैं और उन्होंने कहा भी था कि हम मण्डल आयोग की रिपोर्ट को एक साल में लागू कर देंगे। मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, सभी दलों के नेताओं की एक भ्रम की सी स्थिति है। हमारी पार्टी ने आयोग की स्थापना की और कांग्रेस पार्टी के जमाने में उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई, परन्तु आज तक उसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने पिछली बार भी कहा था कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे और इसे एक साल मे लागू करेंगे। मैं माननीय श्री वर्मा जी के प्रस्ताव के साथ 2–3 बातों और जोड़ना चाहता हूं। अब मेरी भी यह धारणा बनती जा रही है जनता पार्टी की हुकुमत में भी कहा गया कि आरक्षण लागू होगा।

सौभाग्य से दोनों समय इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री पिछड़े वर्ग के रहे हैं। परन्तु इस रिपोर्ट पर कोई तात्कालिक प्रभाव से कार्यवाही नहीं की गई तो कालिख पुत गई तो इस लिए मैं कहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अब दो बातें सामने आई हैं। सारे देश में बहस का मुद्दा बन गया कि सामाजिक व शैक्षिक स्थिति को छोड़ कर आर्थिक स्थिति को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। इस पर हम कार्यकर्ताओं में मत-भेद है, जनता के लोगों में मत भेद है। अखबार इस पर अपने विचार प्रकट करते हैं और वह यह कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को इसमें जोड़ दिया जाय। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सामाजिक और शैक्षिक दो बिन्दु हैं जो हमारे भारतीय संविधान के अन्तर्गत इसके लिए नियत किए गये हैं और इसके अन्तर्गत जो जातियां आयेंगी वही आरक्षण नीति के अन्तर्गत उपयुक्त होगी। अब यह विचार आता है कि आर्थिक स्थिति को जोड़ लिया जाय। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। हमारी सरकार को यह काम करना चाहिए कि इसका सर्वेक्षण करायें कि अनुसूचित जातियों में जिन जातियों का स्टैण्डर्ड सामान्य स्थिति के बराबर आ गया है, उसे आप सूची से बाहर करने का काम कर सकते हैं ? कांग्रेस पार्टी वोट की राजनीति के कारण नहीं कर पायी। इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। भारतीय संविधान की मंशा के अनुकूल पिछड़े वर्ग में भी देखिये। वोट की राजनीति का खातिर कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस वालों ने इसको राजनीति का मुद्दा बनाया और हमारे समाज में एक कोढ़ पैदा कर गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर मसला है। एक तरफ समाज की 52 प्रतिशत आबादी आती है, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है 26 प्रतिशत, आर्थिक क्या करेंगे ? आरक्षण की जो नीति बनायी है आबादी के आधार पर बनायी है, इसको भी तय कर दीजिय, चाहे सवर्ण जाति के हों या पिछड़ी जाति के हों, आबादी के आधार पर नीति बना कर इस मसले को तय किया जाना चाहिए। कुछ लोग आर्थिक स्थिति की बात करते हैं इसलिए इस नीति पर गम्भीरता से विचार करना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी आर्थिक स्थिति सुधर गयी है और अच्छी स्थिति पर आ गये हैं, उनको देखकर फिर कहना पड़ता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग चाहे वह ब्राह्मण हों, उसका बच्चा रोटी बनाने का काम करता हो उसके लिए आरक्षण कर दीजिये, जो रिक्शा चलाता है, उसके लिए भी कर दीजिये। इसके साथ ही मैं माननीय वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, मैं आरक्षण नीति का विरोधी नही हूं लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी पार्टी ने आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की बात कही है। आज इस सदन के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं और बड़े खुले मन से इस बात पर बहस करनी चाहिए कि आरक्षण उनके ऊपर कतई लागू नहीं करना चाहिये जो आई० ए० एस० हैं और कारों में घूम रहे हैं। क्या कारण है कि केवल जातिगत आधार पर उनको आरक्षण देने की बात कही जाय ? माननीय वर्मा जी ने जनसंख्या के अनुपात में, यह कहा है, कि आरक्षण दिया जाय पिछड़े वर्ग को, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि आरक्षण हो गया है ब्राह्मणों का मन्दिर का पुजारी होने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको खत्म किया जाय, हम सब भारत के नागरिक हैं और किसी भी परिवार की स्थिति ऐसी हो सकती है जिनके पास खाने के लिये रोटी न हो, क्या आरक्षण की स्थिति स्थापित करके उनको अच्छी नौकरी के लिए बेहतर जीवन के लिए मौका नहीं दिया जाना चाहिए ? मैं माननीय सदन से भी मांग करता हूं आदरणीय सदन को इस बात का प्रस्ताव लेकर यह किया जाना चाहिए कि उन लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण निश्चित रूप से दिया जाना चाहिये। इसके लिये शासन को सर्वेक्षण कराना चाहिये। इसके बाद प्रतिशत निकाला जाना चाहिये कि उनको भी आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिये। मात्र यह कह देना कि मण्डल आयोग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय। मैं कहता हूं कि कालेलकर की रिपोर्ट को क्यों न लागू किया जाय ? उन्होंने किसी राजनीतिक भाषा का प्रयोग भी नहीं किया है। निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये, लेकिन उसके साथ ही साथ जिलाधिकारी के पद पर ऐसे व्यक्ति को न भेजा जाय जो कि इसके योग्य न हो। इस नाते मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात की पुरजोर मांग करता हूं कि कि सरकार को सर्वेक्षण करा कर आरक्षण की मांग को पूरा कराने की चेष्टा करनी चाहिये।

श्री जयसिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय राम स्वरूप वर्मा जी जो प्रस्ताव लेकर आये हैं वह अच्छा प्रस्ताव है और उस पर सोने में सुहागा माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने लगा कर अपने सुझाव रखे। अभी माननीय सदस्य भा० ज० पा० बोल रहे थे, उन्होंने अपना लच्छेदार भाषण इस सदन में दिया और उससे सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, मैं उसका विरोध करता हूं।

भारत का संविधान यह कहता है कि हम सभी भारतवर्ष के लोग उसके अन्तर्गत आते हैं और उसके अन्तर्गत आने के कारण ही आज हम सब यहां पर बैठे हुए हैं, भारत के संविधान में आर्टिकिल 14(4) तथा आर्टिकिल 16(4) में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो यहां के नागरिक हैं, भारतीय हैं। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, को विशेष अवसर का लाभ मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

देखिये-जो प्रस्ताव सामने हैं उसमें कई माननीय सदस्यों की रुचि है और सभी इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। अच्छा हो कि आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें। जैसे माननीय सदस्य मा० ज० पा० ने क्या कहा, इस पर टिप्पणी न करके आप अपनी बात को कहें।

श्री जयसिंह यादव--

ठीक है, धन्यवाद। मैं अपनी बात को कह रहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14(4) तथा 16(4) में यह लिखा हुआ है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से

पिछड़े हुए हैं, में-आर्थिक दृष्टिकोण शब्द अनुच्छेद 14 (4) व 16 (4) नहीं आया है, केवल शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं उन्हें विशेष अवसर का लाभ मिलना चाहिये ।

मैं पूछना चाहता हूं अपने सम्मानित सदस्यों से कि सामाजिक न्यायालय के अनुसार ग्राह्यक और क्षत्रिय हो उच्च जाति में आते हैं, उसमें हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग कहांसे कहां आते हैं । समाज को जो मान्यतायें हैं उनके लिये संविधान में स्पष्ट कर दिया है कि अहीर, कुर्मी, गड़रिया आदि पिछड़े वर्ग में आते हैं । हरिजनों का वर्गीकरण अनुच्छेद से हो चुका है, अब पिछड़ी जातियां रह गयी हैं । संविधान केवल दूसरी बात आर्थिक आधार को लेकर दूषित किया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि मण्डल आयोग की जो सिफारिशें आयी हैं उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता वहीं वहीं है । सरकार ने जैसे बुद्धा पेंशन पर विचार किया है, विकलांग की पेंशन के बारे में विचार किया है, विधवा पेंशन को लाये हैं इन सबमें कुछ शर्तें लगायी हैं, उसी तरह से सरकार इस सम्बन्ध में कोई न कोई शर्त जरूर लगायेगी कि इसमें अमीर के बच्चों को आरक्षण न मिले । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो उच्च वर्ग के भाई हैं, उनके विरोध में हम लोग नहीं हैं । माननीय राम स्वरूप वर्मा जी की मंशा है कि उच्च वर्ग के लोगों को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनके लिये अलग कानून बनाया जाये । उन लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो कमजोर हैं । उनसे न जोड़ा जाये ।

(व्यवधान)

*श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, सोशलिस्ट लोगों का नारा था--

सोशलिस्टों ने बांधी है गांठ ।
पिछड़ों को हो सौ में साठ ॥

लेकिन श्रीमन् मैं देख रहा हूं कि सोशलिस्ट पार्टी में काम करने वाले बड़ी जाति के नाम पर उछल रहे हैं । यह नहीं होना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में जो सुविधा आरक्षण की है, शैक्षिक और सामाजिक, उन पर बृहत रूप से विचार करना चाहिये और जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है, उसको लागू करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को तुरन्त केन्द्रीय सरकार को लिखना चाहिये । वर्मा जी ने कहा, चाहे सोशलिस्ट किसी पार्टी का हो, जब वोट मांगने जाता है, तो पिछड़ों का सहारा लेता है और जब आरक्षण की बात आती है तो जाति के नाम पर उछल-कूद मचाता है । (व्यवधान) वह लोग पिछड़े लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं । मान्यवर, जिसका हक है, उसको मिलना चाहिये । छेदी लाल साथी की रिपोर्ट को ले लें ल, काका कालेलकर की रिपोर्ट को ले लें और मंडल आयोग की रिपोर्ट ले लें आप सभी का अध्ययन करें और देखें । आज भी एक भंगी के हाथ का पानी सवर्ण नहीं पीता है और जब आरक्षण की बात आती है, तो वह उसका विरोध करते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिये कि जनहित में यह मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करे । इन शब्दों के साथ मैं वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शान्त रहें । अपना स्थान ग्रहण करें । इस तरह से नहीं चलेगा ।

श्री संत श्रीराम द्विवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारी जो जनता दल की सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी यादव हैं उन्होंने आरक्षण के प्रश्न पर अपने विचार जाहिर कि हैं । लोहिया जी ने विशेष अवसर के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और मुख्य मंत्री जी ने विशेष अवसर के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर आरक्षण के मसले का खुलासा किया है । सरकार ने एक वर्ष के अन्दर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है इसे समय के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए ।

नयी सरकार के आते ही लोक सभा एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों की सीटों के आरक्षण पर विपक्ष में बैठे कांग्रेसियों ने आरक्षण विरोधी आन्दोलन भटकाने का प्रयास किया जो कि निन्दनीय है । और इस सरकार के आते ही सारे प्रदेश में बवेला खड़ा हो गया और पूरे प्रदेश के कोने-कोने में इसको इस तरह से फैला दिया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा और ना समझी की और कोई बात नहीं हो सकती है । हमारी सरकार वचन-बद्ध है, आज जिस तरह की हमारी सरकार के सामने समस्यायें हैं, मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं, उन्हें लागू करने के लिये हम वचन-बद्ध हैं । इसलिये जो संकल्प है वह इन सिफारिशों को लागू करने से पूरा हो जायेगा ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हो गये जिससे कोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल—

मान्यवर, जब मैं 1977 में लोक सभा का सदस्य था, तब मंडल आयोग बैठा था । वर्ष 1977 के लोक सभा के चुनाव घोषणा-पत्र में पिछड़े वर्ग को 33 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए कहा । (व्यवधान) आरक्षण को टालने के लिए मंडल कमीशन बैठाया केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गई है ।

श्री अधिष्ठाता—

6.40 पर यह चर्चा समाप्त हो जाती है । कृपया समय का दुरुपयोग न करें । स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम छबीला—

आप मुझे बोलने के लिये मौका नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा—

इससे ज्यादा ज्यादती आप क्या करेंगे । दूसरे लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें । मैंने वर्मा जी को बुलाया है ।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल--

मान्यवर, जब मैं मैनपुरी से 1977 में लोक सभा का सदस्य था उस समय मैं तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई से मिला। उन्होंने तब मुझसे कहा था कि जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो ढाई घन्टे में बनाया है। मैंने कहा था कि चाहे 10 घन्टे में बनाया हो किन्तु मंडल आयोग लागू करना पड़ेगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट को इस सरकार ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज पुनः जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा है। उप प्रधान मंत्री देवी लाल ताऊ जी ने इसको टाल-मटोल कर रख दिया। वे कह रहे है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर है, आर्थिक शैक्षिक या सामाजिक आधार पर इसको लागू नहीं करेंगे। मान्यवर, कान्स्टीचुयेन्ट असेम्बली की मीटिंग चल रही थी। सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर रहेगा। तब इसके पक्ष में 5 वोट मिले थे। जवाहर लाल नेहरू ने सामाजिक और शैक्षिक आधार की विशेष रूप से बात कही कि जब तक शासन में पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक यह नीति चलती रहेगी। मैं जनता दल की सरकार से चाहूंगा कि वह हर हालत में ऐसे लागू करें। चौधरी देवी लाल चाहते हैं कि जब तक इसमें जाटों को शामिल नहीं कर लिया जाता, हम मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करेंगे। नीति सही होनी चाहिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगी तब तक आरक्षण नहीं मिल सकेगा। और पिछड़े वर्ग को शासन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। सरदार स्वर्ण सिंह ने आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की वकालत की तब जवाहर लाल नेहरू ने मतदान कराया। कांस्टीट्यूशन असेम्बली (संविधान सभा) में वोटिंग हुई और 395 मत सामाजिक आधार पर आरक्षण लागू हो उसके पक्ष में वोट पड़े और 5 वोट आर्थिक आधार पर लागू हो। जवाहर लाल नेहरू ने अपना मत सामाजिक तथा शैक्षिक आधार के पक्ष में दिया उसी के अनुसार अनुच्छेद 14 (4) व 16 (4) में शब्द सामाजिक एवं शैक्षिक को प्रविष्ट किया गया। अतः यह सरकार पिछड़ों की तरक्की के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करें और आर्थिक आधार पर सवर्ण लोगों को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था करे जिससे सवर्ण वर्ग के गरीब लोगों के बच्चे शासन में हिस्सेदारी ले सकें।

(व्यवधान)

श्री राम छबीला--

मान्यवर, चौधरी साहब हमारे नेता हैं, वर्मा जी नेता हैं...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जायं। मैंने मुन्शी लाल जी को बुलाया है। आपको समय नहीं दिया है।

(श्री राम छबीला के बोलते रहने पर)

आप जो भी कह रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जायेगा। कृपा कर बैठें।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

श्री मुन्शी लाल--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 42 साल में आरक्षण को पूरा नहीं किया है और पीछे कर दिया है। आज जो वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा है वह कांग्रेस के पाप के कारण ही रखा है क्योंकि आज तक आरक्षण पूरा नहीं हो पाया है। जो लोग समाजवाद की बात मंचों से और माइक से करते हैं वह आज इस सदन में आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं तो वह घोषणा करें कि टाइटिल खत्म कर देंगे। आज एक अछूत का बालमीकि सड़क पर चाय की दुकान लगाता है तो उसे गोली मारने की धमकी दी जाती है, आज हरिजन घूमधाम से शादी नहीं कर सकता है तो पिछले 42 सालों में कांग्रेस ने समाजवादी समाज को 42 साल पीछे कर दिया है। इसलिये जो संरक्षण और आरक्षण की बात रखी गयी है उसके लिये जो वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

*श्री दौलत राम (अबायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय, जो प्रस्ताव रखा है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिये कोई शाश्वत आरक्षण नहीं रखा गया है उसमें खिसक खिसक कर 10-10 साल के लिये बढ़ाया जा रहा है तो जो स्वयं शाश्वत नहीं है उस पर कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है।

दूसरी बात संविधान में जो आरक्षण किया गया है वह इस भावना से किया गया है कि जो शैक्षिक, सामाजिक असमानता से ग्रसित हैं जो हीन भावना से देखे जाते हैं उनको ऊपर उठाने के लिये है। अभी आपने यहां पर उदाहरण दिया कि हरिजन घोड़े पर नहीं चढ़ सकता है अगर वह चढ़ता है तो उसे पानी पिला दिया जाता है तो एक गरीब होने के नाते ब्राह्मण के पैर छुये जाते हैं लेकिन एक धनी अछूत के पैर कोई नहीं छूता है। तो यह एक परम्परा आदि काल से चली आ रही है। रामायण में भी यह बात आई है जब शांबूक नाम का शूद्र यज्ञ करने लगा "शांबूको नाम वृषल प्रविष्यो तप्यते तमः शीर्षंःछेद्यः कृते रामः तम् हत्वा रक्षय द्विजाम"
तो जब वह यज्ञ करने लगा तो सभी ब्राह्मणों ने हड़ताल कर दी और कहा कि इसका सिर काट दिया जाय।

तो जो असमर्थतायें है वह केवल एक वर्ग विशेष के लिये हैं उसके लिये संविधान में गारंटी दी गयी है कि जब तक वह बराबरी में न आ जायं तब तक उनको आरक्षण दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री दौलत राम (अबायूं)—

तो जो चीज डिकाउ नहीं है वह शाश्वत कैसे हो सकती है? इसलिये वर्मा जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी आप कितना समय लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी--

इसमें समय बढ़ा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समय का ध्यान रखें 6.40 में इस पर चर्चा समाप्त हो जानी चाहिये 6.25 हो रहे हैं...

(व्यवधान)

वर्मा जी के बाद माननीय मन्त्री जी भी उत्तर देंगे, अगर वर्मा जी समय न लें तो हमें कोई एतराज नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रविन्द्र कुमार सिंह--

मान्यवर, दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।- आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

(श्री वर्मा जी आप बोलें)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का अनुग्रहीत हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । मान्यवर, एक सवाल उठा कि योग्यता नहीं आयेगी । यह योग्यता का सवाल संविधान के अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत आता है जिसमें संविधान कहता है कि प्रशासनिक क्षमता बनाये रखकर संरक्षण दिया जायेगा । मेरा मानना है कि कहीं किसी भी संरक्षण में कम से कम न्यूनतम योग्यता को नहीं नकारा जाता है, यदि बी० ए० पास योग्यता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लिये यह नहीं वह इंटर या हाई स्कूल कर दिया जाये । तो न्यूनतम योग्यता तो सभी में है, इसलिये योग्यता का बहाना लेना उचित नहीं कहा जा सकता है ।

मान्यवर, योग्यता की कहानी इस देश की बड़ी विचित्र है, प्रशासनिक योग्यता इस देश में शासन से बड़ी है । शाक्य और बौद्ध के शासनकाल में शाक्य और बौद्ध ऊंचे पदों पर बैठ गये, मुसलमान शासन में आये तो मुसलमान पदों पर बैठ गये, ईसाई आये तो वह पदों पर बैठ गये और भारतीय पदों से हटा दिये गये । अब पिछड़े वर्ग के आये हैं तो पिछड़े वालों की योग्यता हो जायेगी । उच्च जाति वाले अब तक थे तो उनकी पूछ और मांग थी, इस प्रकार योग्यता शासन से बड़ी है ।

अंग्रेजी जमाने में योग्यता की परीक्षा नहीं होती थी चूंकि आबादी नहीं थे, कक्षा 8 पास बरोगा हो जाता था, कक्षा 4 पास मास्टर हो जाते थे, इस प्रकार कोई परीक्षा नहीं होती थी लेकिन अब परीक्षा होने लगी है क्योंकि अभ्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो गयी है, इसलिये परीक्षा होने लगी है वरना न्यूनतम योग्यता होना माध्यम था। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननवर, यह आरक्षण का प्रश्न किसी न किसी बहाने इस सदन में आता रहता है और श्रीमन्, वर्मा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, इसकी भावना से तो मैं किसी हद तक सहमत हो सकता हूं, लेकिन जो इसके शब्द हैं, वह हमारे दल की नीतियों से थोड़ा विपरीत है। वैसे जो चिन्ता वर्मा जी ने व्यक्त की है, जब मंडल कमीशन की सिफारिशें तैयार होने लगीं तो उसमें भी इस पर चिन्ता की गई है। जबकि देश में लोकतन्त्र है और सबकी भागीदारी है, जातीय आधार पर लोगों में गुण-दोष देखे जाते हैं। जातियों के आधार पर यहां शासन भी चलता रहा है। उनकी यह बात ठीक है कि जातीय आधार पर और आजादी के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन राय साहब के सब अधिकार एक दम से नहीं खत्म किये जा सकते हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा, धीरे-धीरे यह होगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय हो चुके हैं, जिसके कारण 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता है। इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 50 प्रतिशत आरक्षण की बात ही कही गयी है और उसमें पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण रिकमेंड किया गया है। जहां तक योग्यता की बात उन्होंने कही, मैं सहमत हूं। योग्यता का ही नाम लिया जाता तो तथा कथित योग्य लोग ही शासन चलाते रहते।

आज लोग शासन की क्यों आलोचना करते हैं। इस तरह हम पूरी तरह मानते हैं कि योग्यताएं, प्रतिभाएं और ईमानदारी सब में होती है, किसी एक का उस पर अधिकार या कब्जा नहीं हो सकता है। यह भी हम मानते हैं कि जो हमारे प्रशासन की कमजोरी रही, जिसको हम आलोचना करते हैं कि 42 साल तक हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद करने वाले वह बड़े-बड़े अधिकारी ही रहे। यदि उनमें कम्पटीशन होता, उनका एकाधिकार न होता तो शायद देश की इतनी बर्बादी न होती। वर्मा जी को अब चिन्ता कम करनी चाहिए और संरक्षण की बात तो उन्हें करनी ही नहीं चाहिए। अब आप यह मांग किससे कर रहे हैं। हमारी सरकार से जिसके मुख्य मन्त्री मुलायम सिंह जी यादव हैं। मुलायम सिंह जी तो खुद इन जातियों के रहे हैं, उनके दुख:दर्द और तकलीफों को जानते हैं। 52 फीसदी पिछड़ी जातियों की आबादी है, हिसाब की बात देखी जाए, तो लोकतन्त्र में यह किसी को अधिकार नहीं है कि वह लोकतन्त्र में कहीं पल्थी मारकर बैठ जाए।

आबादी से ज्यादा वर्मा जी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन यह हमारा संकल्प है और हम 50 फीसदी से ज्यादा नहीं जाएंगे और मंडल कमीशन की सीमा में ही रहेंगे। आपके संकल्प से सहमत होते हुए भी जनता से हमारा वायदा 50 प्रतिशत का है—23 फीसदी अनुसूचित जातियों के लिये और 27 फीसदी पिछड़ी जातियों के लिए। उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर और सदन के बाहर घोषणा की है कि हम इसको एक वर्ष के अन्दर लागू करेंगे। लेकिन इसमें समाज के सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। "व्यवधान" 6 माह हो गए,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसकी हमको चिन्ता है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और इस सदन के सभी लोगों से हम चाहेंगे कि जब यह लागू होगा तो उसमें हमारा समर्थन मिले। क्योंकि सिर्फ हरिजनों का आरक्षण 10 साल के लिए जब बढ़ाया गया था तो आपने देखा कि प्रदेश में क्या हाल हुआ था। इसलिए ठीक है, वर्मा जी प्रस्ताव लाये। जहां आप यह बात चाहेंगे और लोगों को मानना चाहिये कि सदियों से जिनकी उपेक्षा होती रही है, उनकी उपेक्षा करके समाज या देश चल नहीं सकता है। इतना और है कि जब यह लागू हो तो कहीं से च नहीं होनी चाहिए। श्री मुलायम सिंह यादव आज मुख्य मंत्री बने हैं तो वे आरक्षण से नहीं बने हैं बल्कि अपने पौरुष से बने हैं। हमारा जो संकल्प है उसे हम पूरा करेंगे। माननीय वर्मा जी के शब्दों के अनुसार नहीं करेंगे। 27 फीसदी का हमारा वादा है उसे हम पूरा करेंगे। हम तो कहते हैं कि केवल आरक्षण ही नहीं बल्कि अपने पौरुष से मुकाबला करें और नौकरियों में आयें। आप भी यही प्रेरणा दीजिए। केवल बैसाखी के सहारे चलने की बात न करिये। ये लोग सदियों से उपेक्षित रहे हैं। वर्मा जी से हम चाहेंगे कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप अपने प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं या उसे वापस लेंगे ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माध्यवर, जब 42 फीसदी था तब 6 प्रतिशत आ पाये, 27 फीसदी किया जायेगा तो वह कभी आ ही नहीं पायेंगे। मैं अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

यह चर्चा के साथ प्रस्ताव भी है और वर्मा जी अपने प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्मा जी से अनुरोध किया था कि चर्चा हो गयी है। वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय वर्मा जी, आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति की भांति प्रदेश में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाय और इसे प्रभावी बनाने के लिये सम्बन्धित चयन बोर्डों के सदस्य, उक्त तीनों वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में रखे जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के तीव्र कटाव से उत्पन्न स्थिति विषयक तथा आगरा जनपद के बटेश्वर तीर्थ स्थल के दिगम्बर जैन मन्दिर से बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी विषयक नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल दस सूचनाएं प्राप्त हुईं। उन 10 सूचनाओं में माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय पंचानन राय की सूचना आजमगढ़ में घाघरा नदी से

कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य के लिए स्वीकार की है। दूसरी सूचना माननीय श्री सत्य प्रकाश विकल जी की, केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है। आगरा जनपद के बटेश्वर में दिगम्बर जैन मन्दिर में अति प्राचीन एवं बहुमूल्य धातु की सात मूर्तियों की चोरी होने के सम्बन्ध में है। बाकी सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

महामना पं० मदन मोहन मालवीय के वाराणसी स्थित निवास स्थान को उनके पौत्र द्वारा बेचने का सौदा करने की खबर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

*नगर विकास मन्त्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)--

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मकान नं० बी०-39/93, लंका, वाराणसी को उनके पौत्र श्री गिरधर मालवीय द्वारा बेचने के सम्बन्ध में ...

एक सदस्य--

(मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

[एक प्रतिनिधि मण्डल जिनमें अधिकांश काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र नेता थे, दिनांक 16 जून, 1990 को जिला मैजिस्ट्रेट वाराणसी से मिला था। प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह अनुरोध किया गया कि चूंकि महामना मालवीय जी उस मकान में रहते थे। अतः उनके पौत्र श्री गिरधर मालवीय जी को उक्त मकान को बेचने से रोका जाय तथा सरकार द्वारा मकान का अधिग्रहण करके उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाय अन्यथा वह इस मुद्दे पर आन्दोलन करेंगे।

तदोपरान्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) को निर्देशित किया गया कि वह इस मामले को स्वयं देखें और सुलझायें अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस मामले को सुलझाने के प्रयासों के उपरान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों पक्षों से वार्ता करके ही मामले को सुलझाया जाय। क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों में भारी विरोधाभास है। श्री गिरधर मालवीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं तथा इलाहाबाद में ही रहते हैं। जिलाधिकारी ने उनसे दूरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो निवास से यह बताया गया कि न्यायमूर्ति श्री मालवीय मसूरी गए हुए हैं तथा दिनांक 3 जुलाई, 1990 को वापस इलाहाबाद आयेंगे। इस बात की सूचना अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने जिला मजिस्ट्रेट से मिलने आये प्रतिनिधि मण्डल को भी दी तथा उनमें और प्रतिनिधि मण्डल में यह तय हुआ कि जब न्यायमूर्ति श्री मालवीय इलाहाबाद वापस आ जायेंगे तब इस मामले में निर्णय लिया जायेगा। न्यायमूर्ति श्री मालवीय से दूरभाष पर लखनऊ में सम्पर्क किया गया उनका कहना है कि उक्त मकान में महामना मालवीय जी कभी नहीं रहे और इस मकान का निर्माण महामना मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र श्री गोविंद मालवीय ने 1939 में कराया था निहित स्वार्थवश कुछ लोग उनके मकान बेचे जाने का विरोध कर रहे हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य असत्य हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरी ओर कुछ जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों का कहना है कि यदि मकान बेचा गया तो उसका विरोध किया जायेगा । जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी से मिलने आये प्रतिनिधि मण्डल ने यह भी विकल्प रखा है कि यदि न्यायमूर्ति श्री मालवीय मकान बेचने के लिये कटिबद्ध हैं तो उनके द्वारा मांगे जाने वाली राशि का भुगतान करने के लिए वे तैयार हैं परन्तु क्रेता को किसी भी दशा में कब्जा नहीं लेने दिया जायेगा । न्यायमूर्ति श्री मालवीय जी के द्वारा मेसर्स बनारस बीड्स को यह मकान बेचा जा रहा है और सम्भवतः बनारस बीड्स ने उन्हें कुछ अग्रिम धनराशि भुगतान कर दी है सम्भवतः इसीलिये मेसर्स बनारस बीड्स द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी मकान से लगी भूमि पर प्रारम्भ कर दिया गया था । फिलहाल शान्ति बनाये रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अनुरोध करके मेसर्स बनारस बीड्स द्वारा किये जा रहे निर्माण को रोकवा दिया है । आगे दोनों पक्षों के मध्य वार्ता में जो निर्णय लिया जायेगा उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।]

(व्यवधान)

श्री यशवन्त—

माननीय सदस्य केवल सवाल पूछें ।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त—

माननीय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री [अधिष्ठाता—

गम्भीर मामला है इसीलिए तो आया हूं ।

श्री यशवन्त—

माननीय, यह महात्मा गांधी के बराबर के नेता का मामला है । राष्ट्रीय धरोहर के साथ खिलवाड़ हो रहा है यह कोई सामान्य बात नहीं है । माननीय, देश के देशभक्तों को हमारे दल की सरकार ने सम्मान देने का एक नया आयाम छोड़ा है । इसके तहत काशी से, इस देश के महान नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जमीन को बेचने से रोकने का यह सरकार प्रयास करेगी और क्या उस जमीन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का एलान यह सरकार करेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

माननीय, यह लोकप्रिय सरकार नेताओं के, महापुरुषों के और बड़े लोगों के स्मारक बनाने के पक्ष में है । प्रदेश में उन तमाम स्थानों पर जहां उनका जन्म स्थान का कार्य क्षेत्र रहा है, हम स्मारक बनायेंगे, यह हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी की है । मदन मोहन मालवीय जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समकक्ष नेता थे, इसमें कोई

विवाद नहीं है, लेकिन जो प्रकरण आपके सामने है इसमें मामला दूसरा ही है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पौत्र गिरधर मालवीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं। उन्होंने इस भवन को बेचने का संकल्प लिया है। यह भवन न बिके इस सम्बन्ध में यशवंश सिंह जी तथा और कुछ लोगों ने नियमों के अन्तर्गत सूचना आपके सामने रखी उसको आपने स्वीकृत किया। इसमें वक्तव्य आपके सामने है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस सरकार का संकल्प है और वह किसी भी बड़े पुरुष की प्रतिमा या स्मारक बनाने के पक्ष में है लेकिन जैसा कि इस भवन के बारे में कहा गया है यह भवन उनके पिता द्वारा 1939 में बनाया गया है और वर्तमान कानून यह है कि पुत्र होने के नाते उस पर श्री गिरधर मालवीय जी का हक बनता है इसको स्मारक घोषित करें इससे पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि गिरधर मालवीय जी से बात करके देख लिया जाए। हम स्मारक बनाने के पक्ष में हैं लेकिन गिरधर मालवीय जी से आज तक बात नहीं हो पाई है, उनसे बात होने के बाद कुछ निर्णय लिया जा सकता है।

श्री पंचानन राय--

मैं आपसे मान्यवर, संरक्षण चाहता हूं। वक्तव्य में लिखा है कि गिरधर मालवीय ने क्या-क्या कहा है। 1939 में मकान बना। यह गिरधर मालवीय जी ने कहा है--

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें।

श्री पंचानन राय--

यह जो वक्तव्य दिया गया है यह अधूरा है। मान्यवर, वक्तव्य सरकार को देना चाहिए था किसी व्यक्ति को नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस जमीन पर यह मकान बना है का यह जमीन श्री गोविन्द मालवीय जी को किससे मिली और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस जमीन का दाम भी गिरधर मालवीय को देकर इस जमीन पर स्मारक बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, जिस जमीन की चर्चा चल रही है यह जमीन श्री शिव प्रसाद गुप्त ने पंडित मदन मोहन मालवीय को दान में दिया था। दूसरी बात यह है कि मैंने सिद्धान्ततः पहले स्वीकृति दे दी कि हम इस पर स्मारक बनायेंगे लेकिन जब तक सारी बातें तय न हो जायं तब तक घोषणा करना ठीक नहीं है।

*श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में जरा इस पैरा को देखने का कष्ट करें. 'न्यायमूर्ति श्री मालवीय से दूरभाष पर लखनऊ में सम्पर्क किया गया, उनका कहना है कि उक्त मकान में महामना मालवीय जी कभी नहीं रहे," तो मान्यवर, यह बात असत्य है। जहां तक मेरी जानकारी है, 1953 से 1958 तक काशी विश्वविद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा हूं, राष्ट्ररत्न श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को यह जमीन दी थी। मदन मोहन मालवीय जी वहां रहते थे। इस भवन का पुनरुद्धार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मोविन्द मालवीय जी ने किया था । मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्ररत्न शिव प्रसाद गुप्त जी ने जब यह जमीन दान दी थी तो उस दान की क्या शर्तें थी ? उन शर्तों के अधीन उनके प्रपौत्र गिरधर मालवीय का वह मकान है या वह राष्ट्रीय स्मारक है, यह मंत्री बतायें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, दान-पत्र में किन शर्तों का उल्लेख किया गया है यह सूचना मेरे पास नहीं है । जैसा कि माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय स्मारक की बात कही तो मैंने पहले ही कहा है उनसे बातचीत के बाद ही, जैसी व्यवस्था हो, हम स्मारक बना सकते हैं ।

(शोर)

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)--

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं । कम से कम हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें । प्रश्न दीगर है और जवाब दीगर है ।

महामना पं० मदन मोहन मालवीय के वाराणसी स्थित निवास स्थान को उनके पौत्र द्वारा बेचने का सौदा करने की खबर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

(व्यवधान के मध्य)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता --

आप बहुत पुराने सदस्य हैं, यह चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि इनकी मंशा तो है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह चर्चा का विषय नहीं है । इस विषय पर आप अलग से चर्चा की मांग कर लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य अगर इस विषय पर इतनी रुचि दिखा रहे हैं, तो इस पर अलग से चर्चा की मांग कर लीजिए ।

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शत्रुघ्न प्रकाश)--

मान्यवर, यह मामला वस्तुतः बहुत गम्भीर है । यह प्रदेश के हजारों लोगों की भावना से सम्बन्धित है । आपसे निवेदन है कि आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता—

नियमों के अधीन आप लिखकर दे दें इसको देख लेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

ठीक है, माननीय सदस्य इस पर लिखकर दे देंगे, आप इस पर चर्चा करा लीजिएगा ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते थे, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, अब आप बैठ जायं ।

लखनऊ-कानपुर रेल लाइन पर फिश प्लेटें निकाल दिये जाने से आतंकवादियों के सक्रिय होने एवं आम जनता के आतंकित होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

प्राप्य सूचना के अनुसार

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[दिनांक 21 जून, 1990 को स्टेशन मास्टर, अमौसी से थाना सरोजनीनगर, लखनऊ पर लिखित सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ जनपद के अमौसी चिपपसण्ड रेलवे स्टेशनों के बीच कि0 मी0 सं0 13/7 से 14/7 के मध्य रेलवे पटरी की सात जोड़ा फिश प्लेटें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खोलकर गायब कर दी गई हैं, जिसके कारण गाड़ी संख्या 4123 एक्सप्रेस साइड पर खड़ी है । इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0 अ0 सं0 97/90 धारा 379 भा0 दं0 वि0 तथा रेलवे प्रोपर्टी प्रोटेक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । प्रारम्भिक विवेचना से ज्ञात हुआ है कि उक्त स्थान से 14 फिशप्लेटें तथा 28 नट की चोरी हुई हैं । मौके के निरीक्षण तथा प्रारम्भिक विवेचना से उक्त घटना में किसी तोड़-फोड़ तथा आतंकवादी गतिविधियों का होना नहीं प्रतीत होता है । घटना से पहले दिनांक 20 जून, 1990 की शाम 6 बजे से 21 जून, 1990 की प्रातः 8-57 बजे के बीच इस मार्ग से 22 सवारी तथा माल वाहक गाड़ियां सुरक्षित रूप से चलीं थीं । गाड़ियों के आवागमन में कोई व्यवधान नहीं हुआ ।

फिशप्लेट तथा नट मौके पर बरामद नहीं हुए । अब तक की विवेचना से फिशप्लेट तथा नटों की चोरी होने की पुष्टि होती है । विवेचना प्रचलित है । अस्म- जनता में असुरक्षित एवं भय का वातावरण व्याप्त नहीं है ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*डा0 दिनेश जौहरी—

माध्यवर, यह बहुत गम्भीर घटना थी, हर आध घंटे बाद लखनऊ–कानपुर मार्ग से ट्रेन पास होती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जांच आपने किससे कराई है और यह जो फिशप्लेट निकाली गयी हैं, वह किस समय निकाली गयी हैं ?

श्री सतपाल प्रकाश—

माध्यवर, यह जो 21 जून की घटना है, 21 जून को सवा 9 बजे इस घटना की जानकारी मिली और सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर इसकी रिपोर्ट लिखाई गयी । ऐसी जानकारी मिली है कि करीब पौने नौ बजे के आस–पास यह तथ्य प्रकाश में आया ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, पौने नौ बजे दिन में कानपुर, लखनऊ रेल मार्ग पर आधा घन्टे बाद रेल निकलती है, 7 जोड़ी फिश प्लेट निकलना साधारण काम नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेंगे ताकि पता चल जाय कि आतंकवादियों का हाथ तो नहीं था ?

श्री सतपाल प्रकाश—

माध्यवर, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके आधार पर आतंकवादी घटना की कोई जानकारी नहीं है, यह चोरी की घटना है । यह भी जानकारी मिली है कि उस जगह इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं लेकिन फिर भी भविष्य में सतर्कता बरती जाये और जो आर0 पी0 एफ0 के लोग हैं, क्योंकि केन्द्र सरकार का मामला है और इस सम्बन्ध में जो रेल की लाइन है उसकी सुरक्षा का इंतजाम हो, उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिये जायेंगे ।

जनपद बस्ती के ग्राम रंपुरा में विषाक्त भोजन से मृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री कृष्ण किंकर सिंह—

दिनांक 15 अप्रैल, 1990 को रंपुरा गांव में अत्यन्त प्रभावशाली जहर भोजन में मिलाया गया । जहरीले भोजन से लगभग सत्तर लोगों की मृत्यु हुई । मान्यवर, जिसे गैमक्सीन कहा जाता है वह गैमक्सीन अगर शरीर पर गिरा दिया जाय तो उससे शायद छाले नहीं पड़ सकते हैं लेकिन जब पीड़ित लोगों के उल्टी हुई तो उस उल्टी की छिटकी पड़ने से शरीर पर छाले पड़ गये, इससे लगता है कि प्रभावशाली जहर था । श्रीमन्, गैमक्सीन के बारे में मुझे एक विशेषज्ञ ने बताया है कि अगर कोई लगभग 70 कि0 भार का स्वास्थ्य व्यक्ति हो और 40 साल की उम्र हो तो उसके पेट में जब 400 ग्राम गैमक्सीन जायेगी तो उसकी मृत्यु हो सकती है । मान्यवर, यह गम्भीर मसला है । वहां पर जब मुख्य मंत्री जी गये थे तो उनसे वार्ता हुई थी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जब नेता विरोधी दल गये थे तो उनसे वार्ता हुई थी । गरीब लोग तड़प-तड़प कर मर रहे थे ।

जिला प्रशासन ने, जिला अधिकारी ने कोई भी यातायात की सुविधा नहीं मुहैया कराई । जब अस्पताल में गरीब लोग पहुंचे तो डाक्टरों की हड़ताल थी । जिलाधिकारी कुर्सी लगाकर बैठे थे । यह कटु सत्य है कि जमीन पर मरीज तड़प-तड़प कर मर रहे थे । डा0 की रिपोर्ट पर ध्यान देने की कृपा करें । डाक्टर साहब ने रिपोर्ट में बताया है कि 12'15 पर जिलाधिकारी अस्पताल में पहुंचे उस समय सारे मरीज परिसर में जमीन पर लेटे हुए थे । वार्ड नहीं खुलवाये गये, दवाओं की व्यवस्था नहीं करायी गयी । 3 बजकर कुछ मिनट पर जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, जिलाधिकारी महोदय ने अपने प्रयास से 3 प्राइवेट प्रैक्टिशनर को बुलाया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आधा घंटे का समय है, जिन लोगों की सूचना है उनको 5-5 मिनट भी देंगे तो भी समय लग जायेगा ।

(व्यवधान)

*श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आधे घंटे की चर्चा है, इसे होने दीजिये ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री कृष्ण किंकर सिंह—

मान्यवर, ध्रुवचन्द्र, राम किशोर, प्रेमवास के पीठ और कंधे पर छाले पड़ गये । कृष्णदत्त, रामदेव, काशीराम, विनोद कुमार, सुखराज, अशोक कुमार, रामराज, दुखराम, नन्दू ग्राम बसिया के लोगों को पैर के तलवे तथा पीठ पर उल्टी पड़ने से फफोले निकल आए थे । इसके अलावा अभिमन्यु के पीठ में उल्टी से छाले पड़े । गुड्डू पुत्र रामतौल के पीठ में छाले पड़ गये थे । इसी तरह से और तमाम लोगों के उल्टी से प्रभावित होकर छाले पड़ गये । अभी भी लोगों की हालत चिंताजनक है । जो लोग अस्पताल से घर आए हैं, उनकी हालत अभी भी चिन्ताजनक है । मान्यवर, यह जहर देने का मामला है । इस पर न्यायिक जांच अवश्य कराई जाय ।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह एक अत्यंत दुखद और मैं कहूंगा कि इस सरकार के लिए शर्मनाक घटना है । यह इतनी बेशरम सरकार है...

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर ये कह रहे हैं कि बेशर्म सरकार है, शर्म तो इनको नहीं है ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

माननीय तिवारी जी बोल रहे हैं। वह अपनी बात स्पष्ट कर दें, तो इससे हमको भी चर्चा में आसानी होगी।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय, मैं कह रहा था, कि इस बेशर्म सरकार के लिये यह एक बहुत शर्मनाक घटना है। किसी घटना के दो पहलू होते हैं। एक तो जो घटना हो गयी और दूसरे उसके बाद उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए। प्रश्न यह है कि इस घटना में उत्तर प्रदेश के सैकड़ों की जानें गयीं। इतने लोगों की जान जाने के लिये हमारा निश्चित आरोप है कि इस सरकार ने समय से कदम उठाए होते तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थीं, लेकिन इस सरकार की लापरवाही से बहुत सी जानें चली गयीं। दूसरे इस घटना को सरकार को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसके लिये कदम उठाना चाहिये। इसमें भ्रम पैदा हो गया है कि सरकार मैजिस्ट्रीयल की बात कह रही है, इसके बारे में तो अब विश्लेषण से ही पता लगेगा। मेरा कहना है कि एक सम्मानित विधायक इस घटना को लेकर 18 दिन तक अनशन पर बैठे रहे। उनकी मांग क्या थी, सच्चाई सामने आ जाय, यह मांग थी। वह किसी को फांसी पर चढ़ाने के लिये नहीं कह रहे थे, केवल न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, ताकि जो सच है, सामने आ जाय। दूसरी बात जो लोग मर गये थे, वे लौट नहीं सकते, लेकिन उनमें बहुत से लोग जीविका कमाते थे और उनका निधन हो गया। माननीय सदस्य मुआवजा देने के लिये कह रहे थे, तो दे देना चाहिये था। एक बात और कहूंगा कि सम्मानित विधायक अनशन पर बैठे तो उनकी आवाज बन्द करने के लिये इस तानाशाह सरकार को उनको जेल में डालने का अधिकार नहीं है। इस सरकार ने राना कृष्ण किशोर सिंह जी को न्यायिक जांच की जगह जेल दे दी। वे यही तो कह रहे थे कि उनको मुआवजा दीजिये। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं इस संदर्भ में कि यह कहा जा सकता है कि न्यायिक जांच में विलम्ब होगा। उन्नाव में कांड हुआ वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, परन्तु उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, उसकी न्यायिक जांच करा सकते हैं मैं कहता हूं वह भी गलत नहीं है। लेकिन, फिर यह जो गंभीर घटना हुई है इसमें कौन सी सरकार की सच्चाई छिपी हुई है। सच्चाई को सामने लाने के लिये यह सरकार जुडिशियल इन्क्वायरी से क्यों घबरा रही है। मेरा यह आरोप है कि यह सरकार सच्चाई को छिपाने के लिए न्यायिक जांच की मांग से अलग हट रही है। यह सरकार अगर न्यायिक जांच करा दे तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जायेंगे। इसकी न्यायिक जांच करायी जाय। माननीय, दुख: होता है कहीं निधन होता है। जो चुने हुये जन प्रतिनिधि हैं जब वे अपनी आवाज उठा रहे हों और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हों उनको भेजा जाय। एक आदमी के गलत कार्यों से सैकड़ों लोगों को जाने गयीं कुछ जन प्रतिनिधि न्यायिक जांच की बात को खत्म कराने का प्रयास करा रहे हैं। न्यायिक जांच करायी जाय अधिक से अधिक इसमें मुआवजा दिया जाय। और इस सरकार को माफी मांगनी चाहिये, एक जन प्रतिनिधि जब आवाज उठा रहा था, उसको जेल भेजने का अधिकार इस सरकार को कतई नहीं था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

माननीय, आपने इस घटना पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। जब से यह सरकार आयी है कई घटनायें हुई हैं, मथुरा में घटना हुई है। स्थानीय विधायक जब एक घटना को लेकर मांग कर रहे थे वहां अनशन कर रहे थे तो उनको

उपेक्षा की गयी क्यों नहीं उनको न्यायिक जांच का आश्वासन दिया गया जिससे वह अनशन समाप्त कर देते । मरीजों की हालत यह थी कि बहुत से मरीज अस्पताल में पहुंचाये गये वहां दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, समय से लोगों का इलाज नहीं हुआ । इसकी जांच न्यायिक तौर पर इसलिए आवश्यक है कि जो लोग इस घटना के लिये दोषी हों उनको किसी प्रकार से बख्शा न जाय । ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसका प्रयत्न किया जाय । घटना जहां भी घटे, चाहे किसी दल का उस क्षेत्र में प्रभाव हो दलगत भावना से ऊपर उठकर लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बोलें ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

माननीय, माननीय प्रमोद तिवारी ने जिन शब्दों का प्रयोग इस सरकार के लिए किया है उसकी मैं भर्त्सना करना चाहता हूं । प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के सभी लोग मौके पर गये घटनास्थल पर गए : सारी कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी । माननीय तिवारी जी न्यायिक जांच की मांग करते हैं कई बार यह मसला सदन के सामने उठा है । जब सी० आई० डी० जांच की नियुक्ति कर दी गयी सी० आई० डी० जांच हो रही है, तो फिर न्यायिक जांच की बात क्यों कर रहे हैं ? केवल इसका सहारा लेकर राजनीतिक लाभ के लिये यह बातें यहां की जा रही हैं सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं । जैसे कांग्रेसी सरकार ने किया था, रोज घटनाएं करके लोगों को पिटवाने का काम किया गया, लोगों को करवाने का काम किया गया था । आपके जमाने में लोगों को गोलियों से भूना गया है । हमारी सरकार ने कई अच्छे कदम उठाये हैं । सी० आई० डी० जांच करायी है इस मामले में मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं । और जो माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं । केवल राजनीतिक लाभ के लिये यह बातें यहां पर कही जा रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

यहां पर आने गयी हैं, लेकिन यह लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिये यहां ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि अखबारों में खबर आ सके । सरकार ने खुद पहल कर इसमें तमाम कार्यवाहियां की हैं ।

श्री राम मणि पाण्डेय—

माननीय, इस रैपुरा कांड पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह जो घटना की बात कही गयी है जिसको सम्बन्धित सदस्य राणा कृष्ण किकर सिंह जी ने रखा है और पुराने सदस्य व पिछली सरकार के मंत्री माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जिस अच्छे ढंग से इसे यहां पेश करने की कोशिश की है बात सचमुच वैसी नहीं है । यह घटना कुछ इस प्रकार से है । वहां एक मेवा लाल नाम का ग्रसित है, जिसके घर कटरा से तिलक आया था, रैपुरा थाना में और उस तिलक के समय यह घटना घटी । यह घटना जिस समय घटी, लगभग साढ़े 11 बजा था । साढ़े 12 बजे करीब जब लोग अस्पताल में जाने लगे, तब मैं खुद साढ़े 12 बजे

अस्पताल पहुंचा था, उस समय जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और वहां के जितने भी अधिकारी थे, अस्पताल में पहुंच गये थे। चूंकि उस समय डाक्टरों की हड़ताल थी, डाक्टर मौजूद नहीं थे और पूरा उत्तर प्रदेश डाक्टरों की हड़ताल से त्रस्त था और बस्ती जिले पर भी इसका प्रकोप था। तब वहां पर कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने प्राइवेट डाक्टरों को बुलाने का काम किया। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब वहां ग्लूकोज नहीं मिल रहा था, तो कलेक्टर के साथ वहां का ताला तोड़कर वहां के मरीजों को ग्लूकोज देने का काम किया गया। यह घटना बहुत तकलीफदेह है, लेकिन यह लोग राजनीति की रोटी सेंके जाने का काम कर रहे हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि करीब साढ़े 3 बजे मैंने टेलीफोन से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 10 बजे के करीब स्वास्थ्य मंत्री जायेंगे। यहां से साढ़े 10 बजे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय खाद्य मंत्री सारी दवाओं के साथ अस्पताल पहुंचे और डाक्टरों की हड़ताल 4.45 बजे प्रातः तुड़वा दी गयी। लगभग 5 बजे के करीब सरकारी डाक्टर आये और उस समय तक वहां पर जितने मरीज थे, उनका इलाज किया गया।

करीब 64 लोग मृतकों की सूची में थे, उनको 10-10 हजार रुपया देने का काम किया गया, 3-3 हजार रुपये बाद में और दिए गए। अब सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है और जांच के बाद यह सारी बात पता लगेगी। उसके बाद मेवालाल व उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जिस चीज को कृष्ण किंकर सिंह रखना चाहते हैं, वह पूर्णतया सही नहीं है। मैं उसके निर्वाचन क्षेत्र का हूं और मैं भी इनके बारे में कुछ बात रखना चाहता हूं। यह कृष्ण किंकर सिंह बहुत दिनों से इस अस्पताल में दूध की ठेकेदारी करते हैं, खाने की सप्लाई करते हैं। इसमें मिलावट एवं जानलेवा सामानों की सप्लाई करते हैं इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह घटना राजनीति से प्रेरित है और केवल राजनीति की रोटी सेंकने का काम इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जानबूझकर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। यह एक व्यक्तिगत मामला है। प्रमोद तिवारी को उनसे बड़ी हमदर्दी है जब प्रमोद तिवारी जी मंत्री थे, तो हमारे यहां ट्रालों से 22 लोग मर गये थे, तब इन्होंने कुछ नहीं किया था तथा वहां के लोगों के साथ अन्याय किया गया था। यह मामला पूरा राजनीति से प्रेरित है, तथा यह लोग जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर इसे सदन में उठाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह की दुखद घटना को लेकर यह लोग राजनीति की रोटी सेंकने का काम न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसे कि अभी सम्मानित सदस्य ने अपनी बात रखी, प्रमोद जी ने भी अपनी बात रखी। मान्यवर, माननीय सदस्य, गाजीपुर का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही उनको कोई जानकारी है हमेशा सरकार की दलाली करते हैं। माननीय सदस्य को चाहिये था कि वह वहां पहुंचे होते और विषाक्त भोजन से जो लोग मरे थे, या बीमार थे, उनकी मदद करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से केवल यह मांग है कि सरकार जो सत्य को छिपा रही है, जब माननीय सदस्य अनशन पर बैठे थे, तो वह किसी को फांसी पर चढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन गरीबों के लिए, उनके बच्चों की मदद के लिए अनशन कर रहे थे, वह कह रहे थे कि इसकी न्यायिक जांच हो तथा दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। यह सरकार सही चीज को छिपाना चाहती है, इसलिये उनको जेल में ठूंस दिया, जिससे पूरे सदन की गरिमा गिरी है। मैं मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री शिवकरन सिंह—

माननीय, यदि मेरे ऊपर जांच बैठा दी जाय, तो मैं क्यों डरूं। पर जांच को मांग की जा रही है तो ये जांच करवाने में डर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि इनका हाथ उस काण्ड में है।

*श्री चन्द्र शेखर सिंह (बस्ती)—

मुख्य मंत्री जी के साथ मैं गया था। मैंने स्वयं क्षेत्र का दौरा किया। उस बच्चे से भी मेरी बात चीत हुई। उसने बताया कि इसके पहले भी उनके यहां फंक्शन हुआ था और उसी गेहूं का इस्तेमाल किया गया, उसमें गैमक्सीन नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाय कि उसमें गैमक्सीन थी या कोई जहर। माननीय मुख्य मंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गये थे और वहां जाकर दवाइयों की व्यवस्था की गई थी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

* श्री मुख्तार अनीस—

माननीय, रायपुरा काण्ड के बारे में यहां पर विस्तार से चर्चा हुई। मेरा कहना है कि न तो इसमें कोई षड़यन्त्र है, न इसमें कोई साजिश है और न सरकार का किसी को मारने का इरादा है ये सारी बातें हमारे कांग्रेस के साथियों की कल्पनायें हैं। क्योंकि ऐसी साजिश उनके जमाने में होती रही है। 15 तारीख की रात में मेवा लाल जो रायपुरा के निवासी हैं, उनके यहां तिलक समारोह था और उसमें उन्होंने कई सौ आदमियों को दावत दी थी। पहली पंक्ति जब खाने के लिए बैठी, उसमें जब कुछ बच्चों ने खाना खा लिया तो उनको चक्कर आने लगा। 50–50 की पंक्ति बनाई गई थी, इधर दूसरी पंक्ति के लोग भी खाना खा चुके थे। करीब–करीब डेढ़ सौ लोग खाना खा चुके थे। उसमें से बहुत से बीमार पड़ने लगे। साढ़े बारह बजे रात में जिलाधिकारी को इस बात की इत्तला दी गई कि यहां बहुत से लोग बीमार पड़ने लग गये हैं और 1–2 लोग मर भी गये हैं। इस पर जिलाधिकारी व एस0 पी0 दोनों घटनास्थल पर गये। वहां पर उन्होंने इस स्थिति को देखा।

उस समय डाक्टरों की हड़ताल चल रही थी। जो लोग बीमार पड़े थे और बेहोश थे, उन्हें बस्ती के अस्पताल में ले जाया गया, चूंकि सरकारी डाक्टर हड़ताल पर थे, इसलिए जो निजी डाक्टर थे, उनका इस्तेमाल किया गया। इस मानवीय वेदना को देखकर सरकारी डाक्टरों ने सुबह 5–00 बजे ज्वाइन कर लिया और इन सबका इलाज शुरू हो गया। 16 तारीख को ठीक साढ़े दस बजे मैं गया, माननीय खाद्य मंत्री जी गये। 5 डाक्टरों की टीम लिये हम सब लोगों ने वहां पर दवाइयों की व्यवस्था करवाई. मैं स्वयं अस्पताल में गया। सभी लोगों की दवा का उचित प्रबन्ध किया। कुछ लोगों को गोरखपुर भेजा गया। हमने निश्चित ही जनता की सेवा करने का कार्य किया है। 17 तारीख को मुख्य मंत्री जी भी गये। उन्होंने 10–10 हजार रुपए मरने वालों को बांटे। [7 बजकर 20 मिनट] जो लोग इससे प्रभावित थे उनको 2–2 हजार रु0 दिया गया। इसमें मरने वालों की संख्या 64 है।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने से व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3–4 को मृत्यु गोरखपुर में हुई, कुछ पहले मर गये थे, कुछ अस्पताल में मर गये। खाने की पूरी सरकार ने जांच करायी। गैमेक्सीन बगल के कमरे में रखा था, उसे आटा समझ कर आटे के साथ गूंध दिया गया। सरकार ने सारी बातों का परीक्षण कराया है। माननीय उप नेता, विरोधी दल को बताना चाहता हूं। जो मरने वाले थे उस सूची में एक नाम है रामबृक्ष, इनकी उल्टी की जांच हुई थी, जिसमें कि गैमेक्सीन का विष पाया गया। जो खाना मिला है और सारी चीजें मिली हैं आटा मिला है, उसका परीक्षण हुआ है। मैजेस्टेरियल जांच के आदेश दिये गये हैं, जांच हो रही है। जो चीज स्वयं सिद्ध है कि गैमेक्सीन मिला हुआ था, इसमें किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच रिपोर्ट आ जायगी तो आपको बता दिया जायगा।

श्री प्रमोद कुमार—

अगर शर्मदार सरकार होती तो त्याग-पत्र दे देती, लेकिन ये त्याग-पत्र नहीं देंगे। इसकी जुडिशियल जांच कराने में क्या परेशानी है?

(श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के खड़े होने से व्यवधान)

श्री कृष्ण किंकर सिंह—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा है, तथ्य से परे बात है। जो जांच कर रहे थे उनकी जांच रिपोर्ट मंगा लीजिये। यह बहुत गम्भीर मसला है।]

श्री अधिष्ठाता—

आपको कोई स्पष्टीकरण पूछना हो तो पूछ लें। भाषण न दें।

श्री कृष्ण किंकर सिंह—

बगल के विधायक जी ने भी स्वीकार किया है कि उनके क्षेत्र में हुआ है। अगर न्यायिक जांच करा दें।

(मद संख्या 21 पुकारे जाने पर)

श्री कृष्ण किंकर सिंह—

मैं सदन त्याग करता हूं।

(श्री कृष्ण किंकर सिंह सदन त्याग कर चले गये)

राज नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था किये जाने विषयक दिनांक 27 जून, 1990 ता0 प्र0 संख्या 2 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में चर्चा

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, 1052 राजनेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था की गयी है। इनमें विधायकों के भी हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जितने विधायकों के कत्ल हो चुके हैं, उनके साथ सुरक्षा गार्ड थे जैसे श्री त्रिवेणी सहाय, श्री रवीन्द्र सिंह आदि। जिस जनता ने हमको चुनकर भेजा है उसकी सुरक्षा पूरे तौर पर होनी चाहिए।

"जाको राखे साइयां मार सके न कोय,
बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होय"

हरदोई के विधायक के पास शंडो था। चार दिन पहले शंडो ने विधायक की लड़की को गोली मार दिया। यह शंडो बन्द किये जाये तथा आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाये।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, सदन में कोरम पूरा नहीं है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आपकी पीठ से यह बात तय हो चुकी है कि इक्सटेन्डेड पीरियड में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा । माननीय गुप्ता जी ने सवाल उठाया था तो इस सम्बन्ध में आपकी पीठ से निर्णय हो चुका है । यह सरकार तथ्यों को छिपाना चाहती है और अपने सदस्यों को भगा देती है, इसलिये कोरम के प्रश्न को नहीं उठाया जाना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

प्रदेश के 2 करोड़ 61 लाख 19 हजार 500 रु0 प्रति वर्ष इस पर व्यय होता है सुरक्षा के सम्बन्ध में । बहुत से अपराधी तत्व हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है आज गुण्डे गनर लेकर चल रहे हैं । सुरक्षा केवल विधायकों को ही नहीं बल्कि सुरक्षा सारी जनता की होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि जनता शान्ति और सुरक्षा के साथ रह सके । जब से यह सरकार आयी है कत्ल और डकैतियां बढ़ी हैं । अकेले हमारे जनपद शाहजहांपुर में 100 मरडर हुए हैं जितने कि पहले कभी नहीं हुए । इसलिये यह आवश्यक है कि गार्डों के बजाय कम से कम जनता की सुरक्षा की व्यवस्था, गांव में रहने वालों की सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन करे ।

*श्री अनिल कुमार सिंह यादव—

मान्यवर, हमारे जनपद एटा में इस समय जनता दल और बी0 जे0 पी0 के विधायक और सांसद को एक-एक गनर और एक-एक शैडो मिला हुआ है । इस समय वहां से मात्र तीन एम0 एल0 ए0 और एक राज्य सभा के सदस्य हैं । वर्तमान सरकार ने जो नीति बनायी है, जो उस नीति में नहीं आते हैं जैसे जनता दल के कार्यकर्त्ता हैं, अपराधी तत्व के लोग हैं । मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, जावेद अपराधी तत्व है, उस पर मुकदमा चल रहा है और उसे गनर व शैडो मिला हुआ है । कांग्रेस के विधायकों को माननीय मुख्य मंत्री ने न गनर दिया है और न शैडो और जिनके पास यह थे उनके पास से उनको हटाया जा रहा है ।

अभी हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तब हमारे घरों पर होम गार्ड और सिपाही आ करके बार-बार कहते थे कि तुमको न गनर मिलेगा और न शैडो और यह कह कर हम सबको डिमारलाइज करने की कोशिश करते थे । इस तरह से हमारे गनर और शैडो को वापस ले लिया गया है, पहले हम लोगों के पास गनर और शैडो रहते थे । ऐसी स्थिति में मैं आदरणीय सदन का संरक्षण चाहता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि निकट भविष्य में या तो सभी को गनर और शैडो दिये जायं, जिनसे वापस ले लिया गया है उनको भी अन्यथा जिनके पास यह सुविधा है, उनसे भी सब को वापस लिया जाय । अगर हमारे साथ कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है तो उसके जिम्मेदार माननीय मुख्य मंत्री जी होंगे ।

*श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आजादी के बाद बहुत सी सरकारें बनी, कुछ सरकारें आतंकवाद को रोक पायी और कुछ सरकारें आतंकवादी को नहीं रोक पायी । दूसरी बात यह है कि यह सरकार स्वयं ही एक आतंकवादी सरकार है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन यह पहली सरकार है, जिसने राजनीति का अपराधीकरण किया है। यह पहली सरकार है जिसने विधायकों से गनर और शंडो वापस लिए हैं। गनर और शंडो देने के लिए कुछ श्रेणियां बनायी गयी थीं और उन्हीं श्रेणियों के अन्तर्गत गनर और शंडो दिये जाते थे, लेकिन इस सरकार ने उनका खुला उल्लंघन किया है। जनता दल के जो समर्थक हैं, या विधायक हैं, उनको गनर और शंडो बिना भेद भाव के दिये गये हैं, लेकिन जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके गनर और शंडो वापस लिए जा रहे हैं। अगर आप इसकी जांच करा दें तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको जेल हो जायेगी यह सरकार अपराधियों को और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है और अपने लोगों को मजबूत करना चाहती है। इटावा, मैनपुरी और एटा के जो लोग विरोध पक्ष में हैं, उनसे गनर और शंडो वापस लिये जा रहे हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

तिवारी जी आप अब समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहनी है मेरा कहना है कि सरकार को अपराधीकरण समाप्त करना चाहिये। आपको एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए और उसी के आधार पर आप को काम करना चाहिए, चाहे सत्तापक्ष के विधायक हों और चाहे विरोधी पक्ष के विधायक हों। इस साजिश के तहत सरकार विरोधी पक्ष का सफाया करना चाहती है, तो मैं इसकी भर्तस्ना करता हूं और चाहता हूं कि सरकार एक नियम बनाये और जो उस नियम में आवे उनको गनर और शंडो दिये जाये और जो न आवें उनको न दिया जाये।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

माननीय, मैं कानपुर जिले से आता हूं। मेरे जिला कानपुर में बड़ी चर्चा है। माननीय मुख्य मन्त्री मुलायम सिंह ने एक बार घोषित किया था कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं और नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, उन सभी को सुरक्षा के लिए गनर और शंडो दिये जायेंगे। यह एक नीति हो सकती है। अगर समान रूप से लागू किया जाये, तो किसी को कोई आपत्ति होने का सवाल नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 16 जून को कानपुर में एक जन सभा हुई और उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, जिसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। कानपुर में अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अल्प संख्यकों के घरों से असलहे बरामद हुये हैं तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उनमें असुरक्षा की भावना थी, इसलिए असलहे रखे थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुख्य मन्त्री जी समझते हैं कि अमुक तपका असुरक्षित है तो उन्हें लाइसेन्स देना चाहिये जो असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। उनकी इस भावना को विधि-संगत तरीके से दूर करने का दायित्व शासन का है। यदि मुख्य मन्त्री के इस धारणा का प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा। तो सभी लोग इस आधार पर बम और कट्टे रखेंगे और स्थिति और बिगड़ती चली जायेगी।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, मुझे व्यक्तिगत रूप से जिस ढंग से यहां पर परम्परा चल गई है गनर और शंडो रखने की, उसका मैं विरोधी हूं। इस प्रदेश में करोड़ों लोग रहते हैं और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। हम जन प्रतिनिधि चुनकर आये इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था अलग से की जायेगी और जो जन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिनिधि नहीं हैं उनको सुरक्षा की व्यवस्था अलग से की जायेगी। यह एक फैशन चल गया है कि जो स्वयं समाज के लिए खतरा है उनको भी गनर की जरूरत है। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिनको शैडो लेना है वह इस प्रदेश के गरीब खजाने पर भार न बने और पैसा जमा करके उनको तनख्वाह दे और गनर रख ले। लेकिन आपने सारे विधायकों के लिए दे दिया। मुझे भी दिया गया। मुझे शैडो की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, हटा लिया जाय लेकिन कहा जाता है कि आपको सुरक्षा का बड़ा खतरा है। उसको इसलिए रखा गया। मुझे क्या खतरा है। हम जनप्रतिनिधियों को, हम सब लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों यदि समाज को असुरक्षा, मन से असुरक्षा आप महसूस करते हों तो आप उसके लिए व्यवस्था कर दें। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को समाप्त कर दें।

श्री प्रमोद कुमार—

इनको जबरदस्ती दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि। ये असन्तुष्ट हों और उसकी जांच करने के लिए इनको दिया गया हो, इसलिए मान्यवर, इसको दिखवा लें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैंने वीर बहादुर सिंह के जमाने में भी लिखकर दिया था। उन्होंने भी नहीं किया।

श्री पंचानन राय—

माननीय पाण्डेय जी ने जो बात कही, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। जन-प्रतिनिधियों को पुलिस की सुरक्षा में चलना पड़े तो उन्हें जन प्रतिनिधि रहने का हक नहीं है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जब 6 श्रेणी घोषित करते हैं और जो अपराधी लोग जिनके ऊपर हत्या के मुकदमें हैं जिनके ऊपर चार्जशीट लगा दी है उनको भी गनर दिया जा रहा है ...

(व्यवधान)

मान्यवर, दो मिनट बोलूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनता दल की जब से सरकार बनी है, आजमगढ़ जिले में जितने लोगों को शैडो देने के आदेश हुये अगर उनकी जांच करा दें तो पता चलेगा कि वे या तो हत्या के अपराधी हैं या डकैती के अपराधी हैं। इसकी आप जांच करा दें और सदन को अवगत करा दें तो मैं आभारी हूंगा।

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

यह तो नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने किया था।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसके विषय में हमारे मंत्री जी भी बहुत जागरूक हैं। शासन में रहते हुए उन्हें भी सारी दिक्कतों से वे वाकिफ हो गये हैं। यह बात ठीक है कि विधायकों को और जन प्रतिनिधियों को शैडो दिया जाय लेकिन आज स्थिति यह है कि बदले की भावना से शैडो दिये जा रहे हैं और ऐसे मुख्य मन्त्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के आदेश हैं । पूरे प्रदेश में और जनपद इलाहाबाद में कुछ अपराधी तत्वों को नगर और शंडो दिये गये हैं जो न किसी पद पर हैं और अपराधी हैं । उन्हें केवल इसलिए दिया गया है कि अगर उनके पास गार्ड रहेगा, शंडो रहेगा तो पुलिस कम से कम यह नहीं बोलेगी कि यह अपराधी है और उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से दिया गया है । मेरे क्षेत्र में कांग्रेस के समय में जो कांग्रेस के गृह मंत्री रहे हैं, हम लोगों के कहने से आदेश नहीं करते थे 6 महीने तक सी0 आई0 डी0 जांच कराने के बाद उनको शैडो और गनर दिये गये लेकिन जैसे ही जनता सरकार आई पूर्व शासन ने जो एल0 आई0 यू0 और सी0 आई0 डी0 की जांच के आधार पर गनर और शंडो दिये थे उनको हटा दिया गया । तो उन लोगों को जानमाल का खतरा बराबर बना हुआ है । ऐसे लोगों को संरक्षण दिया गया है जो अपराधी तत्व हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप खतम करें ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

एक मिनट सुन लें । जिन लोगों को इलाहाबाद में एस0 एस0 पी0 ने और सी0 आई0 डी0 के जांच पर शंडो और गनर एलाट किये थे अब वह कहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी के आदेश आ गये हैं कि अब उनके आदेश पर दिये जायेंगे । वहां जिला परिषद् के एक सदस्य हरिजन श्री बाबूलाल हैं उनको गार्ड मिला था उनसे गार्ड छीना जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों को यह संरक्षण देने की बात करती है जिनको कांग्रेस शासन में गार्ड दिये गये थे उनको हटा लिया गया है । ऐसे करीब 385 पुलिस और 283 पी0 ए0 सी0 के लोगों को वापस किया गया है । यह सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है । मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष भाव से गनर और शंडो दिये जायं ।

श्री संत श्रीराम द्विवेदी—

अधिष्ठाता महोदय, सदन में जो यह चर्चा आई है शंडो और गनर देने के संबंध में तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी सरकार की है कि किसे सुरक्षा दी जाय और किसे न दी जाय पहले अपराधी तत्वों को शंडो दिया गया था उनसे वह वापस कर लिए गये हैं । हमारे फैजाबाद में ऐसे बड़े-बड़े लोगों को जिनको पहले यह सुविधा मिली थी उन अपराधी तत्वों को एस0 एस0 पी0 ने शैडो नहीं दिये इसलिए इस पर बबेला हो रहा है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पिछले सत्र में घोषणा की थी कि इसका पुनरीक्षण करायेंगे और नये सिरे से इस पर विचार होगा और जिन्हें जरूरी होगा उन्हें शंडो दिये जायेंगे । आज ऐसे लोगों के काम पूरे नहीं हो रहे हैं इसलिए बेचैनी हो रही है । आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, अभी जो सुरक्षा गार्डों के विषय में यहां पर चर्चा हुई है इस विषय में मेरी बात पूरी सुन लें । इस विषय में पहले भी प्रश्न हुआ था और लाइसेंसों के देने के बारे में चर्चा भी हुई थी उस पर भी मैं बोला था । बराबर में इस बात को उठा रहा हूं लेकिन मेरी वेदना (पीड़ा) को कोई नहीं समझ रहा है । न सरकार सुन रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

उसका उल्लेख न करें इस समय जो चर्चा हो रही है उसकी बात करें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैंने स्वयं मंत्री जी को भी पत्र दिया था हमारे यहां जिला परिषद् चायल के जो पूर्व सदस्य हैं मकसूद अहमद को सुरक्षा गार्ड दिया गया था इसी प्रकार टाउन एरिया के चेयरमैनों को सुरक्षा गार्ड दिये गये थे जो वहां के पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार दिये गये थे जनसे शैडो दो तीन दिन पहले हटा लिया गया है मैंने यह बात प्रश्न के दौरान भी कही थी और मंत्री जी को पत्र भी लिखा था मंत्री जी ने उस पत्र में लिखा था, कि "क" के अनुसार कार्यवाही की जाय । तो मैं स्वयं डिपार्टमेंट गया तो मुझे वहां यह कहा गया कि ऐसे-ऐसे मन्त्री तो लिखते रहते हैं जब तक मुख्य मंत्री जी का आदेश नहीं आयेगा तब तक कुछ नहीं होगा । तो यह आपके होम डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है । यह सरकार असफल है इस सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है । इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हुं कि लोकल बाडी के चुनावों में प्रधानों को डराया धमकाया गया इलाहाबाद में मुख्य मंत्री जी 2 बार गए थे । एक मीटिंग बुलाई विकास गोष्ठी के नाम से जो चुनाव गोष्ठी में बदल गई जिसमें प्रधानों, टाउन एरिया के चेयरमैन, ब्लाक प्रमुख, सदस्य जिला परिषद् को डराया गया और कहा गया जनता दल प्रत्याशी श्री जवाहर यादव को वोट दे । वरना आप लोगों के सुरक्षा गार्डों को वापस ले लिया जायेगा, इस तरह की धमकी देना शासन के लिये अशोभनीय बात है । मुख्य मंत्री के क्षेत्र में पी० ए० सी० के 200 और 385 सुरक्षा गार्ड अपराधियों की सुरक्षा के लिए लगा दिये गये हैं । वहां के अपराधी तत्वों के लिए स्कोर्ट गाड़ी चलती है । मान्यवर, जहां जरूरत है वहां गार्ड नहीं दिये जाते हैं, जैसे पिछले सदन में भी मैं सदस्य था और उपमंत्री भी रह चुका हूं लेकिन जब मैं यहां इस बार चुन कर के आया तो मेरे दोनों सुरक्षा गार्डों को वापस ले लिया गया । एस० एस० पी० से मिला कि आपने मेरा सुरक्षा गार्ड क्यों वापस ले लिया है, बहुत निवेदन करने के बाद मुझे बाद में सुरक्षा गार्ड दे दिया गया ।

मान्यवर, प्रदेश में बहुत हरिजन उत्पीड़न हो रहा है, विधान सभा में मैंने जोरदारी से आवाज उठाई आवाज है तो मुझे बराबर धमकी दी जा रही है जिससे मैं बराबर अपनी जान की सुरक्षा की मांग कर रहा हुं लेकिन शासन इस ओर नहीं ध्यान दे रहा है नियम 64 के तहत अध्यक्ष जी को सूचना दे दिया है जिसका परीक्षण हो रहा है । टाउन एरिया भरवारी के चेयरमैन बहुत डरे हैं इसलिए शासन से अनुरोध है कि उनके जीवन की सुरक्षा की जाये । नियम 64 में सदन

(व्यवधान)

को जब मैंने अवगत कराया तो मेरे यहां भरवारी चौकी के इन्चार्ज के रूप में श्री शम्भू नाथ शुक्ला को सरकार की तरफ से पोस्ट किया गया है और निर्देशित किया गया है कि चेयरमैन भरवारी एवं विधायक से निपटा आए दिन वह खुलेआम धमकी दे रहा है पूरे भरवारी टाउन एरिया में डर भय व्याप्त है आज भी चौकी इंचार्ज को नहीं हटाया गया है । हमारे यहां जितने भी लोगों को सुरक्षा दी गई है एल० आई० यू० की रिपोर्ट पर दिया गया है जो श्रेणी में आते हैं लेकिन अब सबको सुरक्षा गार्ड हटा लिया गया है । जबकि इटावा में सुरक्षा के नाम पर काफी सुरक्षा गार्ड दिये गये हैं । मेरा आरोप है कि जनप्रतिनिधियों की हत्या करवाने वाली यह सरकार पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को बराबर धमकी दे रही है कि जनता दल ज्वाइन्ट करो अन्यथा अपनी जान बचाओ, इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि हम इस ओर ध्यान दें ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय, इस विषय में जो बातें कही गई हैं मैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वैसे इस चर्चा में मैं भाग नहीं लेना चाहता था लेकिन जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनको सुरक्षा मिले इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है किन्तु माननीय सदस्य इलाहाबाद, श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने जो सत्य से परे बातें कही हैं उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि मुख्य मन्त्री जी इलाहाबाद में विकास गोष्ठी में गये थे और प्रधानों एवं प्रमुखों को डराया, तो यह तो गोष्ठी में मौजूद भी नहीं थे, इसलिए जो कहा वह असत्य है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठ जायें, शांति बनाये रखें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय, माननीय सदस्य अपने गुस्से और आक्रोश को विवेक और बुद्धि से रोकें और जो कहें वह सत्य पर आधारित हो और शांतिपूर्वक हमारी बात को वह सुनें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रधानों को डराया जो कहा है वह असत्य है। इसलिए जो सदन में बात असत्य के आधार पर प्रस्तुत की गई है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय, शैलेन्द्र जी ने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं लेकिन यह इलाहाबाद में ही नहीं पूरे प्रदेश में हुआ है।

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

माननीय, नियम 49 में यहां पर आध घंटे की चर्चा आपने स्वीकार की और कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मुझे अवसर मिला और मैं उनके विचार सुने, और अब आज 8 बजने वाले हैं। इस विषय पर जिस प्रकार यहां चर्चा हो रही है, उसमें सभी माननीय सदस्यों और खासकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की ज्यादा रुचि देखने में आई। यह सही है कि जब जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और यह भी सही है कि प्रदेश के सारे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इतनी ही बात हो तो गुण-दोष के आधार पर आलोचना हो सकती है, और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी भी पूरी तरह सरकार पर है। इसमें हम सब लोगों का सहयोग भी चाहते हैं। यह जन प्रतिनिधियों को जो सुरक्षा दी गई है, सैंडो के नाम पर या बन्दूकधारियों के नाम पर, यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई जनप्रतिनिधि सरकार से मांग करते हैं कि उनको जानमाल को खतरा है, उनकी जान जोखिम में है तो सरकार का यह दायित्व है कि वह उनकी सुरक्षा प्रदान करे। यह भी सही है कि बिना मांगे सुरक्षा असूमन नहीं दी जाती है...

श्री अधिष्ठाता—

देखिये 7.55 पर चर्चा का समय समाप्त होगा, इसको आप ध्यान में रखें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

लेकिन इधर पिछले सन् 84 के बाद यह ज्यादा देखने में आया कि जनप्रतिनिधि सुरक्षा लेकर ज्यादा चलते हैं और यह एक आम चलन हो गया। ऊपर से जब देश का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधान मंत्री ही बुलेट प्रूफ कपड़ों में चलने लगेगा, 5–5, 10–10 गाड़ियों को लेकर चलने लगेगा और उसकी सुरक्षा के नाम पर सड़कों पर आम नागरिकों को 8–8, 10–10 घंटे चलना बन्द कर दिया जाएगा, तो ऊपर से होकर यह नीचे तक बात आ जाएगी । चूंकि हाथ में सुरक्षा थी, इसलिए बिना सुरक्षा के नहीं चल सकते हैं । खूब सुरक्षा इस तरह की बांटी गई । यह सही है कि जिसकी हुकूमत होती है, उसको सत्ता का सुख भी मिलता है, और यह सुख खूब लिया इन्होंने जिस समय कांग्रेस का राज्य था । साथ ही सुरक्षा भी खूब ली और इनकी सिफारिशों पर दूसरों को भी दिलाई गई । जनप्रतिनिधि खुद भी लेते थे और दूसरों को भी दिलाते थे और यह खूब चला । होना यह चाहिए था कि जिसको जरूरत हो उसको मिले ।

जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनको बहुत ज्यादा मिले । और इस बार हुकूमत बदल गई तो उनके विधायकों और विधान परिषद् सदस्यों की संख्या कम हो गई । जन प्रतिनिधियों की संख्या घटकर कम हो गई, तो इनका विचार होगा कि जो कल तक विधायक थे....

(व्यवधान)

यह भी ठीक है कि यह कुछ और लोगों को भी मिले हुए थे, अपराधियों को भी मिले हुए थे । आज भी मिले होंगे, मैं इससे इन्कार नहीं करता । हो सकता है कि भूल-चूक में ऐसा हो गया हो । क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को आप गुण-दोष के आधार पर देखें, केवल आरोप लगाने से पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने से काम नहीं चलेगा और इस उस दृष्टि से इसे न देखें और यह देखें सारे लोग और यह फैसला करें कि अपराधियों को हम कोई "सुरक्षा नहीं" दिलायेंगे, जिससे समाज को खतरा है । इसलिए इस पर उपनेता विरोधी दल से मैं कहूंगा कि वह इस मसले पर मुख्य मन्त्री जी से बात कर लें और इस समस्या का हल निकाल लें ।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

अनिल जी ने अभी कहा कि उनको गनर मिला था, क्या यह आपके परिधि में आते हैं, या नहीं । लटूरी सिंह जी, देवेन्द्र जी, और रवीन्द्र जी आते हैं या नहीं सुरक्षा गार्डों के बारे में जो नियम बनाये हैं । उनका अनुपालन नहीं हो रहा है बल्कि राजनैतिक द्वेष से कार्य हो रहा है ।

जिन-जिन व्यक्तियों को आपने गनर दिया, शैडो दिया, वे जन प्रतिनिधि नहीं हैं और न ही कोई भूतपूर्व जन प्रतिनिधि है । आपकी नीयत, आपका वक्तव्य अपने आप में झूठ है । असत्य है और सत्य से परे है । इसलिए मैं वक्तव्य के विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं । कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
5 जुलाई, 1990

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर ।)

संलग्नक 1

उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो में कार्यरत विक्रेताओं की वरिष्ठता सूची (वर्ष 1985 तक)

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम
1	श्रीमती माया बसाक	29	श्री दिनेश सिंह
2	श्री त्रिवेणी चन्द्र वर्मा	30	श्री ज्ञान दास
3	श्री दान सिंह बिष्ट	31	श्री जावेद अवराल
4	श्री किशोरी लाल	32	श्री मुख प्रसाद
5	श्री राम गोपाल अवस्थी	33	श्री कैलाश नाथ
6	श्री रिजवान खान	34	श्री किशन सिंह बिष्ट
7	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	35	श्री चन्द्रकान्त मिश्र
8	श्री शिव नारायण भार्गव	36	श्री मुनीम
9	श्री बाल कृष्ण उपाध्याय	37	श्री मेहरबान सिंह नेगी
10	श्रीमती पुष्पा देवी श्रीवास्तव	38	श्री मो० अग्रवाल
11	श्री लक्ष्मी शंकर स्वर्णकार	39	श्री जन्डैल सिंह
12	श्री संजय कुमार खरे	40	श्री मु० मुबीन
13	श्री मनमोहन राज द्विवेदी	41	श्री चन्द्र पतिराम
14	श्री बृज रज मिश्र	42	श्री अभिलाष कुमार
15	श्री राम चन्दर श्रीवास्तव	43	श्रीमती कमला
16	श्री रामयज्ञ तिवारी	44	श्री राजीव शर्मा
17	श्री रूप नारायण यादव	45	श्रीमती सतीश रानी शर्मा
18	श्री रमेन्द्र सिंह	46	श्री चमन लाल
19	श्री दान सिंह	47	श्री कल्पनाथ त्रिपाठी
20	श्री हरीश चन्द्र पाठक	48	श्री परवेज
21	श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल	49	श्री देवेन्द्र प्रसाद पांडेय
22	श्रीमती उषा अग्रवाल	50	श्री राम अजोर पांडेय
23	श्री शहीद मंसुरी	51	श्री राम कुमार निषाद
24	श्री सुमित्र सिंह	52	श्री मु० सुहेल
25	श्री राम नारायण मौर्य	53	श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव
26	श्री विमलेश कुमार पांडेय	54	श्री हैदर अली
27	श्री कुंवर बाबू	55	श्री प्रवीण कुमार
28	श्री ओम प्रकाश मिश्र	56	श्री कमलेश लाल

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम
57	श्री सत्येन्द्र कुमार गौतम
58	श्री राजित राम
59	श्री अशोक कुमार शुक्ला
60	श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
61	श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता
62	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव
63	श्री महेश चन्द्र शर्मा
64	श्री छोटे लाल त्रिपाठी
65	श्री केदार सिंह
66	श्री नवीन चन्द्र उपाध्याय
67	श्री शिव कुमार श्रीवास्तव
68	श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
69	श्री राम सिंह
70	श्री रमेश चन्द्र
71	श्री रमाशंकर
72	श्री उमेश चन्द्र
73	श्री मदन यादव
74	श्री अशोक चन्द्र पांडेय
75	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
76	श्री सुशील कुमार शर्मा
77	श्री शरदप्रकाश
78	श्री शेफुल इस्लाम खां
79	श्री हृदयानन्द सिंह
80	श्री सीता राम
81	श्री परिक्रमादीन
82	श्री शत्रुघन लाल
83	श्री बृजेश कुमार जैन
84	श्री मदन प्रसाद यादव
85	श्री मुकेश
86	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी
87	श्री हरस्वरूप
88	श्रीमती कल्याणी राय
89	श्री अजय नारायण तिवारी
90	श्री महिपाल सिंह

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम
91	श्री श्रीपाल
92	श्री राज बहादुर
93	श्री जितरंजन कुमार जैन
94	श्री अरविन्द कुमार सिंह
95	श्री दयाराम
96	श्री पुष्करदत्त जोशी
97	श्री छंगामल
98	श्री रामकृष्ण गुप्ता
99	श्री लालता प्रसाद
100	श्री जसवन्त सिंह
101	श्री जितेन्द्र कुमार जैन
102	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
103	श्री ध्रुववीर सिंह
104	श्री नसीम अहमद खां
105	श्री छोटे लाल
106	श्री ओम प्रकाश
107	श्री कृपा शंकर त्रिपाठी
108	श्री परसराम
109	श्री वीरेन्द्र
110	श्री कुमार मिश्र
111	श्री ओम प्रकाश सिन्हा
112	श्री महेन्द्र पाल सिंह
113	श्री सुधीर कुमार सिंह
114	श्री उमेश चन्द्र जायसवाल
115	श्री त्रिलोक चन्द्र
116	श्री बृजेश सिंह राना
117	श्री शिव कुमार मिश्र
118	श्री रूप मंगल
119	श्री गिरीश चन्द्र
120	श्री बजजोत सिंह
121	श्री भगवान स्वरूप
122	श्री नरेश चन्द्र पाठक
123	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव
124	श्री विमलेश कुमार मल्होत्रा

संलग्नक—11

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम अलपानगृह में कार्यरत सहायक प्रबन्धकों की वरिष्ठता सूची (वर्ष 1988 तक)

क्रम-सं0	कर्मचारी का नाम
1	श्री जगदीश सिंह
2	श्री भागवत प्रसाद
3	श्री राम लखन
4	श्री राम राज सिंह
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद मौर्य
6	श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट
7	श्री जसकरन वर्मा
8	श्री अनिल कुमार सक्सेना

प्रेषित प्रति

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,

उत्तर प्रदेश

(स्वास्थ्य भवन, लखनऊ) दिनांक 18 अगस्त, 1987

संख्या 14-फ/वर्क्स-1743/87/2140

कार्यालय ज्ञाप

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन (सिविल) अभियंत्रण, निर्माण इकाई के अधीन तदर्थ रूप से की गयी अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियों के नियमतीकरण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर (तदर्थ नियुक्तियों) का विनियमतीकरण नियमावली, 1979 के नियम 4 (3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर संलग्न सूची में उल्लिखित दस अवर अभियन्ताओं को संगत सेवा नियमों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2—शासकीय सामान्य नियमों के अन्तर्गत संलग्न सूची के समस्त दस अवर अभियन्ताओं के नाम उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ज्येष्ठता का आधार मानते हुय ज्येष्ठता क्रम में रक्खे गये हैं ।

ह0
(के0 पी0 गुप्ता),
महानिदेशक ।

संख्या 14-फ/वर्क्स-1743/87/2141-81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग 7 को डा0 एम0 एन0 सक्सेना, विशेष समिति के अर्द्ध शासकीय पत्र 3435/5-7-87-3718/86, दिनांक 31 जुलाई, 1987 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2—सचिव, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ।

3—संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4—समस्त मण्डलीय अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक (लखनऊ व गढ़वाल पौड़ी को छोड़कर) ।

5—मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल, वाराणसी, बरेली, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, झांसी, गोरखपुर, फैजाबाद ।

6—समस्त सम्बन्धित कर्मचारी ।

7—व्यक्तिगत पत्रावली ।

ह0
(के0 पी0 गुप्ता),
महानिदेशक।

निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 14-फ/वक्स-1740/86/2140,
लखनऊ, 18 अगस्त, 1987

का संलग्नक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के नियम 4 (3) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन तदर्थ रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियों का विनियमितीकरण।

क्रम-सं0	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम	नियुक्ति की तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अंतर्गत विनियमितीकरण हेतु अधिकृत किया गया
1	2	3	4	5
1	श्री एन0 सी0 गंगवार	27-9-62	27-9-62	नियमावली, 1979 द्वारा विनियमित।
2	श्री दयाकृष्ण सनवाल	22-11-66	26-11-66	
3	श्री सर्वजोत सिंह	22-6-76	25-6-76	
4	श्री राजवर्धन रस्तोगी	22-6-76	28-6-76	
5	श्री अनिल कुमार सक्सेना	21-1-78	1-2-78	शासनादेश संख्या 19/5/1981-कार्मिक-1, दिनांक 22 मार्च, 1984 द्वारा नियमावली, 1979 के अन्तर्गत विनियमित।
6	श्री शारदा शंकर सिंह	27-4-79	1-5-79	
7	श्री कौशल किशोर मट्ट	20-5-79	1-6-79	
8	श्री भुजवीर सिंह	28-6-79	30-6-79	
9	श्री प्रद्युम्न मणि त्रिपाठी	11-6-82	14-7-82	
10	श्री राम स्वरूप	15-7-82	15-7-82	

ह0
(के0 पी0 गुप्ता),
महानिदेशक।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

नलकूप खण्ड प्रथम, गोरखपुर

नलकूप निरीक्षण गृह (विशिष्ट श्रेणी) के प्रवास पंजिका के अनुसार माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1989 में आंशिक या पूर्णतया निम्न पदाधिकारी प्रवास किये।

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद/विभाग	प्रवास अवधि (कब से कब तक)	कक्ष संख्या
1	2	3	4	5
1	श्री हरि मोहन	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, सुल्तानपुर (सिंचाई विभाग)	3-9-89 से 5-9-89	1
2	श्री महावीर प्रसाद	खान एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार	5-9-89 से 6-9-89	2 व 3
3	श्री शैलेन्द्र कुमार	डिप्टी मिनिस्टर (एच0 एस0 डब्लू0 एफ0), उत्तर प्रदेश सरकार	9-9-89 से 10-9-89	3
4	श्री ए0 सी0 शर्मा	एस0 पी0 (मऊ)	11-9-89 से 12-9-89	1
5	श्री सिराज मेहदी	संयुक्त सचिव (बीस सूत्रीय कार्यक्रम)	10-9-89	
6	डायरेक्टर आफ ट्रेजरी		11-9-89 से 13-9-89	2 व 3
7	डा0 ए0 के0 वर्मा	जे0 डी0 (एफ0 डब्लू0)	14-9-89 से 14-9-89	1

अनुप्रमाणित प्रतिलिपि

8	श्री एस0 बी0 एल0 गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप	14-9-89 से 15-9-89	1
9	श्री सीताराम निषाद	राज्य मंत्री (रेवेन्यू)	19-9-89 से 20-9-89	3
10	श्री गोविन्द बल्लभ पन्त	डाइरेक्टर (शैक्षणिक स्कूल)	20-9-89 से 21-9-89	1
11	श्रीमती कृष्ण सिंह	..	20-9-89 से 21-9-89	3
12	श्री राजेन्द्र मोलवाल	..	22-9-89 से 24-9-89	3
13	गवर्नर आफ राजस्थान	10/89	24-9-89 से 27-9-89	1, 2 व 3
14	श्री महावीर प्रसाद	केन्द्रीय खान एवं इस्पात मंत्री	3-10-89 से 3-10-89	2 व 3
15	श्री जगदम्बिका पाल	वन राज्य मंत्री	4-10-39 से 4-10-89	2 व 3
16	श्री शैलेन्द्र कुमार	उपवन मंत्री	6-10-89 से 7-10-89	2 व 3
17	श्री टी0 एन0 गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, सिवान	7-10-89 से 10-10-89	2
18	श्री वी0 पी0 सिंह	दिल्ली विश्वविद्यालय	8-10-89 से 11-10-89	3
19	श्री रामकृष्ण	उपायुक्त, गोरखपुर	11-10-89 से 13-10-89	1
20	श्री राशिद मोईन	अधीक्षण अभियन्ता	14-10-89 से 14-10-89	1
21	श्री महावीर प्रसाद	केन्द्रीय खान एवं इस्पात राज्य मंत्री	12-10-89 से 15-10-89	2 व 3
22	श्री मुक्ती मोहम्मद सईद	जनता दल (भूतपूर्व मंत्री)	16-10-89 से 17-10-89	1
23	श्री रामनाथ मुन्शी	महामंत्री	17-10-89 से 18-10-89	2
24	श्री जगम्बिका पाल	प्रा0 वन राज्य मंत्री	19-10-89 से 19-10-89	2 व 3
25	श्री जे0 पी0 डोगे	डाइरेक्टर	17-10-89 से 19-10-89	..
26	श्री हरीश चन्द्र आडिट आफिसर, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग		19-10-89 से 19-10-89	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
27	श्री एस0 एन0 शुक्ला	आई0 ए0 एम0 (सी0 डी0 ओ0, बाराबंकी)	23-10-89 से 24-10-89	2
28	श्री आर0 पी0 शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता (इण्डोडच)	27-10-89 से 27-10-89	1
29	श्री पी0 एस0 गिल	अधीक्षण अभियन्ता, कार्यशाला मंडल, कानपुर	27-10-89 से 27-10-89	2
30	श्रीमती वी0 वीजस	विधायिका बिहार	28-10-89 से 28-10-89	3
31	श्री महावीर प्रसाद	केन्द्रीय खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (भारत सरकार)	28-10-89 से 31-10-89 प्रभारी अधिकारी (वि0 (सम्पूर्ण) व्य0) कृते जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा आरक्षित किया गया है	1, 2 व 3
		11/89		
32	श्री महाबीर प्रसाद	केन्द्रीय खान एवं इस्पात	1-11-89 से 28-11-89 प्रभारी अधिकारी (वि0 व्य0) कृते जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा आरक्षित किया गया है	1, 2 व 3 (सम्पूर्ण)
		12/89		
33	श्री बी0 पी0 हजेले	मुख्य अभियन्ता, नलकूप	1-12-89 से 2-12-89	3
34	श्री आर0 पी0 शर्मा	अधीक्षण अभि0	1-12-89 से 2-12-89	1
35	श्री बी0 के0 भारद्वाज	मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व	5-12-89 से 6-12-89	1
36	श्री महाबीर प्रसाद	सांसद	3-12-89 से 7-12-89	3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

37	डा0 जे0 बी0 तोमर	एन0 बी0 पी0 जी0 आर0	9-12-89 से 10-12-89	2	
38	श्री आर0 बी0 एल0 अग्रवाल	अधि0 अभि0 पब्लिक नलकूप, लखनऊ	15-12-89 से 16-12-89	1	
39	श्री जावेद उस्मानी	जिलाधिकारी, गोरखपुर	23-12-89 से 24-12-89	1	
40	स्वास्थ्य मंत्री		24-12-89 से 24-12-89	2 व 3	
41	श्री आर0 पी0 शर्मा	अधी0 अभि0 (इण्डोडच)	27-12-89 से 28-12-89	1	
42	श्री जी0 पी0 वर्मा	आई0 ए0 एस0, फूड कारपोरेशन आफ इण्डियन	29-12-89 से 29-12-89	3	
43	श्री जे0 पी0 पाण्डे	डी0 आई0 जी0, वाराणसी	30-12-89 से 31-12-89	1	

टिप्पणी--कक्ष संख्या 3 का अनिवार्यतः एवं कक्ष संख्या 3 के साथ कक्ष संख्या 2 का आरक्षण प्रभारी अधिकारी कृते जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्राप्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 115 का उत्तर पृष्ठ 75 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर का संलग्नक ।

(श्री अली अहमद, उचित दर के दुकानदार को माह अक्टूबर, 1989 से मार्च, 1990 तक की अवधि में विशेष परमिटों हेतु आवंटित माहवार मात्रा का विवरण ।

(मात्रा कुन्तल में)

अक्तूबर, 1989	58
नवम्बर, 1989	110
दिसम्बर, 1989	150
जनवरी, 1990	..
फरवरी, 1990	161
मार्च, 1990	90
योग ..	569

विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—19 विधान सभा—4—10—1990—813(पी0डी0) ।